इण्डियन कानूनी पत्रिका

रजि० न०
A. 69

प्रत्येक मनुष्य यह बात भली प्रकार जानता है कि कानून से जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक है कानून न जानने के कारण वहुधा मनुष्य व्यर्थ के मुकदमे बाजी में फंस जाते हैं न केवल उनका धन व समय नष्ट होता है बल्कि उनको शरमन्दगी भी उठानी पड़ती है. विशेषकर आजकल के समय में जबकि नित्य नये कानून बदलते रहते हैं और प्रत्येक गांव के लिये गांव सभायें और पंचायती अदालतें स्थापित हो चुकी हैं कानून से जानकारी होना बहुत जरूरी है परन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश में कानूनी जानकारी प्राप्त करने के साधन नहीं हैं। अंगरेजी की कानूनी पत्रिकाओं का प्रथम तो मूल्य बहुत है दूसरे जो सज्जन अंगरेजी नहीं जानते इन पत्रिकाओं से लाभ नहीं उठा सकते अतः हमने सन् १९४० से उर्दू में एक कानूनी रिसाला निकालना आरम्भ किया था यह रिसाला जून सन् १९४६ तक तो त्रियमासिक था परन्तु जुलाई १९४६ से यह रिसाला मासिक हो गया है यह रिसाला उर्दू जानने वालों ने बहुत पसन्द किया है और अब बहुत दिनों से हम हिन्दी जानने वाले सज्जनों के लिये हिन्दी में कानूनी पत्रिका निकालनेके लिये सोचते रहे हैं हमने इसके सम्बन्ध में अपनी डायरियों जन्त्रियों और अन्य कानूनी किताबों में अपना विचार प्रगट किया है तो बहुत से हिन्दी जानने वाले सज्जनों ने हमारे इस विचार का हार्दिक स्वागत किया है और बहुत सों ने तो वार्षिक चन्दा भी पेशगी भेज दिया है अतः हमने इस पत्रिका को जनवरी सन् १९५० से निकालने का प्रबन्ध कर लिया है।

इस पत्रिका में केन्द्रीय व प्रान्तीय कानूनों व विज्ञप्तियों के अतिरिक्त हाईकोर्टों व बोर्ड आफ रैवन्यू की नज़ीरों के संक्षिप्त और कानूनी प्रश्नों पर अब तक की नज़ीरों सहित लाभदायक लेख भी दिये जायेंगे। यह पत्रिका वकीलों मुहर्रिरों अर्जीनवीसों कारिन्दों पंचायती अदालतों के सरपंचों व पंचों गांव सभाओं के प्रधान व उपप्रधान व सैक्रेटरियों व अन्य ऐसे सज्जनों के लिये अत्यन्त लाभदायक है जिनका अदालत से काम पड़ता रहता है जो सज्जन अपना आर्डर शीघ्र दे देंगे उनको कानूनी जन्त्री सन् १९५० मुफ्त भेजी जायेगी। वार्षिक मूल्य ६) नमूने का पर्चा मुफ्त बैरंग भेजा जायगा ताकि खोया न जाये। हमें आशा है कि जो सज्जन इस पत्रिका को एक बार पढ़ेंगे अवश्य इसके ग्राहक हो जायेंगे। पत्र-व्यवहार करते समय आप अपना पता पूरा व साफ साफ लिखें।

नोट—हमारी अन्य पुस्तकों के लिये इस किताब के पृष्ठ २३६ को देखें।

मिलने का पता :—

कानूनी पुस्तकालय गाजियाबाद

भारत का संविधान

जो २६ जनवरी सन् १९५० से लागू हुआ

भूमिका, सूची, कठिन शब्दों के अर्थ व सरल टीका सहित

उजागरमल जैन, बी. ए., एल-एल-बी., एड्वोकेट

व

सुरेन्द्र प्रकाश जैन, बी. ए., एल-एल-बी.

मिलने का पता—

कानूनी डायरी आफिस

गाजियाबाद।

भूमिका

अन्त में सैकड़ों वर्षों की गुलामी के पश्चात भारत स्वतन्त्र हो ही गया यह एक चमत्कार है किसी को यह आशा न थी कि अंग्रेज बहादुर जोकि भारत को अपने मजबूत पंजों में जोर से पकड़े हुए था कि इस प्रकार भारत छोड़कर चला जायेगा। यह चमत्कार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दूरदर्शिता और अथक परिश्रम का फल है जिनका नाम भारत में सदा गौरव व सम्मान के साथ लिया जायेगा। इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य से बिना हथियार केवल सत्य व अहिंसा के आधार पर टक्कर लेना महात्मा जी का ही काम था।

भारत का संक्षिप्त इतिहास—

भारत एक महान देश है यहां की उपजाऊ भूमि, खनिज पदार्थ, स्वस्थ जलवायु और प्राकृतिक सौन्दर्य विदेशीय जातियों को इसकी ओर सदा खेंचती रही हैं और भारत सोना की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध रहा है। यों तो भारत एक प्राचीन देश है। राम और कृष्ण जिन को पैदा हुए हज़ारों वर्ष हो चुके अब भी प्रत्येक भारतीय की जबान पर है परन्तु ईसा से केवल ६०० वर्ष पूर्व तक का हाल इतिहासकारों को मिला है हम भारत के इतिहास को मुख्य तीन कालों में बांट सकते हैं अर्थात् हिन्दू काल, इस्लामी काल व अंग्रेजी काल।

हिन्दू काल —

भारत के सब से पहिले प्रतापी राजा जिसका हाल इतिहासकारों को मालूम हुआ है चन्द्रगुप्त मौर्य्य था जो अब से लगभग २५०० वर्ष पहिले भारत का सम्राट था। इस के ही समय में सिकन्दर के सेनापति सैल्यूकस ने भारत पर चढ़ाई की थी परन्तु उसकी हार हुई और उसने अपनी लड़की हेलेना का विवाह चन्द्रगुप्त के साथ कर दिया इसके पश्चात् इसके वंश में महाराज अशोक एक बड़े प्रतापी राजा हुए हैं इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इनके राज्य के विस्तार की सीमा दक्खिन की ओर मैसूर के ऊपरी भाग तक उत्तर की ओर काश्मीर हिमालय प्रदेश तथा अफ़गानिस्तान और बिलोचिस्तान तक पश्चिम में पंजाब सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल बिहार तक थी सन् १८४ ईसा पूर्व मौर्य्य वंश का अन्त हो गया और भारत में कुशान वंश के राज्यों का अधिकार हुआ इस वंश में महाराज कनिष्क सबसे बड़े प्रतापी राजा हुए हैं इन्होंने १२८ ई० से १३८ ई० तक राज्य किया और इनके राज्य विस्तार की सीमा काबुल से लेकर पूर्व में बनारस और दक्खिन में विन्ध्याचल पर्वत तक फैला हुआ था। इसवंश का अन्त १५० ई० में हुआ और इसके पश्चात गुप्त वंश के राजाओं का राज्य भारत में स्थापित हुआ इस वंश का सबसे प्रतापी राजा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ जिसके न्याय और बुद्धिमत्ता की कथायें भारत में अब तक प्रसिद्ध हैं और जिसने

हिन्दुओं का विक्रम सम्वत चलाया था। ५३० ई० के लगभग इस वंश का भी अन्त हो गया। इसके पश्चात अन्य राजाओं का राज्य हुआ जिनमें हर्षवर्धन सब से योग्य व प्रतापी राजा था इसने बौद्ध धर्म की बहुत उन्नति की। इसी राजा के समय चीनी यात्री हेनसांग सन् ६३० ई० में भारतमें आया यह यात्री १४ वर्ष तक भारतमें रहा और इसने हर्षवर्धन के राज्य के प्रबन्ध की बहुत प्रशंसा की है और उसने लिखा कि भारत धनधान्य से पूर्ण था इसके पश्चात भारत छोटे छोटे हिन्दू राज्यों में विभक्त हो गया और इसकी शक्ति कम होगई। इसके पश्चात भारत में सब से प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान देहली का राजा हुआ जैसा कि हम लिखेंगे इसके विरूद्ध काबुल के बादशाह मोहम्मद गौरी ने कई आक्रमण किया परन्तु इस शूरवीर राजा ने हर बार उसको क्षमा कर दिया परन्तु जब मोहम्मद गौरी ने सन् ११९३ में जैचन्द के बुलाने पर भारत पर फिर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज आपसी फूट के कारण हार गया और वह मारा गया। पृथ्वीराज भारत का सबसे अन्तिम हिन्दू सम्राट कहा जाता है।

इस्लामी काल—

यों तो सबुक्तगीन गजनवी सबसे पहिले मुस्लमानी बादशाह था जिसने भारत पर आक्रमण किया और उसके पश्चात उसके पुत्र महमूद गजनवी ने भारत पर १७ बार आक्रमण किया परन्तु गजनवी की कोई इच्छा भारत में बसने की नहीं थी वह भारत से असंख्य माल लेकर अपने देश को लौट गया और यहां पर हिंदू राजा राज करते रहे परन्तु जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराकर अपनी तरफ से राज्य करने के लिये अपने गुलाम कुतुबउद्दीन को भारत में छोड़ दिया। मोहम्मद गौरी के मरने पर कुतुबउद्दीन ने अपने आप को भारत का बादशाह घोषित कर दिया और इस वंश के बादशाह सन् १२९० ई० तक भारत में राज्य करते रहे।

भारत में सन् १२९० से १३१६ तक खिलजी बादशाहों का और १३१६ से १४१२ तक तुगलक वंश के बादशाहों का और १४१४ से १५२६ तक सय्यद और लोदी वंश के राजों का राज्य रहा। सन् १५२६ ई० में बाबर लोदी वंश के आखरी बादशाह मोहम्मद इब्राहीम को हराकर स्वयं भारत का बादशाह हो गया और १५२६ से १८५७ तक सिवाय थोड़े से समय के जबकि शेरशाह सूरी हुमायूं को हराकर खुद बादशाह हो गया था भारत में मुगल वंश के बादशाहों का राज्य रहा और इनमें बाबर हुमायूं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरङ्गजेब बहुत प्रसिद्ध बादशाह हुये हैं अकबर बादशाह ने हिंदू व मुसलमानों के प्रति समान नीति बरत कर मुग़ल राज्य की नीव दृढ़ कर दी थी परन्तु औरङ्गजेब के कट्टर धार्मिक विचारों के कारण मुगल साम्राज्य की जड़ें खोखली होगईं और १७०७ ई० में औरङ्गजेब की मृत्यु होने पर मुगल साम्राज्य का पतन आरम्भ हो गया और १८५७ ई० में अङ्गरेजों ने मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुरशाह को अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लेनेके कारण पकड़ कर रंगून भेज दिया और इस प्रकार

मुगल साम्राज्य का भारत में अन्त हो गया। यद्यपि एक प्रकार से मुसलमान बादशाहों को विदेशी बादशाह कहा जा सकता है परन्तु वे और उनके वंशज भारत में हिन्दुओं व अन्य जातियों से इस प्रकार मिल जुल कर रहे कि उनका काल भारत के लिये दासता का काल नहीं कहा जा सकता उन्होंने भारतवर्ष को अपनी मातृभूमि समझी और इसकी उन्नति में ही अपना तन मन धन लगाया। उनके समय में भारत की पूञ्जी भारत में ही रही।

अंग्रेज़ी काल—

सन् १६०० ई० में इंगलैंड की महारानी ऐलजवथ ने इंगलैंड की कम्पनी को भारत से व्यापार करने का आज्ञा पत्र दिया। इस समय अकबर भारत का सम्राट था अंग्रेजों की पहली फैक्टरी सूरत में स्थापित हुई। धीरे धीरे यह कम्पनी उन्नति करती गई और मुगल बादशाह फरुखसियर ने यह आज्ञा देदी कि अंगरेजी कम्पनियों से भारतमें व्यापार करने पर कोई महसूल न लिया जाये। मुगल साम्राज्य की अवनति के साथ साथ अंगरेजों की भारत में जड़ जमती गई। सन् १७५७ में क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई जीतकर भारत में अंगरेजों राज्य की बुनियाद डाली। १७५७ ई० में मुगल बादशाह शाहआलम ने ईस्ट इन्डिया कम्पनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दिवानी के अख्तयारात सौंप दिये परन्तु अंगरेजी कर्मचारी घूस लेने लगे और अन्य अत्याचार करने लगे जिससे कम्पनी का प्रबन्ध बहुत खराब हो गया और कम्पनी बहुत बदनाम हो गई। इन खराबियों को दूर करने के लिये अंगरेजी सरकार ने सन्१७७३ में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट पास किया। जिसके अनुसार बंगालके लिये एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और बम्बई व मद्रास के गवर्नर उसके आधीन कर दिये गये और कलकत्ते में एक सुप्रीम अदालत स्थापिन की गयी। यह सबसे पहिला विधान है जो अंग्रेजों ने भारत के लिये बनाया परन्तु गवर्नर जनरल व उसके कौंसिल के बीच और गवर्नमेंट व सुप्रीम कोर्ट के बीच झगड़ा होने के कारण इस ऐक्ट को सफलता प्राप्त नहीं हुई और सन् १७८४ ई०से इङ्गलैंड की सरकार ने पिटस इण्डिया बिल पास किया जिससे गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि यदि वह आवश्यक समझे तो अपने कौंसिल के सदस्यों की राय न माने और गवर्नमेंट आफ इण्डिया के काम की निगरानी के लिये इङ्गलैंड में एक बोर्ड आफ कन्ट्रोल भी स्थापित किया गया। सन् १८३३ ई० में इङ्गलैंड की सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को एक नया चारटर दिया जिसके अधीन कम्पनी का भारत से व्यापार करने का अधिकार ले लिया गया और उसको इङ्गलैंड के बादशाह की तरफ से भारत में शासन करने का अधिकार दिया गया जैसा कि हम पर लिख चुके हैं सन् १८५७ ई० में भारत में अगरेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ परंतु अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया और इगलैंड की सरकार ने भारत का शासन स्वयं-संभाल लिया और बोर्ड आफ कन्ट्रोल की जगह सैक्रैटरी आफ स्टेट नियत किया गया जिसका काम भारत में अंग्रेजी हकूमत की निगरानी करना था।

卐

जयलाल शर्मा द्वारा शान्ति प्रेस, दिल्ली में कानूनी डायरी आफिस के लिए मुद्रित किया।

इण्डिया कौंसिल ऐक्ट सन् १८६१ के द्वारा गवर्नर जनरल के कौंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इण्डिया कौंसिल ऐक्ट १८६२ के अधीन गवर्नर जनरल के कौंसिल के कुछ और अधिकार बढ़ा दिये गए। इण्डिया कौंसिल एक्ट सन १६०६ के अधीन कौंसिल की सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ६० करदी गई और प्रान्तीय एसेम्बली की सदस्यों की संख्या ५० तक करदी गई। सन् १६१४ से १६१६ तक जो महायुद्ध हुआ था उसमें अङ्गरेजों ने भारत को बहुत कुछ विश्वास दिलाया था परन्तु अङ्गरेजों ने उसको पूरा नहीं किया और १६१६ में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिफौर्म्स ऐक्ट बनाया उससे भारतवासियों की सन्तुष्टी नहीं हुई। इसी ऐक्ट द्वारा अङ्गरेजों ने हिन्दू और मुसलमानों के लिए अलग २ वोट देने की प्रथा को चला कर हिन्दुओं व मुसलमानों में फूट का बीज बो दिया। इसके पश्चात् सन् १६३५ में गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट बना जिसके अनुसार १५ अगस्त १६४७ तक गवर्नमेंट हिन्द का कार्य चलता रहा और यही कानून कुछ संशोधनों के साथ २६ जनवरी १६५० तक लागू रहा।

भारत की स्वतन्त्रता में कांग्रेस का प्रयत्न—भारत की स्वतन्त्रता का इतिहास काँग्रेस का इतिहास है कांग्रेस का जन्मदाता एक अङ्गरेज मिस्टर ह्यूम ही था। इसने १८८५ ई० में कांग्रेस इस लिये स्थापित की थी कि भारत के शिक्षित सज्जन काँग्रेस द्वारा अपने विचार प्रकट कर सकें। कुछ दिनों तक काँग्रेस केवल ऐसे व्यक्तियों के हाथ में थी जो केवल प्रस्ताव पास करके ही अपने कर्तव्य का पालन समझते थे परन्तु सन् १६१६ में महात्मा गाँधी के काँग्रेस में सम्मिलित होने से उपरोक्त सज्जनों की काँग्रेस में दाल नहीं गली और धीरे-धीरे काँग्रेस ने भारत के दुःख निवारण का कार्य प्रारम्भ कर दिया। काँग्रेस के नेताओं ने समझ लिया कि भारत के सब दुःखो का कारण विदेशी सरकार है अतः सन् १६२८ में लाहौर के काँग्रेस के अधिवेशन में काँग्रेस ने यह घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता दिलाने का है अंग्रेजी सरकार ने हर प्रकार से काँग्रेस को व भारतीयों को स्वराज्य लेने की इच्छा को दबाने का प्रयत्न किया परन्तु उनको इसमें सफलता नहीं मिली और सन् १६४२ में महात्मा गांधी ने अङ्गरेजी के लिये "भारत छोड़ो" का नारा लगाया जो भारत के कोने-कोने में गूँज उठा और अगस्त सन् १६४२ के आन्दोलन में जिस वीरता से भारत के नर-नारियों और बालक-बालिकाओं ने बलिदान किया उसको सुनकर हमारे पूज्य प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू को भी यह कहना पड़ा कि "सन् १६४२ की घटनाओं के लिए मुझे बड़ा गर्व है"। सच तो यह है कि कांग्रेस ने सन् १६२८ में रावी तट पर जो घोषणा की थी और सन् १६४२ में अङ्गरेजों के लिए भारत छोड़ो का जो नारा लगाया था वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में १५ अगस्त सन् १६४७ को पूरा हुआ।

भारत का संविधान—यद्यपि जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं १५ अगस्त सन् १६४७ को भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई परन्तु २६ जनवरी १६५० तक कुछ संशोधनों के साथ गवर्नमैंट आफ इण्डिया ऐक्ट के अधीन ही भारत की सरकार चलती रही और हमारे पूज्य प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद की सभा पतित्व में ३ साल के कठिन परिश्रम के बाद भारत के लिए यह नया विधान बना है जो २६ जनवरी सन् १६५० से लागू हो गया है।

इस विधान में २२ भाग हैं। भाग नं० १ में यह दिया गया है कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित समझे जायेंगे। भाग नं० २ यह दिया गया है कि भारत का कौन नागरिक होगा। भाग नं० ३ यह दिया गया है कि भारत के नागरिक को क्या क्या मूल अधिकार होंगे। भाग नं० ४ में यह दिया गया है कि भारत सरकार की क्या नीति होगी। भाग नं० ५ में यह दिया गया हैं कि भारत संघ की सरकार कैसे चलाई जायेगी। भाग नं० ६ में यह दिया गया है कि प्रान्तों की सरकार कैसे चलाई जाएगी। भाग नं० ७ में यह दिया गया है कि रियासतों की सरकार कैसे चलाई जाएगी। भाग नं० ८ में यह दिया गया है कि चीफ कमिश्नर को प्रान्तों की सरकार कैसे चलाई जाएगी। भाग नं० ९ में यह दिया गया हैं कि अन्डमन निकोवार व अन्य ऐसे क्षेत्रों की सरकार जिसका उल्लेख भाग नं० ६, ७ व ८ में नहीं है कैसे चलाई जाएगी। भाग नं० १० शेडूल्ड क्षेत्रों और आदिम जातियो के प्रबन्ध के लिए बनाई गई है। भाग नं० ११ में यह दिया गया है कि भारत सङ्घ भारत सङ्घ में सम्मिलित होने वाले राज्यों का आपस में क्या सम्बन्ध होगा। भाग नं० १२ में यह दिया गया है कि भारत सरकार कौनसे टैक्स लगा सकेगी उसके फन्ड में कौन कौन सी रकम जमा की जायेंगी और उसमें से क्या क्या खर्च किया जायेगा और भारत सङ्घ कौन से महायदे कर सकेगी और भारत सङ्घ की तरफ से और उसके विरुद्ध नालिशें किस प्रकार की जा सकेंगी। भाग १३ भारत सङ्घ के क्षेत्र में तिजारत व व्यापार आदि के सम्बन्ध में है। भाग १४ सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में बनाया गया है। भाग १५ में चुनाव सम्बन्धी नियम दिए गये हैं। भाग १६ शैडूल जाति व आदिम जाति को विशेष रियायतें देने के लिए बनाया गया है। भाग १७ में यह दिया गया है कि भारत में सरकारी भाषा क्या होगी। भाग १८ में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति, गवर्नर या राज्य प्रमुख किस दशा में अकस्मात् सङ्कट का होना घोषित कर सकते हैं। भाग १९ में विविध नियम दिए गए हैं जिनमें मुख्य ये हैं कि राष्ट्रपति, गवर्नर आदि पर सरकारी अदालतों में मुकदमे नहीं चलाए जा सकेंगे और इस भाग में ऐसे मुख्य मुख्य शब्दो की परिभाषा भी दी गई है जो इस विधान में प्रयोग लाए गए हैं। भाग २० में यह दिया गया है कि इस विधान में किस प्रकार संशोधन हो सकेंगे। भाग २१ में यह दिया गया है कि जब तक इस विधान के अधीन पार्लियामैंट बनाई जाएगी सरकार कैसे चलाई जायेगी। भाग २२ में इस विधान का नाम सीमा अधिकार दिए गये हैं और यह भी दिया गया है कि इस विधान के द्वारा कौन कौन से कानून रद्द कर दिये गए हैं।

निवेदन

हमने इस पुस्तक में भारत का संविधान जैसा कि सरकारी छपा है पूरा दिया है बल्कि सरकारी किताब में हिन्दी के कठिन शब्द होने के कारण हमने इस किताब में टीका सरल भाषा में दी है जिससे पढ़ने वाले इसको भली भांति समझ सकें। हम आशा करते हैं कि जनता को हमारी यह किताब बहुत पसन्द आयेगी।

लेखक

भारत का संविधान

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

---

१ पूरा करने वाला। २ साथ उत्पन्न होने वाला। ३ फल स्वरूप। ४ आर्टिकल। ५ बनाई हुई। ६ कानून। ७ चले आना। ८ पैदायश। ९ प्राप्त करना। १० पारलियामैंट। ११ नियम के अनुसार चलाना।

अनुच्छेद | विषय | पृष्ठ संख्या

भाग ३

मूल अधिकार साधारण

साधारण

समता-अधिकार

स्वातन्त्र्य-अधिकार

शोषण के विरुद्ध अधिकार

धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार

---

१ विरुद्ध । २ कम करना । ३ बराबरी । ४ नस्ल । ५ स्त्री या पुरुष । ६ मुमानियत । ७ अछूतता । ८ बोलना । ९ हिफाजत । १० जुर्म की सजा । ११ शारीरिक । १२ कैद । १३ नजर बन्द । १४ इन्सान के बेचने । १५ जबरदस्ती महनत । १६ भीतरी । १७ बिलारुकावट । १८ टैक्सों ।

१ कम गिनती की जाति। २ चलाने का। ३ लाजमी। ४ प्राप्त करना। ५ पाबन्दी। ६ उपाय। ७ दिये हुये। ८ फौज। ९ उपयोग। १० परिवर्तन। ११ मारशल लॉ। १२ जारी। १३ पाबन्दी। १४ सिद्धान्त। १५ पालन करने। १६ मनुष्य के योग्य १७ जच्चा। १८ मजदूर। १९ जाब्ता दीवानी। २० मुफ्त। २१ लाजमी। २२ आर्थिक। २३ भोजन का दर्जा। २४ रहन सहन का दर्जा। २५ यादगार।

---

१ एक्जीक्यूटीव (प्रबन्ध सम्बन्धी)। २ जूडीशयल (न्याय सम्बन्धी)। ३ अलग किया जाना। ४ योग्यता। ५ योग्यतायें। ६ कसम। ७ इलजाम। ८ कार्यवाही। ९ इतफाकिया। १० पद के कारण। ११ पालन करना। १२ मुतालिक

---

१ मुलतवी। २ माफ करना। ३ कम करना। ४ सलाह। ५ अटारनी जनरल। ६ स्थगित करना। ७ बरखास्त करना। ८ प्रथम बैठक के प्रारम्भ में

---

१ सभापति। २ सेक्रेटरी का दफ्तर। ३ कोरम। ४ अयोग्यतायें। ५ निर्णय। ६ छुटकारा। ७ बिलों। ८ पास करने।

१ धन विल। २ वजट। ३ तखमीने। ४ खर्च सम्बन्धी विल। ५ पूरा करने वाला। ६ अन्य। ७ अधिक ८ हिसाब। ९ सहायक अनुदान। १० विशेष ग्रांट। ११ आर्थिकविल। १२ पाबन्दी। १३ अनुपस्थिति। १४ आर्डिनेंस। १५ सुप्रीम कोर्ट। १६ विशेष उद्देश्य से। १७ रिटायर्ड।

---

१ एडवोकेट जनरल २ सभापति ३ सेक्रेटरी का दफ्तर ४ कोरम ५ निर्णय

---

१ योग्य। २ छुटकारा। ३ पावन्दी। ४ सालाना वजट। ५ तख़मीना। ६ निर्णय। ७ आर्डिनेंस जारी करने की शक्ति।

१ पैरवी २ तबादला ३ निगरानी ४ मुन्तकिल करना ५ निकालना ६ न्याय सम्बन्धी।

---

१ प्रबन्ध २ कौंसिल व असैम्बली ३ सलाहकार ४ स्थापित ५ हाई कोर्ट ६ कुर्ग ७ प्रबन्ध ८ कानूनी ९ एडीशनल १० बाकी ११ संकट १२ जारी १३ विरोध

१ आज्ञा २ जिम्मेवारी ३ कन्ट्रोल ४ कुछ ५ फौज ६ काम ७ कागजात ८ न्याय सम्बन्धी ९ विवाद १० दो राज्यों के बीच ११ घाटी १२ दावे १३ एकता १४ सम्बन्धी १५ नियम १६ आर्थिक १७ मुहायदे १८ नालिश १९ अर्थ २० कानून के अधीन २१ लगाना २२ फंड २३ हिसाब २४ सरकारी आय २५ काम में लगाना २६ फीस ।

१ लगाए गए। २ सरचार्ज। ३ देश से बाहर भेजने पर चुङ्गी। ४ ग्रांट। ५ बिल। ६ आवश्यकता। ७ पेशों। ८ मुस्तसना। ९ खालिस आमदनी। १० फाईनैन्स कमीशन। ११ सुपुर्दगी। १२ सरकारी नौकरों। १३ अमानत। १४ बरियत। १५ बेचना। १६ खरीदना। १७ पाबन्दी। १८ बिजली। १९ टैक्स लगाने। २० हिसाब। २१ निजि खर्चा।

---

१ तरका। २ जिम्मेवारी। ३ राज्य को प्राप्त होना। ४ समय के बीतने से। ५ वारिस न होने के कारण। ६ प्राप्त हुई। ७ जल के भीतर। ८ मिलकियत। ९ प्राप्त करना। १० महायदे। ११ आना जाना। १२ आपस के। १३ अफ़सर। १४ अर्थ। १५ सिविल। १३ दर्जा घटना।

भाग १५
निर्वाचन[७]

---

१ अस्थायी। २ पब्लिक सरविस कमीशन। ३ मौतिल करना। ४ नियम। ५ कार्य। ६ रिपोर्ट। ७ चुनाव। ८ निगरानी। ९ हिदायत। १० अख्तियार में। ११ स्त्री या पुरुष। १२ अयोग्य। १३ बालिग का वोट देने का अधिकार।

१ शैडूल्ड २ सुरक्षित ३ एंग्लो इण्डियन ४ शिक्षा के लिये ग्रांट ५ जांच करना ६ कमीशन।

१ पत्र व्यवहार २ सुप्रीम कोर्ट ३ कानूनों ४ बिलों ५ कानून बनाने के लिए ६ शिकायतें ७ दूर करना ८ प्रार्थना पत्र ९ उपयोग की जाने वाली १० उन्नति ११ संकट १२ प्रयोग १३ भीतरी १४ हकूमत की मशीन १५ कानून बनाने की १६ मुलतवीकरना १७ आर्थिक संकट १८ विविध । १९ गवर्नर ।

१ मनाही २ बड़े बन्दरगाह ३ हवाई अड्डे ४ पालन करना ५ कार्रवाही ६ जारी रहना ७ नजरबन्द रखना ८ विचाराधीन ६ कार्य १० कोमपट्रोलर आडिटर जनरल ११ मन्त्रियों की कौंसिल ।

भाग २२

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन.

अनुसूचीयां[5]

१ निश्चय करना। २ इत्तफाकिया खाली। ३ वसूल किया हुआ। ४ मन्सूखी। ५ शैड्यूल। ६ स्पीकर। ७ डिप्टी स्पीकर। ८ लैजिस्लेटिव असेम्बली।

अनुसूचियां

पृष्ठ संख्या

---

१ कोम्पटोलर व आडिटर जनरल २ नमूना ३ ऐसी सूची जिसमें दिए हुए विषयों के सम्बन्ध में संघ व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।

भारत का संविधान

प्रस्तावना—

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों को—

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान-सभा में आज तारीख २६ नवम्बर १९४९ ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छः विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अङ्गीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

टीका—इस प्रस्तावना में यह दिया गया है कि यह विधान भारत को सम्पूर्ण अधिकार वाला प्रजातन्त्र-राज्य (रिपब्लिक) बनाया गया है जिस में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिलेगा और विचार प्रगट करने, विश्वास, धर्म और उपासना आदि की स्वतन्त्रता प्राप्त होगी।

भाग १

संघ और उसका राज्य-क्षेत्र

१. संघ का नाम और राज्य-क्षेत्र—

(१) भारत, अर्थात् इन्डिया, राज्यों का संघ होगा।

(२) उसके राज्य और राज्य-क्षेत्र प्रथम अनुसूची के भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे।

(३) भारत के राज्य-क्षेत्र में—

(क) राज्यों के राज्य क्षेत्र;

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित राज्य, क्षेत्र; तथा

(ग) ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र जो अर्जित किये जायें, समाविष्ट होंगे।

टीका—इस आर्टिकिल (अनुच्छेद) में यह दिया है कि भारत राज्यक्षेत्र में वे सब क्षेत्र सम्मिलित होंगे जो कि इस विधान की प्रथम सूची क, ख, ग, घ, में दिये गये हैं।

२. नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना

संसद् विधि द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, संघ में नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी।

टीका—इस आर्टिकल में यह दिया गया है कि भारत की पार्लियामेंट भारत में नये क्षेत्र भी सम्मिलित कर सकेगी।

३. नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का बदलना

संसद् विधि द्वारा—

(क) किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिला कर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नया राज्य बना सकेगी।

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी ;

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी ;

(घ) किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी ;

(ङ) किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी ;

परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश बिना, तथा जहाँ विधेय में अन्तर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य या राज्यों की सीमाओं पर अथवा किसी ऐसे राज्य या राज्यों के नाम या नामों पर पड़ता हो वहां जब तक कि विधेयक की पुरः स्थापना की प्रस्थापना के तथा उसके उपबन्ध, इन दोनों के सम्बन्ध में, यथास्थिति, राज्य के विधान मण्डल अथवा राज्यों में से प्रत्येक के विधान मण्डल के विचार राष्ट्रपति ने निश्चित रूप से न जान लिये हों तब तक, किसी सदन में पुर: स्थापित न किया जायेगा।

टीका—इस आर्टिकल में यह दिया गया है कि भारत की पारलियामेंट भारत में सम्मिलित राज्यों की सीमा में घटत बढ़त कर सकती है। परन्तु उसको इसके सम्बन्ध में बिल प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश प्रप्त करनी पड़ेगी।

४. प्रथम और चतुर्थ अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, प्रासंगिक और आनुषंगिक विषयों के लिये अनुच्छेद २ और ३ के अधीन निर्मित विधियाँ

(१) अनुच्छेद २ या अनुच्छेद ३ में निर्दिष्ट किसी विधिमें प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची के संशोधन के लिये ऐसे उपबन्ध अन्तर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध (जिन के अन्तर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के, संसद या विधान-मण्डल या विधान-मंडलों में, प्रतिनिधित्व के बारे में उपबन्ध भी हैं) भी हो सकेंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझे।

(२) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायगी।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि आरटिकल २ व ३ के अधीन बनाये हुए कानून में इस विधान की सूची १ और ४ में संशोधन करने के लिए नियम दिए हुए होंगे।

भाग २

नागरिकता

५. इस संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता

इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य-क्षेत्र में अधिवास है, तथा—

(क) जो भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था, अथवा

(ख) जिसके जनकों में से कोई भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था, अथवा

(ग) जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले कम से कम पांच वर्ष तक भारत राज्य क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है;

भारत का नागरिक होगा।

टीका—यह आरटिकल बहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा और इसमें यह दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो इस विधान के लागू होने के समय भारत में रहता हो और जो (१) भारत में पैदा हुआ हो या (२) जिसके माता पिता में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो या जो (३) इस विधान के लागू होने से पहले ५ वर्ष से साधारणतया भारत में रहता हो, भारत का नागरिक होगा।

६. पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन कर आये कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र से भारत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन कर आया है इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत का नागरिक समझा जायेगा—

(क) यदि वह अथवा उसके जनकों में से कोई अथवा उसके महाजनकों में से कोई भारत-शासन अधिनियम १९३५ (यथा मूलतः अधिनियमित) में परिभाषित भारत में जन्मा था, तथा

(ख) (१) जब कि वह व्यक्ति ऐसा है जो सन् १९४८ की जुलाई के उन्नीसवें दिन से पूर्व प्रव्रजन कर आया है तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत राज्य क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है; अथवा

(२) जब कि वह व्यक्ति ऐसा है जो १९४८ की जुलाई के उन्नीसवें दिन या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन कर आया है तब यदि वह

भारत डोमीनीयन की सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से नागरिकता प्राप्ति के आवेदन पत्र के अपने द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले ऐसे पदाधिकारी को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया है, दिये जाने पर उस पदाधिकारी द्वारा भारत का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया गया है:-

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन-पत्र की तारीख से ठीक पहिले कम से कम छः महीने भारत राज्य-क्षेत्र का निवासी न रहा हो तो वह इस प्रकार पंजीबद्ध नहीं किया जायेगा।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी जो पाकिस्तान से भारत में आकर रहने लगा है और जो स्वयं, याउ सके मां बाप या दादा दादी में से कोई भारत के विभाजन होने से पहले के भारत में पैदा हुआ था भारत का नागरिक समझा जायगा बशर्ते कि यदि वह १८ जौलाई सन् १९४८ ई० को या इससे पहले पाकिस्तान से भारत में आया था तो वह भारत में आने से अब तक भारत में रहता है और यदि वह १९ जौलाई सन् १९४८ को या उसके पश्चात भारत में आया हो तो वह भारत का नागरिक रजिस्टर्ड कर लिया गया है।

७. पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों में से कुछ के नागरिकता के अधिकर

अनुच्छेद ५ और ६ में किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति १९४७ के मार्च के पहिले दिन के पश्चात् भारत राज्य-क्षेत्र से पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन कर गया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जायगा

परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन के पश्चात् भारत क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिये या स्थायी रूप से लौटने के लिये किसी विधि के द्वारा या अधीन दी गई है, तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुच्छेद ६ के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये भारत राज्य-क्षेत्र को १९४८ की जुलाई के १९ वें दिन के पश्चात प्रव्रजन करने वाला समझा जायेगा।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो १ मार्च सन् १९४७ के पश्चात भारत छोड़ कर पाकिस्तान चला गया हैं, भारत का नागरिक नहीं समझा जायगा परन्तु यदि वह पाकिस्तान छोड़कर परमिट द्वारा फिर भारत में रहने लगा है और भारत का नागरिक रजिस्टर्ड हो चुका है तो वह भारत का नागरिक समझा जायगा।

८. भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार

अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके जनकों में से कोई अथवा महाजनकों में से कोई भारत शासन अधिनियम १९३५

(यथामूलतः अधिनियमित) में परिभाषित भारत में जन्मा था, तथा जो सामान्यतया इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रहता है, भारत का नागरिक समझा जायेगा, यदि वह भारत डोमीनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से नागरिकता प्राप्ति के आवेदन पत्र के अपने द्वारा उस देश में, जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारतके राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले या बाद, दिये जाने पर ऐसे राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा भारतका नागरिक पंजीबद्ध कर लिया गया है।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत से बाहर किसी देश में रहता और वहां भारत के राजदूत या प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्टर्ड हो चुका है, भारत का नागरिक समझा जायगा।

९. विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छता से अर्जित करने वाले व्यक्ति नागरिक न होंगे

यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता आर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद ५ के आधार पर भारत का नागरिक न होगा और न अनुच्छेद ६ या अनुच्छेद ८ के आधार पर भारत का नागरिक समझा जायेगा।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो चुका है भारत का नागरिक नहीं समझा जायेगा।

१०. नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

प्रत्येक व्यक्ति जो इस भागके पूर्ववर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जो संसद द्वारा निर्मित की जाये, भारत का वैसा नागरिक बना रहेगा।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है ऐसी पाबन्दी के साथ जो भारत की पार्लियामेंट नियत करे, भारत का नागरिक बना रहेगा।

११. संसद् विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन करेगी

इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब विषयों के बारे में उपबन्धबनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि भारत की पार्लियामेंट को यह अधिकार होगा कि ऐसे नियम बनाये, जिनके द्वारा नागरिक अधिकार प्राप्त किए जा सकते हों या छीने जा सकते हों।

भाग ३

मूल अधिकार

साधारण

१२. परिभाषा

यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद, तथा राज्यों में से प्रत्येक की सरकार और विधानमंडल, तथा भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी है।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि भारत राज्य में भारत की सरकार, पार्लियामेंट, और ऐसे राज्यों की सरकार व विधान सभायें आदि सम्मिलित होंगी जो कि भारत सरकार के अधीन या उसके अधिकार में हों।

१३. मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पकरण करने वाली विधियां

(१) इस संविधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहले भारत राज्य-क्षेत्र में सब प्रवृत्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक कि वे इस भाग के उपबन्धों से असंगत है।

(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग द्वारा दिये अधिकारों को छीनत या न्यून करती हो और इस खंड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।

(३) यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस अनुच्छेद में—

(क) भारत राज्य-क्षेत्र में विधि के समान प्रभावी कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि अथवा प्रथा "विधि" के अन्तर्गत होगी।

(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य क्षमताशाली प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व पारित अथवा निर्मित विधि, जो पहिले ही निरसित न हो गई हो, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशेष क्षेत्रों में प्रवर्तन में न भी हो, "प्रवृत्त विधियों" के अन्तर्गत होगी।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि ऐसे तमाम कानून जो कि इस विधान के लागू होने के समय लागू हों और इस विधान के अहकाम के विरुद्ध हों, रद्द समझे जायेंगे और राज्य कोई ऐसा नया कानून नहीं बनायेगा जो विधान के इस भाग द्वारा प्राप्त किये हुये अधिकारों में बाधा डाले।

समता अधिकार

१४. विधि के समक्ष समता

भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायगा।

टीका—यह आरटिकल भी बहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि भारत सरकार के कानून सब व्यक्तियों के लिये एक से होंगे और कानून द्वारा उनकी एक सी ही रक्षा की जायगी।

१५. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

(१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

(२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक—

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के; अथवा—

(ख) पूर्ण या आंशिक रूप में राज्य निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिये समर्पित कुओं, तालावों, स्नानघाटों सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन अथवा शर्त के अधीन न होगा।

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाधा न होगी।

टीका—यह आरटिकल भी बहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि सरकार केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग (स्त्री या पुरुष), जन्म-स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेद-भाव नहीं करेगी और कोई व्यक्ति धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के कारण किसी दूकानों, भोजनालयों तथा पब्लिक मनोरंजन की जगहों या सरकारी कुओं, तालावों, न्हाने के घाटों, सड़कों और सार्वजनिक (पब्लिक) जगहों को उपयोग में लाने से वञ्चित नहीं किया जायगा, परन्तु राज्य स्त्री और बालकाओं के सम्बन्ध में विशेष सुविधाजनक नियम बना सकती है।

१६. राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर-समता

(१) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी।

(२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इसमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा।

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से संसद को कोई ऐसी विधि बनाने में बाधा न होगी जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य के अथवा उसके राज्य-क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार के अधीन किसी प्रकार की नौकरी में या पद पर नियुक्ति के विषय में वैसी नौकरी या नियुक्ति के पूर्व उस राज्य के अन्दर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो।

(४) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।

(५) इस अनुच्छेद की किसी बात का किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव न होगा जो उपबन्ध करती हो कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कार्य से सम्बद्ध कोई पदधारी अथवा उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का अनुयायी अथवा किसी विशिष्ट सम्प्रदाय का ही हो।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकारी नौकरियों के लिए समान अवसर प्राप्त होगा। परन्तु पार्लियामेंट को यह अधिकार होगा कि प्रान्तों और रियासतों आदि के लिए यह नियम बनाये कि कोई व्यक्ति उसी प्रान्त या रियासत का रहने वाला हो जिसके अधीन उसको नौकर रखना हो और पार्लियामेंट ऐसे व्यक्तियों के लिए नौकरियां सुरक्षित रख सकती है जो कि पिछड़ी हुई जातियों के हों।

१७. अस्पृश्यता का अन्त

"अस्पृश्यता" का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। "अस्पृश्यता' से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

टीका—यह आरटिकल भी बहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि अछूतता का अन्त कर दिया गया है और अछूतता किसी रूप में भी नहीं मानी जावेगी। अछूतता के आधार पर यदि किसी के साथ भेद भाव बरता जायगा तो यह अपराध होगा और इसके लिए दण्ड दिया जायगा।

१८. खिताबों का अन्त

(१) सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधि के सिवाय और कोई खिताब राज्य प्रदान नहीं करेगा।

(२) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा।

(३) कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार न करेगा।

(४) राज्य के अधीन लाभ-पद या विश्वास-पद पर आसीन कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या के अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार न करेगा।

टीका—यह आर्टिकल भी बहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि सिवाय सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधि के सरकार किसी को कोई उपाधि (खिताब) नहीं देगी और भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा और न और कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक तो नहीं है परन्तु भारत का पदाधिकारी है राष्ट्रपति की बिना आज्ञा के किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण करेगा और न किसी विदेशी राज्य का कोई पद ग्रहण करेगा।

स्वातन्त्र्य-अधिकार

१६—वाक्-स्वातन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

(१) सब नागरिकों को--

(क) वाक स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य का;

(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का;

(ग) संस्था या संघ बनाने का;

(घ) भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र आबध संचरण का;

(ङ) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का;

(च) सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का तथा

(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का, अधिकार होगा।

(२) खंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात अपमान लेख, अपमान वचन, मानहानि, न्यायालय अपमान से अथवा शिष्टाचार या सदाचार पर आघात करने वाले, अथवा राज्य की सुरक्षा को दुर्बल अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति वाले किसी विषय से जहां तक कोई वर्तमान विधि सम्बन्ध रखती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा सम्बन्ध रखने वाली किसी विधि को बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डालेगी।

(३) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर सार्वजनिक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डालेगी।

(४) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर सार्वजनिक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी।

(५) उक्त खंड के उपखंड (घ), (ङ) और (च) की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों के अथवा किसी अनुसूचित आदिमजाति के हितों का संरक्षण के लिये युक्तियुक्त निर्बन्ध जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डालेगी।

(६) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई बात उक्त खंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डालेगी; तथा विशेषतः उक्त उपखंड की कोई बात, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के लिये आवश्यक वृत्तिक या शिल्पिक अर्हताओं को जहां तक कोई वर्तमान विधि विहित करती है अथवा किसी प्राधिकारी को विहित करने की शक्ति देती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा विहित करने, या विहित करने की शक्ति किसी प्राधिकारी को देने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी।

टीका—यह आरटिकल भी बहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को (१) अपने विचार प्रगट करने, (२) शान्ति पूर्वक और बिना हथियारों के एकत्रित होने, (३) संस्थायें या संघ बनाने, (४) भारत में स्वतन्त्रतापूर्वक विचरने, (५) भारत में रहने या बसने, (६) सम्पत्ति को प्राप्त करने, रखने या हस्तांतरित (मुन्तकिल) करने, (७) किसी पेशे या व्यौपार को करने की पूरी स्वतन्त्रता होगी परन्तु इस आरटिकल का ऐसे कानून पर कोई असर नही पड़ेगा, जो कि अपमान, मान हानि, न्यायालय की मान हानि, सरकार के विरुद्ध कार्यवाही, शान्ति भङ्ग करने को रोकने के लिए लागू हों या राज्य आगे बनाये।

२०—अपराधों के लिये दोष-सिद्धि के विषय में संरक्षण

(१) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो, और न वह उस से अधिक दण्ड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने के समय प्रवृत विधि के अधीन दिया जा सकता था।

(२) कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिये एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित न किया जायेगा।

(३) किसी अपराध में अभियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा।

टीका—किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध की बाबत दण्ड नहीं दिया जायगा जो कि अपराध करते समय क़ानून के अनुसार दण्डनीय नहीं था और न किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिये एक बार से अधिक दण्ड दिया जायगा और न किसी अपराधी को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिये मजबूर किया जायगा।

२१—प्राण और दैहिक स्वाधीनता का संरक्षण

किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार वंचित न किया जायगा।

टीका—यह आरटिकल भी बहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि किसी व्यक्ति को सिवाय उस तरीके के जो कि कानून में दिया गया है, मौत या कैद की सजा नहीं दी जायगी और न नजरबन्द रक्खा जावेगा।

२२–कुछ अवस्थाओं में बन्दीकरण और निरोध से संरक्षण

(१) कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण के कारणों से यथाशक्य शीघ्र अवगत कराये गये बिना हवालात में निरुद्ध नहीं किया जायेगा और न अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित रखा जावेगा।

(२) प्रत्येक व्यक्ति जो बन्दी किया गया है और हवालात में निरुद्ध किया गया है, वन्दीकरण के स्थान से दंडाधिकारी के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़कर ऐसे,वन्दीकरण से २४ घटे की कालावधि में निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा, तथा ऐसा कोई व्यक्ति उक्त कालावधि से आगे दडाधिकारी के प्राधिकार के बिना हवालात में निरुद्ध नहीं रखा जायेगा।

(३) खड (१) और (२) में की कोई बात—

(क) जो व्यक्ति तत्समय शत्रु अन्यदेशीय है उसको, अथवा

(ख) जो व्यक्ति निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन बन्दी या निरुद्ध किया गया है उसको, लागू न होगी।

(४) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत तब तक न करेगी जब तक कि—

(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं अथवा नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं, मिलकर वनी मंत्रणा मडली ने तीन महीने की उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रतिवेदित नहीं किया है कि ऐसे निरोध के लिये उसकी राय में पर्याप्त कारण हैं:—

परन्तु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति के, उस अधिकतम कालावधि से आगे, निरोध को प्राधिकृत न करेगी जो खड (७) के उपखड (ख) के अधीन संसद् निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई है; अथवा

(ख) ऐसा व्यक्ति खंड (७) के उपखड (क) और (ख) के अधीन संसद्-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार निरुद्ध नहीं है।

(५) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है तब आदेश देने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को जिन आधारों पर वह आदेश दिया गया है उनको बतायेगा तथा उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिये उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा।

(६) खंड (५) की किसी बात से आदेश देने वाले प्राधिकारी के लिये ऐसे तथ्य को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिनका कि प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है।

(७) संसद् विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि--

(क) किन परिस्थितियों के अधीन तथा किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में

किसी व्यक्ति को निवारक निरोध को उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये खंड (४) के उपखंड (क) के उपबन्धों के अनुसार मंत्रणा मंडली की राय प्राप्त किये बिना निरुद्ध किया जा सकेगा;

(ख) किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में कितनी अधिकतम कालावधि के लिये कोई व्यक्ति निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा; तथा

(ग) खंड (४) के उपखड (क) के अधीन की जाने वाली जांच में मन्त्रणा-मण्डली द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया क्या होगी।

टीका—किसी व्यक्ति को विना यह वतलाये कि उस पर क्या अपराध लगाया गया है हिरासत में नहीं रखा जावेग और उपरोक्त अपराधी को कानून पेशा साहब से सलाह करने या उससे पैरवी कराने का अधिकार होगा और किसी अपराधी को २४ घन्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट के रुवरू (समक्ष) पेश करना होगा। और किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक के लिए नजरवन्द नहीं रखा जायगा जब तक कि सलाहकार बोर्ड ने अधिक समय के लिए नजरबन्द रखने के लिये रिपोर्ट न की हो जब किसी व्यक्ति को नजरबन्द करने का हुकम दिया जाय तो हुकम देने वाला अफसर उस व्यक्ति को यह सूचित करेगा कि उसको किन कारणों से नजरवन्द किया जाता है और उसको उपरोक्त हुकम के विरुद्ध जितनी जल्दी हो सके उज्रदारी करने का उचित अवसर दिया जायगा परन्तु हुकम देने वाला अफसर ऐसी बात नहीं बतायेगा जिसका वतलाना वह जनता के हित में न समझता हो।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

२३—मानव के पण्य और बलातश्रम का प्रतिषेध

(१) मानव का पण्य और वेट वेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबर्दस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से, राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये बाध्य सेवा लागू करने में रुकावट न होगी। ऐसी सेवा लागू करने में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं करेगा।

टीका—यह आरटिकल भी वहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि मनुष्यों का वेचना और किसी प्रकार की जबरदस्ती मेहनत लेना वन्द किया जाता है और जो व्यक्ति इसके विरुद्ध कार्य करेगा उसको कानून के अधीन दण्ड दिया जायगा। परन्तु राज्य को अधिकार होगा कि किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये सेवा लेना अनिवार्य करदे

२४—कारखाने आदि में बच्चों को नौकर रखने का प्रतिषेध

चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने अथवा

खान में नौकर न रखा जायगा और न किसी दूसरी संकटमय नौकरी में लगाया जायगा।

टीका—यह आरटिकल भी बहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि वह बालक जिसकी आयु १४ वर्ष से कम हो किसी फैक्टरी, कारखाना या ऐसे काम में नौकर नहीं रखा जायगा जो कि खतरनाक हो।

(१) धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार

२५—अन्तःकरण की तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतन्त्रता

(१) सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इसभाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सब व्यक्तियों को, अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक़ होगा।

(२) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा राज्य के लिये किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट न डालेगी जो—

(क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्बन्धन करती हो।

(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार उपबन्धित करती हो, अथवा हिन्दुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों के लिये खोलती हो।

व्याख्या—१. कृपाण धारण करना तथा लेकर चलना सिक्ख धर्म के मानने का अङ्ग समझा जायेगा।

व्याख्या—२. खंड (२) के उपखंड (ख) में हिन्दुओं के प्रति निर्देश में सिक्ख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों का भी निर्देश अन्तर्गत है तथा हिन्दू धर्म संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ भी तदनुकूल ही किया जायेगा।

टीका—यह आरटिकल भी बहुत आवश्यक है और इस में यह दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार धर्म के प्रचार करने का समान अधिकार होगा बशर्ते कि इससे सार्वजनिक सदाचार और स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े। परन्तु सरकार को अधिकार होगा कि हिन्दुओं की सार्वजनिक संस्थाओं को हर जाति के हिन्दुओं के लिए खोले या किसी आर्थिक या राजनीतिक कार्यों पर पाबन्दी लगाये। कृपाण पहनना या अपने साथ रखना सिक्खों के धर्म का एक अङ्ग माना जायगा। इस आरटिकल में यह भी दिया गया है कि शब्द हिन्दू में सिक्ख, जैन और बुद्ध धर्म मानने वाले भी सम्मिलित हैं।

२६—धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता

सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को—

(क) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिये संस्थाओं की स्थापना और पोषण का;
(ख) अपने धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों के प्रबन्ध करने का;
(ग) जगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का; तथा
(घ) ऐसी सम्पत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का; अधिकार होगा।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय को अपने धार्मिक या पुन्यार्थ प्रयोजनों के लिये संस्था खोलने और अपने धार्मिक कार्यों को करने, चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करने और उनका प्रबन्ध करने का अधिकार होगा।

२७—किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिये करों के देने के बारे में स्वतन्त्रता

कोई भी व्यक्ति ऐसे करों को देने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा जिनके आगम किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिये विशेष रूप से विनियुक्त कर दिये गए हों।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे टैक्स देने के लिये मजबूर न किया जावेगा जो कि किसी विशेष धर्म की उन्नति आदि में खर्च किया जाय।

२८—कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतन्त्रता

(१) राज्य-निधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जायेगी।

(२) खंड (१) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू न होगी जिसका प्रशासन राज्य करता हो, किन्तु जो किसी ऐसे धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित हुई है। जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।

(३) राज्य से अभिज्ञात अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली, शिक्षा-संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिये अथवा ऐसी संस्था में या उससे सलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिये बाध्य न किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अन्यस्क हो तो उसके संरक्षक ने इसके लिये अपनी सम्मति न दे दी हो।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि किसी सरकारी विद्यालय में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जावेगी, परन्तु यदि कोई विद्यालय किसी ट्रस्ट या वक्फ के द्वारा स्थापित किया गया है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी। चाहे उसका प्रबन्ध सरकार के अधीन ही क्यों न हो और यदि किसी विद्यालय में जो कि सरकार से स्वीकृत (Recognised) हो या जिसको सरकार से सहायता (Aid) मिलती हो कोई धार्मिक शिक्षा दी जाती हो तो उस विद्यालय के किसी विद्यार्थी को उस शिक्षा के ग्रहण करने या किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिये मजबूर नहीं किया जायगा।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

२९—अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण

(१) भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिस की अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

(२) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इन में से किसी के आधार पर वंचित न रखा जायेगा।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को अपनी निजी भाषा लिपि या संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार होगा।

३०—शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार

(१) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्प संख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

(२) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबन्ध में है।

टीका—राज्य स्कूलों को सहायता देने में इस बात का भेद-भाव नहीं करेगा कि कोई स्कूल किसी कम गिन्ती वाली जाति के प्रबन्ध में हैं चाहे अल्पसंख्क जाति धर्म या भाषा के आधार पर हो और प्रत्येक अल्पसंख्यक जाति अपने स्कूल खोल सकेगी।

सम्पत्ति का अधिकार

३१—सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन

(१) कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायगा।

(२) कोई स्थावर और जंगम सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में या उसकी स्वामिनी किसी कम्पनी में कोई अंश भी है, ऐसी विधि के अधीन जो ऐसा कब्ज़ा या अर्जन करने का प्राधिकार देती है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये कब्ज़ाकृत या अर्जित तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि वह विधि कब्ज़ाकृत या अर्जित सम्पत्ति के लिए प्रतिकर का उपबन्ध न करती हो और या तो प्रतिकर की राशि को नियत न कर दे या उन सिद्धांतों और रीति का उल्लेख न कर दे जिन से प्रतिकर निर्धारित होना है और दिया जाना है।

(३) राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि, जैसी कि खंड (२) में निर्दिष्ट है, तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ऐसी विधि को,

राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने के पश्चात, उसकी अनुमति न मिल गई हो।

(४) यदि इस संविधान के प्रारम्भ पर किसी राज्य के विधान मण्डल के सामने किसी लम्बित विधेयक को, ऐसे विधान मण्डल द्वारा पार किये जाने के पश्चात राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किया जाता है तथा उसकी अनुमति मिल जाती तो इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार अनुमत विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह खंड (२) के उपबन्धों का उल्लंघन करती है।

(५) खंड (२) की किसी बात से—

(क) ऐसी किसी विधि को छोड़कर जिस पर कि खंड (६) के उपबन्ध लागू होते हैं किसी अन्य वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, अथवा,

(ख) एततपश्चात राज्य जो कोई विधि—

(१) किसी कर या अर्थ-दंड के आरोपण या उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिये बनाये उसके उपबन्धों पर, अथवा

(२) सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के अथवा प्राण या सम्पत्ति के संकट-निवारण के लिये बनाये उसके उपबन्धों पर, अथवा

(३) भारत डोमोनियन की अथवा भारत की सरकार और अन्य देश की सरकार के बीच किये गये करार के अनुसरण में, अथवा अन्यथा, जो सम्पत्ति विधि द्वारा निष्क्राम्य सम्पत्ति घोषित की गई है उस सम्पत्ति के लिये बनाये उसके उपबन्धों पर प्रभाव नहीं होगा।

(६) राज्य की कोई विधि, जो इस संविधान के प्रारम्भ से अठारह महीने से अनधिक पहिले अधिनियमित हुई हो, ऐसे प्रारम्भ से तीन महीने के अन्दर राष्ट्रपति के समक्ष उसके प्रमाणन के लिये रखी जा सकेगी, तथा ऐसा होने पर यदि लोक अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति ऐसा प्रमाणन देता है तो किसी न्यायालय में उस पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह खंड (२) के उपबन्धों का उल्लंघन करती है अथवा भारत-शासन अधिनियम १९३५ की धारा २९९ की उपधारा (२) के उपबन्धों का उल्लंघन कर चुकी है।

टीका—राज्य किसी सार्वजनिक कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की जायदाद बिना मुआवजा दिये प्राप्त नहीं करेगी और सार्वजनिक कार्यों के लिये जायदाद प्राप्त करने के कानून की राष्ट्रपति से स्वीकृति ली जावेगी।

संविधानिक उपचारों के अधिकार

३२—इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवर्तित करने के उपचार

(१) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये उच्चतमन्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचालित करने अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है।

(२) इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतमन्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या लेख, जिनके अन्तर्गत

बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, जो भी समुचित हों, निकालने की शक्ति होगी।

(३) उच्चतमन्यायालय को खंड (१) और (२) द्वारा दी गयी शक्तियों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, संसद् विधि द्वारा किसी दूसरे न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतमन्यायालय द्वारा खंड (२) के अधीन प्रयोग की जाने वाली सब अथवा किसी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति दे सकेगी।

(४) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलम्बित न किया जायेगा।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि इस भाग के अधीन अधिकारों के सम्बन्ध में नियत ढङ्ग में उच्चतमन्यायालय (सुपरीम कोर्ट) को दरख्वास्त दी जा सकेगी। पार्लियामेंट किसी और न्यायालय को सुपरीम कोर्ट के अधिकर दे सकती है।

३३—इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों के लिये प्रयुक्ति की अवस्था में, रूपभेद करने की संसद् की शक्ति

संसद् विधि द्वारा निर्धारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को सशस्त्र बलों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था भार वाले बलों के सदस्यों के लिये प्रयोग होने की अवस्था में किसी मात्रा तक निर्बन्धित या निराकृत किया जाये ताकि उनके कर्तव्यों का उचित पालन तथा उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।

३४—जब किसी क्षेत्र में सेना-विधि-प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों पर निर्बन्धन

इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी संसद् विधि द्वारा संघ या राज्य की सेवा में के किसी व्यक्ति को, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, किसी ऐसे कार्य के विषय में तारण दे सकेगी जो उसने भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में, जहां सेना-विधि प्रवृत्त थी, व्यवस्था के बनाये रखने या पुनःस्थापन के सम्बन्ध में किया है अथवा ऐसे क्षेत्र में सेना-विधि के अधीन किसी दिये गये दण्डादेश, किये गये दण्ड, आदेश की हुई जब्ती, अथवा किये गये अन्य कार्य को मान्य कर सकेगी।

टीका—यह आरटिकल ऐसे क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों को क्षति पूर्ति देने के लिए बनाया गया है जहां कि मार्शल-ला लागू किया गया हो।

३५—इस भाग के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिये विधान

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) संसद् को शक्ति होगी तथा किसी राज्य के विधान-मंडल को शक्ति न होगी कि वह—

(१) जिन विषयों के लिये अनुच्छेद १६ के खंड (३), अनुच्छेद ३२ के खंड (३), अनुच्छेद ३३ और अनुच्छेद ३४ के अधीन संसद् विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी, उनमें से किसी के लिये, तथा

(२) इस भाग में अपराध घोषित कार्यों के दण्ड विहित करने के लिये, विधि बनाये तथा संसद् इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे कार्यों

के लिये जो उपखंड (२) में निर्दिष्ट हैं दण्ड विहित करने के लिये विधि बनायेगी

(ख) खंड (क) के उपखंड (१) में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से सम्बन्ध रखने वाली, अथवा उस खंड के उपखंड (२) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिये दण्ड का उपबन्ध करने वाली, कोई प्रवृत्त विधि, जो भारत राज्य-क्षेत्र में इस संविधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहिले लागू थी उसमें दिये हुए निबन्धनों के तथा अनुच्छेद ३७२ के अधीन उसमें किये गये किन्ही अनुकूलनों और रूप भेदों के अधीन रह कर ही तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि वह संसद द्वारा परिवर्तित या निरसित या संशोधित न की जाये।

व्याख्या—"प्रवृत्त विधि" पदावलि का जो अर्थ इस संविधान के अनुच्छेद ३७२ में है वही इस अनुच्छेद में भी होगी।

भाग ४

राज्य की नीति के निर्देशक तत्व

३६—परिभाषा

यदि प्रसङ्ग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में 'राज्य' का वही अर्थ है जो इस संविधान के भाग ३ में है।

३७—इस भाग में वर्णित तत्वों की प्रयुक्ति

इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी किन्तु तो भी इन में दिये हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।

३८—लोक-कल्याण के उन्नति के हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायेगा—

राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य साधक रूप में स्थापना और संरक्षण कर के लोक- कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।

टीका—राज्य यथाशक्ति अपनी प्रजा की भलाई का काम करेगी और सब के लिये एकसा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय करेगी।

३९—राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति-तत्व

राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) सामान्य रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो।

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी केन्द्रण न हो;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो;

(ङ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु शक्ति के अनुकूल न हों—

(च) शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो।

टीका—यह आरटिकल भी बहुत आवश्यक है और इस में यह दिया गया है कि सरकार अपनी नीति का इस तरह पालन करेगी कि (१) सभी स्त्री पुरुष को अपनी जीविका के लिए काफी साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। (२) प्रजा के आर्थिक साधन इस तरह बांटे जायें जिससे कुल प्रजा की भलाई हो। (३) आर्थिक व्यवस्था इस तरह चलाई जाय कि धन और उत्पादन साधन किसी विशेष व्यक्तियों के हाथ में न आजाये जिससे सारी प्रजा को हानि पहुँचे। (४) स्त्री व पुरुषों के लिए एक सा ही काम करने के लिए बराबर का अधिकार हो। (५) स्त्री व पुरुष काम करने वालों का स्वास्थ्य और शक्ति का अनुचित उपयोग न किया जाय और छोटी आयु के बच्चों से उनकी शक्ति के बाहर काम न लिया जाये।

४०—ग्राम-पंचायतों का संघठन

राज्य ग्राम-पंचायतों का संघठन करने के लिये अग्रसर होगा, तथा उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि सरकार गांवों में पंचायतें स्थापित करेगी और उनको ऐसा अधिकार देगी जिससे वह अपना स्वयं प्रबन्ध कर सकें।

४१—कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीन तथा अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्य साधक उपबन्ध करेगा।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है। कि सरकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऐसे कार्य प्रबन्ध करेगी जिससे प्रजा को काम मिले, शिक्षा मिले और बेकारी बुढ़ापे, बीमारी और अङ्गहीन होने की दशा में सरकारी सहायता मिले।

४२—काम की न्याय्य तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध

राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति-सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि सरकार ऐसे नियम बनायेगी जिस से काम करने वालों (मजदूरों) को अच्छे ढङ्ग में रखा जाय और औरतों के बच्चा होने के समय में उनको सहायता दी जाय।

४३—श्रमिकों के लिये निर्वाह-मजूरी आदि

उपयुक्त विधान या आर्थिक संघठन द्वारा, अथवा और किसी दूसरे प्रकार से

राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह-मजूरी, शिष्ट-जीवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशायें तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर-उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

टीका--इस आरटिकल में यह दिया गया है कि राज्य ऐसे नियम बनायेगी जिससे मजदूरों को चाहे वे खेती का काम करते हों या किसी उद्योग धन्धे का काम करते हों या किसी अन्य प्रकार का काम करते हों काम मिले और ऐसी मजदूरी मिले जिससे वे अच्छे ढङ्ग से रह सकें और राज्य विशेष कर घरेलू उद्योग धन्धों की उन्नति करेगा।

४४---नागरिकों के लिये एक समान व्यवहार संहिता

भारत के समस्त राज्य-क्षेत्रों में नागरिकों के लिये राज्य एक समान व्यवहार-संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि समस्त भारत के लिये एक ही सा दिवानी का कानून होगा।

४५—बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध

राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था-समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।

टीका—सरकार दस वर्ष के अन्दर चौदह वर्ष के बालक व बालिकाओं के लिये मुफ्त और लाज़मी शिक्षा का प्रबन्ध करेगी।

४६—अनुसूचित जातियों, आदिमजातियों तथा अन्य दुर्बल विभागों क शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की उन्नति

राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

टीका—सरकार पिछड़ी हुई जातियों विशेष कर हरिजनों की शिक्षा और आर्थिक दशा सुधारने का प्रबन्ध करेगी।

४७—आहारपुष्टितल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य

राज्य अपने लोगों के आहारपुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊँचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेपतया स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक पेयों और औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।

टीका—सरकार खाने की पदार्थों और रहन सहन के ढङ्ग में उन्नति करना अपना मुख्य कर्तव्य समझेगी विशेपकर नशीली चीज़ों का सिवाय दवाईयों में प्रयोग होने के निषेध करेगी।

४८—कृषि और पशुपालन का संगठन

राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के लिए तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिये अग्रसर होगा।

टीका—यह आर्टिकिल भी बहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि सरकार खेती और पशु पालन की उन्नति करेगी और गायें बछड़े और अन्य दूध देने वाले या बोझ ढोने वाले पशुओं की नसल सुधारेगी और उनके वध किये जाने का निषेध करेगी

४६—राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और चीज़ों का संरक्षण

संसद् से, विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक, या स्थान या चीज़ का यथास्थिति लुंठन, विरूपन, विनाश, अपनयन, व्ययन अथवा निर्यात से रक्षा करना राज्य का आभार होगा।

टीका—सरकार का कर्तव्य होगा कि ऐतिहासिक व अन्य स्मारकों (यादगारो) को सुरक्षित रक्खे।

५०—कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण

राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिये राज्य अग्रसर होगा।

टीका—सरकार प्रवन्ध-सम्बन्धी (Executive) और न्याय सम्बन्धी कार्यों को पृथक पृथक अफसरों से करायेगी।

५१—अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति

राज्य—

(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का;

(ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का;

(ग) संगठित लोगों के, एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का; तथा

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निबटारे के लिये प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।

भाग ५

संघ

अध्याय १—कार्यपालिका

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

५२—भारत का राष्ट्रपति

भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

टीका—भारत का एक राष्ट्रपति अर्थात् प्रधान होगा श्री राजेन्द्रप्रसाद जी भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बनाये गये हैं।

५३—संघ की कार्यपालिका शक्ति

(१) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा।

(२) पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि से विनियमित होगा।

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से—

(क) जो कृत्य किसी वर्तमान विधि ने किसी राज्य की सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी को दिये हैं वे कृत्य राष्ट्रपति को हस्तान्तरित किये हुए न समझे जायेंगे; अथवा,

(ख) राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों का विधि द्वारा कृत्य देने में संसद् को बाधा न होगी।

टीका—राज्य का कुल प्रबन्ध राष्ट्रपति के अधिकार में होगा और वह उसको स्वयं या अपने नियत किये हुए अधिकारियों द्वारा करेगा।

५४—राष्ट्रपति का निर्वाचन

राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक-गण के सदस्य करेंगे जिसमें—

(क) संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; तथा

(ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे।

टीका—राष्ट्रपति को पार्लियामेंट के दोनों सदन अर्थात् राज परिषद् और लोक-सभा के सदस्य और सूबों और रियास्तों की असम्बलियों के चुने हुये मेम्बर करेंगे।

५५—राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति

(१) जहां तक व्यवहार्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एक से मापमान से होगा।

(२) राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिये संसद् तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन में जितने मत देने का हक़दार है उन की संख्या नीचे लिखे प्रकार ऐसे निर्धारित की जायेगी—

(क) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतनेमत होंगे, जितने कि एक हजार के गुणित, उस भागफल में हों जो राज्य की जन-संख्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से, भाग देने से आये।

(ख) एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद यदि शेष पांच सौ से कम न हो तो उपखड (क) में उल्लिखित प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जायेगा;

(ग) संसद् के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वही होगी जो उपखंड (क) तथा (ख) के अधीन राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों के लिये नियत सम्पूर्ण मत-संख्या को, संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से भाग देने से

आये जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जायगा तथा अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जायेगी।

(३) राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा)ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका द्वारा होगा।

व्याख्या—इस अनुच्छेद में "जनसंख्या" से, ऐसी अन्तिम पूर्वगत जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं।

५६–राष्ट्रपति की पदावधि

(१) राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। परन्तु–

(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर राषष्ट्रति अनुच्छेद ६१ में उपबन्धित रीति से किये गये महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा;

(ग) राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जानेपर भी अपने उत्तराधिकारी के पद-ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा।

(२) खण्ड (१) के परन्तु के खण्ड (क) अधीन उपराष्ट्रपति को सम्बोधित किसी त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोक-सभा के अध्यक्ष को अविलम्ब दी जायेगी।

टीका—राष्ट्रपति के पद की अवधि ५ वर्ष होगी, परन्तु वह अपना त्याग पत्र दे सकेगा और उसको इस विधान के विरुद्ध कार्य करने के कारण हटाया जा सकेगा।

५७–पुनर्निर्वाचन के लिये पात्रता

कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर रहा है अथवा कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उस पद के लिये पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

टीका—राष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने पर वह उस पद के लिये दोबारा चुना जा सकेगा।

५८–राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये अर्हताएं

(१) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह-

(क) भारत का नागरिक न हो,

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, तथा

(ग) लोक सभा के लिये सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता न रखता हो।

(२) कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण किये हुए है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा।

व्याख्या—इस खंड के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण किये हुए केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या, उप-

राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल या राज्यप्रमुख या उपराजप्रमुख है अथवा या तो संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

टीका—कोई व्यक्ति राष्ट्रपति न चुना जा सकेगा यदि वह भारत का नागरिक न हो या उसकी आयु ३५ वर्ष से कम न हो या लोक सभा का सदस्य चुने जाने के अयोग्य हो परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी राष्ट्रपति न चुना जा सकेगा परन्तु इस आर्टिकिल के अभिप्रायः के लिये भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या कोई राजप्रमुख या मन्त्रि सरकारी कर्मचारी नहीं समझे जायेंगे।

५६—राष्ट्रपति के पद के लिये शर्तें

(१) राष्ट्रपति न तो संसद् के किसी सदन का, और न किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य होगा तथा यदि संसद् के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का, सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाय तो यह समझा जायेगा कि उस ने उस सदन का अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद-ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

(२) राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा।

(३) राष्ट्रपति को, बिना किराया दिये, अपने पदावासों के उपयोग का हक्क होगा तथा उस को उन उपलब्धियों, भत्तों और विशेषअधिकारों का भी, जो संसद् निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किये-जायें तथा जब तक उस विषय में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक्क होगा।

(४) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसके पद की अवधि में घटाये नहीं जायेंगे।

टीका—राष्ट्रपति पार्लियामेंट या किसी एसेम्बली का सदस्य नहीं होगा और यदि हो तो राष्ट्रपति चुने जाने पर वह उपरोक्त सदस्य नहीं रहेगा राष्ट्रपति को रहने के लिये मकान मिलेगा और उसको उतनी तनख्वाह व भत्ते मिलेंगे जो की सूचि २ में दिये गये हैं।

६०—राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन करता है अपने पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधिपति अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतमन्यायालय के प्राप्य अग्रतम न्यायाधीश के समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्—

"मैं............अमुक..................ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्य पालन (अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा।

टीका—प्रत्येक राष्ट्रपति या ऐसे व्यक्ति को, जो कि राष्ट्रपति का कार्य करे, अपने पद की शपथ लेनी होगी।

६१—राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया

(१) संविधान के अतिक्रमण के लिये, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद का कोई सदन दोषारोप करेगा।

(२) ऐसा कोई दोषारोप तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि—

(क) ऐसे दोषारोप के करने की प्रस्थापना किसी संकल्प में न हो, जो कम से कम चौदह दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिये जाने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, जिस पर उस सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर करके, उस संकल्प को प्रस्तावित करने का विचार प्रगट किया है, तथा

(ख) उस सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से ऐसा संकल्प पारित न किया गया हो।

(३) जब दोषारोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार किया जा चुके तब दूसरा सदन उस दोषारोप का अनुसंधान करेगा या करायेगा तथा इस अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा।

(४) यदि अनुसंधान के फलस्वरूप राष्ट्रपति के विरुद्ध किये गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प दोषारोप के अनुसंधान करने या कराने वाले सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसकी पारण तिथि से राष्ट्रपति का अपने पद से हटाया जाना होगा।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति इस विधान के विरुद्ध कार्य करने के कारण किस प्रकार हटाया जायेगा।

६२—राष्ट्रपति पद की रिक्तता पूर्ति के लिये निर्वाचन करने का समय तथा आकस्मिक रिक्तता-पूर्ति के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि।

(१) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन अवधि-समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

(२) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से हुई उसके पद की रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन, रिक्तता होने की तारीख के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र और हर अवस्था में छः मास बीतने के पहले किया जायेगा, तथा रिक्ता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद ५६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि के लिए पद धारण करने का हकदार होगा।

टीका—राष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने से पहले नये राष्ट्रपति के चुनाव की कार्यवाही समाप्त कर दी जायेगी और यदि राष्ट्रपति का पद उसके मरजाने, अस्तीफा या हटाये जाने के कारण खाली हो जाये तो नया राष्ट्रपति छः महीने के अन्दर चुन लिया जायेगा।

६३—भारत का उपराष्ट्रपति

भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

६४—उपराष्ट्रपति का पदेन राज्य-परिषद् का सभापति होना

उपराष्ट्रपति, पदेन, राज्य-परिषद् का सभापति होगा तथा अन्य किसी लाभ का पद धारण न करेगा।

परन्तु जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा अनुच्छेद ६५ के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तब वह राज्य-परिषद् के सभापति पद के कर्तव्यों को न करेगा तथा उसे अनुच्छेद ६७ के अधीन राज्य-परिषद के सभापति को दिए जाने वाले किसी वेतन अथवा भत्ते का हक्क न होगा।

टीका—उपराष्ट्रपति राज्य परिषद् का सभापति होगा परन्तु जब वह राष्ट्रपति का काम करेगा, तब वह राजपरिषद् के सभापति का कार्य न करेगा।

६५—राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तता अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूपमें कार्य करना अथवा उसके कृत्यों या निर्वहन

(१) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से उस के पद में हुई रिक्तता की अवस्था में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को कि इस अध्याय के ऐसी रिक्तता-पूर्ति सम्बन्धी उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है।

(२) अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से जब राष्ट्रपति अपने कृत्यों को करने में असमर्थ हो, तब उपराष्ट्रपति उस के कृत्यों का निर्वहन उस तारीख तक करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से सम्भाले।

(३) उपराष्ट्रपति को उस कालावधि में और उस कालावधि के सम्बन्ध में, जब कि वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य करता है अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सब शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी तथा उसे ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जिन्हें संसद् विधि द्वारा निश्चित करे, तथा जब तक उस विषय में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं हक्क होगा।

टीका—मृत्यु आदि के कारण राष्ट्रपति का पद खाली होने पर नया राष्ट्रपति चुन लिए जाने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा।

६६—उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

(१) संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों

द्वारा अनुपाति प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका द्वारा होगा।

(२) उपराष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन का, और न किसी राज्य के विधान-मण्डल के सदन का, सदस्य होगा तथा यदि संसद के किसी सदन का, अथवा किसी राज्य के विधान-मण्डल के सदन का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद-ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

(३) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह—

(क) भारत का नागरिक न हो;

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो; तथा

(ग) राज्य-परिषद् के लिये सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता न रखता हो।

(४) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियन्त्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण किये हुए है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा।

व्याख्या—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण किये हुए केवल इसी लिये नहीं समझा जायगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख अथवा या तो संघ का या किसी राज्य का मन्त्री है।

टीका—उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद् और लोकसभा के सदस्य चुनेंगे और कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक न हो या जो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के अयोग्य हो उपराष्ट्रपति न चुना जा सकेगा।

६७—उपराष्ट्रपति की पदावधि

उपराष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा; परन्तु

(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) उपराष्ट्रपति, राज्यपरिषद् के ऐसे संकल्प द्वारा, अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो तथा जिसे लोक-सभा ने स्वीकृत किया हो,

किन्तु इस खण्ड के प्रयोजन के लिये कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उसे प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम चौदह दिन पूर्व न दे दी गई हो;

(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तराधिकारी के पद-ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि उप-राष्ट्रपति के पद की अवधि ५ साल होगी परन्तु वह अस्तीफा दे सकेगा या राज्य परिषद् के सदस्यों की बहुमत राय से हटाया जा सकेगा।

६८—उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचन करने का समय तथा आकस्मिक रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

(१) उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन अवधि समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

(२) उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से हुई उसके पद की रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन रिक्तता होने की तारीख के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र किया जायेगा तथा रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद ६७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने पद-ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की पूरी अवधि के लिये पद धारण करने का हकदार होगा।

टीका—इस आरटिकल में उपराष्ट्रपति के रिक्त पद की पूर्ति करने की रीति दी गई है।

६९—उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस लिये नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्—

"मैं ····· अमुक ····· ईश्वर की शपथ लेता हूँ अथवा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।"

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले अपने पद की शपथ लेगा।

७०—अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन

इस अध्याय में उपन्धित न की हुई किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिये संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबन्ध बना सकेगी।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि पारलिमेंट ऐसे नियम बना सकती है कि किसी आकस्मिक समय राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का कैसे पालन करेगा।

७१—राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित या संसक्त विषय

(१) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सब शंकाओं और विवादों की जाँच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(२) यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथा-

स्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतमन्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पूर्व किये गये कार्य उस घोषणा के कारण अमान्य न हो जायेंगे।

(३) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्ध संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद् विधि द्वारा कर सकेगी।

टीका—इस आर्टिकल में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी झगड़े को उच्चतम न्यायालय (सुप्रीमकोर्ट) तय करेगी और यदि कोई उपरोक्त चुनाव रद्द कर दिया जाये तो उससे पहले का कोई काम जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने किया हो रद्द नहीं समझा जायेगा।

७२—क्षमा आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति

(१) किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष, किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति को—

(क) उन सब अवस्थाओं में जिन में कि दण्ड अथवा दण्डादेश सेना-न्यायालय ने दिया हो;

(ख) उन सब अवस्थाओं में जिनमें कि दण्ड अथवा दंडादेश ऐसे विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिये दिया गया हो जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है;

(ग) उन सब अवस्थाओं में जिनमें दंडादेश मृत्यु का हो; शक्ति होगी।

(२) खंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी पदाधिकारी की सेना-न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा दी गई शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(३) खंड [१] के उपखंड [ग] की कोई बात किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रयोग की जाने वाली मृत्यु-दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति को दण्ड के क्षमा करने, कम करने या मौत के दण्ड को बदलने का अधिकार होगा।

७३—संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

(१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका, शक्ति का विस्तार—

(क) जिन विषयों के सम्बन्ध में संसद् को विधि बनाने की शक्ति है उन तक तथा;

(ख) किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग किये

जाने वाले अधिकारों, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार के प्रयोग तक, होगा।

परन्तु इस संविधान में, अथवा संसद द्वारा बना गई किसी विधि में, स्पष्टतापूर्वक उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त उपखंड (क) में उल्लिखित कार्य-पालिका शक्ति का विस्तार प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में ऐसे विषयों तक न होगा जिनके बारे में उस राज्य के विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है।

(२) जब तक संसद अन्य उपबन्ध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का कोई पदाधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके सम्बन्ध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग करता रह सकता है जैसे कि वह राज्य या उसका पदाधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले कर सकता था।

मन्त्रि-परिषद्

७४—राष्ट्रपति को सहायता और मन्त्रणा देने के लिए मन्त्रि-परिषद्

(१) राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और मन्त्रणा देने के लिए एक मन्त्रि परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधान-मन्त्री होगा।

(२) क्या मन्त्रियों ने राष्ट्रपति को कोई मंत्रणा दी, और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच न की जायेगी।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मन्त्रिमण्डल होगा जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होगा।

७५—मन्त्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध

(१) प्रधान-मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान-मन्त्री की मंत्रणा पर करेगा।

(२) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त मन्त्री अपने पद धारण करेंगे।

(३) मन्त्रि-परिषद लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

(४) किसी मन्त्री के अपने पद-ग्रहण करने से पहिले राष्ट्रपति उससे तृतीय अनुसूची में इसके लिये दिये हुए प्रपत्रों के अनुसार पद की तथा गोपनीयता की शपथें करायेगा।

(५) कोई मन्त्री जो निरन्तर छः मास की किसी कालावधि तक संसद् के किसी सदन का सदस्य न रहे उस कालावधि की समाप्ति पर मन्त्री न रहेगा।

(६) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे, समय समय पर, संसद विधि के द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक संसद इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक ऐसे होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री को नियुक्त करेगा और अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री की सलाह से नियुक्त करेगा और प्रधान

मन्त्री और अन्य मन्त्री राष्ट्रपति की इच्छा तक रहेंगे और मन्त्रिमण्डल सम्मिलितरूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगा और प्रत्येक मन्त्री को अपने पद की शपथ ग्रहण करनी होगी।

७६—भारत का महान्यायवादी

(१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा।

(२) महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मन्त्रणा दे तथा ऐसे विधि रूप दूसरे कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसे समय-समय पर भेजे या सौंपे, तथा उन कृत्यों का निर्वहन करे जो इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन उसे दिये गये हों।

(३) अपने कर्तव्यों के पालन के लिए महान्यायवादी को भारत राज्य-क्षेत्र में के सब न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।

(४) महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा तथा ऐसा पारिश्रमिक पायेगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करे।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति भारत के लिए एक अटौरनी जर्नल (महान्यायवादी) नियुक्त करेगा जिसका कर्तव्य भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देने का होगा।

सरकारी कार्य का सञ्चालन

७७—भारत सरकार के कार्य का सञ्चालन

(१) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जायगी।

(२) राष्ट्रपति के नाम से दिये और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों का प्रमाणीकरण उस रीति से किया जायेगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदेश या लिखत की मान्यता पर आपत्ति इस आधार पर न की जायेगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा दिया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।

(३) भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किये जाने के लिए तथा मंत्रियों में उक्त कार्य के बटवारे के लिए राष्ट्रपति नियम बनायेगा।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि राज्य के तमाम काम राष्ट्रपति के नाम से किये जायेंगे और राष्ट्रपति भारत की सरकार के कार्यों को सुविधा पूर्वक चलाने के लिए नियम बनायेगा।

७८—राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि विषयक प्रधानमंत्री के कर्तव्य

प्रधान-मंत्री का—

(क) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मन्त्रि-परिषद के समस्त विनिश्चयों तथा विधान के लिए प्रस्थापनायें राष्ट्रपति को पहुँचाने का;

जाने वाले अधिकारों, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार के प्रयोग तक, होगा।

परन्तु इस संविधान में, अथवा संसद द्वारा बना गई किसी विधि में स्पष्टतापूर्वक उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त उपखंड (क) में उल्लिखित कार्यपालिका शक्ति का विस्तार प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में ऐसे विषयों तक न होगा जिनके बारे में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है।

(२) जब तक संसद अन्य उपबन्ध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का कोई पदाधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके सम्बन्ध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग करता रह सकता है जैसे कि वह राज्य या उसका पदाधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले कर सकता था।

मन्त्रि-परिषद्

७४—राष्ट्रपति को सहायता और मन्त्रणा देने के लिए मन्त्रि-परिषद्

(१) राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और मन्त्रणा देने के लिए एक मन्त्रि परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधान-मन्त्री होगा।

(२) क्या मन्त्रियों ने राष्ट्रपति को कोई मंत्रणा दी, और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच न की जायेगी।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मन्त्रिमण्डल होगा जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होगा।

७५—मन्त्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध

(१) प्रधान-मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान-मन्त्री की मंत्रणा पर करेगा।

(२) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त मन्त्री अपने पद धारण करेंगे।

(३) मन्त्रि-परिषद लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

(४) किसी मन्त्री के अपने पद-ग्रहण करने से पहिले राष्ट्रपति उससे तृतीय अनुसूची में इसके लिये दिये हुए प्रपत्रों के अनुसार पद की तथा गोपनीयता की शपथें करायेगा।

(५) कोई मन्त्री जो निरन्तर छः मास की किसी कालावधि तक संसद् के किसी सदन का सदस्य न रहे उस कालावधि की समाप्ति पर मन्त्री न रहेगा।

(६) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे, समय समय पर, संसद विधि के द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक संसद इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक ऐसे होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री को नियुक्त करेगा और अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री की सलाह से नियुक्त करेगा और प्रधान

८१—लोकसभा की रचना

(१) (क) खण्ड (२) के तथा अनुच्छेद ८२ और ३३१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यों में के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित पांच सौ से अनधिक सदस्यों से मिल कर लोकसभा बनेगी।

(ख) उपखण्ड (क) के प्रयोजन के लिए भारत के राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण या निर्माण किया जायेगा तथा प्रत्येक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये जाने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जायेगी जिससे कि यह सुनिश्चित रहे कि प्रति ७,५०,००० जन-संख्या के लिए एक से कम सदस्य तथा प्रति ५,००,००० जनसंख्या के लिए एक से अधिक सदस्य न होगा।

(ग) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये गए सदस्यों की संख्या का अनुपात, उस निर्वाचन क्षेत्र की ऐसी अन्तिम पूर्वगत जनगणना में, जिसके तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या से भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र यथासाध्य एक ही होगा।

(२) भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले राज्य-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लोक-सभा में वैसा होगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे।

(३) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक-सभा में विभिन्न, प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के लिए पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे।

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से लोक-सभा में के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय वर्तमान सदन का विघटन न हो जाये।

टीका—इस आर्टिकल में यह दिया गया है कि लोकसभा के पांच सौ से अधिक सदस्य न होंगे जोकि जन-संख्या के आधार पर इस प्रकार चुने जायेंगे कि कम से कम ७,५०,००० और अधिक से अधिक ५,००,००० के लिए एक मेम्बर होगा।

८२—भाग (ग) में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में विशेष उपबन्ध

अनुच्छेद ८१ के खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी संसद्, विधि द्वारा लोक-सभा में प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित किसी राज्य के, अथवा भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले किन्हीं राज्य-क्षेत्रों के, प्रतिनिधित्व का उस खंड में उपबन्धित आधार या रीति से भिन्न उपबन्ध कर सकेगी।

८३—संसद् के सदनों की अवधि

(१) राज्य-परिषद् का विघटन न होगा, किन्तु उसके सदस्यों में से

(ख) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी को राष्ट्रपति मंगावे उसको देने का; तथा

(ग) किसी विषय को, जिस पर किसी मन्त्री ने विनिश्चय कर दिया हो, किंतु मन्त्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया हो, राष्ट्रपति की अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचार के लिये रखने का, कर्तव्य होगा।

टीका—इस आरटिकल में प्रधान-मंत्री के कर्तव्य दिये गये हैं।

अध्याय २—संसद्

साधारण

७९—संसद् का गठन

संघ के लिये एक संसद् होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम क्रमशः राज्य परिषद् और लोक-सभा होंगे।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि भारत के लिये एक पार्लियामेंट होगी जिसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन अर्थात् राज्य परिषद् और लोक-सभा सम्मिलित होंगे।

८०—राज्य-परिषद् की रचना

(१) राज्य-परिषद्—

(क) राष्ट्रपति द्वारा खण्ड '३' के उपबन्धों के अनुसार नाम निर्देशित किये जाने वाले बारह सदस्यों; तथा

(ख) राज्यों के दो सौ अड़तीस से अनधिक प्रतिनिधियों से, मिल कर बनेगी।

(२) राज्य-परिषद् में राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का बंटवारा चतुर्थ अनुसूची में अन्तर्विष्ट तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार होगा

(३) खण्ड १ के उपखण्ड (क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्—

साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा।

(४) राज्य परिषद् के लिए प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(५) राज्य-परिषद् के लिए प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जायेंगे जैसी कि संसद् विधि द्वारा विहित करे।

टीका—इस आरटिकल में यह दिया गया है कि राज्य परिषद् के २५० सदस्य होंगे त॰ जिसमें से १२ राष्ट्रपति चुनेगा और २३८ मेम्बर चुने हुए होंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रान्त लिये उतने मेम्बर होंगे जितने कि सूची ४ में दिये हुए हैं।

करेगा औ॰

८१—लोकसभा की रचना

(१) (क) खण्ड (२) के तथा अनुच्छेद ८२ और ३३१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यों में के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित पांच सौ से अनधिक सदस्यों से मिल कर लोकसभा बनेगी।

(ख) उपखण्ड (क) के प्रयोजन के लिए भारत के राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण या निर्माण किया जायेगा तथा प्रत्येक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये जाने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जायेगी जिससे कि यह सुनिश्चित रहे कि प्रति ७,५०,००० जन-संख्या के लिए एक से कम सदस्य तथा प्रति ५,००,००० जनसंख्या के लिए एक से अधिक सदस्य न होगा।

(ग) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये गए सदस्यों की संख्या का अनुपात, उस निर्वाचन क्षेत्र की ऐसी अन्तिम पूर्वगत जनगणना में, जिसके तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या से भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र यथासाध्य एक ही होगा।

(२) भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले राज्य-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लोक-सभा में वैसा होगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे।

(३) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक-सभा में विभिन्न, प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के लिए पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे।

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से लोक-सभा में के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय वर्तमान सदन का विघटन न हो जाये।

टीका—इस आर्टिकल में यह दिया गया है कि लोकसभा के पांच सौ से अधिक सदस्य न होंगे जोकि जन-संख्या के आधार पर इस प्रकार चुने जायेंगे कि कम से कम ७,५०,००० और अधिक से अधिक ५,००,००० के लिए एक मेम्बर होगा।

८२—भाग (ग) में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में विशेष उपबन्ध

अनुच्छेद ८१ के खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी संसद्, विधि द्वारा लोक-सभा में प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित किसी राज्य के, अथवा भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले किन्हीं राज्य-क्षेत्रों के, प्रतिनिधित्व का इस खंड में उपबन्धित आधार या रीति से भिन्न उपबन्ध कर सकेगी।

८३—संसद् के सदनों की अवधि

(१) राज्य-परिषद् का विघटन न होगा, किन्तु उसके सदस्यों में से

(८)

यथाशक्य निकटतम एक तिहाई, संसद्- निर्मित विधि द्वारा बनाये गए तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथासम्भव शीघ्र निवृत्त हो जायेंगे।

(२) लोकसभा, यदि पहिले ही विघटित न कर दी जाये तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियुक्त तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी और इस से अधिक नहीं तथा पांच वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति का परिणाम लोक-सभा का विघटन होगा।

परन्तु उक्त कालावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, संसद, विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् छः मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी।

टीका—इस आर्टिकल में यह दिया गया है कि राज्य परिषद् कभी भंग न होगी परन्तु प्रत्येक दो वर्ष के समाप्त होने पर उसके एक तिहाई सदस्य अलग (रिटायर्ड) होते रहेंगे। लोक सभा की अवधि पांच वर्ष की होगी परन्तु पारलियामेंट को विशेष अवसर पर इसकी अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा।

८४—संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता

कोई व्यक्ति संसद में के किसी स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के लिये अर्हन होगा जब तक कि—

(क) वह भारत का नागरिक न हो;

(ख) राज्य-परिषद के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का तथा लोक-सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का, न हो; तथा

(ग) ऐसी अन्य अर्हतायें न रखता हो जो कि इस बारे में संसद निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें।

टीका—इस आर्टिकल में यह दिया गाया है कि कोई व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक न हो, राज्यपरिषद् और लोकसभा का सदस्य न हो सकेगा और राज्यपरिषद् का सदस्य होने के लिए कम से कम ३० वर्ष की आयु का, और लोकसभा के लिए कम से कम २५ वर्ष की आयु का होना आवश्यक होगा।

८५—संसद् के सत्र, सत्रावसान और विघटन

(१) संसद के सदनों को प्रति वर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये आहूत किया जायेगा तथा उनके एक सत्र की अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तारीख के बीच छः मास का अन्तर न होगा।

(२) खंड (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये राष्ट्रपति समय समय पर—

(क) सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये आहूत कर सकेगा;

(ख) सदनों का सत्रावसान कर सकेगा ;

(ग) लोक-सभा का विघटन कर सकेगा।

टीका—इस आर्टिकल में यह दिया गया है कि राज्य परिषद् और लोक सभा की मीटिंग साल भर में कम से कम दो दफा होगी परन्तु राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य-परिषद् या लोकसभा या दोनों की बैठक बुला सकेगा या लोकसभा को भंग कर सकेगा या स्थगित कर सकेगा।

८६—सदनों को सम्बोधन करने और सदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार

(१) संसद के किसी एक सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राष्ट्रपति सम्बोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

(२) राष्ट्रपति संसद में उस समय लम्बित किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश संसद् के किसी सदन को भेज सकेगा तथा जिस सदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस सन्देश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर यथासुविधा शीघ्रता से विचार करेगा।

८७—संसद् के प्रत्येक सत्रारम्भ में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण

(१) प्रत्येक सत्र के आरम्भ में साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति सम्बोधन करेगा तथा संसद को उसके आह्वान का कारण बतायेगा।

(२) प्रत्येक सदन की प्रक्रिया के विनियामक नियमों से ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के हेतु समय रखने के लिये, तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को पूर्ववर्तिता देने के लिये, उपबन्ध किया जायेगा।

टीका—प्रत्येक अधिवेशन के आरम्भ में राष्ट्रपति पारलियामेंट में भाषण देगा और पारलियामेंट के बुलाने के कारण बतलायेगा।

८८—सदनों विषयक मन्त्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में, तथा संसद की किसी समिति में, जिस में उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उस को मत देने का हक्क न होगा।

टीका—भारत सरकार के मन्त्री और अटॉरनी जनरल पारलियामेंट की बैठक में बोलने के अधिकारी होंगे परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

संसद् के पदाधिकारी

८९—राज्य-परिषद् के सभापति और उपसभापति

(१) भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्य-परिषद् का सभापति होगा।

(२) राज्य-परिषद् यथासम्भव शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना

उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त हो तब तब किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी।

टीका—राज परिषद् का सभापति उपराष्ट्रपति होगा।

९०—उपसभापति की पदरिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना

राज्य-परिषद के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य—

(क) यदि परिषद् का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा ;

(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो सभापति को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकेगा ; तथा

(ग) परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित परिषद् के संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा :

परन्तु (खंड) के प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जावेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न देदी गई हो।

टीका—राजपरिषद् का उपसभापति राज्य परिषद का सदस्य न रहने पर उपसभापति न रहेगा। वह अपने पद को त्याग सकेगा और राजपरिषद् के सदस्यों की बहुमत से वह हटाया भी जा सकेगा।

९१-उपसभापति या अन्य व्यक्ति की, सभापतिके कर्तव्योंके पालन करनेकी शक्ति

(१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो, अथवा किसी कालावधि में जब कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो अथवा उस के कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो, तब उससभापति अथवा, यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो, राज्य-परिषद का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(२) राज्य परिषद की किसी बैठक में, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति अथवा यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो परिषद की प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिषद निर्धारित करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा।

९२—जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा

(१) राज्य-परिषद की किसी बैठक में, जब उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति, अथवा जब उपसभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद ९१ के खंड (२) के उपबन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिस में कि वे उस बैठक

के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिस से कि यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है।

(२) जब कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प राज्य-परिषद् में विचाराधीन हो तब सभापति को परिषद् में बोलने तथा दूसरी प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु अनुच्छेद १०० में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर, मत देने का बिल्कुल हक्क न होगा।

९३—लोक-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

लोक-सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

टीका – लोकसभा के सदस्य जहां तक होगा अपने में से एक अध्यक्ष (स्पीकर) और एक उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) चुन लेंगे।

९४—अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदरिक्तता, पदत्याग तथा पदसे हटाया जाना

लोक-सभा के अध्यक्ष या उपध्याक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य—

(क) यदि लोक-सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा ;

(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य अध्यक्ष है, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा ; तथा

(ग) लोक-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा ;

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के हेतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो :

परन्तु यह और भी कि जब कभी लोक-सभा का विघटन किया जाये तो विघटन के पश्चात् होने वाले लोक-सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहिले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त न करेगा।

टीका—अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो लोक-सभा का सदस्य न रहे या वह अपना पद त्याग कर दे या लोक-सभा के सदस्यों की बहुमत से उसको अलग कर दें तो उसका पद खाली हो जायेगा।

९५—अध्यक्ष पद के कर्तव्य-पालन की शक्ति

(१) जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, अथवा, यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, लोक-सभा का ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(२) लोक-सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अथवा यदि वह भी अनुपस्थित हो तो, ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो तो, ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

टीका—अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उसकी जगह काम करेगा और यदि उसका पद भी खाली हो गया हो तो राष्ट्रपति अध्यक्ष नियत करेगा।

९६—जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोक-सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा

(१) लोक-सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद ९५ के खंड (२) के उपबन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिसमे कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिससे कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है।

(२) जब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प लोक-सभा में विचाराधीन हो तब उस को लोक-सभा में बोलने तथा दूसरे प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा अनुच्छेद १०० म किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर, प्रथमतः ही मत देने का हक्क होगा किन्तु मतसाम्य होने की दशा में न होगा।

टीका—लोक सभा की ऐसी बैठक में जिसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध आरोप उपस्थित किया जाय अध्यक्ष या उपाध्याक्ष (जैसी कि सूरत हो) अध्यक्षता करने का अधिकार न होगा।

९७—सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते

राज्य-परिषद् के सभापति और उपसभापति को, तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्ते जैसे क्रमशः संसद् विधि द्वारा नियत करे, तथा जब तक उसके लिये उपबन्ध इस प्रकार न बने तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, दिये जायेंगे।

टीका—राज्यपरिषद के सभापति या उपसभापति और लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उतनी तनख्वाह व भत्ते मिलेंगे जो पार्लियामेंट नियत करे।

९८—संसद् का सचिवालय

(१) संसद् के प्रत्येक सदन का अपना पृथक् साचिविक कर्मचारी-वृन्द होगा।

परन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि वह संसद् के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पदों के सृजन को रोकती है।

(२) संसद्, विधि द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन के साचविक कर्मचारी-वृन्द में भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेगी।

(३) खंड (२) के अधीन जब तक संसद् उपबन्ध नहीं करती तब तक राष्ट्रपति, यथास्थिति, लोक-सभा के अध्यक्ष से, या राज्य-परिषद् के सभापति से परामर्श कर के लोक-सभा के या राज्य-परिषद के साचविक कर्मचारी-वृन्द में भर्ती के, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के, विनियमन के लिये नियमों को बना सकेगा तथा इस प्रकार बने कोई नियम उक्त खंड के अधीन बनी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे।

कार्य-संचालन

९९—सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

संसद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, राष्ट्रपति के अथवा राष्ट्रपति द्वारा उस के लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा।

टीका—पारलियामेंट के दोनों सदनों के सदस्यों को अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी पड़ेगी।

१००—सदनों में मत-दान, रिक्तताओं के होते हुए भी कार्य करने की शक्ति

(१) इस संविधान में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर किसी सदन की किसी बैठक में अथवा सदनों की संयुक्त बैठक में सब प्रश्नों का निर्धारण, अध्यक्ष या सभापति अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़ कर उपस्थित तथा मत देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

सभापति या अध्यक्ष अथवा उसके रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत न देगा, किन्तु मतसाम्य की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

(२) सदस्यता में कोई रिक्तता होने पर भी संसद् के किसी सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, तथा यदि बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति, जिसे ऐसा करने का हक्क न था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उसने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी संसद में की कोई कार्यवाही मान्य होगी।

(३) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे तब तक संसद् के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति सदन के सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश होगा।

(४) यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न हो तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि

वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये ।

टीका—राजपरिषद् या लोकसभा की बैठक में कोई भी बात सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत की जायेगी । सभापति या अध्यक्ष को अपना निजी मत देने का अधिकार न होगा परन्तु मत बराबर रहने की दशा में उसको अपना एकमत देने का अधिकार होगा।

सदस्यों की अनर्हतायें

१०१—स्थानों की रिक्तता

(१) कोई व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों का सदस्य न होगा तथा जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उस के एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद् विधि द्वारा उपबन्ध बनायेगी।

(२) कोई व्यक्ति संसद् तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, इन दोनों, का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यक्ति संसद् तथा ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, इन दोनों, का सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी कालावधि की समाप्ति के पश्चात, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित हो, संसद् में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जायेगा यदि उस ने राज्य के विधान-मंडल में अपने स्थान को पहिले ही त्याग न दिया हो।

(३) यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य—

(क) अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं में से किसी का भागी हो जाता है, अथवा

(ख) यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है, तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा ।

(४) यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उस के सब अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे तो सदन उस के स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा :

परन्तु साठ दिन की उक्त कालावधि की संगणना में किसी ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में सदन सत्रावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहा है ।

टीका—कोई व्यक्ति पारलियामेंट के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकेगा और न पारलियामेंट के किसी सदन का सदस्य होते हुए वह प्रांत की किसी असेम्बली का सदस्य रह सकेगा । यदि पारलियामेंट का कोई सदस्य लगातार ६० दिन तक पारलियामेंट की विना आज्ञा पारलियामेंट की कार्रवाई से अनुपस्थित रहता है तो पारलियामेंट यह घोषणा कर सकती है कि उसका स्थान खाली हो गया है ।

१०२—सदस्यता के लिये अनर्हताएं

(१) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा—

(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है,

(ख) यदि वह विकृतचित्त है तथा सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान् है,

(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है,

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर चुका है, अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रतिनिष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किये हुए है;

(ङ) यदि वह संसद् निर्मित किसी विधि द्वारा या अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया है।

(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मन्त्री है।

टीका—कोई व्यक्ति पारलियामेन्ट के किसी सदन का सदस्य रहने के योग्य न रहेगा यदि वह सरकारी कर्मचारी है या वह पागल है या बिना बरी किया हुआ दिवालिया है या वह भारत का नागरिक नहीं है या वह किसी अन्य कारण से जिसको पारलियामेन्ट नियत करे वह पारलियामेन्ट का सदस्य रहने के योग्य नहीं है।

१०३—सदस्यों की अनर्हताओं विषयक प्रश्नों पर विनिश्चयन

(१) यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद् के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

[२] ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

टीका—यदि यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति पारलियामेन्ट के किसी सदन का सदस्य रहने के योग्य है या नहीं तो इसका निर्णय राष्ट्रपति करेगा।

१०४—शपथ आदि न लेने के लिये दण्ड

यदि संसद् के किसी सदन में कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में अनुच्छेद ९९ की अपेक्षाओं की पूर्ति करने से पूर्व, अथवा यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिये अर्ह नहीं हूँ अथवा अनर्ह कर दिया गया हूँ अथवा संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों से ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया

हूं, बैठता या मतदान करता है, तो प्रत्येक दिन के लिये, जब कि वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है पांच सौ रुपये के दंड का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल होगा।

टीका—यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पारलियामेन्ट का सदस्य रहने के योग्य न हो पारलियामेन्ट की कार्रवाई में भाग लेता है तो उस पर प्रत्येक बैठक के लिए जिसमें वह भाग ले ५००) प्रतिदिन तक जुरमाना किया जा सकेगा।

संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

१०५—संसद् के सदनों आदि की शक्तियां आदि

[१] इस संविधान के उपबन्धों के तथा संसद की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक्-स्वातन्त्र्य होगा।

[२] संसद में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषय में संसद् के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद् के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी।

[३] अन्य बातों म संसद् के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जैसी संसद, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जाती, तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पारलियामेंट के हाउस आफ कमान्स की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं।

(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद् के किसी सदन अथवा उसकी किसी समिति में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का, अधिकार है उनके सम्बन्ध में खंड (१), (२) और (३) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू हैं।

टीका—इस विधान और नियमों की पाबंदी के साथ सदस्यों को पारलियामेन्ट में बोलने की स्वतन्त्रता होगी और किसी बात के लिए जो किसी सदस्य ने पारलियामेन्ट में कही हो अदालत में कोई कार्रवाही नहीं की जा सकेगी।

१०६—सदस्यों के वेतन और भत्ते

संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों को ऐसे वेतनों और भत्तों के, जिन्हें संसद्, विधि द्वारा, समय समय पर, निर्धारित करे, तथा जब तक तद्विषयक उपबन्ध इस प्रकार नहीं बनाया जाता तब तक ऐसे भत्तों को, ऐसी दरों से और

ऐसी शर्तों पर, जैसी कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले लागू थीं, पाने का हक्क होगा।

टीका—पारलियामेंट के सदस्यों को उतनी तनख्वाह और भत्ते मिलेंगे जितनी कि पारलियामेंट नियत करे।

विधान प्रक्रिया

१०७—विधेयकों के पुरःस्थापन और पारण विषयक उपबन्ध

(१) धन-विधेयकों तथा अन्य वित्तीय विधेयकों के विषय में अनुच्छेद १०९ और ११७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी सदन में आरम्भ हो सकेगा।

(२) अनुच्छेद १०८ और १०९ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित न समझा जायेगा जब तक कि, या तो बिना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों के सहित, जो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिये गये हैं, दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो।

(३) संसद् में लम्बित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत न होगा।

(४) राज्य-परिषद् में लम्बित विधेयक, जिस को लोक-सभा ने पारित नहीं किया है, लोक-सभा के विघटन पर व्यपगत न होगा

(५) कोई विधेयक, जो लोकसभा में लम्बित है, अथवा, जो लोकसभा से पारित होकर राज्यपरिषद् में लम्बित है, अनुच्छेद १०८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जायेगा।

टीका—सिवाय धनबिल के कोई बिल पारलियामेंट के दोनों सदनों में से किसी सदन में भी प्रस्तुत किया जा सकेगा।

१०८—किन्हीं अवस्थाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

(१) यदि किसी विधेयक के एक सदन में पारित होने तथा दूसरे सदन को पहुंचाये जाने के पश्चात्—

(क) दूसरे सदन द्वारा वह विधेयक अस्वीकृत कर दिया जाता है; अथवा

(ख) विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हो चुके हैं; अथवा

(ग) विधेयक प्राप्त की तारीख से बिना इसको पारित किये, दूसरे सदन को छः मास से अधिक बीत चुके हैं, तो लोकसभा के विघटन होने के कारण यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया है, तो विधेयक पर पर्यालोचन करने और मत देने के प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अभिप्राय की अधिसूचना सदनों को, यदि वे बैठक में है तो संदेश द्वारा, अथवा यदि बैठक में नहीं हैं तो लोक-अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रपति देगा :

परन्तु इस खंड में की कोई बात किसी धन-विधेयक को लागू न होगी।

(२) ऐसी किसी छः मास की कालावधि की संगणना में, जोकि खंड (१) में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिसमें उक्त खंड के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट सदन सत्रावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है।

(३) सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशन के लिए आहूत करने के अभिप्राय को जब राष्ट्रपति खंड (१) के अधीन अधिसूचित कर चुका हो तो कोई सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही न करेगा, किन्तु राष्ट्रपति अधिसूचना की तारीख के पश्चात् किसी समय सदनों को अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत कर सकेगा तथा यदि वह ऐसा करता है तो सदन तदनुसार अधिवेशित होंगे।

(४) यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों जिनको संयुक्त बैठक में स्वीकार कर लिया गया है, दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से, पारित हो जाता है, तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये वह दोनों सदनों से पारित समझा जायेगा;

परन्तु संयुक्त बैठक में—

(क) यदि विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं किया गया है तथा उस सदन को, जिसमें वह आरम्भित हुआ था लौटा नहीं दिया गया है तो ऐसे संशोधनों के सिवाय (यदि कोई हों), जो कि विधेयक के पारण में देरी के कारण आवश्यक हो गये हैं, विधेयक पर कोई और संशोधन प्रस्थापित न किया जायेगा।

(ख) यदि विधेयक इस प्रकार पारित और लौटाया जा चुका है तो विधेयक पर केवल ऐसे संशोधन, जैसे कि ऊपर कथित हैं, तथा ऐसे अन्य संशोधन, जो उन विषयों से सुसंगत हैं जिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किये जायेंगे; और पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय, कि इस खंड के अधीन कौन से संशोधन प्रवेश्य हैं, अन्तिम होगा।

(५) सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिये आहूत करने के अभिप्राय की राष्ट्रपति की अधिसूचना के पश्चात्, यद्यपि लोक-सभा का विघटन बीच में हो चुका है तो भी, इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी तथा उस में विधेयक पारित हो सकेगा।

टीका—यदि किसी बिल को एक सदन स्वीकृति करदे परन्तु दूसरा सदन उसको स्वीकृति न करे या दोनों सदनों में मत भेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक उस बिल पर विचार करने के लिए बुलायगा और उसके सम्बन्ध में दोनों सदनों के सदस्यों की राय लेगा और बहुमत से वह बिल पास किया जायगा।

१०६—धन-विधेयकों विषयक विशेष प्रक्रिया

(१) राज्य-परिषद् में धन-विधेयक पुर : स्थापित न किया जायेगा।

(२) लोक-सभा से पारित हो जाने के पश्चात् धन-विधेयक, राज्य-परिषद् को, उस की सिफारिशों के लिये पहुँचाया जायेगा तथा राज्य-परिषद्, विधेयक की अपनी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की कालावधि के भीतर, विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोक-सभा को लौटा देगी तथा ऐसा होने पर लोक-सभा राज्य-परिषद् की सिफारिशों में से सब को या किसी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

(३) यदि राज्य-परिषद् की सिफारिशों में से किसी को लोक-सभा स्वीकार कर लेती है तो धन-विधेयक राज्य-परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये तथा लोक-सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा।

(४) यदि राज्य-परिषद् की सिफारिशों में से किसी को भी लोकसभा स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक, राज्य परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों में से किसी के बिना, उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा जिस में कि वह लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था।

(५) यदि लोक सभा द्वारा पारित तथा राज्य परिषद् को उसकी सिफारिशों के लिये पहुँचाया गया धन-विधेयक उक्त चौदह दिन की कालावधि के भीतर लोक-सभा को लौटाया नहीं जाता तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा, उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में लोकसभा ने उस को पारित किया था।

११०—धन-विधेयकों की परिभाषा

(१) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक धन-विधेयक समझा जायेगा यदि उस में निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध अन्तर्विष्ट ही है, अर्थात—

(क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलना या विनियमन

(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का, अथवा भारत सरकार द्वारा लिए गए अथवा लिए जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से सम्बन्ध विधि के संशोधन करने का, विनियमन;

(ग) भारत की संचित-निधि अथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा इस में से धन निकालना ;

(घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग ;

(ङ) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना ;

(च) भारत की संचित निधि के या भारत के लोक-लेखे के मध्ये धन प्राप्त

करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी करना अथवा संघ या राज्य के लेखाओं का लेखा-परीक्षण ; अथवा

(छ) उपखंड [क] से [च] तक में उल्लिखित विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय।

[२] कोई विधेयक केवल इस कारण से धन-विधेयक न समझा जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दंडों के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की, अथवा की हुई सेवाओं के लिए फीसों की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है।

(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन-विधेयक है या नहीं तो उस पर लोक-सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

[४] अनुच्छेद १०९ के अधीन जब धन-विधेयक राज्य-परिषद् को भेजा जाता है तथा जब वह अनुच्छेद १११ के अधीन अनुमति के लिये राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाता है तब प्रत्येक धन-विधेयक पर लोक-सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह धन विधेयक है।

टीका—धन सम्बन्धी बिल से अभिप्राय ऐसे बिल से है जो कि (१) टैक्स लगाने (२) ऋण लेने (३) फण्ड में से खर्च करने आदि के सम्बन्ध में हो।

१११—विधेयकों पर अनुमति

जब संसद के सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा तथा राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है :

परन्तु राष्ट्रपति अनुमति के लिये अपने समक्ष विधेयक रखे जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन-विधेयक नहीं है तो, सदनों को संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे उस विधेयक पर अथवा उस के किसी उल्लिखित उपबन्धों पर पुनर्विचार करें तथा विशेषतः किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिन की उस ने अपने संदेश में सिफारिश की हो तथा जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया गया हो तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे तथा यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या रहित पुनः पारित हो जाता है तथा राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति न रोकेगा।

टीका—कोई बिल दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा और राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है या उसको अपनी सिफारिश सहित पारलियामेन्ट के पास उस पर दुबारा विचार करने के लिए भेज सकता है

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया

११२—वार्षिक-वित्त-विवरण

(१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में "वार्षिक वित्त विवरण" नाम से निर्दिष्ट किया गया है।

(२) वार्षिक-वित्त-विवरण में दिये हुए व्यय की प्राक्कलनों में—

(क) जो व्यय इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित है उसकी पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां, तथा

(ख) भारत की संचित निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्थापित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां, पृथक् पृथक् दिखाई जायेंगी तथा राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा।

(३) निम्नवर्ती व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा—

(क) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से सम्बद्ध अन्य व्यय;

(ख) राज्य-परिषद् के सभापति और उपसभापति तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते;

[ग] ऐसे ऋण-भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अन्तगत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन-भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण-मोचन सम्बन्धी अन्य व्यय भी हैं;

[घ] [१] उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, या के बारे में, दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन;

[२] फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को, या के बारे में, दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन;

(३] जो उच्च न्यायालय भारत राज्य-क्षेत्र में अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है अथवा जो प्रथम अनुसूची के भाग [क] में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी प्रांत में के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी भी समय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता था उसके न्यायाधीशों को, या के बारे में, दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन;

[ङ] भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक को, या के बारे में, दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति वेतन,

[च] किसी न्यायालय या मध्यस्थ-न्यायाधिकरण के निर्णय, आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित कोई राशियां;

[छ] इस संविधान द्वारा अथवा संसद् से विधि द्वारा, इस प्रकार भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय।

११३—संसद् में प्राकलनों के विषय में प्रक्रिया

[१] भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बद्ध प्राक्कलनें संसद् में मतदान के लिये न रखी जायेंगी, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह संसद् के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी पर चर्चा को रोकती है।

[२] उक्त प्राक्कलनों में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध है वे लोक सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखी जायेंगी तथा लोक सभा को शक्ति होगी कि किसी मांग को स्वीकार या अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उसमें उल्लिखित राशि को कम करके, स्वीकार करे।

[३] राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग न की जायेगी।

टीका—ऐसे खर्चे के सम्बन्ध में जिसका कि भारत के फण्ड पर भार है सदन के सदस्यों को वोट देने का अधिकार न होगा परन्तु वह उस पर विचार कर सकेंगे। बाकी खर्चे पर पारलियामेन्ट के सदस्यों को राय देने का अधिकार होगा।

११४—विनियोग विधेयक

(१) लोक-सभा द्वारा अनुच्छेद ११३ के अधीन अनुदान किये जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र भारत की संचित निधि में से—

[क] लोक-सभा द्वारा इस प्रकार किये गये अनुदानों की; तथा—

[ख] भारत की संचित निधि पर भारित, किंतु संसद् के समक्ष पहले रखे गये विवरण में दी हुई राशी से किसी भी अवस्था में अनधिक, व्यय की, पूर्ति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिये विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा;

(२) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने, अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने, अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक पर, संसद् के किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायेगा तथा कोई संशोधन इस खंड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

[३] अनुच्छेद ११५ और ११६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायगा।

११५—अनुपूरक अपर या अधिकाई अनुदान

(क) यदि (१) अनुच्छेद ११४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिये व्यय किये जाने के लिये प्राधीकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा जब उस वर्ष के वार्षिकवित्त-विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है,, अथवा —

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये, अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद् के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा लोक-सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित करायेगा।

(२) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध में, तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग के बारे में अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में भी, अनुच्छेद ११२, ११३ और ११४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक वित्त-विवरण तथा उस में वर्णित व्यय अथव अनुदान की किसी मांग तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे किसी व्यय या माँग से सम्बन्धित अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं।

११६—लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान

(१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी लोक सभा को:—

(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राक्कलित व्यय के बारे में किसी अनुदान को ऐसे अनुदान के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद ११३ में विहित प्रक्रिया की पूर्ति के लम्बित रहने तक, तथा उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद ११४ के उपबन्धों के अनुसार विधि के पारण के लम्बित रहने तक, पेशगी देने की;

(ख) जब किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित रूप के कारण मांग वैसे ब्योरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती जैसा कि वार्षिक-वित्त-विवरण में साधारणतया दिया जाता है तब भारत के सम्पत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिये अनुदान करने की;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग न हो ऐसा कोई अपवादानुदान करने की; शक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये गये हैं उन के लिये भारत की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति संसद् को होगी।

(२) खंड (१) के अधीन किये जाने वाले किसी अनुदान तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बंध में अनुच्छेद ११३ और ११४ के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक-वित्त-विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बंध में प्रभावी हैं।

टीका—लोक सभा को अधिकार होगा कि किसी कार्य के लिए उसके सम्बन्ध में नियमानुसार रुपया स्वीकृत होने से पहले उस काम के लिये पेशगी रुपया स्वीकृत कर दे।

११७—वित्तविधेयकों के लिए विशेष उपबन्ध

(१) अनुच्छेद ११० के खंड (१) के (क) से (च) तक के उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबंध करने वाला विधेयक राज्य-परिषद् में पुरःस्थापित न किया जायेगा।

परन्तु किसी करके घटाने या उत्सादन के लिये उपबंध बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिये इस खंड के अधीन किसी सिफारिश की अपेक्षा न होगी।

(२) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला केवल इस कारण से न समझा जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ दंडों के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीसों की, अथवा की हुई सेवाओं के लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का उपबंध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है।

(३) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक संसद् के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश न की हो।

टीका—धन सम्बन्धी बिल केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जायेगा। परन्तु किसी टैक्स को रद करने या घटाने के सम्बन्ध में बिल पेश करने के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता न होगी।

साधारण तथा प्रक्रिया

११८—प्रक्रिया के नियम

(१) इस संविधान के उपबन्धों के आधीन रहते हुए संसद् का प्रत्येक सदन

अपनी प्रक्रिया के, तथा अपने कार्यसंचालन के, विनियमन के लिये नियम बना सकेगा।

(२) जब तक खण्ड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन के विधान-मंडल के बारे में जो प्रक्रिया के नियम स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे रूपभेदों और अनुकूलनों के साथ, जिन्हें, यथास्थिति, राज्य-परिषद् का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष करे, संसद् के सम्बंध में प्रभावी होंगे।

(३) राज्य-परिषद् के सभापति और लोक-सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों सम्बंधी, तथा उनमें परस्पर संचार सम्बंधी, प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

(४) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोक-सभा का अध्यक्ष अथवा उस की अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिस का खण्ड (३) के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार निर्धारण हो।

११६—संसद् में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन

वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के प्रयोजन से संसद् विधि द्वारा, किसी वित्तीय विषय से, अथवा भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से सम्बंधित संसद् के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य-संचालन का विनियमन कर सकेगी, तथा यदि, और जहाँ तक, इस प्रकार बनाई हुई किसी विधि का उपबंध अनुच्छेद ११८ के खण्ड (१) के अधीन संसद् के किसी सदन द्वारा बनाये गये नियम से, अथवा उस अनुच्छेद के खण्ड (२) के अधीन संसद्के सम्बंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से, असंगत है तो, ऐसा उपबन्ध अभिभावी होगा।

१२०—संसद् में प्रयोग होने वाली भाषा.

(१) भाग (१७) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबंधों के अधीन रहते हुये संसद् में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जावेगा।

परन्तु यथास्थिति राज्य-परिषद् का सभापति या लोक-सभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(२) जबतक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिये गये हैं,

टीका—पालियामेंट में कार्यवाही अंग्रेजी और हिन्दी में की जा सकेगी परन्तु राज परिषद के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि ऐसे व्यक्ति को जो अपने विचार को अच्छी तरह से हिन्दी या अङ्गरेजी में प्रगट न कर सके अपनी मातृ-भाषा में विचार प्रगट करने की आज्ञा दे। परन्तु १५ वर्ष के बाद पार्लियामेंट कार्यवाही अङ्गरेजी में नहीं की जा सकेगी केवल हिंदी में की जा सकेगी।

१२१—संसद में चर्चा पर निर्बन्धन

उच्चतमन्यालय या उच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीश को आगे उपबन्धित रीति से हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त कोई और चर्चा संसद् में ऐसे किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में न होगी।

टीका—सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी जज को हटाने के सम्बन्ध में पालियामेंट में कोई वाद विवाद नहीं हो सकेगा। पालियामेंट केवल राष्ट्रपति को अपना प्रस्ताव जज को हटाने के लिए भेज सकती है।

१२२—न्यायालय संसद् की कार्यवाहियों की जांच न करेंगे

(१) प्रक्रिया में किसी कथित अनियमिता के अधार पर संसद् की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न की जायेगी।

(२) संसद् का कोई पदाधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान के द्वारा या अधीन ससद् में प्रक्रिया को, या कार्य-संचालन को विनियमन करने की, अथवा व्यवस्था रखने की, शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा किये गये प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होगा।

टीका—पालियामेंट के किसी सदस्य के विरुद्ध उसके अधिकार सम्बन्धी मामले पर किसी अदालत में कोई कारवाही नहीं हो सकेगी।

अध्याय ३—राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियां

१२३—संसद् के विश्रान्ति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापन शक्ति

(१) उस समय को छोड़ कर जब कि संसद् के दोनों सदन सत्र में हैं यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे वाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यदेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थियों से अपेक्षित प्रतीत हों।

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद् के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

(क) संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा, तथासंसद् के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा, यदि उस कालावधि की समाप्ति से

पूर्व दोनों सदन उसके निन्नुमोदन के संकल्प पार कर देते हैं तो, इनमें दूसरे संकल्प के पारण होने पर, परिवतन में न रहेगा; तथा—

(ख) राष्ट्रपति द्वारा किसी समय लौटा लिया जा सकेगा।

व्याख्या—जब संसद् के सदन भिन्न भिन्न तारीखों में पुन समवेत होने के लिये आहूत किये जाते हैं तो इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये छ सप्ताह की की काल अवधि की गणना उन तारीखों में से पिछली तारीख से की जायेगी।

(३) यदि, और जिस मात्रा तक, इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबन्ध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिये संसद्, इस संविधान के अधीन सूक्षम नहीं है तो वह शून्य होगा।

टीका—सिवाय उस दशा के जब पार्लियामैन्ट की बैठक हो रही है राष्ट्रपति को किसी आवश्यक विषय के सम्बन्ध में ऑर्डीनैन्स जारी करने का अधिकार होगा। परन्तु पार्लियामैन्ट का बैठक शुरू होने से ६ सप्ताह बाद ऑर्डीनैन्स लागू न रहेगा।

अध्याय ४. संघ की न्यायापालिका

१२४—उच्चतमन्यायालय की स्थापना और गठन

(१) भारत का एक उच्चतमन्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायधिपति तथा, जब तक, संसद् विधि द्वारा और अधिक संख्या निर्धारण नहीं करती तब तक, अन्य सात से अनधिक न्यायधीशों से मिलकर बनेगा।

(२) उच्चतमन्यालय के, तथा राज्यों के उच्चन्यायालयों के, ऐसे न्यायधीशों से परामर्श कर के जिनसे कि इस प्रयोजन के लिये परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतमन्यालय के प्रत्येक न्यायधीश को नियुक्त करेगा तथा वह न्यायधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह ६५ वर्ष की आयु प्राप्त न करले।—

परन्तु मुख्य न्यायधिपति से भिन्न किसी अन्य न्यायधीश की नियुक्ति के विषय में भारत के मुख्य न्यायधिपति में सर्वदा परामर्श किया जायेगा।
परन्तु यह और भी कि:—

(क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा।

(ख) खंड (४) में उपबन्धित रीति से कोई न्यायधीश अपने पद से हटाया जा सकेगा।

(३) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो तथा—

(क) किसी उच्चन्यायालय का अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम पाँच वर्ष तक न्यायधीश न रह चुका हो, अथवा:—

(ख) किसी उच्चन्यालय का, अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का, लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो, अथवा:—

(ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता न हो।

व्याख्या १—इस खण्ड में "उच्चन्यायालय" से वह उच्चन्यायालय अभिप्रेत है जो भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है अथवा, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी समय भी प्रयोग करता था।

व्याख्या २—इस खण्ड के प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की कालवधि की संगणना में वह कालवधि भी अन्तर्गत होगी जिसमें कि उस व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् ऐसे न्यायिक पद को जो जिला-न्यायाधीश के पद से छोटा नहीं है, धारण किया हो।

(४) उच्चतमन्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से तब तक हटाया न जायेगा जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के लिये ऐसे हटाये जाने के हेतु प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, तथा उपस्थित और मत दान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा, समर्थित समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो।

(५) खंड (४) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की, तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अनुसंधान तथा सिद्ध करने की, प्रक्रिया का संसद् विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी।

(६) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश होने के लिये नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद ग्रहण करने से पूर्व, राष्ट्रपति के, अथवा उसके द्वारा उस लिये नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(७) कोई व्यक्ति, जो उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर चुका है, भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य न करेगा।

टीका—भारत के लिये एक सुप्रीम कोर्ट होगी जिसमें एक चीफ जसटिस के अतिरिक्त अधिक से अधिक सात और जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और सुप्रीम कोर्ट का जज ६५ वर्ष की आयु तक काम कर सकेगा वह इस्तीफा भी दे सकेगा और अपने पद से हटाया भी जा सकेगा किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने के लिये यह आवश्यक होगा कि वह भारत का नागरिक हो और या तो पांच वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहा हो या दस साल तक हाई कोर्ट का ऐडवोकेट रहा हो, या प्रसिद्ध जूरिस्ट रहा हो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने पद भी 'शपथ की

लेनी होगी और कोई व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो भारत की किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकेगा।

१२५—न्यायाधीशों के वेतन आदि—

(१) उच्चतमन्यायायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिये जायेंगे -जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं।

(२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे विशेषाधीकारों और भत्तों का, तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों का, जैसे कि संसद्-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय समय पर निर्धारित किये जायें, तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हों, तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों का, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं हक्क होगा।

परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो विशेषाधिकारों में और न भत्तों में और न अनुपस्थिति-छुट्टी या निवृत्ति-वेतन विषयक उसके अधिकारो में उस की नियुक्ति के पश्चात उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा।

टीका—सुप्रीम कोर्ट के जजों को उतना वेतन मिलेगा जो कि सूची २ में दिया हुआ है।

१२६—कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति—

जब भारत के मुख्य न्यायाधिपति का पद रिक्त हो अथवा जब मुख्य न्यायाधिपति, अनुपस्थिति या अन्य कारण से, अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक, जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

१२७—तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति—

(१) यदि किसी समय उच्चतमन्यायालय के सत्र को करने या चालू रखने के लिये उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्य न हो तो राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से तथा सम्बद्ध उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श कर के भारत का मुख्य न्यायाधिपति किसी उच्चन्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से, जो उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए यथारीति अर्ह है तथा जिसे भारत का मुख्य न्यायाधिपति नामोद्दिष्ट करे, न्यायालय की बैठकों में इतनी कालावधि के लिये, जितनी आवश्यक हो, तदर्थ-न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिये लेख द्वारा प्रार्थना कर सकेगा।

(२) इस प्रकार नामोद्दिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्ववर्तिता देकर उच्चतमन्यायालय की बैठकों में, उस समय तथा उस कालावधि के लिये, जिस के लिये उस की उपस्थिति अपेक्षित है, उपस्थित

हो, तथा जब वह इस प्रकार उपस्थित हो तब उस को उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के, सब क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

१२८—सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतमन्यालयों की बैठकों की उपस्थिति

इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी भारत का मुख्य न्यायाधिपति किसी समय भी राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतमन्यायालय के, या फेडरलन्यायालय के, न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उच्चतमन्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, तथा इस प्रकार प्रार्थित प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के काल में, ऐसे भत्तों का, जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे, तथा उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शक्तियों और विशेषाधिकारों का, हक्क होगा किन्तु वह अन्यथा वह उस न्यायालय का न्यायाधीश न समझा जायगा।

परन्तु जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सम्मति दे तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उस से ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली न समझी जायेगी।

१२९—उच्चतमन्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा—

उच्चतमन्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसे अपने अपमान के लिये दंड देने की शक्ति के सहित ऐसे न्यायालय की सब शक्तियां होंगी।

१३०—उच्चतमन्यायालय का स्थान

उच्चतमन्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के अनुमोद से समय समय पर नियुक्त करें, बैठेगा।

टीका—सुपरीम कोर्ट की बैठक देहली या ऐसे अन्य स्थान में होगी जिसको कि चीफ जस्टिस राष्ट्रपति की अनुमति से नियत करे।

१३१—उच्चतमन्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

संविधान के उपबन्धों के आधीन रहते हुये—

(क) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच के, अथवा

(ख) एक और भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों तथा दूसरी और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच के अथवा

(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच के,

किसी विवाद में, यदि और जहाँ तक उस विवाद में ऐसा कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है (चाहे तो विधि का चाहे तथ्य का) जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है वहाँ तक; अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतमन्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार होगा।

परन्तु उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद पर न होगा जिस में —

(१) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसीसंधि, करार, प्रसंविदा, वचन बंध सनद्या अन्य तत्सम लिखित के जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहले की गई या निष्पादित थी तथा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रवर्तन में है या रख ली गई है, किसी उपबंध से पैदा हुआ है।

(२) कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचन-बंध, सनद या अन्य तत्सम लिखत के, जो उपबंध करती है कि वैसा क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद पद विस्तृत न होगा, किसी उपबंध से पैदा हुआ है।

१३२–किन्हीं मामलों में उच्चन्यायालयों से अपील में उच्चतम-न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार.

(१) भारत राज्य-क्षेत्र में किसी उच्चन्यायालय के, चाहे तो व्यवहार विषयक चाहे दांडिक चाहे अन्य कार्यवाही में दिये निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतमन्यायालय में हो सकेगी, यदि वह उच्चन्यायालय प्रमाणित करदे कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन का कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है।

(२) जहाँ कि उच्चन्यायालय ने ऐसा प्रमाणपत्र देना अस्वीकार कर दिया हो वहां, यदि उच्चतमन्यायालय का समाधान हो जाये कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन का सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है तो वह ऐसे निर्णय, आज्ञप्ति या अंतिम आदेश की अपील के लिये विशेष इजाजत दे सकेगा।

(३) जहाँ ऐसा प्रमाण-पत्र अथवा ऐसी इजाजत दे दी गई हो वहाँ मामले में कोई पक्ष ऐसे किसी पूर्वोक्त प्रश्न के अशुद्ध निर्णय हो जाने के आधार पर तथा उच्चतमन्यायालय की इजाजत से अन्य किसी आधार पर, उच्चतम-न्यायालय में अपील कर सके।

व्याख्या—इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ 'अंतिम आदेश' पदावलि के अन्तर्गत ऐसे वाद-पद का विनिश्चयात्मक आदेश भी है जो, यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित हो तो, उस मामले के अंतिम निपटारे के लिये पर्याप्त होगा।

१३३—उच्चन्यायालयों से व्यवहार विषयों के बारे अपीलों में उच्चतमन्यायालय का अपीलीयक्षेत्राधिकार

(१) भारत राज्य-क्षेत्र में, के उच्चन्यायालय की व्यहार-कार्यवाही में के किसी निर्णय आज्ञप्ति या अंतिम आदेश की अपील उच्चतमन्यायालय में होगी यदि उच्चन्यायालय प्रमाणित करे।

(क) कि विवाद-विषय की राशि या मूल प्रथम वार के न्यायालय में बीस हजार रुपये से या ऐसी अन्य राशि से; जो इस बारे में संसद् से विधि द्वारा उल्लिखित की जाय, कम न थी और अपील गत विवाद में भी उस से कम नहीं है, अथवा

(ख) कि निर्णय, आज्ञप्ति या अंतिम आदेश में इतनी राशि या मूल्य की सम्पत्ति से सम्बंध कोई दावा या प्रश्न प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अन्तर्गत है; अथवा

(ग) कि मामला उच्चतमन्यायालय में अपील के लायक है,

तथा, जहाँ कि अपीलकृत निर्णय, आज्ञप्ति या अंतिम आदेश उपखंड (ग) में निर्दिष्ट मामले से भिन्न किसी मामले में विनान्तर नीचे के न्यायालय के विनिश्चय की पुष्टि करता है वहाँ, यदि उच्चन्यायालय यह भी प्रमाणित करे कि अपील में कोई सारवान विधि-प्रश्न अंतर्गत; है।

(२) अनुच्छेद १३२ में किसी बात के होते हुए भी खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालय में अपील करने वाला कोई पक्ष ऐसी अपील के कारणों में यह कारण भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वाचन के सारवान विधि-प्रश्न का अशुद्ध विनिश्चय किया गया है।

(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुये भी उच्चन्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, आज्ञप्ति या अंतिम आदेश की अपील उच्चतमन्यायालय में न होगी जब तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे।

टीका—निम्नलिखित दशाओं में हाईकोर्ट के डिगरी या हुक्म के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकेगा। यानिः—

(१) जब हाईकोर्ट यह सार्टीफीकेट दे दे कि मुकद्दमे में कोई आवश्यक कानूनी प्रश्न उठता है।

(२) जबकि मुकद्दमे की मालियत २०,००० से अधिक हो।

परन्तु हाईकोर्ट के किसी एक जज की डिगरी या हुक्म के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकेगी।

१३४—दंड विषयों में उच्चतमन्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार.

(१) भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी उच्चतमन्यायालय के, किसी दंडाकार्यवाही में दिये हुये निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की उच्चतमन्यायालय में अपील होगी यदि—

(क) उस उच्चन्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की विमुक्ति के आदेश को उलट दिया है तथा उसको मृत्यु दंडादेश दिया है, अथवा

(ख) उस उच्चन्यायालय ने अपने अधीन न्यायालय से किसी मामले को परीक्षण करने के हेतु अपने पास मंगा लिया है तथा ऐसे परीक्षण में अभियुक्ति व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराया है और मृत्यु दंडादेश दिया है; अथवा

(ग) उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्च न्यायालय में अपील किये जाने लायक है :

परन्तु उपखंड (ग) के अधीन होने वाली अपील ऐसे उपबन्धों के अधीन रह कर, जो अनुच्छेद १४५ के खंड (१) के अधीन उस लिए बनाये जायें तथा ऐसी शर्तों के अधीन रह कर जो उच्चन्यायालय द्वारा स्थापित या अपेक्षित की जायें, ही होगी।

(२) संसद् विधि द्वारा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन जो ऐसी विधि में उल्लिखित की जायें, उच्चतमन्यायालय को भारत-राज्य-क्षेत्र में किसी उच्चन्यायालय के दंड कार्यवाही में दिये गये किसी निर्णय, अन्तिम आदेश अथवा दंडादेश की अपील लेने और सुनने की और भी सकती दे सकेगी।

टीका—मुकद्दमा फ़ौजदारी में हाईकोर्ट के हुक्म के विरुद्ध केवल उस दशा में सुपरीम कोर्ट को अपील होसकेगा जब कि हाईकोर्ट ने किसी अभियुक्त को बरी किये जाने के हुक्म को रद्द करके उसको फांसी का दण्ड दिया हो या अपनी किसी मातहत अदालत से किसी मुकद्दमे को मंगाकर उसमें अभियुक्त को फांसी का दंड दिया हो या हाई कोर्ट ने यह सार्टीफिकेट दिया हो कि मुकद्दमा ऐसा है कि उसके सम्बन्ध में सुपरीम कोर्ट में अपील होना उचित है।

१३५. वर्तमान विधि के अधीन फेडरलन्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों का उच्चतमन्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना

जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतमन्यायालय को भी किसी विषय के बारे में जिस पर अनुच्छेद १३३ या अनुच्छेद १३४ के उपबन्ध लागू नहीं होते, क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी यदि उस विषय के सम्बंध में इस संविधान के प्रारम्भसे ठीक पहले किसी वर्तमान विधिके अधीन क्षेत्राधिकार और शक्तियां फेडरलन्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थीं।

१३६. अपील के लिये उच्चतमन्यायालय की विशेष इजाज़त

(१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुये भी उच्चतमन्यायालय स्वविवेक से भारत राज्य क्षेत्र में दिये हुये किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद या विषय में दिये हुए किसी निर्णय, आज्ञाप्ति, निर्धारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा।

(२) सशस्त्र बलों से सम्बद्ध किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायधिकरण द्वारा पारित या दत्त किसी निर्णय, निधारण, दंडादेश या आदेश को खण्ड (१) की कोई बात लागू न होगी।

१३७—निर्णय या आदेशों पर उच्चतमन्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन

संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के, अथवा अनुच्छेद १४५ के अधीन बनाये गये किसी नियम के, अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय को अपने द्वारा सुनाये गये निर्णय या दिये गये आदेश पर पुनर्विलोकन करने का अधिकार होगा

टीका—सुपरीम कोर्ट को अपनी तजबीज या हुक्म की नजरसानी सुनने का अधिकार होगा।

१३८—उच्चतमन्यायालय क्षेत्राधिकारी की वृद्धि

(१) संघ-सूची के विषयों में से किसी के बारे में उच्चतमन्यायालय को ऐसे और क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी जैसे संसद् विधि द्वारा प्रदान करे।

(२) यदि संसद् न्यायालय के लिए ऐसे क्षेत्राधिकार और शक्तियों के प्रयोग को विधि द्वारा उपबन्ध करे तो किसी विषय के बारे में उच्चतमन्यायालय को ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां होंगी जिन्हें भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष-करार द्वारा प्रदान करे।

१३९—कुछ लेखों के निकालने की शक्ति का उच्चतमन्यायालय को प्रदान

अनुच्छेद ३२ के खण्ड (२) में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निदेश, आदेश या लेख जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, अथवा इनमें से किसी को, निकालने की शक्ति संसद् विधि द्वारा उच्चतमन्यायालय को प्रदान कर सकेगी।

१४०—उच्चतमन्यायालय की सहायक शक्तियां

ऐसी अनुपूरक शक्तियों को, जो इस संविधान के उपबन्धों में से किसी से असंगत न हों, संसद् विधि द्वारा उच्चतमन्यायालय को प्रदान करने के लिए उपबन्धकर सकेगी, जसी कि उस न्यालय को इस संविधान के द्वारा या अधीन प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अधिक कार्य साधक रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों

१४१—उच्चतमन्यायालय द्वारा घोषित विधिसब न्यायलयों को बन्धनकारी होगी

उच्चतमन्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर सब

न्यायालयों को बन्धनकारी होगी।

टीका—सुपरीम कोर्ट की नजीर भारत की सब अदालतों पर बाध्य होंगी।

१४२–उच्चतमन्यायालय की आज्ञप्तियों औरआदेशों का प्रवृत्त कराना तथा प्रकटन आदि के आदेश

(१) अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्चतमन्यायालय ऐसी अज्ञाप्ति या ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा कि उसके समक्ष लम्बित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो तथा इस प्रकार दी हुई अज्ञाप्ति या आदेश भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से, जैसी कि संसद् किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित करे, तथा, जब तक उस लिए उपबंध नहीं किया जाता तब तक, ऐसी रीति से, जैसी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे, प्रवर्तनीय होगा।

(२) संसद् द्वारा इस बारे में बनाई हुई किसी विधी के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय को भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के, किन्ही दस्तावेजों को प्रकट या पेश कराने के, अथवा अपने किसी अवमान का अनुसंधान कराने या दण्ड देने के, प्रयोजन के लिये कोई आदेश देने को समस्त और प्रत्येक शक्ति होगा।

टीका–यदि राष्ट्रपति किसी कानूनी या वाकाती प्रश्न को बहुत आवश्यक समझे तो वह उस सम्बन्ध में सुपरीम कोर्ट की राय ले सकता है।

१४३–उच्चतमन्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति

(१) यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधी या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, अथवा उसके उत्पन्न होने की सम्भावना है, जो इस प्रकार का और ऐसे-सार्वजनिक महत्व का है कि उसपर उच्चतमन्यायालय की राय प्राप्त करना इष्टकर है तो वह उस प्रश्न को उस न्यायालय को विचारार्थ सौंप सकेगा तथा वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे राष्ट्रपति उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा।

(२) राष्ट्रपति अनुच्छेद १३ के परन्तुक के खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त खंड में वर्णित प्रकार के विवाद कोउच्चतमन्यायालय को राय देने के लिये सौंप सकेगा तथा उच्चतमन्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात जैसा कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा।

१४४–असैनिक तथा न्यायिक प्राधिकारी उच्चतमन्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे

भारत राज्य-क्षेत्र के सभी असैनिक और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतमन्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।

१४५–न्यायालय के नियम आदि

(१) संसद् द्वारा बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए

उच्चतमन्यायलय, समय समय पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य-प्रणाली और प्रक्रिया के साधारण विनियमन के लिये नियम बना सकेगा तथा जिन के अन्तर्गत—

(क) न्यायालय में वृत्ति करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम,

(ख) अपीलें सुनने के लिये प्रक्रिया के बारे में, तथा अपीलों सम्बन्धी अन्य विषयों के, जिनके अन्तर्गत वह समय भी है जिस के भीतर अपीलें न्यायायालय में दाखिल की जानी हैं, बारे में नियमः—

(ग) भाग ३ द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी की पूर्ति कराने के लिये उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम;

(घ) अनुच्छेद १३४ के खंड (१) के उपखंड (ग) के अधीन अपीलों के लिये जाने के बारे में नियम;

(ङ) उस न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय अथवा दिया गया आदेश जिन शर्तों के अधीन रह कर पुनर्विलोकित किया जा सकेगा उनके बारे में, तथा ऐसे पुनर्विलोकन के लिये प्रक्रिया के बारे में जिसके अन्तर्गत वह समय भी है जिस के भीतर ऐसे पुनर्विलोकन के लिये आवेदन-पत्र न्यायालय में दाखिल किये जाने हैं, नियम;

(च) उस न्यायालय में किसी कार्यवाहियों में के और और तत्प्रासंगिक खर्चे के बारे में, तथा उसमें कार्यवाहियों के विषय में ली जाने वाली फीसों के बारे में, नियम;

(छ) जामिन की मंजूरी के बारे में नियम;

(ज) कार्यवाहियों के रोकने के बारे में नियम;

(झ) ऐसे अपील जो उस न्यायालय को तुच्छ या तंग करने वाली अथवा विलम्ब करने के प्रयोजन में की हुई प्रतीत होती है उसके संक्षेपतः निर्धारण के लिये उपबंधन करने वाले नियम;

(ञ) अनुच्छेद ३१७ के खण्ड (१) में निर्दिष्ठ जांचों के लिये प्रकिया के बारे में नियम;

भी हैं।

(२) खण्ड (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अनुच्छेद के अधीन नियम, उन न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या नियत कर सकेंगे जो किसी प्रयोजन के लिये बैठेंगे तथा, अकेले न्यायाधीशों और (खण्ड) न्यायालयों की शक्ति के लिये उपबन्ध कर सकेंगे।

(३) इस संविधान के निर्वचन का कोई सारवान विधि-प्रश्न जिस मामले के अन्तर्गस्त है उसका विनिश्चय करने प्रयोजन के लिये अथवा इस संविधान के

अनुच्छेद १४३ के अधीन सौंपे गये प्रश्न सुनने के प्रयोजन के लिये, बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पाँच होगी

परन्तु जहां इस अध्याय में के अनुच्छेद १३२ से भिन्न उपबंधों के अधीन सुनने वाला न्यायालय पांच न्यायाधीशों से कम से मिलकर बना है तथा अपील सुनने के दौरान में उस न्यायालय का समाधान हो जाता है। कि अपील में संविधान के निर्वचन का ऐसा सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है जिसका निर्धारण अपील के निबटारे के लिये आवश्यक है वहाँ वह न्यायालय ऐसे प्रश्न को उस न्यायालय को, जो ऐसे प्रश्न को अन्तर्ग्रस्त रखने वाले किसी मामले के विनिश्चय के लिये इस खण्ड द्वारा अपेक्षित रूप में गठित किया जाये, उस की राय के लिये सौंपेगा तथा राय की प्राप्ति पर उस अपील को वैसी राय के अनुसार निबटायेगा।

(४) उच्चतमन्यायालय को कोई निर्णय खुले न्यायालय में के सिवाय नहीं सुनायेगा तथा अनुच्छेद १४३ के अधीन कोई प्रतिवेदन खुले न्यायालय में हो सुनाई गई राय से अन्य था न दिया जायेगा।

(५) कोई निर्णय और ऐसी कोई राय उच्चतम न्यायालय द्वारा, मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों में के बहुसंख्यक की सहमति से अन्यथा, न दी जायेगी किन्तु इस खंड की कोई बात सहमत न होने वाले किसी न्यायाधीश को अपने विमत-निर्णय या राय देने से न रोकेगी।

१४६—उच्चतम न्यायालय के पदाधिकारी और सेवक तथा व्यय

(१) उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारों और सेवकों की नियुक्तियाँ भारत का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उसके द्वारा निर्देशित उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी करेगा।

परन्तु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं अवस्थाओं में, जैसी कि नियम में उल्लिखित हों, ऐसे व्यक्ति की, जो पहिले ही न्यायालय में लगा हुआ नहीं है, न्यायालय से संसक्त किसी पद पर, संघ-लोक सेवा-आयोग से परामर्श किये बिना, नियुक्त न किया जायेगा।

(२) संसद् द्वारा निर्मित विधि के उपबन्धों के आधीन रहते हुए उच्चतम-न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकोंकी सेवा कीशर्तें ऐसी होंगी जैसीकि भारत का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी जिसे भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने उस प्रयोजन के लिये नियम बनाने को पदाधिकृत किया, नियमों द्वारा विहित करे :

परन्तु इस खंड के आधीन बनाये गये नियमों के लिये जहां तक कि वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या निवृत्ति- वेतनों से सम्बद्ध हैं, राष्ट्रपतिके अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

(३) उच्चतमन्यायालय के प्रसासन-व्यय, जिनके अन्तरगत उस न्यायालय के पदाधिकारयों और सेवकों, को या के बारे में, दिये जाने वाले सब वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन भी हैं भारत की संचित निधि पर भारित होंगे तथा उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्न धन उस निधि का भाग होंगी।

टीका—सुप्रीम कोर्ट अफसरों व कर्मचारियों के नियुक्त करने का अधिकार भारत के चीफजसिटस को या ऐसे व्यक्ति को होगा जिसको कि चीफजसिटस उसके नियम नियुक्त करेगा और सुप्रीम कोर्ट का खर्चा व उसके अफसरान के वेतन को भारत के फन्ड से निकाला जायेगा और कोर्ट फीस या अन्य रकम जो वसूल थी।

१४७—निर्वचन

इस अध्याय में तथा भाग ६ के अध्याय ५ में इस संविधान के निर्वचन के सारवान विधि-प्रश्न के बारे में जो निर्देश हैं उनका अर्थ ऐसा किया जायेगा कि मानों उनके अन्तर्गत भारत शासन-अधिनियम १६३५ के (जिसके अन्तर्गत उस अधिनियम को संशोधित या अनुपूरित करने वाली कोई अधिनियमति भी है) अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी परिषादादेश या आदेश के अथवा भारतीय-स्वतंत्रा-अधिनियम १६४७ के अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी आदेश के, निर्वचन के सारवान विधि-प्रश्न के निर्देश भी हैं।

अध्याय ५.—भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

१४८—भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

(१) भारत का एक नियंत्रक-महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा तथा वह अपने पद केवल उसी रीति और उन्हीं कारणों से हटाया जायेगा जिस रीति और जिन कारण से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है।

(२) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया जाना है, अपने पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा उस नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तृतीयअनुसूची में इस प्रयोजन के लिये लिये हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(३) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक संसद् इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक ऐसी होंगी जैसी कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं—

परन्तु न तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन में और न उसकी अनुपस्थित-छुट्टी, निवृत्ति वेतन या निवृत्ति-वयुस् सम्बंधी अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसको लाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा।

(४) अपने पद पर न रह जाने के पश्चात नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के आधीन और पद का पात्र न होगा।

(५) इस संविधान के तथा संसद्-निर्मित किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा-विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा-शर्तें यथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनीय शक्तियां ऐसी होंगी जैसी कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति नियमों द्वारा विहित करे।

(६) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासनव्यय, जिन के अन्तर्गत उस कार्यलय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को, या के बारे में, देय सब वेतन, भत्ते और निवृत्तिवेतन भी हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।

टीका—भारत के लिए एक औडीटर जनरल राष्ट्रपति नियुक्त करेगा उसको अपने पद की शपथ भी लेनी पड़ेगी। और औडीटर जनरल का कुल खर्चा व वेतन भारत के फन्ड से दिया जायेगा।

१४९—नियंत्रिक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ

नियंत्रिक—महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा अन्य प्राधिकारी या निकाय के, लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा। जैसे कि संसद्-निर्मित्त विधि के द्वारा या अधीन विहित किये जायें तथा, जब तक उस बारे में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक, संघ के और राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसे कि इस संविधान के प्रारम्भ में ठीक पहिले क्रमशः भारत डोमिनियन के और प्रान्तों के लेखाओं के सम्बन्ध में भारत के महालेखा-परीक्षक को प्रदत्त थीं या के द्वारा प्रयोक्त थीं।

टीका—औडीटर जनरल भारत सरकार के हिसाब के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्य पालन करेगा जो कि पार्लियामेंट नियत करे।

१५०—लेखे के विषय में निदेश देने की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की शक्ति

संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे रूप में रखा जायेगा जैसा कि भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विहित करे।

टीका—भारत सरकार और उसमें सम्मिलित राज्यों के हिसाब उस ढंग में रक्खे जायेंगे जो कि औडीटर जनरल राष्ट्रपति के अनुमति से नियत करें।

१५१—लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन

(१) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघलेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जो उनको संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

(२) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राज्यपाल या राजप्रमुख के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जो उनको उस

राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखवायेगा ।

टीका—भारत सरकार के हिसाब के सम्बन्ध में औडीटर जनरल की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जावेगी जो कि उसको भारत के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेगा ।

भाग ६

प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य

अध्याय १—साधारण

१५२—परिभाषा—

यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" पद के अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्य हैं ।

अध्याय २—कार्यपालिका

राज्यपाल

१५३—राज्यों के राज्यपाल

प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा ।

१५४—राज्य की कार्यपालिका शक्ति—

(१) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, तथा वह इस का प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा ।

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से—

(क) जो कृत्य किसी वर्तमान विधि ने किसी अन्य प्राधिकारी को दिये हैं वे कृत्य राज्य-पाल को हस्तान्तरित किये हुए न समझे जायेंगे, अथवा

(ख) राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य देने में संसद् अथवा राज्य के विधान-मंडल को बाधा न होगी ।

१५५—राज्यपाल की नियुक्ति

राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा ।

टीका—प्रांत के गवर्नर को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा ।

१५६—राज्यपाल की पदावधि

(१) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त राज्यपाल पद धारण करेगा ।

(२) राज्यपाल राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(३) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा ।

परन्तु अपने पद की अवधि की समाप्ति हो जाने पर भी राज्यपाल अपने

उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा।

टीका—गवर्नर के पद की अवधि पांच वर्ष होगी परन्तु राष्ट्रपति जब चाहे तब उसको हटा सकेगा और गवर्नर जब चाहे राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकेगा।

१५७—राज्यपाल नियुक्त होने के लिये अर्हताएं

कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो तथा पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

टीका—कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक न हो या जिसकी आयु ३५ वर्ष से कम हो गवर्नर नियुक्त नहीं किया जायेगा।

१५८—राज्यपाल-पद के लिये शर्तें

(१) राज्यपाल न तो संसद् के किसी सदन का और न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का, सदस्य होगा तथा यदि संसद् के किसी सदन का, अथवा ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का, सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

(२) राज्य अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा।

(३) राज्यपाल को, बिना किराया दिये अपनेपदावासों के उपयोग का हक होगा तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो संसद्-निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किये जायें, तथा जब तक इस विषय में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक्क होगा।

(४) राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पद की अवधि में घटाये नही जायेंगे।

टीका—गवर्नर पार्लियामेंट के किसी सदन या प्रांत की असेमबली या कौंसिल का सदस्य नहीं हो सकेगा-गवर्नर को उतने वेतन और भत्ते मिलेंगे जो कि पार्लियामेंट नियत करे और जब तक पार्लिमैन्ट नियत न करे तब तक उतने वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जो कि इस विधान की सूची २ में दिये गये हैं।

१५९—राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

प्रत्येक राज्यपाल तथा प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करता है, अपने पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्चन्यालय के मुख्य न्यायाधिपति के अथवा उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के प्राप्त अग्रतम न्यायाधीश के, समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा अर्थात्—

"मैं,....अमुक,...ईश्वर की शपथ लेता हूं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

कि मैं श्रद्धापूर्वक····(राज्य का नाम) के राज्यपाल का कार्यपालन (अथवा राज्य पाल कृत्यों का निर्वहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं·······(राज्य का नाम) की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा

टीका—गवर्नर और ऐसे व्यक्ति को जो गवर्नर की जगह काम करे अपने पद की शपथ लेनी होगी।

१६०—कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन

इस अध्याय में उपबंध न की हुई किसी आकस्मिकता में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति, जैसा उचित समझे, वैसा उपबन्ध बना सकेगा।

टीका—राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि किसी अकस्मात समय के लिए गवर्नर के कर्त्तव्य नियत करे।

१६१—क्षमा आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघूकरण करने की राज्यपाल की शक्ति

जिस विषय पर किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उस विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति के दण्ड की क्षमा, परविलम्बन विराम, या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलम्बन परिहार या लघूकरण करने की, उस राज्य के राज्यपाल को शक्ति होगी।

टीका—गवर्नर को अधिकार होगा कि किसी सजा को माफ करदे या उस में कमी करदे।

१६२—राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

इस संविधान के उपबन्धो के अधीन रहते हुए प्रत्येक २ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके वारे में उस राज्य के विधान-मण्डल को विधि बनाने की शक्ति है।

परन्तु जिस विषय के बारे में राज्य के विधान-मण्डल और संसद् को विधि बनाने की शक्ति है उस में राज्य की कोई कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा अथवा संसद् निर्मित्त किसी विधि द्वारा, संघ या उसके प्राधिकारियों को स्पष्टता पूर्वक प्रदत्त शक्ति के अधीन रह कर, और से परिसीमित होकर, ही होवेगी।

मन्त्रि-परिषद्

१६३-राज्यपाल को सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रि-परिषद्

(१) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्यों अथवा उनमें से किसी को स्वविवेक से करे उन बातों को छोड़ कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में

सहायता और मन्त्रणा देने के लिये एक मन्त्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य मन्त्री होगा।

(२) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं कि जिस के सम्बंध में, इस संविधान के द्वारा या अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि यह स्वविवेक से कार्य करे तो राज्यपाल का स्वविवेक से किया हुआ विनिश्चय अंतिम होगा तथा राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की मान्यता पर इस कारण से कोई आपत्ति न की जायेगी कि उसे स्वविवेक से कार्य करना, या न करना; चाहिये था।

(३) क्या मन्त्रियों ने राज्यपाल को कोई मन्त्रणा दी। और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच न की जायेगी।

टीका—गवर्नर को सलाह व सहायता देने के लिये एक मन्त्री मंडल नियुक्त किया जायेगा जिसका अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर होगा।

१६४—मन्त्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध

(१) मुख्य मन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की मंत्रणा से करेगा तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त मंत्री अपने पद धारण करेंगे।

परन्तु उड़िसा, बिहार और मध्यप्रदेश राज्यों में आदिमजातियों के कल्याण के लिये भार-साधक एक मंत्री होगा जो साथ साथ अनूसूचित जाति और पिछड़े हुये वर्गों के कल्याण का, अथवा किसी अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकेगा

(२) मंत्री-परिषद राज्य की विधान-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तर दायी होगी।

(३) किसी मंत्री के अपने पद ग्रहण करने से पहिले राज्यपाल उससे तृतीय अनूसूचि में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्रों के अनुसार, पद की और गोपनीयता की शपथें करायेगा।

(४) कोई मंत्री जो निरन्तर छः मासों की किसी कालावधि तक राज्य के विधान-मंडल का सदस्य न रहे, उस कालावधि की समाप्ति पर मंत्री न रहेगा।

(५) मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे समय समय पर उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा निर्धारित करे तथा, जब तक उस राज्य का विधान-मंडल इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक, ऐसे होंगे जैसे कि द्वितीय अनूसूची में उल्लिखित है।

टीका—चीफ मिनिस्टर को गवर्नर नियुक्त करेगा और अन्य मंत्रियों को गवनर चीफमिनिस्टर की राय से नियुक्त करेगा प्रत्येक मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले अपने पद की शपथ लेगा यदि कोई मंत्री छः लगातार महिनों तक प्रान्त की असेम्बली या कौंसिल का सदस्य न रहे तो उसका पद खाली समझा जायेगा और मंत्रियों को उतनेवेतन

और भत्ते मिलेंगे जोकि प्रान्त की असेम्बली व कौंसिल निश्चय करे

राज्य का महाधिवक्ता

१६५— राज्य का महाधिवक्ता

(१) उच्चन्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने क अर्हता रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा।

(२) महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को ऐसे विधि सम्बंधी विषयों पर मंत्रणा दे तथा ऐसे विधि रूप दूसरे कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसे समय समय पर भेजे या सौंपे तथा उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसे इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन दिये गये हों।

(३) महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा तथा राज पाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पायेगा।

टीका—प्रत्येक प्रांत का गवर्नर प्रान्त के लिए एक ऐसे व्यक्ति को जोकि हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता हो एडवोकेट जनरल नियुक्त करेगा एडवोकेट जनरल का कर्त्तव्य होगा कि प्रांतीय सरकार को कानून सम्बन्धी विषयों पर सलाह दें एडवोकेट जनरल उतने दिन रह सकेगा जब तक कि गवर्नर चाहे, और उसको उतना वेतन और भत्ते मिलेंगे जो कि गवर्नर नियुक्त करें।

सरकारी कार्य का संचालन

१६६—राज्य की सरकार के कार्य का संचालन

(१) किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जायगी।

(२) राज्यपाल के नाम से दिये और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों का प्रमाणीकरण उसी रीति से किया जायगा जो राज्यपाल द्वारा वनाये जाने वाले नियमों में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदेश या लिखित की मान्यता पर आपत्ति इस आधार पर न कि जायेगी की वह राज्यपाल द्वारा दिया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।

(३) राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किये जाने के लिये तथा जहाँ तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में इस संविधान के द्वारा या अधीन अपेक्षित है कि राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करे वहाँ तक उक्त कार्य के बटवारे के लिये राज्यपाल नियम वनायेगा।

टीका—प्रान्त के प्रबन्ध सम्बन्धी कुल कार्य गवर्नर करेगा और कुल आज्ञायें और दस्तावेज आदि गवर्नर के नाम से होंगी।

१६७—राज्यपाल को जानकारी देने आदि विषयक मुख्य मंत्री के कर्तव्य

प्रत्येक राज्य के मुख्य मन्त्री का—

(क) राज्य-कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मंत्री-परिषद् के समस्त विनिश्चय तथा विधान के लिये प्रस्थापनाये राज्यपाल को पहुंचाने का;

(ख) राज्य-कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिये प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी को राज्यपाल मंगावें, उस को देने का, तथा

(ग) किसी विषय को जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किन्तु मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल के अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचार के लिये रखने का कर्तव्य होगा।

टीका—इस आरटिकल में प्रांत के चीफमिनिस्टर के कर्तव्य दिये गये हैं।

अध्याय ३—राज्य का विधान-मण्डल

साधारण

१६८—राज्यों के विधान-मण्डलों का गठन

(१) प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मण्डल होगा जो राज्यपाल तथा—

(क) पंजाब पश्चिमी बङ्गाल, बिहार; मुम्बई, और मुक्त प्रदेश के राज्य में दो सदनों से;

ख) अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा—

(२) जहां किसी राज्य के विधान-मण्डल के दो सदन हों वहां एक विधान परिषद् और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा और जहां केवल एक सदन हो वहां वह विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा।

टीका—प्रत्येक प्रांत के लिये गवर्नर के अतिरिक्त कानून बनाने वाली सभाएं होंगी बिहार-बम्बई-मद्रास-पंजाब उत्तर प्रदेश (यू-पी) पश्चमी बङ्गाल के लिये दो सभाएं होंगी अर्थात् असेम्बली व कौंसिल और बाकी अन्य प्रान्तों यानि आसाम मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिये केवल असेम्बली होगी।

१६९—राज्यों में विधान-परिषद् का उत्साहन या सृजन

(१) अनुच्छेद १६८ में किसी बात के होते हुए भी संसद् विधि द्वारा किसी विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान-परिषद् के उत्साहन के लिये अथव वैसी परिषद् से रहित राज्य में वैसी परिषद् के सृजन के लिये उपबन्ध कर सकेगी यदि राज्य का विधान-सभा ने इस उद्देश्य का संकल्प सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के दो तहाई से अन्यून बहुमत से पारित कर दिया हो।

(२) खंड (१) में निर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिये ऐसे उपबन्ध भी अंतर्निहित होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिये (आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक; प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबंध भी हो सकेंगे जिन्हें संसद् आवश्यक समझे।

पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी।

टीका—पार्लियामेंट को अधिकार होगा कि किसी प्रान्त की असम्बली के प्रस्ताव करने पर उस प्रान्त की कौंसिल को तोड़दे या उस प्रान्त के लिए कौंसिल स्थापित करदे।

१७०—विधान-सभाओं की रचना

(१) अनुच्छेद ३३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधान-सभा प्रत्यक्ष-निर्वाचन द्वारा चुने हुये सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(२) किसी राज्य की विधान-सभा में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम पूर्वगत जनगणना में, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या के आधार पर होगा तथा आसाम के स्वायत्त जिलों को, तथा शिलांग के नगर-क्षेत्र या कटक से मिलकर बने निर्वाचन-क्षेत्र को, छोड़कर जनसंख्या के प्रत्येक पचहत्तर हजार के लिए ऐक से अधिक प्रतिनिधि के अनुपात से होगा।

परन्तु किसी राज्य की विधान-सभा में सदस्यों की समस्त संख्या किसी अवस्था में पांच सौ से अधिक अथवा साठ से कम न होगी।

(३) राज्य में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये जाने वाले सदस्यों की संख्या का उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम पूर्वगत जनगणना में, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या से अनुपात सारे राज्य में सर्वत्र यथासाध्य एक ही होगा

टीका—असेम्बली के सदस्य जन संख्या के आधार पर इस तरह चुने जायेंगे कि प्रत्येक ७५ हजार की जन संख्या के लिये अधिक से अधिक एक सदस्य चुना जायेगा किसी असेम्बली के सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक व ६० से कम न होगी।

मुद्रक—पृष्ठ ६९-९२ हरिहर प्रेस, देहली।

(४) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के लिए पुनः समायोजन किया जायगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे:

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से विधान-सभा में के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव न पड़ेगा, जब तक कि उस समय वर्तमान विधान-सभा का विघटन न हो जायें।

टीका—प्रत्येक प्रान्त की असेम्बली के सदस्य उस संख्या के आधार पर इस प्रकार चुने हुये होंगे कि प्रत्येक ७५००० जन संख्या के लिये एक से अधिक सदस्य न होगा।

१७१—विधान-परिषदों की रचना

(१) विधान-परिषद् वाले राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की समस्त संख्या की एक चौथाई से अधिक न होगी।

परन्तु किसी अवस्था में भी किसी राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या चालीस से कम न होगी।

(२) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं करे तब तक किसी राज्य की विधान-परिषद् की रचना खण्ड (३) में उपबन्धित रीति से होगी।

(३) किसी राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या का—

(क) यथाशक्य तृतीयांश उस राज्य में की नगरपालिकाओं, जिला-मंडलियों तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के, जैसे कि संसद् विधि द्वारा उल्लिखित करे, सदस्यों से मिल कर बने निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा;

(ख) यथाशक्य द्वादशांश उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बने हुए निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी विश्व-विद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक हैं अथवा, जो कम से कम तीन वर्ष से ऐसी अर्हताओं को धारण किए हुए हैं जो संसद्-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन वैसे किसी विश्व-विद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के तुल्य विहित की गई हो;

(ग) यथाशक्य द्वादशांश ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ाने के काम में कम से कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं जैसी कि संसद् निर्मित विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें।

(घ) यथाशक्य तृतीयांश राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो सभा के सदस्य नहीं हैं;

(ङ) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा उस रीति से नाम-निर्देशित होंगे जो कि इस अनुच्छेद के खंड (५) में उपबन्धित हैं।

(४) खंड (३) के उपखण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में चुने जायेंगे, जैसे कि संसद्-निर्मित किसी विधि के अधीन या द्वारा विहित किए जायें तथा उक्त उपखण्डों के, और उपखण्ड (घ) के, अधीन होने वाले निर्वाचन अनुपाती-प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे।

(५) खण्ड (३) के उपखण्ड (ङ) के अधीन राज्यपाल द्वारा नाम-निर्देशित किए जा जाने वाले सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, अर्थात्—

साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और सामाजिक सेवा।

टीका—प्रान्त के कौंसिल के सदस्यों की संख्या उसकी असेम्बली के सदस्यों की संख्या से १।१० से कम न होगी लेकिन किसी दशा में ४० से कम न होगी।

१७२—राज्यों के विधान-मण्डलों की अवधि

(१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यदि पहिले ही विघटित न कर दी जाए तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियुक्त तारीख से पाँच वर्ष तक चालू रहेगी और इस से अधिक नहीं तथा पाँच वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति का परिणाम विधान-सभा का विघटन होगा।

परन्तु उक्त कालावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, संसद् विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् छः मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी।

(२) राज्य की विधान-परिषद् का विघटन न होगा, किन्तु उसके सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई संसद् निर्मित विधि द्वारा बनाए गए तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथा सम्भव शीघ्र निवृत्त हो जायेंगे।

टीका—प्रान्त की असेम्बली का अवधी काल पांच वर्ष होगा।

१७३—राज्य के विधान-मण्डल की सदस्यता के लिए अर्हता

१७३—कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मण्डल में के किसी स्थान की पूर्ति के लिए चुने जाने के लिए अर्ह न होगा जब तक कि—

(क) वह भारत का नागरिक न हो ;
(ख) विधान-सभा के स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का, तथा विधान-परिषद् के स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का, न हो; तथा
(ग) ऐसी अन्य अर्हतायें न रखता हो जो कि इस बारे में निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें।

टीका - ऐसा व्यक्ति असेम्बली व कौंसिल का सदस्य न हो सकेगा जो भारत का नागरिक न हो और जिसकी आयु असेम्बली के सदस्य की दशा में २५ वर्ष और कौंसिल के सदस्य की दशा में ३० वर्ष से कम न होगी।

१७४—राज्य के विधान-मण्डल के सत्र, सत्रावसान और विघटन

(१) राज्य के विधान-मण्डल के सदन या सदनों को प्रति वर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिए आहूत किया जाएगा तथा उनके एक सत्र की अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियुक्त तारीख के बीच छः मास का अन्तर न होगा।

(२) खण्ड (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यपाल, समय समय पर—
(क) सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवशन के लिए आहूत कर सकेगा ;
(ख) सदन या सदनों का सत्रावसान कर सकेगा;
(ग) विधान-सभा का विघटन कर सकेगा।

टीका—प्रान्त की असेम्बली व कौंसिल की बैठक साल भर में कम से कम दो दफा होगी।

१७५—सदन या सदनों को सम्बोधन करने और सन्देश भेजने का राज्यपाल का अधिकार

(१) विधान सभा को, अथवा राज्य के विधान-परिषद् होने की अवस्था में उस राज्य के विधान-मण्डल के किसी एक सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

(२) राज्यपाल राज्य के विधान-मंडल में उस समय लम्बित किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश उस राज्य के विधान-मण्डल के सदन अथवा सदनों को भेज सकेगा तथा जिस सदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस सन्देश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर यथासुविधा शीघ्रता से विचार करेगा।

१७६—प्रत्येक सत्तारम्भ में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण

(१) प्रत्येक सत्त् के आरम्भ में विधान-सभा को अथवा राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में साथ समवेत हुए दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधन करेगा तथा आह्वान का कारण विधान-मंडल को बताएगा।

(२) सदन या किसी भी सदन की प्रक्रिया के विनियामक नियमों से ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के हेतु समय रखने के लिये तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को पूर्ववर्तिता देने के लिए उपबन्ध किया जायेगा।

टीका—प्रत्येक सैशन के आरम्भ में गवर्नर असम्बली व कौंसिल की संयुक्त बैठक बुला कर भाषण देगा।

१७७—सदनों विषयक, मन्त्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

राज्य के प्रत्येक मन्त्री और महाधिवक्ता को अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधान-सभा में, अथवा राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में दोनों सदनों में, बोले तथा दूसरे प्रकार से उनकी कार्यवाहियों में भाग ले तथा विधान-मंडल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको मत देने का हक न होगा।

राज्य के विधान-मंडल के पदाधिकारी

१७८—विधान-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

राज्य की प्रत्येक विधान-सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

टीका—प्रत्येक असम्बली अपने लिये एक अध्यक्ष (स्पीकर) और एक उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) चुनेगी।

१७९—अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदरिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना

विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य-

(क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा,

(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य अध्यक्ष है, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा, तथा

(ग) विधान-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प अपने पद से हटाया जा सकेगा :

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के हेतु कोई संकल्प तब तक प्रस्ताविक न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो।

परन्तु यह और भी कि जब कभी विधान-सभा का विघटन किया जाये तो विघटन के पश्चात् होने वाले विधान-सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहिले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त न करेगा।

१८०—अध्यक्ष-पद के कर्तव्य-पालन की अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति

(१) जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब उपाध्यक्ष अथवा, यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, विधान-सभा का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(२) विधान-सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो तो, अन्य व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

१८१—जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा

(१) विधान-सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी पीठासीन न होगा, तथा अनुच्छेद १८० के खण्ड (२) के उपबन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिसमे कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिससे कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है।

(२) जब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विधान-सभा में विचाराधीन हो तब उसको सभा में बोलने तथा दूसरे प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा, अनुच्छेद १८९ में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हक्क होगा किन्तु मत साम्य होने की दशा में न होगा।

टीका—स्पीकर व डिप्टी स्पीकर असम्बली का सभापति का काम नहीं करेगा जिसमें उसको हटाने का प्रस्ताव विचार किया जाय।

१८२—विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति

प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद्, जहां ऐसी परिषद् हो, यथा सम्भव शीघ्र, अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी तथा जब जब

सभापति या उपसभापति का पद रिक्त हो तब तब परिषद् किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति सभापति या उपसभापति, चुनेगी।

टीका—प्रान्त की प्रत्येक कौंसिल अपने में से एक चेयरमेन (सभापति) डिप्टी चेयरमैन (उप सभापति) चुनेगी।

१८३—सभापति और उपसभापति की पद रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना

विधान-परिषद् के सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य—

(क) यदि परिषद् का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा।

(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो उपसभापति को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य सभापति है तथा सभापति को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपसभापति है, अपना पद त्याग सकेगा; तथा

(ग) परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित परिषद् के संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा।

परन्तु खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो।

१८४—उपसभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति-पद के कर्तव्यों के पालन करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति

(१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो तब उपसभापति अथवा, यदि उपसभापति का भी पद रिक्त हो तो, विधान-परिषद् का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(२) विधान-परिषद् की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो परिषद् की प्रक्रिया के, नियमों से निर्धारित किया जाये, अथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिषद् निर्धारित करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा।

१८५—जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा

(१) विधान-परिषद् की किसी बैठक में, जब सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति, अथवा जब उपसभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद १८४ के खंड (२) के उपबन्ध उसी रूप में प्रत्येक

ऐसी बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिसमें कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिससे कि यथास्थित सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है।

(२) जब कि सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विधान-परिषद् में विचाराधीन हो तब उसको परिषद् में बोलने तथा दूसरे प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा, अनुच्छेद १८९ में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हक्क होगा किन्तु मत साम्य की दशा में न होगा।

टीका—कौंसिल का सभापति व उप सभापति कौंसिल की ऐसी बैठक के भापति व उपसभापति का काम नहीं करेगा जिसमें उसको हटानेका प्रस्ताव विचाराधीन हो।

१८६—अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन व भत्ते

विधान-सभा के उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति को, ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे क्रमशः राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा नियत करे, तथा जब तक उसके लिये उपबन्ध इस प्रकार न बने तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, दिए जायेंगे।

टीका—कौंसिल के चैयरमैन व डिप्टी चैयरमैन व असम्बली के स्पीकर व डिप्टी स्पीकर को उतनी तनख्वाह व भत्ते मिलेंगे जितनी कि इस विधान की सूची २ में दिये गये हैं।

१८७—राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय

(१) राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन का पृथक साचिविक कर्मचारी-वृन्द होगा।

परन्तु विधान-परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के बारे में इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि वह ऐसे विधान-मंडल के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पदों के सृजन को रोकती है।

(२) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के साचिविक कर्मचारी-वृन्द में भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगा।

(३) खंड (२) के अधीन जब तक राज्य का विधान-मंडल उपबन्ध नहीं करता तब तक राज्यपाल यथास्थिति विधान-सभा के अध्यक्ष से, या विधान-परिषद् के सभापति से, परामर्श करके सभा या परिषद् के साचिविक कर्मचारी वृन्द में भर्ती के, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के, विनियमन के लिये नियमों को बना सकेगा तथा इस प्रकार बने कोई नियम उक्त खंड के अधीन बनी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे।

टीका—कौंसिल और असम्बली के अलग अलग दफ्तर होंगे।

कार्य-संचालन

१८८—सदस्यों द्वारा शपथ या प्रति-ज्ञान

राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् का प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल के अथवा उसके द्वारा उस लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा।

टीका—कौंसिल और असम्बली के सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले अपने पद की शपथ लेंगे।

१८९—सदनों में मत-दान, रिक्तताओं के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति

(१) इस संविधान में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की किसी बैठक में सब प्रश्नों का निर्धारण, अध्यक्ष या सभापति या उसके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़ कर, उपस्थित तथा मत देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

अध्यक्ष अथवा सभापति या उस के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत न देगा, पर मत साम्य की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

(२) सदस्यता में कोई रिक्तता होने पर भी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, तथा यदि बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा करने का हक्क न था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उस ने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी राज्य के विधान-मंडल में की कार्यवाही मान्य होगी।

(३) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे तब तक राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति दस सदस्य अथवा सदन के समस्त सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश, इस में से जो भी अधिक हो, होगी।

(४) यदि राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न रहे तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये।

टीका—कौंसिल व असम्बली में हर एक प्रश्न बहुमत से निर्णय किया जायेगा।

सदस्यों की अनर्हताएं

१९०—स्थानों की रिक्तता

(१) कोई व्यक्ति राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों का सदस्य न होगा तथा जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उस के एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिये उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उपबन्ध बनायेगा।

(२) कोई व्यक्ति प्रथम अनुसूचि में उल्लिखित दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक ऐसे राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित हो, ऐसे सब राज्यों के विधान-मंडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जायेगा यदि उस ने एक राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों में के विधान-मंडलों के अपने स्थान को पहले ही त्याग न दिया हो।

(३) यदि राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य—

(क) अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं में से किसी का भागी हो जाता है; अथवा

(ख) यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है।

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा।

(४) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उस के सब अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे तो सदन उस के स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा।

परन्तु साठ दिन की उक्त कालावधि की संगणना में किसी ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिसमें सदन सत्रावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहा है।

टीका—कोई व्यक्ति प्रान्त की असेम्बली व कौंसिल दोनों का सदस्य नहीं हो सकेगा और न कोई व्यक्ति दो प्रान्तों की असेम्बली व कौंसिल का सदस्य हो सकेगा।

१९१—सदस्यता के लिये अनर्हतायें

(१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये तथा सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा—

(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूचि में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना उस राज्य के विधान-मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुये हैं।

(ख) यदि वह विकृतचित्त है तथा सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;

(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर चुका है, अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किये हुये हैं;

(ङ) यदि वह संसद् निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया है।

(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूचि में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।

टीका—कोई व्यक्ति जो कि भारत यूनियन या किसी प्रान्त की सरकार का नौकर हो या पागल हो या बिना बरी किया हुआ दिवालिया हो या किसी अन्य नियम के अधीन अयोग्य हो कौंसल व असेम्बली का सदस्य नहीं हो सकेगा।

१९२—सदस्यों की अनर्हताओं विषयक प्रश्नों पर विनिश्चय

(१) यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के विधान-मंडल का सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(२) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राज्यपाल निर्वाचन-आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

टीका—यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्धमें यह प्रश्न उठे कि आया वह असेम्बली या कौंसिल का सदस्य रहने के अयोग्य हो गया है या नहीं गवर्नर इस प्रश्न को निर्णय करेगा।

१९३—अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञा न करने से पूर्व अथवा अर्हन होते हुए अथवा अनर्ह किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए दण्ड

यदि राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद् में कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में, अनुच्छेद १८८ की अपेक्षाओं की पूर्ति करने से पूर्व, अथवा यह

जानते हुए कि मैं उस की सदस्यता के लिए अर्ह नहीं हूँ अथवा अनर्ह कर दिया गया हूँ अथवा संसद् द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों से ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूँ, बैठता या मतदान करता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिये जब कि वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है, पाँच रुपये के दंड का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल होगा।

टीका—यदि असम्बली या कौंसिल का कोई सदस्य अपने पद की शपथ न ले या अयोग्य होते हुये भी असम्बली या कौंसिल की बैठक में भाग ले तो ऐसे प्रति दिन के लिये ५००) रुपये जुर्माना किया जावेगा।

राज्य के विधान-मण्डलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

१९४—विधान-मण्डलों के सदनों की तथा उन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि

(१) इस संविधान के उपबन्धों के तथा विधान-मंडल की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थाई आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल में वाक् स्वातन्त्र्य होगा।

(२) राज्य के विधान-मंडल में या उस की किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिए हुए किसी मत के विषय में विधान-मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी।

(३) अन्य बातों में राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन की, ऐसे विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की, शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी, जैसी वह विधान-मंडल, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जाती तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंगलिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस आफ कॉमन्स की तथा उस के सदस्यों और समितियों की हैं।

(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन अथवा उस की किसी समिति में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का, अधिकार है उनके सम्बन्ध में खण्ड (१), (२) और (३) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू हैं।

१९५—सदस्यों के वेतन और भत्ते

राज्य की विधान-सभा और विधान-परिषद् के सदस्यों को ऐसे वेतनों और भत्तों के, जिन्हें उस राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, समय समय पर निर्धारित करे, तथा जब तक तद्विषयक उपबन्ध इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक ऐसे वेतन, और भत्तों के, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जैसी कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले उस राज्य की प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों के विषय में लागू थीं, पाने का हक्क होगा।

टीका—प्रान्त की असेम्बली व कौंसिल के सदस्य को उतनी तनख्वाह व भत्ते मिलेंगे जितनी कि इस विधान की सूची नम्बर २ में दिये हुये हैं।

विधान प्रक्रिया

१९६—विधेयकों के पुरःस्थापन और पारण विषयक उपबन्ध

(१) धन-विधेयकों तथा अन्य वित्त-विधेयकों के विषय में अनुच्छेद १९८ और २०७ के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक, विधान-परिषद् वाले, राज्य के विधान-मण्डल के किसी सदन में आरम्भ हो सकेगा।

(२) अनुच्छेद १९७ और १९८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधान-परिषद् वाले, राज्य के विधान-मंडल के सदनों द्वारा तब तक पारित न समझा जायेगा जब तक कि या तो विना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों के सहित, जो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिये गए हैं, दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो।

(३) किसी राज्य के विधान-मंडल में लम्बित-विधेयक, उसके सदन या सदनों के सत्तावसान के कारण व्यपगत न होगा।

(४) किसी राज्य की विधान-परिषद् में लम्बित-विधेयक, जिसको विधान सभा ने पारित नहीं किया है, विधान-सभा के विघटन पर व्यपगत न होगा।

(५) कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधान-सभा लम्बित है अथवा, जो विधान-सभा से पारित हो कर विधान-परिषद् में लम्बित है, विधान-सभा के विघटन पर व्यपगत हो जायेगा।

टीका—सिवाय ऐसे बिलके जो धन या माल सम्बन्धी हो कोई बिल प्रान्त की असेम्बली व कौंसिल में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

१९७—धन-विधेयकों से अन्य विधेयकों के बारे में विधान-परिषद् की शक्तियों का निर्बन्धन

(१) यदि विधान-परिषद वाले राज्य की विधान-सभा द्वारा किसी विधेयक के पारित हो जाने तथा विधान-परिषद् को पहुँचाये जाने के पश्चात्—

(क) परिषद् द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, अथवा

(ख) परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उससे विधेयक पारित हुए बिना तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाता है; अथवा

(ग) परिषद् द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित होता है जिनसे सभा सहमत नहीं होती,

तो विधान-सभा विधेयक को, अपनी प्रक्रिया के विनियमन करने वाले नियमों के अधीन रह कर, उसी या किसी आगे आने वाले सत्र में ऐसे किन्हीं संशोधनों सहित या बिना यदि कोई हों, जो विधान-परिषद् ने किये हैं, सुझाये हैं या स्वीकार किये हैं, पुनःपारित कर सकेगी तथा तब इस प्रकार पारित विधेयक को विधान-परिषद् को पहुँचा सकेगी।

(२) यह विधान-सभा द्वारा विधेयक के इस प्रकार दोबारा पारित हो जाने तथा विधान-परिषद् को पहुँचाये जाने के पश्चात्—

(क) परिषद् द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, अथवा

(ख) परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से, उससे विधेयक पारित हुए बिना एक मास से अधिक समय व्यतीत हो जाता है, अथवा

(ग) परिषद् द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित होता है जिन्हें सभा स्वीकार नहीं करती।

तो विधेयक राज्य के विधान मंडल के सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिसमें कि वह विधान-सभा द्वारा ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जो कि विधान-परिषद् द्वारा किए या सुझाये गये हों तथा विधान-सभा ने स्वीकार कर लिये हों, दूसरी बार पारित किया गया था।

(३) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी धन-विधेयक को लागू नहीं होगी।

टीका—यदि असेम्बली किसी बिल को स्वीकृत करके कौंसिल के पास भेजे और कौंसिल उसमें कुछ संशोधन करके असेम्बली के पास भेज दे और असेम्बली उन संशोधनों को स्वीकार न करे तो असेम्बली उस बिल को दोबारा पास करके कौंसिल में भेज देगी चाहे कौंसिल उसको स्वीकृत करे या न करे वह बिल असेम्बली व कौंसिल दोनों से स्वीकृत समझा जायेगा।

१९८—धन विधेयकों विषयक विशेष प्रक्रिया

(१) विधान-परिषद् में धन-विधेयक पुरःस्थापित न किया जायेगा।

(२) विधान-परिषद् वाले राज्य की विधान-सभा से पारित हो जाने के पश्चात्, धन-विधेयक विधान-परिषद् को, उस की सिफारिशों के लिये, पहुँचाया

जायेगा तथा विधान-परिषद् विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की कालावधि के भीतर विधेयक को अपनी सिपारिशों सहित विधान-सभा को लौटा देगी तथा ऐसा होने पर विधान-सभा, विधान-परिषद् की सिपारिशों में से सब को, या किसी को, स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।

(३) यदि विधान-परिषद् की सिपारिशों में से किसी को विधान-सभा स्वीकार कर लेती है तो धन-विधेयक विधान-परिषद् द्वारा सिपारिश किये गये तथा विधान-सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा।

(४) यदि विधान परिषद् की सिपारिशों में से किसी को भी विधान-सभा स्वीकार नहीं करती है तो धन-विधेयक, विधान-परिषद द्वारा सिपारिश किये गये किसी संशोधन के बिना, उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा जिस में कि वह विधान-सभा द्वारा पारित किया गया था।

(५) यदि विधान-सभा द्वारा पारित तथा विधान-परिषद् को उसकी सिपारिशों के लिये पहूंचाया गया धन-विधेयक उक्त चौदह दिन की कालाविधि के भीतर विधान-सभा को लौटाया नहीं जाता तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में विधान-सभा ने उस को पारित किया था।

टीका—धन सम्बन्धी बिल कौंसिल में प्रस्तुत नहीं किया जावेगा केवल असेम्बली में प्रस्तुत किया जायेगा, असेम्बली उसको पास करके कौंसिल के पास भेज देगी जो कि १४ दिन के भीतर असेम्बली को वापिस कर देगी।

१९९—धन-विधेयकों की परिभाषा

(१) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक धन-विधेयक समझा जायेगा यदि उस में निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध ही अन्तर्विष्ट हैं, अर्थात्—

(क) किसी कर का आरोपण उत्सादन, परिहार, बदलना या विनियम;

(ख) राज्य द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का, अथवा राज्य द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का, विनियमन;

(ग) राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उसमें से धन निकालना;

(घ) राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग;

(ङ) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना;

(घ) राज्य की संचित निधि के या राज्य के लोक-लेखे मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी करना; अथवा

(ङ) उपखंड (क) से (च) तक में उल्लिखित विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय।

(२) कोई विधेयक केवल इस कारण से धन-विधेयक न समझा जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दंडों के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीसों की, या की हुई सेवाओं के लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध करता है अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलते या विनियमन का उपबन्ध करता है।

(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान-परिषद् वाले किसी राज्य के विधान-मंडल में पुरःस्थापित कोई विधेयक धन-विधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(४) अनुच्छेद १९८ के अधीन जब धन-विधेयक विधान-परिषद् को भेजा जाता है तथा जब वह अनुच्छेद २०० के अधीन अनुमति के लिए राज्य के राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया जाता है तब प्रत्येक धन-विधेयक पर विधान-सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अङ्कित रहेगा कि वह धन-विधेयक है।

२००—विधेयकों पर अनुमति

जब राज्य की विधान-सभा द्वारा, अथवा विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो तब वह राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया जाएगा तथा राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर लेता है :

परन्तु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक रखे जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, सदन या सदनों को ऐसे सन्देश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर अथवा उसके किन्हीं उल्लिखित उपबन्धों पर पुनर्विचार करें तथा विशेषतः किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिन की उस ने अपने संदेश में सिफारिश की हो तथा जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया गया हो तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे तथा यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा

संशोधन सहित या रहित पुनः पारित हो जाता है तथा राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिये रखा जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति न रोकेगा:

परन्तु यह और भी कि जिस विधेयक से, यदि वह विधि हो गया तो राज्यपाल की राय में उच्चन्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान, जिस की पूर्ति के लिये वह न्यायालय इस संविधान द्वारा बनाया गया है, संकटापन्न हो जायेगा, उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति न देगा किन्तु उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित करेगा।

टीका—जब कोई बिल प्रान्त की असेम्बली व कौंसिल दोनों से पास हो जाय या यदि प्रान्त में केवल असेम्बली हो तो असेम्बली से पास हो जाय तो बिल गवर्नर के पास भेजा जावेगा गवर्नर उसको स्वीकृत कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये राष्ट्रपति के पास भेज सकता है।

२०१—विचारार्थ रक्षित विधेयक

राज्यपाल द्वारा जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर लिया जाये तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो सम्मति देता है या सम्मति रोक लेता है।

परन्तु, जहां विधेयक धन-विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को यह आदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथा-स्थिति राज्य के विधान-मंडल के सदन को या सदनों को ऐसे संदेश सहित, जैसा कि अनुच्छेद २०० के पहिले परन्तुक में वर्णित है, लौटा दे, तथा जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाये तब ऐसे संदेश के मिलने का तारीख से छः महीने की कालावधि के अन्दर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार फिर से विचार किया जायेगा तथा, यदि वह संशोधन के सहित या बिना सदन या सदनों द्वारा फिर से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष उस के विचार के लिये पुनः उपस्थित किया जायेगा।

टीका—जब गवर्नर किसी बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजे तो राष्ट्रपति उसको स्वीकृत कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है।

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया

२०२—वार्षिक-वित्त विवरण,

(१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में, राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष, राज्यपाल उस राज्य की उस वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में "वार्षिक-वित्त-विवरण" के नाम से निर्दिष्ट किया गया है।

(२) वार्षिक-वित्त-विवरण में व्यय के प्राक्कलन में दिये हुए—

(क) जो व्यय इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित है उस की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां; तथा

(ख) राज्य की संचित निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्थापित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां, पृथक् पृथक् दिखाई जायेंगी, तथा राज्यस्व-लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायगा।

(३) निम्नवर्ती व्यय प्रत्येक राज्य कीसंचित निधि पर भारित व्यय होगा—

(क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उस के पद से सम्बद्ध अन्य व्यय;

(ख) विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, तथा किसी राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में विधान-परिषद् के सभापति और उपसभा-पति के भी, वेतन और भत्ते ;

(ग) ऐसे ऋण-भार जिन का दायित्व राज्य पर है जिन के अन्तर्गत ब्याज, निक्षेप- निधि-भार, और मोचन भार, उधार लेने और ऋण-सेवा और ऋणमोचन सम्बन्धी अन्य व्यय, भी हैं ;

(घ) किसी उच्चन्यायालय के न्यायधीशों के वेतनों और भत्तों विषयक व्यय ;

(ङ) किसी न्यायालय या मध्यस्थ-न्यायाधिकरण के निर्णय, आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित कोई राशियां ;

(च) इस संविधान से या राज्य के विधान-मंडल से विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय।

टीका—प्रत्येक आर्थिक वर्ष के लिये गवर्नर असेम्बली व कौंसिल में आय व खर्च का एक बजट पेश करायेगा।

२०३–विधान-मण्डल में प्राक्कलनों के विषय में प्रक्रिया

(१) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बद्ध प्राक्कलनें विधान सभा में मतदान के लिये न रखी जायेंगी, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह विधान मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी पर चर्चा को रोकती है।

(२) उक्त प्राक्कलनों में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं वे विधान मंडल के समक्ष अनुदान मांग के रूप में रखी जायेंगी तथा विधान सभा को शक्ति होगी कि किसी मांग को स्वीकार या अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उसमें उल्लिखित राशि को कम करके, स्वीकार करे।

(३) राज्यपाल की सिपारिश के विना किसी भी अनुदान की मांग न की जायेगी।

२०४–विनियोग-विधेयक

(१) विधान सभा द्वारा अनुच्छेद २०३ के अधीन अनुदान किये जाने के बाद यथा सम्भव शीघ्र राज्य की संचित निधि में से-

(क) सभा द्वारा इस प्रकार किये अनुदानों की; तथा

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित किन्तु सदन या सदनों के समक्ष पहिले रखे गये विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक व्यय की, पूर्ति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिये विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा।

(२) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक पर राज्य के विधान मण्डल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायेगा तथा कोई संशोधन इस खण्ड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(३) अनुच्छेद २०५ और २०६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य की संचित निधि में से; इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायेगा।

२०५--अनुपूरक, अपर या अतिरिक्त अनुदान

(१) यदि—

(क) अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक-वित्त-विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राकलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा यथास्थिति राज्य की विधान-सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित करायेगा।

(२) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध में, तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग से सम्बन्धित अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में भी, अनुच्छेद २०२, २०३ और २०४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे वार्षिक वित्त विवरण तथा उसमें वर्णित व्यय अथवा अनुदान की किसी मांग तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे किसी व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं।

टीका—यदि किसी मद में स्वीकृत किया हुआ रुपया उस मद के लिये काफी न हो या किसी नये कार्य के लिये अधिक रुपये की आवश्यकता हो तो गवर्नर उसके लिये एक दूसरा बजट पेश करायेगा।

२०६—लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान

(१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की विधान सभा को—

(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राकलित व्यय के बारे में किसी अनुदान को, उस अनुदान के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद २०३ में विहित प्रक्रिया की पूर्ति लम्बित रहने तक तथा उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार विधि के पारण के लम्बित रहने तक, पेशगी देने की;

(ख) जब कि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्योरे के साथ वर्णित नही की जा सकती जैसा कि वार्षिक वित्त विवरण में साधारणतया दिया जाता है, तब राज्य के सम्पत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिये अनुदान करने की;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग न हो ऐसा आपवादिक अनुदान करने की. शक्ति होगी, तथा उक्त अनुदान जिन् प्रयजनों के लिये किये गये हैं उनके लिये राज्य की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति राज्य के विधान मंडल को होगी।

(२) खंड (१) के अधीन किये जाने वाले किसी अनुदान तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में अनुच्छेद २०३ और २०४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक वित्त-विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा राज्य की संचित निधि में ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं।

२०७—वित्त-विधेयकों के लिये उपबन्ध

(१) अनुच्छेद १९९ के खंड (१) के (क) से (च) तक उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिपारिश के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध करने वाला विधेयक विधान परिषद् में पुरःस्थापित न किया जायेगा।

परन्तु किसी कर के घटाने अथवा उत्सादन के लिये उपबन्ध बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिये इस खंड के अधीन किसी सिपारिश की अपेक्षा न होगी।

(२) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला केवल इस कारण से न समझा जायेगा कि वह जुर्माने या अन्य अर्थ-दंड के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीस की, या की हुई सेवाओं के लिये फीस की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है।

(३) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राज्यपाल ने सिफारिश न की हो।

टीका—धन सम्बन्धी बिल केवल गवर्नर की सिफारिश से ही पेश किया जावेगा और और यह बिल प्रांत की कौंसिल में प्रस्तुत न किया जावेगा।

साधारणतया प्रक्रिया

२०८—प्रक्रिया के नियम

(१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया के तथा अपने कार्य-संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा।

(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले, तत्स्थानी राज्य के प्रान्तीय विधान-मंडल के सम्बन्ध में, जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे, ऐसे रूपभेदों और अनुकूलनों के साथ जिन्हें यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष अथवा विधान परिषद् का सभापति करे, उस राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे।

(३) विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान-सभा के अध्यक्ष तथा विधान-परिषद् के सभापति से परामर्श करने के पश्चात् राज्यपाल, उन में परस्पर संचार सम्बन्धी, प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

टीका—प्रांत की असेम्बली व कौंसिल अपनी कार्य विधि के लिये नियम बनायेगी।

२०९—राज्य के विधान-मण्डल में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन

वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के प्रयोजन से किसी राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा, किसी वित्तीय विषय से अथवा राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से सम्बन्धित राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य-संचालन का विनियमन कर सकेगा तथा यदि, और जहां तक, इस प्रकार बनाई हुई किसी विधि का कोई

उपबन्ध अनुच्छेद २०८ के खंड (१) के अधीन राज्य के विधान-मंडल के सदन या किसी सदन द्वारा बनाये गये नियम से, अथवा उस अनुच्छेद के खंड (२) के अधीन राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से, असंगत हैं तो, और वहां तक, ऐसा उपबन्ध अभिभावी होगा।

२१०—विधान-मण्डल में प्रयोग होने वाली भाषा

(१) भाग १७ में किसी बातके होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान-मंडलमें कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा।

परन्तु यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष या विधान-परिषद् का सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(२) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिये गये है।

टीका—प्रान्त की असेम्बली व कौंसिल का कार्य सरकारी भाषा या हिन्दी या अंग्रेजी में किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि लेजिस्लेटिव असेम्बली का स्पीकर और लेजिस्लेटिव कौंसिल का सभापति ऐसे सदस्य को जो राज्य-भाषा हिन्दी या अंग्रेजी में अपने विचार अच्छी तरह प्रकट न कर सके अपनी मातृ-भाषा में बोलने की आज्ञा दे सकता है।

२११—विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बन्धन

उच्चतमन्यायालय या किसी उच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में राज्य के विधान-मंडल में कोई चर्चा न होगी।

टीका—किसी सुपरीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के अपने कर्तव्य के पालन करने के लिये कार्य के सम्बन्ध में प्रांतीय असेम्बली या कौंसिल में कोई वाद विवाद न किया जा सकेगा।

२१२—न्यायालय विधान-मण्डल की कार्यवाहियों की जांच न करेंगे

(१) प्रक्रिया में, किसी कथित अनियमितता के आधार पर राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न की जायेगी।

(२) राज्य के विधान-मंडल का कोई पदाधिकारी या सदस्य, जिस में इस संविधान के द्वारा या अधीन उस विधान-मंडल में प्रक्रिया को या कार्य-संचालन को विनियमन करने की अथवा व्यवस्था रखने की शक्तियां निहित हैं उन शक्तियों

के अपने द्वारा किये गये प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होगा।

टीका—प्रांत की असेम्बली व कौंसिल की कार्रवाही के सम्बन्ध में इस बिना पर कि उसकी कार्रवाही में कोई नियमानुसार बात नहीं हुई है किसी अदालत में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा और प्रांत की असेम्बली व कौंसिल के किसी अफसर या सदस्य के विरुद्ध ऐसे कार्य की बाबत जो उसने अपने पद के सम्बन्ध में किया हो किसी अदालत में कोई कार्रवाही नहीं की जा सकेगी।

अध्याय ४—राज्यपाल की विधायिनी शक्तियां

२१३—विधान मण्डल के विश्रान्तिकाल में राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापन-शक्ति

(१) उस समय को छोड़ कर जब कि राज्य की विधान-सभा, तथा विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदन, सत्र में हैं यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों :

परन्तु राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना राज्यपाल कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित न करेगा यदि—

(क) वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखने वाले विधेयक को विधान मंडल में पुरःस्थापित किये जाने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा होती; अथवा

(ख) वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित करना वह आवश्यक समझता; अथवा

(ग) वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखने वाले राज्य के विधान-मंडल का अधिनियम इस संविधान के अधीन तब तक अमान्य होता जब तक कि राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न हो चुकी होती।

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

(क) राज्य की विधान-सभा के समक्ष, तथा जहां राज्य में विधान-परिषद् है वहां दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा तथा विधान-मंडल के पुनः समवेत होने से छ सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा यदि उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व उस के निरनुमोदन का संकल्प विधान-सभा से पारित, और यदि विधान-परिषद् है तो उस से स्वीकृत, हो जाता है तो यथास्थिति संकल्प पारण होने पर, अथवा परिषद् द्वारा संकल्प स्वीकृत होने पर, प्रवर्तन में न रहेगा; तथा

(ख) राज्यपाल द्वारा किसी समय भी लौटा लिया जा सकेगा।

व्याख्या—जब विधान परिषद् वाले राज्य के विधान मण्डल के सदन भिन्न भिन्न तारीखों में पुनः समवेत होने के लिये आहूत किये जाते हैं तो इस खंड के प्रयोजनों के लिये छः सप्ताह की कालावधि की गणना उन तारीखोंमें से पिछली तारीख से की जायेगी।

(३) यदि, और जिस मात्रा तक, इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबन्ध करता है जो विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित तथा राज्यपाल द्वारा अनुमत अधिनियम के रूप में अमान्य होता तो वह अध्यादेश उस मात्रा तक शून्य होगा।

परन्तु राज्य के विधान-मंडल के ऐसे अधिनियम के, जो समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के बारे में संसद् के किसी अधिनियम अथवा किसी वर्तमान विधि के विरुद्ध है, प्रभाव को दिखाने वाले इस संविधान के उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये कोई अध्यादेश, जो राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित किया गया है, राज्य के विधान मंडल का ऐसा अधिनियम समझा जायेगा जो राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किया गया था तथा उसके द्वारा अनुमत हो चुका है।

टीका—यदि उस समय जब कि प्रांत की असेम्बली या कौंसिल या दोनों जैसी कि दशा हो की बैठक न हो रही हो और गवर्नर किसी कानून का बनाना आवश्यक समझे तो गवर्नर उसके सम्बन्ध में आर्डिनेन्स जारी कर सकता है और इस आर्टिकिल के अधीन जारी किया हुआ आर्डिनेन्स इसी तरह मान्य होगा मानों कि वह कानून प्रान्त की असेम्बली व कौंसिल से पास हो चुका है परन्तु इस आर्डिनेन्स को असेम्बली की बैठक शुरू होने पर असेम्बली में पेश किया जाना आवश्यक होगा और यह आर्डिनेन्स असेम्बली की बैठक आरम्भ होने की तारीख से छः सप्ताह के बाद रद्द समझा जायेगा। यदि किसी प्रांत के लिये असेम्बली व कौंसिल दोनों हों तो उक्त छः सप्ताह की मियाद उस तारीख से आरम्भ होगी जो कि असेम्बली और कौंसिल की तारीखों में से जो भी बाद की हो।

अध्याय ५—राज्यों के उच्चन्यायालय

२१४—राज्यों के लिये उच्चन्यायालय

(१) प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्चन्यायालय होगा।

(२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रांत के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्चन्यायालय को इस संविधान के प्रयोजन के लिये, तत्स्थानी राज्य के लिये होने वाला उच्चन्यायालय समझा जायेगा।

(३) इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्चन्यायालय पर इस अध्याय के उपबन्ध लागू होंगे।

टीका—प्रत्येक प्रान्त के लिये [illegible] होगा।

२१५—उच्चन्यायालय अभिलेख-न्यायालय होंगे

प्रत्येक उच्चन्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसे अपने अवमान के लिये दण्ड देने की शक्ति के सहित ऐसे न्यायालय की सब शक्तियां होंगी।

२१६—उच्चन्यायालयों का गठन

प्रत्येक उच्चन्यायालय मुख्य न्यायाधिपति तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे।

परन्तु इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीश उस अधिकतम संख्या से अधिक न होंगे जिसे राष्ट्रपति, समय समय पर, उस न्यायालय के सम्बन्ध में आदेश द्वारा नियत करे।

टीका—प्रत्येक हाईकोर्ट में एक चीफ जसटिस होगा और उतने अन्य जज होंगे जितने कि राष्ट्रपति नियत करे।

२१७—उच्चन्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा उसके पद की शर्तें

(१) भारत के मुख्य न्यायाधिपति से उस राज्य के राज्यपाल से तथा, मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में, उस राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तथा वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त न करले;

परन्तु—

(क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा;

(ख) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के हटाने के हेतु इस संविधान के अनुच्छेद १२४ के खंड (४) में उपबन्धित रीति से कोई न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा;

(ग) किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतमन्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने पर, अथवा राष्ट्रपति द्वारा उसे भारतराज्य

क्षेत्र में के अन्य उच्चन्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने पर, रिक्त कर दिया जायेगा।

(२) किसी उच्चन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, तथा—

(क) भारत राज्य-क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण न कर चुका हो; अथवा

(ख) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य में के उच्चन्यायालय का अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो।

व्याख्या—इस खंड के प्रयोजनों के लिये—

(क) किसी उच्चन्यायालय के अधिवक्ता रहने की कालावधि की संगणना के अन्तर्गत वह कोई कालावधि भी होगी जिसमें किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्यायिक पद धारण किया हो;

(ख) उस कालावधि की संगणना के अन्तर्गत, जिसमें कि कोई व्यक्ति भारत राज्य-क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुका है अथवा किसी उच्चन्यायालय का अधिवक्ता रह चुका है इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व की वह कोई कालावधि भी होगी जिसमें उसने किसी क्षेत्र में जो १५ अगस्त १९४७ से पूर्व, भारत-शासन-अधिनियम १९३५ में परिभाषित भारत में समाविष्ट था, यथास्थिति न्यायिक पद धारण किया हो अथवा ऐसे किसी क्षेत्र के किसी उच्चन्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो।

टीका—हाईकोर्ट के प्रत्येक जज को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, जज अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकेगा, और उसको आर्टिकिल १२४ (४) के अधीन हटाया भी जा सकेगा, और एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट को बदला भी जा सकेगा। कोई व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक न हो या कम से कम दस वर्ष तक किसी न्यायधीश का पद ग्रहण न किया हो या कम से कम दस वर्ष तक किसी हाईकोर्ट का एडवोकेट न रहा हो जज नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

२१८—उच्चतमन्यायालय सम्बन्धी कुछ उपबन्धों का उच्चन्यायालय को लागू होना.

अनुच्छेद १२४ के खंड (४) और (५) के उपबन्ध, जहां जहां उन में उच्चतमन्यायालय के निर्देश हैं वहां वहां उच्चन्यायालय के निर्देश रख कर, उच्च-न्यायालय के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उच्चतमन्यायालय के सम्बन्ध में लागू हैं।

२१९—उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

किसी राज्य के उच्चन्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद ग्रहण करने के पूर्व उस राज्य के राज्यपाल के, अथवा उस के

द्वारा उस लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के, समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उसपर हस्ताक्षर करेगा।

टीका—हाईकोर्ट के प्रत्येक जज को पद ग्रहण करने से पहले अपने पद की शपथ लेनी होगी।

२२०—न्यायाधीशों द्वारा न्यायालयों में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष विधि-वृत्ति करने का प्रतिषेध

कोई व्यक्ति, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश का पद इस संविधान के प्रारम्भ के बाद धारण कर चुका है, भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य न करेगा।

टीका—कोई व्यक्ति जो कि हाईकोर्ट का जज रहा हो किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकेगा।

२२१—न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि

(१) प्रत्येक उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जायेंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं।

(२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भत्तों का तथा अनुपस्थिति-छुट्टी के और निवृत्ति-वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों का, जैसे कि संसद्-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय समय पर निर्धारित किये जायें तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हों तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का, जैसे द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक होगा।

परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो भत्ते और न उस की अनुपस्थिति-छुट्टी या निवृत्ति-वेतन विषयक उस के अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात् उसको अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा।

टीका—हाईकोर्ट के जज को उतनी तनख्वाह व भत्ते मिलेंगे जो कि सूची २ में दिए गये हैं।

२२२—एक उच्चन्यायालय से दूसरे को किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण

(१) राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श कर के भारत राज्य-क्षेत्र में के एक उच्चन्यायालय से किसी दूसरे उच्चन्यायालय को किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण कर सकेगा।

(२) जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार स्थानान्तरित किया जाये तब उस कालावधि में, जिस में कि वह दूसरे न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है, उसको अपने वेतन के अतिरिक्त, ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते के, जैसा संसद्, विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न किया जाये तब तक ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते के, जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे, पाने का हक्क होगा।

टीका—राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि हाईकोर्ट के चीफजस्टीस की सलाह लेकर किसी जज की एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट को बदली करदे।

२२३—कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति

जब किसी उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का पद रिक्त हो अथवा जब मुख्य न्यायाधिपति, अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों के पालन करने में असमर्थ हो तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक, जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

२२४—सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की उच्चन्यायालयों की बैठकों उपस्थिति

इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति किसी समय भी, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से. किसी व्यक्ति से जो उस न्यायालय के या किसी अन्य उच्चन्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उस राज्य के न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, तथा इस प्रकार प्रार्थित प्रत्येक व्यक्ति को, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के काल में, ऐसे भत्तों का, जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे, तथा उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकारों, शक्तियों और विशेषाधिकारों का, हक होगा, किन्तु वह अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश न समझा जायेगा;

परन्तु जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने तथा कार्य करने की सम्मति न दे तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उस से ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली न समझी जायेगी।

२२५—वर्तमान उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकार

इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तथा इस संविधान द्वारा विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी वर्तमान उच्चन्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा उस में प्रशासित विधि, तथा उस न्यायालय में न्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में उसके न्यायाधीशों की अपनी अपनी शक्तियां, जिनके अन्तर्गत न्यायालय के नियम बनाने की किसी शक्ति का तथा उस न्यायालय की बैठकों और उस के सदस्यों के अकेले या खंड-न्यायालयों में बैठने के विनियमन करने की शक्ति भी है, वैसी ही रहेंगी, जैसी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले थीं;

परन्तु राजस्व सम्बन्धी, अथवा उसके संगृहित करने में आदेशित अथवा किये हुए किसी कार्य सम्बन्धी विषय में उच्चन्यायालयों में से किसी के आरम्भिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग, जिस किसी निर्बन्धन के अधीन इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले था, वह निर्बन्धन ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर आगे लागू न होगा।

टीका—किसी मौजूदा हाईकोर्ट के अधिकार और कानून जब तक कि वह इस विधान के अधीन बदले न जायें वही रहेंगे जो कि उनके इस विधान के लागू होने से पहले थे।

२२६–कुछ लेखों के निकालने के लिये उच्चन्यायालयों की शक्ति

(१) अनुच्छेद ३२ में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्चन्यायालय को, उन क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके सम्बन्ध में वह अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, इस संविधान के भाग (३) द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये उन राज्यक्षेत्रों में के किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति, या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश या आदेश या लेख जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं अथवा उन में से किसी को निकालने की शक्ति होगी।

(२) खंड (१) द्वारा उच्चन्यायालय को प्रदत्त शक्ति से इस संविधान के अनुच्छेद ३२ के खंड (२) द्वारा उच्चतमन्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण न होगा।

२२७–सब न्यायोलयों के अधीक्षण की उच्चन्यायालय की शक्ति

(१) प्रत्येक उच्चन्यायालय उन राज्य-क्षेत्रों में सर्वत्र, जिन के सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, सब न्यायलयों और न्यायाधिकरणों का अधीक्षण करेगा।

(२) पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव हुए उच्चन्यायालय—

[क] ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकेगा;

[ख] ऐसे न्यायालयों की कार्य-प्रणाली और कार्यवाहियों के विनियमन के हेतु साधारण नियम बना और निकाल सकेगा तथा प्रपत्रों को विहित कर सकेगा; तथा

[ग] किन्हीं ऐसे न्यायालयों के पदाधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रपत्रों को विहित कर सकेगा।

(३) उच्चन्यायालय उन फीसों की सारिणियां भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शेरीफ़ को तथा समस्त लिपिकों को और पदाधिकारियों को तथा इन में वृत्ति करने वाले न्यायवादियों, अधिवक्ताओं और वकीलों को मिल सकेंगी;

परन्तु खंड [२] या खंड [३] के अधीन बनाये हुए कोई नियम अथवा विहित कोई प्रपत्र अथवा स्थिरीभूत कोई सारिणी किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों से असंगत न होगी, तथा इन के लिये राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

(४) इस अनुच्छेद की कोई बात उच्चन्यायालय को सशस्त्र बलों सम्बन्धी

किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां देने वाली न समझी जायेगी।

टीका—प्रत्येक हाईकोर्ट को अपने अधीन न्यायालयों पर कन्ट्रोल होगा।

२२८—विशेष मामलों का उच्चन्यायालय को हस्तान्तरण

यदि उच्चन्यायालय का समाधान हो जाये कि उस के अधीन न्यायालय में लम्बित किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन का कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है जिस का निर्धारित होना मामले को निबटाने के लिये आवश्यक है तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेगा, तथा—

(क) या तो मामले को स्वयं निबटा सकेगा; या

(ख) उक्त विधि-प्रश्न का निर्धारण कर सकेगा तथा ऐसे प्रश्न पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस मामले को, उस न्यायालय को, जिस से मामला इस प्रकार मंगा लिया गया है, लौटा सकेगा तथा उस के प्राप्त होने पर उक्त न्यायालय ऐसे निर्णय का अनुसरण करते हुए उस मामले को निबटाने के लिये आगे कार्यवाही करेगा।

टीका—यदि किसी हाईकोर्ट की यह सन्तुष्टी हो जाय कि ऐसे मुकदमें में जो कि उसके अधीन किसी न्यायालय में विचार अधीन हो यह प्रश्न हो कि इस विधान के क्या अर्थ हैं तो हाईकोर्ट उस मुकदमें को अपने पास मांग लेगी और उस प्रश्न का निर्णय करेगी।

२२९—उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और सेवक और व्यय

(१) उच्चन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस के द्वारा निर्दिष्ट उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी करेगा;

परन्तु उस राज्य का राज्यपाल जिस में न्यायालय का मुख्य स्थान है, नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं अवस्थाओं में, जैसी कि नियम में उल्लिखित हों, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहिले ही न्यायालय में लगा हुआ नहीं है, न्यायालय से सम्बन्धित किसी पद पर राज्य-लोकसेवा-आयोग से परामर्श किये बिना नियुक्त न किया जायेगा।

(२) राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्चन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी जिसे मुख्य न्यायाधिपति ने उस प्रयोजन के लिये नियम बनाने को प्राधिकृत किया है, नियमों द्वारा विहित करे

परन्तु इस खंड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये, जहां तक कि वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या निवृत्ति वेतनों से सम्बद्ध हैं, उस राज्य के राज्यपाल के जिस में उच्चन्यायालय का मुख्य स्थान है, अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

(३) उच्चन्यायालय के प्रशासनीय व्यय जिन के अन्तर्गत उस न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों को, या के बारे में, दिये जाने वाले सब वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन भी है, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे तथा उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धन उस निधि का भाग होंगी।

टीका—हाईकोर्ट के अफसरान व कर्मचारियों को हाईकोर्ट का चीफ जस्टीस या ऐसा व्यक्ति नियत करेगा जिसको चीफजस्टीस ने इस बारे में अधिकार दिया हो।

२३०—उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार और अपवर्जन

संसद् विधि द्वारा—

(क) किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार, जिस राज्य में उसका मुख्य स्थान है, उससे भिन्न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य में, अथवा उसके भीतर न होने वाले किसी क्षेत्र में; अथवा

(ख) किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन, जिस राज्य में उस का मुख्य स्थान है, उससे भिन्न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य से, अथवा उसके भीतर न होने वाली किसी क्षेत्र से, कर सकेगी।

टीका—पारलियामेंट को अधिकार होगा कि किसी हाईकोर्ट के अधिकार सीमा को बढ़ायेया उसमें कमी करदे।

२३१—राज्य के बाहर क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी राज्य के उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में, राज्यों के विधान-मंडलों की विधि बनाने की शक्तियों पर निर्बन्धन

जहां कोई उच्चन्यायालय, ऐसे राज्य के बाहर, जिसमें उसका मुख्य स्थान है, किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, वहां इस संविधान की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह—

(क) उस राज्य के विधान-मंडल को, जिसमें उस न्यायालय का मुख्य स्थान है, उस क्षेत्राधिकार के वर्धन, निर्बधन या उत्सादन की शक्ति प्रदान करती है;

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के विधान-मंडल को, जिसमें ऐसा कोई क्षेत्र अवस्थित है, उस क्षेत्राधिकार के उत्सादन की शक्ति प्रदान करती है; अथवा

(ग) ऐसे किसी क्षेत्र के लिए, तद्विषयक विधि बनाने की शक्ति रखने वाले विधान-मंडल को, उस न्यायालय को उस क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्राधिकार विषयक, खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए, ऐसी विधियां पारित करने से रोकती है, जैसी कि वह, यदि उस न्यायालय का मुख्य स्थान उस क्षेत्र में होता तो, पारित करने के लिए सक्षम होता।

२३२—निर्वचन

जहां कोई उच्चन्यायालय प्रथम अनुसूची में उल्लिखित एक से अधिक राज्यों के सम्बन्ध में, अथवा किसी राज्य और ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो उस राज्य का भाग नहीं है, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, वहां—

(क) इस अध्याय में उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में राज्यपाल के प्रति जो निर्देश हैं उन से अभिप्रेत उस राज्य के राज्यपाल से होगा जिस में उस न्यायालय का मुख्य स्थान है;

(ख) अधीन न्यायालय के लिये नियमों, प्रपत्रों और सारिणियों के राज्यपाल द्वारा अनुमोदन के प्रति जो निर्देश है वह उनका उस राज्य के, जिस में अधीन न्यायालय अवस्थित है, राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा अनुमोदन के प्रति अथवा यदि वह प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य का भाग न होने वाले क्षेत्र में अवस्थित है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के प्रति माना जायेगा, तथा

(ग) राज्य की संचित निधि के प्रति जो निर्देश हैं, वे उस राज्य की संचित निधि के प्रति माने जायेंगे जिस में उस न्यायालय का मुख्य स्थान है।

अध्याय ६—अधीन न्यायालय

२३३—ज़िला-न्यायाधीशों की नियुक्ति

(१) किसी राज्य में जिला-न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा उनकी पद-स्थापना और पदोन्नति ऐसे राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार प्रयोग करने वाले उच्चन्यायालय से परामर्श कर के राज्य का राज्यपाल करेगा।

(२) कोई व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहिले से ही नहीं लगा हुआ है, जिला-न्यायाधीश होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब कि वह सात से अन्यून वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रह चुका है तथा उसकी नियुक्ति के लिए उच्चन्यायालय ने सिपारिश की है।

टीका—डिस्ट्रिक्टजजों को प्रान्त का गवर्नर हाईकोर्ट की सलाह से नियुक्त करेगा ऐसा व्यक्ति जोकि भारत सरकार की नौकरी में न हो उस वक्त तक डिस्ट्रिक्टजज नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सात वर्ष तक एडवोकेट या प्लीडर न रहा हो और हाईकोर्ट ने उसको डिस्ट्रिक्टजज नियुक्त करने के लिये सिफारिश न की हो।

२३४—न्यायिक सेवा में ज़िला-न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों की भर्ती

जिला-न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों की राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्य-लोक सेवा-आयोग तथा ऐसे राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्चन्यायालय से परामर्श के पश्चात् उस के द्वारा इस लिये बनाये गये नियमों के अनुसार की जायेगी।

टीका—डिस्ट्रिक्टजज के अतिरिक्त प्रान्त के अन्य जुडिशल अफसरों को गवर्नर पब्लिक सर्विस कमीशन की सुफारिश से नियुक्त करेगा।

२३५–अधीन न्यायालयों पर नियन्त्रण

जिला-न्यायाधीश के पद से निचले किसी पद को धारण करने वाले राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पद-स्थापना, पदोन्नति और उन को छुट्टी देने के सहित जिलान्यायालयों तथा उन के अधीन न्यायालयों का नियंत्रण उच्च-न्यायालयों में निहित होगा, किन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि मानों वह ऐसे किसी व्यक्ति से उस अपील के अधिकार को छीनती है जो कि उस की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली विधि के अधीन उसे प्राप्त है अथवा उच्चन्यायालय को अधिकार देती है कि वह उस की सेवा की ऐसी विधि के अधीन विहित शर्तों के अनुसरण से अन्यथा उस से व्यवहार करे।

२३६–निर्वचन

(१) इस अध्याय में—

(क) "जिला-न्यायाधीश" पदावलि के अन्तर्गत नगर-व्यवहार-न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला- न्यायाधीश, संयुक्त जिला-न्यायाधीश, सहायक जिला-न्यायाधीश- लघुवाद-न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिकारी, अपर मुख्य प्रेसीडेन्सी-दडाधिकारी, सत्त न्यायाधीश अपर सत्त्-न्यायाधीश और सहायक सत्त्-न्यायाधीश भी हैं।

(ख) "न्यायिक सेवा" पदावलि से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो केवल ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बनी है, जो जिला-न्यायाधीश के पद तथा जिला-न्याया धीश-पद से निचले अन्य व्यवहार न्यायिक पदों को भरने के लिये उद्दिष्ट है।

२३७–कुछ प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारियों पर इस अध्याय के उपबन्धों का लागू होना

राज्यपाल सार्वजानिक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्ध तथा उन के अधीन बनाये गये कोई नियम ऐसी तारीख से जो कि वह उस बारे में नियत करे, राज्य के किसी प्रकार या प्रकारों के दन्डाधिकारियों के सम्बन्ध में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के अधीन रह कर जैसे कि अधिसूचना में उल्लिखित हों, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

टीका—गवर्नर को अधिकार होगा कि सरकारी विज्ञप्ति द्वारा इस भाग के नियमों को मैजिस्ट्रेटों से भी लागू करदे।

भाग ७

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य

२३८—प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों को भाग ६ के उपबन्धों का लागू होना

भाग ६ के उपबन्ध प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रूपभेदों और लुप्तियों के अधीन रह कर वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उस अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्योंके सम्बन्ध में लागू होते हैं अर्थात्—

(१) "राज्यपाल" पद के लिये, अनुच्छेद २३२ के खंड (ख) में जहां वह दूसरी बार आता है वहां को छोड़ कर, जहां भी वह उस भाग में आता है, "राजप्रमुख" शब्द रख दिया जायेगा।

(२) अनुच्छेद १-२ में "भाग (क)"शब्द और अक्षर के लिये "भाग (ख)' शब्द और अक्षर रख दिये जायेंगे।

(३) अनुच्छेद १५५, १५६, और १५७ लुप्त कर दिये जायेंगे।

(४) अनुच्छेद १५८ में—

(१) खंड (१) में "नियुक्त होने" शब्दों के लिये "होता है" शब्द रख दिये जायेंगे।

(२) खंड (३) के स्थान में निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(३) राजप्रमुख को जब कि राज्य की सरकार के मुख्य स्थान में उस का अपना निवासगृह न हो, तब बिना किराया दिये पदावास के उपयोग का हक होगा तथा उस को ऐसे भत्तों और विशेषाधिकारों का हक होगा जैसे कि राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे।

(३) खंड (४) में से "और उपलब्धियां" शब्द लुप्त कर दिये जायेंगे।

(५) अनुच्छेद १५० में "न्यायालय का प्राप्य अग्रतम न्यायाधीश" शब्दों के बाद में "अथवा ऐसी अन्य रीति से जैसी कि राष्ट्रपति द्वारा इस बारे में निर्धारित की जाये" शब्द जोड़ दिये जायेंगे।

(६) अनुच्छेद १६४ में खंड (१) के परन्तुक के स्थान में निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा।

"परन्तु मध्यभारत राज्य में आदिमजातियों के कल्याण के लिये भार-साधक एक मन्त्री होगा जो साथ साथ अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण का अथवा किसी अन्य कार्य का भार-साधक भी हो सकेगा।"

(७) अनुच्छेद १६८ में खण्ड (१) के स्थान में निम्नलिखित खण्ड र.. दिया जायेगा, अर्थात्—

"१. प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मण्डल होगा जो राजप्रमुख तथा'

(क) मैसूर राज्य में दो सदनों से;

(ख) "अन्य राज्यों में एक सदन से; मिल कर बनेगा।"

(८) अनुच्छेद १८६ में "जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है" शब्दों के स्थान में "जो राजप्रमुख निर्धारित करे" शब्द रख दिये जायेंगे।

(९) अनुच्छेद १९५ में "जैसे कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त की विधान-सभा के सदस्यों के विषय में लागू थे" शब्दों के स्थान में "जैसे कि राजप्रमुख निर्धारित करे" शब्द रख दिये जायेंगे।

(१०) अनुच्छेद २०२ के खण्ड (३) में—

(१) उपखण्ड (क) के स्थान में निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(क) राजप्रमुख के भत्ते तथा उसके पदसम्बन्धी अन्य व्यय जो राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे" ;

(२) उपखंड (च) के स्थान में निम्नलिखित उपखंड रख दिये जायेंगे, अर्थात्

"(च) तिरुवांकुर-कोचीन-राज्य के बारे में ५१ लाख की राशि जिसका तिरुवांकुर और कोचीन के देशी राज्यों के शासकों द्वारा तिरुवांकुर और कोचीन संयुक्तराज्य के निर्माण के लिये, इस संविधान के प्रारम्भ से पहले की गई प्रसंविदा के अधीन प्रति वर्ष देवस्वम् निधि को दिया जाना अपेक्षित है;

(छ) इस संविधान से या राज्य के विधान मंडल से विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय।"

(११) अनुच्छेद २०८ में खण्ड (२) के स्थान में निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बताये जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले राज्य के विधान-मण्डल के सम्बन्ध में जो, प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे अथवा जहां राज्य में विधान-मंडल

का कोई सदन न था वहाँ ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे प्रान्त की, जिसको कि उस लिये उस राज्य का राजप्रमुख उल्लिखित करे, विधान-सभा के बारे में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे रूपभेदों और अनुकूलनों के अधीन रह कर, जिन्हें यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष अथवा विधान-परिषद् का सभापति करे, उस राज्य के विधान-मण्डल के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे।"

(१२) अनुच्छेद २१४ के खण्ड (२) में 'प्रान्त' शब्द के स्थान में 'देशीराज्य' शब्द रख दिये जायेंगे।

(१३) अनुच्छेद २२१ के स्थान में निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायेगा, अर्थात्—

२२१—न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि

प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिये जायेंगे जैसे कि राजप्रमुख से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति निर्धारित करे

(२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भत्तों के, तथा अनुपस्थिति-छुट्टी के और निवृत्ति-वेतनों के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारों का जैसे संसद्-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय समय पर निर्धारित किये जायें तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हो, तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का, जैसे कि राजप्रमुख से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति निर्धारित करे, हक होगा:

परन्तु न तो न्यायाधीश के भत्ते और न उस के अनुपस्थिति छुट्टी या निवृत्त-वेतन विषयक उस के अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा।"

टीका—इस विधान के भाग ६ के नियम उन प्रान्तों में (रियासतें) जोकि इस विधान की सूची १ (ख) में दिये हुए हैं ऐसे अंतर के साथ जो कि इस आर्टिकल में दिये गए हैं ऐसे ही लागू होंगे जैसे कि प्रांतों से।

भाग ८

२३६—प्रथम अनुसूची में के भाग (ग) में के राज्यों का प्रशासन

(१) इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा तथा वह इस बारे में उस मात्रा तक जितनी कि वह उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के अथवा पड़ौसी राज्य की सरकार के द्वारा कार्य नहीं करेगा : परन्तु राष्ट्रपति—

(क) सम्बन्धित सरकार से परामर्श किये बिना, तथा

(ख) इस प्रकार प्रशासित किये जाने वाले राज्य की जनता के विचारों को उस रीति से, जिसे राष्ट्रपति अत्यन्त समुचित समझता है, निश्चय पूर्वक जाने बिना, पड़ौसी राज्य की सरकार के द्वारा कार्य नहीं करेगा।

(२) इस अनुच्छेद में राज्य के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत राज्य के भाग के निर्देश भी हैं।

टीका—चीफकमिश्नरी के प्रांतों का प्रबन्ध जो कि इस विधान की सूची १ (ग) में दिये गये हैं राष्ट्रपति के हाथ में होगा जो कि इनके लिये चीफ कमिश्नर या लैफ्टीनेंट गवर्नर नियत करेगा।

२४०—स्थानीय विधान-मंडलों अथवा मंत्रणादाताओं या मंत्रियों की परिषद् का सृजन करना या बनाये रखना

(१) प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित तथा मुख्य आयुक्त या राज्यपाल द्वारा प्रशासित किसी राज्य के लिये संसद् विधि द्वारा—

(क) राज्य के विधान-मण्डल के रूप में कृत्य करने के लिये नाम-निर्देशित या निर्वाचित अथवा अंशतः नाम-निर्देशित और अंशतः निर्वाचित निकाय को, अथवा

(ख) मंत्रणा-दाताओं की, या मंत्रियों की, परिषद् को या दोनों को ऐसे गठन, शक्तियों तथा कृत्यों सहित, जो कि प्रत्येक के बारे में विधि द्वारा उल्लिखित की जाये, सृजित कर सकेगी या बनाये रख सकेगी।

(२) खंड (१) में निर्दिष्ट कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी चाहे फिर उस में कोई ऐसा उपबन्ध अन्तर्विष्ट क्यों न हो, जो इस संविधान का संशोधन करता है, या संशोधन करने का प्रभाव रखता है।

टीका—पारलियामेंट को अधिकार होगा कि चीफकमिश्नरी के सूबों के लिए एक कमेटी बनाये जिसके सदस्य नामजद किये जायेंगे या कुछ चुने जायेंगे और यह कमेटी चीफ कमिश्नर के सूबे के लिए कानून बनाने की सभा का काम कर सकती है या पारलियामेंट चीफ कमिश्नर के सूबे के लिए एक मंत्री मण्डल नियुक्त कर सकती है। कार्य बनाने वाली कमेटी और मंत्री मण्डल नियुक्त करे।

२४१—प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्यों के लिये उच्च-न्यायालय

(१) संसद् विधि द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित किसी राज्य के लिए उच्चन्यायालय गठित कर सकेगी अथवा ऐसे किसी राज्य में के किसी न्यायालय को इस संविधान के प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये उच्चन्यायालय घोषित कर सकेगी।

(२) खंड (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्चन्यायालय के सम्बन्ध में भाग (६) के अध्याय (५) के उपबन्ध, ऐसे रूपभेदों और अपवादों के अधीन रह कर, जैसे कि संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे इस संविधान के अनुच्छेद २१४ में निर्दिष्ट किसी उच्चन्यायालय के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(३) इस संविधान के उपबन्धों के, तथा इस संविधान के द्वारा या अधीन समुचित विधान-मंडल को दी गई शक्तियों के आधार पर उस विधान-मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक उच्चन्यायालय, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित किसी राज्य के या उसके अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता था, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उस राज्य या क्षेत्र के सम्बन्ध में वैसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता रहेगा।

(४) इस अनुच्छेद की कोई बात प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में के किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार को उस अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित किसी राज्य पर अथवा उस राज्य के अन्तर्गत किसी क्षेत्र पर विस्तृत करने की, या उससे अपवर्जित करने की, संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करती।

टीका—पालिरयामेंट कानून द्वारा किसी चीफ कमिश्नर के प्रांत के लिए हाईकोर्ट स्थापित कर सकती है।

२४२—कोडगू

(१) जब तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं करती तब तक कोडगू की विधान-परिषद् का गठन शक्तियां और कृत्य वैसे ही होंगे जैसे कि संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले थे।

(२) कोडगू में संगृहीत राजस्व के, तथा कोडगू के सम्बन्ध में व्ययों के, विषय में प्रबन्ध तब तक अपरिवर्तित रहेंगे जब तक इस बारे में राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अन्य उपबन्ध नहीं करता।

टीका—जब तक कि पारलियामेंट कानून द्वारा कोई और नियम न बनाये कुर्ग की लेजिस्लेटिव कौंसिल के वही अधिकार होंगे जो उसके इस कानून के बनाने से पहले में और पद पहले की तरह ही काम करती रहेगी।

भाग ६

प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में के राज्य-क्षेत्र तथा अन्य राज्य-क्षेत्र जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं।

२४३—प्रथम अनुसूचि के भाग (घ) में उल्लिखित राज्य-क्षेत्रों का और उसमें अनुल्लिखित राज्य क्षेत्रों का प्रशासन

(१) प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित किसी राज्य क्षेत्र का तथा भारत राज्य क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु उस अनुसूची में अनुल्लिखित किसी अन्य राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति करेगा तथा वह इस बारे में उस मात्रा तक, जितना कि वह उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मुख्य आयुक्त या अन्य प्राधिकारी के द्वारा कार्य करेगा।

(२) राष्ट्रपति ऐसे किसी राज्य क्षेत्र की शान्ति और सुशानस के लिए विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बना कोई विनियम संसद्-निर्मित किसी विधि का अथवा किसी वर्तमान विधि का, जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा तथा, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित होने पर उसका उस राज्य क्षेत्र पर लागू संसद्-अधिनियम के जैसा ही बल और प्रभाव होगा।

टीका—ऐसे क्षेत्र जो कि इस विधान की सूची १ भाग (घ) में दिए गये हैं यानी (अंडमान व निकोबार टापू) या ऐसे क्षेत्रों का प्रबन्ध जोकि भारत की सीमा के भीतर हैं परंतु जो इस विधान की सूची १ में नहीं दिये गये हैं राष्ट्रपति के हाथ में होगा जोकि उसके लिए एक चीफ कमिश्नर नियुक्त करेगा।

भाग १०

अनुसूचित और आदिम जाति-क्षेत्र

२४४—अनुसूचित और आदिम-जाति क्षेत्रों का प्रशासन

(१) आसाम राज्य के अतिरिक्त प्रथम अनुसूची के भाग (क) या (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए पंचम अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे।

(२) आसाम राज्य में के आदिमजाति-क्षेत्रों के प्रशासन के लिए षष्ठ अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे।

टीका—इस विधान की सूची ५ में दिये हुए नियम ऐसे शेड्यूल क्षेत्र और शेड्यूल आदिम जाति के प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रयोग किये जावेंगे जो कि सूची १ के भाग (क) और (ख) के प्रान्तों में स्थित हों और सूची ६ के नियम आसाम प्रान्त के आदिम जातियों से सम्बन्धित जातियों से लागू होंगे।

भाग ११

संघ और राज्यों के सम्बन्ध

अध्याय १—विधायी सम्बन्ध

विधायिनी शक्तियों का वितरण

२४५—संसद् तथा राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा निर्मित विधियों का विस्तार

(१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद् द्वारा भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी, तथा किसी राज्य का विधान मण्डल उस सपूर्ण राज्य के अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा।

(२) संसद् द्वारा निर्मित कोई विधि, इस कारण से कि उसका राज्य-क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा अमान्य नहीं समझी जायगी।

टीका—इस विधान के नियमों के अधीन पारलियामेंट कुल भारत के लिये और प्रान्तों की असैम्बली व कौंसिलों के लिये कानून बना सकेगी।

२४६—संसद् द्वारा तथा राज्यों के विधान मन्डलों द्वारा, निर्मित विधियों के विषय

(१) खण्ड (२) और (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद् को सप्तम अनुसूची की सूची (१) में (जो इस संविधान में 'संघ-सूची' के नाम से निर्दिष्ट है प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(२) खण्ड (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद् को, तथा खंड (१) के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मण्डल को भी, सप्तम अनुसूची की (३) में (जो इस संविधान में "समवर्ती सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति है।

(३) खण्ड (१) और (२) के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग (क) में या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मण्डल को सप्तम अनुसूची की सूची (२) में (जो इस संविधान में "राज्य-सूची" के नाल से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में ऐसे

राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(४) संसद् को भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के लिये, जो प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) के अन्तर्गत नहीं है, किसी भी विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति है चाहे फिर वह विषय "राज्य सूची" में प्रगणित विषय क्यों न हो।

टीका—उन विषयों के सम्बन्ध मे जोकि इस विधान की सूची ७ लिस्ट १ में दिए गये हैं केवल पारलियामेंट कानून बना सकेगी और विषयों के सम्बन्ध में जोकि लिस्ट २ में दिये गए हैं केवल प्रान्तीय असैम्बली औरकौंसिल कानून बना सकेगी और उन विषयों के सम्बन्ध में जो कि लिस्ट ३ में दिए गये हैं पारलियामेंट भी कानून बना सकेगी और प्रांत की असैम्बली व कौंसिल भी कानून बना सकेगी और ऐसे क्षेत्रों के लिए जोकि इस विधान की सूचि (ग) (घ) में दिए गये हैं केवल पारलियामेंट कानून बना सकेगी।

२४७—किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का उपबन्ध करने की संसद् की शक्ति

इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद्-निर्मित विधियों के, अथवा किसी वर्तमान विधि के, जो संघ-सूची में प्रगणित विषय के बारे में है, अधिक अच्छे प्रशासन के लिये संसद् किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी।

टीका -पारलियामेंट को अधिकार होगा कि कानून का अच्छी तरह प्रयोग कराने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करे।

२४८—अवशिष्ट विधान-शक्ति

(१) संसद् को ऐसे किसी विषय के बारे में, "समवर्ती सूची" अथवा "राज्य-सूची" में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(२) ऐसी शक्ति के अन्तर्गत ऐसे करों के, जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है आरोपण करने के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति भी है।

टीका—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए जोकि लिस्ट २ और ३ में नहीं दिये गए हैं, केवल पारलियामेंट को कानून बनाने का अधिकार होगा।

२४९—राष्ट्रीय हित में राज्य-सूची में के विषय के बारे में विधि बनाने की संसद् की शक्ति

इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बातके होते हुए भी, यदि राज्यपरिषद् ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या इष्टकर है कि संसद् राज्य-सूचि में प्रगणित और उस संकल्प में उल्लिखित किसी विषय के बारे में विधि बनाये तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है संसद् के लिये उस विषय के बारे में भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बनाना विधि-संगत होगा।

(२) खंड (१) के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगा जैसी कि उस में उल्लिखित हो :

परन्तु यदि, और जितनी बार, किसी ऐसे- संकल्प को प्रवृत्त बनाये रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (१) में उपबन्धित रीति से पारित हो जाये तो ऐसा संकल्प उस तारिख से आगे, जिस को कि वह इखंड के आधीन अन्यथा प्रवृत्त न रहता, एक वर्ष की और कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा।

(३) संसद् द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे संसद् खंड १ के अधीन संकल्प के पारण के अभ.व में बनाने में सक्षम न होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने से छः मास की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के अतिरिक्त प्रभावी न होगी जो उक्त कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ दी गई है।

टीका—यदि राजपरिषद् के उपस्थित सदस्यों में से दो- तिहाई यह प्रस्ताव पास कर दें कि देश के हित के लिए पारलियामेंट को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में भी कानून बनाना आवश्यक है जोकि लिस्ट २ में दिया गया है तो पारलियामेंट को अधिकार होगा कि उक्त विषय के सम्बन्ध में भी कानून बनाये परन्तु यह प्रस्ताव अधिक से अधिक एक वर्ष के लिये लागू रहेगा।

२५०—यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य-सूची में के विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद् की शक्ति

(१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद् को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र के अथवा उसके किसी भाग के लिये राज्य-सूची में प्रगणित विषयो में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति होगी।

(२) संसद् द्वारा निर्मित विधि, जिसे संसद् आपात की उद्घोषणा के अभाव में बनाने में सक्षम न होती, उद्घोषणा के प्रवर्तन की समाप्ति के पश्चात् छः मास की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन सब बातों के अतिरिक्त प्रवर्तनहीन होगी जो उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ दी गई है।

टीका—जबकि इस आरटिकल के द्वारा यह घोषणा कर दी गई हो कि कोई विशेष आवश्यकता उत्पन्न हो गई है तो पारलियामेंट को कुल भारत के लिये कानून बनाने का अधिकार होगा चाहे वह विषय लिस्ट २ में ही क्यों न दिया गया हो परन्तु यह कानून उपयुक्त घोपणा समाप्त होने की तारीख से छः महीने पीछे लागू न रहेगा।

२५१—अनुच्छेद २४९ और २५० के अधीन संसद् निर्मित विपयों तथा राज्यों के विधान-मँडलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति

इस संविधान के अनुच्छेद २४९ और २५० की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल की कोई विधि बनाने की शक्ति को, जिसे इस संविधान के अधीन

बनाने की शक्ति उसे है, निर्बन्धित न करेगी किन्तु यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि का कोई उपबन्ध, संसद् द्वारा निर्मित विधि के, जिसे संसद् उक्त दोनों में से किसी अनुच्छेद के अधीन बनाने की शक्ति रखती है, किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो, संसद् द्वारा निर्मित विधि अभिभावी होगी चाहे वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि से पहिले या पीछे पारित हुई हो तथा राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक प्रवर्तनशून्य होगी किन्तु तभी तक जब तक कि संसद् द्वारा निर्मित विधि प्रभावी रहे।

टीका—यदि प्रांत की असेम्बली व लेजिसलेटिव कौंसिल का बनाया हुआ क़ानून पारलियामेंट के कानून के विरुद्ध हो तो असेम्बली व कौंसिल का बनाया हुआ कानून रद्द समझा जायेगा।

२५२ - दो या अधिक राज्यों के लिये उनकी सम्मति से विधि बनाने की संसद् की शक्ति तथा ऐसी विधि का दूसरे किसी राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना

(१) यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधान-मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से, जिन के बारे में संसद् को, अनुच्छेद २४९ और २५० में उपबन्धित रीति के अतिरिक्त, उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद् विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान-मंडलों के सब सदनों ने उस लिये संकल्पों का पारण किया है तो उस विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना संसद् के लिये विधि-संगत होगा, तथा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा तथा किसी अन्य राज्य को, जो तत्पश्चात् अपने विधान-मंडल के सदन अथवा जहां दो सदन हों वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक में उस लिये पारित संकल्प द्वारा उस को अंगीकार करे, लागू होगा।

(२) संसद् द्वारा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम इसी रीति से पारित या अंगीकृत संसद् के अधिनियम से संशोधित या निरसित किया जा सकेगा, किन्तु किसी राज्य के सम्बन्ध में, जहां कि वह लागू होता है, उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम से संशोधित या निरसित न किया जायेगा।

२५३—अन्तर्राष्ट्रीय करारों के पालनार्थ विधान

इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, संसद् को किसी अन्य देश या देशों के साथ की हुई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संस्था या अन्य निकाय में किये गये किसी विनिश्चय के परिपालन के लिये भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उस के किसी भाग के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति है।

टीका—पार्लियामेंट को कुल भारत के लिये ऐसे कानून बनाने का भी अधिकार होगा जो किसी विदेशी राज्य से संधि आदि करने के लिए आवश्यक हो।

२५४—संसद् द्वारा निर्मित विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति

(१) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि का कोई उपबन्ध संसद् द्वारा निर्मित विधि के, जिसे संसद् अधिनियमित करने के लिये सक्षम है, किसी उपबन्ध, अथवा समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में वर्तमान विधि के, किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो खंड (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये यथास्थिति संसद् द्वारा निर्मित विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि के पहिले या पीछे पारित हुई हो, या वर्तमान विधि अभिभावी होगी, तथा उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी।

(२) जहां प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि में, जो समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में है, कोई ऐसा उपबन्ध अन्तर्विष्ट हो जो संसद् द्वारा पहिले निर्मित की गई विधि के, अथवा उस विषय के बारे में किसी वर्तमान विधि के विरुद्ध है तो ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस प्रकार निर्मित विधि उस राज्य में अभिभावी होगी यदि उस को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किया गया है और उस पर उस की अनुमति मिल चुकी है।

परन्तु इस खंड की कोई बात संसद् को, किसी समय उसी विषय के सम्बन्ध में कोई विधि, जिस के अन्तर्गत ऐसी विधि भी है जो राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार निर्मित विधि का परिवर्धन, संशोधन परिवर्तन या निरसन करती है, अधिनियमित करने से न रोकेगी।

टीका—ऐसी विषय के सम्बन्ध में जो कि लिस्ट ३ में दिया गया है पारलियामेंट द्वारा बनाया गया कानून प्रांतीय असैम्बली व कौंसिल द्वारा बनाये हुये कानून की अपेक्षा माननीय होगा परन्तु यदि पारलियामेंट के किसी कानून बनाने के पश्चात् प्रान्तीय असैम्बली व कौंसिल ऐसे विषय के सम्बन्ध में कोई कानून बनाती है जोकि लिस्ट ३ में दिया गया है और उपरोक्त प्रान्तीय कानून की स्वीकृति राष्ट्रपति ने दे दी है तो उपयुक्त प्रांतीय कानून उस प्रांत के लिये लागू समझा जायेगा।

२५५—सिपारिशों और पूर्व मंजूरी की अपेक्षाओं केवल प्रक्रिया का विषय मानना

यदि संसद् के, अथवा पहिली अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी अधिनियम का—

(क) जहां राज्यपाल की सिपारिश अपेक्षित थी वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति ने;

(ख) जहां राजप्रमुख की सिपारिश अपेक्षित थी वहां राजप्रमुख या राष्ट्रपति ने;

(ग) जहाँ राष्ट्रपति की सिपारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित थी वहाँ राष्ट्रपति ने, अनुमति दी है तो ऐसा अधिनियम तथा ऐसे किसी अधिनियम का कोई उपबंध केवल इस कारण से अमान्य न होगा कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिपारिश न की गई या पूर्व मंजूरी न दी गई थी।

अध्याय २—शासन सम्बन्ध

साधारण

२५६—संघ और राज्यों के आभार

प्रत्येक राज्य की राज्यपालिका शक्ति का, इस प्रकार प्रयोग होगा, कि जिससे संसद् द्वारा निमित विधियों का, तथा किन्हीं वर्तमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं, पालन सुनिश्चित रहे तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो कि भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक दिखाई दे।

२५७—किन्हीं अवस्थाओं में राज्यों पर संघ का नियन्त्रण

(१) प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिस से संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न हो तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक दिखाई दे।

(२) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को किन्हीं ऐसे संचार-साधनों के निर्माण करने और बनाये रखने के लिये निदेश देने तक भी विस्तृत होगा जिनका राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया हो;

परन्तु इस खंड की कोई बात राज-पथों या जल-पथों को राष्ट्रीय राज-पथ या राष्ट्रीय जल-पथ घोषित करने की संसद् की शक्तियों, अथवा इस प्रकार घोषित राज-पथ या जल-पथ के बारे में संघ की शक्ति को, अथवा नौ-बल, स्थल-बल और विमान-बल कर्मशालाओं विषयक अपने कृत्यों का भाग मान कर संचार-साधनों के निर्माण और बनाये रखने की संघ की शक्ति को निर्बन्धित करने वाली न मानी जायेगी।

(३) किसी राज्य में की रेलों की रक्षा के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में उस राज्य को निदेश देने तक भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा।

(४) जहाँ खंड (२) के अधीन संचार-साधनों के निर्माण अथवा उनको बनाये रखने के बारे में, अथवा खंड (३) के अधीन किसी रेल की रक्षा के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में, किसी राज्य को दिये गये किसी निदेश के पालन में उससे अधिक खर्च होता है जो यदि ऐसा निदेश नहीं दिया गया होता तो, राज्य के मामूली कर्तव्यों के पालन में खर्च होता, वहां उस राज्य द्वारा किये गये अतिरिक्त खर्चों के

बारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी जो करार पाई जाये, अथवा करार के अभाव में, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे।

२५८—कतिपय अवस्थाओं में राज्यों को शक्ति आदि देने की संघ की शक्ति

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की सरकार की सम्मति से राष्ट्रपति, उस सरकार को या उसके पदाधिकारियों को ऐसे किसी विषय सम्बन्धी कृत्य, जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, शर्तों के साथ या बिना शर्त सौंप सकेगा।

(२) ऐसे विषय से जिसके बारे में राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति नहीं है, सम्बद्ध होने पर भी संसद्-निर्मित विधि, जो किसी राज्य में लागू है, उस राज्य अथवा उसके पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति दे सकेगी और कर्तव्य आरोपित कर सकेगी अथवा शक्तियाँ दिया जाता और कर्तव्य आरोपित किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी।

(३) जहां इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा उसके पदाधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां दी गई हैं, अथवा कर्तव्य आरोपित कर दिये गये हैं वहां उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के बारे में राज्य द्वारा प्रशासन में किये गये अतिरिक्त खर्चों के बारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी जो करार पाई जाये अथवा, करार के अभाव में, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे।

टीका—राष्ट्रपति किसी प्रान्तीय सरकार की अनुमति से उस प्रान्त की सरकार या उसके अफसरों को ऐसे अधिकार दे सकती है जो कि भारत सरकार को प्राप्त हों।

२५६—प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों में के सशस्त्र बल

(१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कोई राज्य, जो कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले सशस्त्र बलों को रखता था, उक्त बलों को ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के आधीन रह कर जैसे कि राष्ट्रपति समय समय पर इस बारे में निकाले, तब तक बनाये रख सकेगा जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे।

(२) कोई ऐसे सशस्त्र बल, जैसे कि खंड (१) में निर्दिष्ट हैं, संघ के सशस्त्र बलों का भाग होंगे।

टीका—जब तक पारलियामेंट इस सम्बन्ध में कोई नियम न बनाये रियासतें जो इस विधान की सूचि १ भाग ख में दी गई हैं ऐसी फौजें रख सकती हैं जो कि वे इस विधान के बनने से पहले रखती थीं।

२६०—भारत के बाहर के राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में संघ का क्षेत्राधिकार

भारत सरकार किसी ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार से, जो भारत राज्य-क्षेत्र का भाग नहीं है, करार कर के ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार में निहित किसी कार्यपालिक,

विधायी या न्यायिक कृत्यों को ग्रहण कर सकेगी किन्तु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी क्षेत्राधिकार के प्रयोग से सम्बद्ध किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रहेगा और उस से शासित होगा।

२६१ - सार्वजनिक क्रिया, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां

(१) भारत के राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र, संघ की और प्रत्येक राज्य की, सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जायेगी।

(२) खंड (१) में निर्दिष्ट क्रियाओं, अभिलेखों और कार्यवाहियों की सिद्धि की रीति और शर्तें तथा उन के प्रभाव का निर्धारण संसद् निर्मित विधि द्वारा उपबन्धित रीति के अनुसार होगा।

(३) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में के व्यवहार न्यायालयों द्वारा दिये गये अन्तिम निर्णय या आदेश उस राज्य-क्षेत्र के अन्दर कहीं भी विधि अनुसार निष्पादन-योग्य होंगे।

टीका—यदि इस विधान के लागू होने से पहले भारत या किसी प्रान्त में कानूनी कारवाई चल रही थी वह इस विधान के लागू होने के बाद भी मानी जावेगी।

जल सम्बन्धी विवाद

२६२ - अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल सम्बन्धी वादों का न्याय-निर्णयन

(१) संसद् विधि द्वारा किसी अन्तर्राज्यिक नदी या नदी-दून के, या में, जलों के प्रयोग, वितरण, या नियंत्रण के बारे में किसी विवाद या परिवाद के न्याय-निर्णयन के लिये उपबन्ध कर सकेगी।

(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद् विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी कि न तो उच्चतम-न्यायालय और न अन्य कोई न्यायालय खंड (१) में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।

टीका—पारलियामेंट को अधिकार होगा कि ऐसी नदियों के पानी के सम्बन्ध में कानून बनाये जो एक से अधिक प्रान्तों में बहती हों।

राज्यों के बीच समन्वय

२६३—अन्तर्राज्य-परिषद् विषयक उपबन्ध

यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि ऐसी परिषद् की स्थापना से लोक-हितों की सिद्धि होगी, जिस पर

(क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हों उन की जांच करने और उन पर मन्त्रणा देने;

(ख) कुछ या सब राज्यों के, अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के, पारस्परिक हित से सम्बद्ध विषयों के अनुसंधान और चर्चा करने; अथवा

(ग) ऐसे किसी विषय पर सिपारिश करने, और विशेषतः उस विषय के बारे में नीति और कार्यवाही के अधिकतर अच्छे समन्वय के हेतु सिपारिश करने, का भार हो तो राष्ट्रपति के लिये यह विधि-संगत होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद् की स्थापना करे तथा उस परिषद् के द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों के स्वरूप को और उसके संघटन और प्रक्रिया को परिभाषित करे।

टीका—यदि भारत यूनियन या प्रान्तों के बीच या प्रान्तों के आपस के बीच के किसी मामलों को तय करने के लिए या उनकी संयुक्त भलाई के लिये किसी कौंसिल का स्थापित किया जाना आवश्यक है तो राष्ट्रपति ऐसी कौंसिल नियुक्त कर सकता है।

भाग १२
वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और व्यवहारवाद
अध्याय १—वित्त साधारण
२६४—निर्वचन

इस भाग में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "वित्त-आयोग" से इस संविधान के अनुच्छेद २८० के अधीन गठित वित्त-आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "राज्य" के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित कोई राज्य नहीं है;

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों के निदेशों के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित किसी राज्यक्षेत्र के, तथा किसी ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र के जो भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ठ तो हो किन्तु उस अनुसूची में उल्लिखित न हो, निर्देश भी होंगे।

टीका—इस विधान के भाग १२ चीफ कमिश्नरी के सूबों से लागू न होगा, केवल ऐसे प्रान्तों और देसी राज्यों से लागू होगा जो कि इस विधान की सूची १ भाग (क) व (ख) में दिये हुए हैं।

२६५—विधि प्राधिकार के सिवाय करों का आरोपण न करना

विधि के प्राधिकार के सिवाये कोई कर न तो आरोपित और न संगृहीत किया जायेगा।

टीका—यह आरटिकल बहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जायगा और न वसूल किया जायेगा जब तक कि इसके सम्बन्ध में कोई कानून न बन गया हो।

२६६—भारत और राज्यों की सचित निधियाँ और लोक-लेखे

(१) अनुच्छेद २६७ के, उपबन्धों के तथा कुछ करों और शुल्कों के शुद्ध आगम के राज्यों को पूर्णतः या अंशतः सौंपे जाने के बारे में इस अध्याय के उपबंधों के, आधीन रहते हुए भारत सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राज-हुंडियों को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिये गये सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त सब धनों की एक संचित निधि बनेगी जो

"भारत की संचित निधि" के नाम से ज्ञात होगी तथा राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राज-हुंडियों को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिये गये सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त सब धनों की एक संचित निधि बनेगी जो "राज्य की संचित निधि" के नाम से ज्ञात होगी।

(२) भारत की सरकार या राज्य की सरकार द्वारा, या की ओर से, प्राप्त अन्य सब सार्वजनिक धन यथास्थिति भारत के या राज्य के लोक-लेखे में जमा किये जायेंगे।

(३) भारत की या राज्य की संचित निधि में से कोई धन विधि की अनुकूलता से, तथा इस संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों और रीति से, अन्यथा विनियुक्त नहीं किये जायेंगे।

टीका—कुल रुपया सिवाय उस रुपये के जो कि केन्द्रीय सरकार प्रांतीय सरकार को दे या जो कि केन्द्रीय सरकार वसूल करे या कर्ज ले केन्द्रीय सरकार के फण्ड में जमा होगा और जो केन्द्रीय सरकार का फण्ड कहलायेगा और इसी प्रकार प्रांतीय सरकारों के भी फण्ड होंगे। केन्द्रीय या प्रांतीय फण्ड में से कोई रुपया खर्च नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके लिए कोई कानून न बन गया हो।

२६७—आकस्मिकता-निधि

(१) संसद् विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में 'भारत की आकस्मिकता-निधि' के नाम से ज्ञात आकस्मिकता-निधि की स्थापना कर सकेगी जिस में ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियां, समय-समय, पर डाली जायेंगी, तथा अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद ११५ या अनुच्छेद ११६ के अधीन संसद् द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये अग्रिम धन देने के लिये राष्ट्रपति को योग्य बनाने के हेतु उक्त निधि राष्ट्रपति के हाथ में रखी जायेगी।

(२) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में "राज्य की आकस्मिकता-निधि" के नाम से ज्ञात आकस्मिकता-निधि की स्थापना कर सकेगा जिस में ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय-समय पर डाली जायेंगी, तथा अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद २०५ या अनुच्छेद २०६ के अधीन राज्य के विधान मंडल द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये अग्रिम धन देने के लिए उसको योग्य बनाने के हेतु ऐसी निधि राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के हाथ में रखी जायेंगी।

संघ तथा राज्यों में राजस्वों का वितरण

२६८—संघ द्वारा आरोपित किये जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत तथा विनियोजित किये जाने वाले शुल्क

(१) ऐसे मुद्रांक-शुल्क तथा औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री पर ऐसे उत्पादन-शुल्क जो संघ सूची में वर्णित हैं, भारत सरकार द्वारा आरोपित किये जायेंगे, किन्तु—

(क) उस अवस्था में जिस में कि ये शुल्क प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्य के भीतर उद्गृहीत किये जाने वाले हों, भारत सरकार द्वारा, तथा

(ख) अन्य अवस्थाओं में जिन-जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्गृहीत किये जाने वाले हों, उन-उन राज्यों द्वारा, संगृहीत किये जायेंगे।

(२) जो शुल्क किसी राज्य के भीतर उद्गृहीत किये जाने वाले हैं उन में से किसी के, किसी वित्तीय वर्ष के आगम, भारत की संचित निधि के भाग न होंगे किन्तु उस राज्य को सौंप दिये जायेंगे।

टीका—स्टाम्प ड्यूटी व अन्य चुंगी जो दवाई व सिंगार सम्बन्धी चीजों पर लगाई जावेगी उसे प्रान्तों और रियास्तों की सरकार वसूल करेगी और चीफ कमिश्नरी प्रांतों में यूनियन सरकार बसूल करेगी।

२६९—संघ द्वारा आरोपित और संगृहीत, किन्तु राज्य को सौंप जाने वाले कर

(१) निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार द्वारा आरोपित और संगृहीत किये जायेंगे, किन्तु राज्यों को खंड (२) में उपबन्धित रीति से सौंप दिये जायेंगे, अर्थात्—

(क) कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार विषयक शुल्क ;

(ख) कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति-विषयक सम्पत्ति-शुल्क ;

(ग) रेल, समुद्र या वायु से वाहित वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर ;

(घ) रेल भाड़ों और वस्तु-भाड़ों पर कर ;

(ङ) श्रेष्ठि-चत्वरों और वायदा बाजारों के सौदों पर मुद्रांक-शुल्क से अन्य कर ;

(च) समाचार-पत्रों के क्रय-विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर।

(२) किसी वित्तिय वर्ष में के ऐसे किसी शुल्क या करके शुद्ध आगम, वहाँ तक भारत की संचित निधि के भाग न होंगे, जहाँ तक कि वे आगम प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों से मिलने वाले माने जायें, किन्तु उन राज्यों को सौंप दिये जायेंगे जिन में वह शुल्क या कर उस वर्ष में उद्गृहीत होना है तथा उन राज्यों में ऐसे वितरण-सिद्धान्तों के अनुकूल वितरित किये जायेंगे जैसे कि संसद् विधि द्वारा सूत्रित करे।

टीका—इस आरटिकल में ऐसे टैक्स दिये गये हैं जो यूनियन सरकार ही लगायेगी व यूनियन सरकार ही वसूल करेगी परन्तु इनका कुछ भाग प्रांतों व रियासतों की सरकार को दे दिया जायेगा।

२७०—संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित कर

(१) कृषि-आय से अतिरिक्त अन्य आय पर करों को भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा तथा खंड (२) में उपबन्धित रीति के अनुसार संघ और राज्यों के बीच में वितरित किया जायेगा।

(२) किसी वित्तीय वर्ष में के किसी ऐसे कर के शुद्ध आगम का जहां तक वह आगम प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों में से अथवा संघ उपलब्धियों के सम्बन्ध में देय करों से मिला हुआ आगम माना जाये वहां तक के सिवाय, ऐसा प्रतिशत भाग, जैसा विहित किया जाये, भारत की संचित निधि का भाग न होगा किन्तु उन राज्यों को सौंपा जायेगा जिन के भीतर वह कर उद्गृहीत होना है तथा वह उन राज्यों को उस रीति और उस समय से, जो विहित किया जाये, वितरित होगा।

(३) खंड (२) के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय पर करों के उतने शुद्ध आगम का, जितना कि संघ-उपलब्धियों के सम्बन्ध में देय करों का शुद्ध आगम नहीं है, वह प्रतिशत भाग, जो विहित किया जाये, प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों में से मिला हुआ आगम समझा जायेगा।

(४) इस अनुच्छेद में—

(क) "आय पर करों" के अन्तर्गत निगम-कर नहीं है;

(ख) "विहित" का अर्थ है कि—

(१) जब तक वित्त-आयोग गठित न हो जाये तब तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित; तथा

(२) वित्त-आयोग के गठित हो जाने के पश्चात् वित्त-आयोग की सिपारिशों पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित;

(ग) "संघ उपलब्धियों" के अन्तर्गत भारत संचित निधि में से दी जाने वाली सब उपलब्धियां और निवृत्ति-वेतन, जिन के सम्बन्ध में आय-कर आरोपित किया जा सकता है, भी हैं।

टीका—सिवाय कृषि आयकर के अन्य आय पर इन्कमटैक्स यूनियन सरकार ही लगायेगी और वह ही वसूल करेगी परन्तु उसका नियत भाग प्रान्तों व रियासतों में बांट दिया जायेगा।

२७१—संघ के प्रयोजनों के लिये शुल्क और करों पर अधिभार

अनुच्छेद २६९ और २७० में किसी बात के होते हुए भी संसद् उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी की भी किसी समय संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी तथा ऐसे किसी अधिभार के समस्त आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे।

टीवा—यूनियन सरकार को अधिकार होगा कि आरटिकल २६९ व २७० में आय पर सरचार्ज टैक्स लगाये।

२७२—कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किये जा सकेंगे

संघ सूची में वर्णित औषधीय तथा प्रसाधन-सामग्री पर उत्पादन-शुल्क से अन्य संघ-उत्पादन-शुल्क भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किये जायेंगे, किन्तु यदि संसद् विधि द्वारा यह उपवन्धित करे तो शुल्क लगाने वाली विधि जिन राज्यों को लागू होती हो उन राज्यों को भारत की संचित निधि में से उस शुल्क के शुद्ध आगमों के पूर्ण अथवा किसी भाग के वरावर राशि दी जायेगी और वे राशियां उन राज्यों के वीच विधि द्वारा सूत्र-वद्ध वितरण-सिद्धान्तों के अनुसार वितरित की जायेंगी।

२७३—पटसन या पटसन से वनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क के स्थान में अनुदान

(१) पटसन या पटसन से वनी हुई वस्तुओं पर निर्यात शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगम के किसी भाग को आसाम, उड़ीसा, पश्चिमी वंगाल और विहार राज्यों को सौंपने के स्थान में उन राज्यों के राजस्व में सहायक अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष में भारत की संचित निधि पर ऐसी राशियां भारित की जायेंगी जैसी कि विहित की जायें।

(२) पटसन या पटसन से वनी हुई वस्तुओं पर जव तक भारत सरकार कोई निर्यात शुल्क उद्गृहीत करती रहे अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति तक, इन दोनों में से जो भी पहिले हो उसके होने तक, इस प्रकार विहित राशियाँ भारत की संचित निधि पर भारित वनी रहेगी।

(३) इस अनुच्छेद में 'विहित' पद का वही अर्थ है जो इस संविधान के अनुच्छेद २७० में है।

२७४—राज्यों के हितों से सम्बद्ध करों पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिये राष्ट्रपति की पूर्व सिपारिश की अपेक्षा।

(१) कोई विधेयक या संशोधन, जो जिस कर या शुल्क में राज्यों का हित सम्बद्ध है, उसको आरोपित या परिवर्तित करता है, अथवा जो भारत आय-कर से सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित 'कृषि आय' पदावलि के अर्थ को परिवर्तित करता है, अथवा जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिन से कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपवन्धों में से किसी के अधीन राज्यों को धन वितरणीय है या हो सकेंगे, अथवा जो संघ के प्रयोजन के लिये ऐसा कोई अधिभार आरोपित करता है जसा कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उप-

वन्धों में वर्णित है, राष्ट्रपति की सिपारिश के विना संसद् के किसी सदन में न तो पुरः-स्थापित और न प्रस्तावित किया जायेगा।

(२) इस अनुच्छेद में 'जिस कर या शुल्य में राज्यों का हित सम्बद्ध है' पदावलि से अभिप्रेत है—

(क) कोई कर या शुल्क जिस का शुद्ध आगम पूर्णतः या अंशतः किसी राज्य को सौंप दिया जाता है, अथवा

(ख) कोई कर या शुल्क जिस के शुद्ध आगम के निर्देश से भारत संचित निधि में से तत्समय किसी राज्य को राशियां दी जानी हैं।

टीका—किसी ऐसे टैक्स को बढ़ाने या घटाने के सम्बन्ध में जिसका सम्बन्ध प्रांतों या रियासतों की सरकार से हो कोई बिल बिला राष्ट्रपति की सिफारिश के लिये पेश नहीं किया जायेगा।

२७५—कतिपय राज्यों को संघ से अनुदान

ऐसी राशियां, जो संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, उन राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के विषय में संसद् यह निर्धारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है, तथा भिन्न २ राज्यों के लिए भिन्न २ राशियां नियत की जा सकेंगी।

परन्तु किसी राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से वैसी मूल तथा आवर्तक राशियां दी जायेंगी जैसी कि उस राज्य को उन विकास योजनाओं के खर्चों के उठाने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, जो उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम-जातियों के कल्याण की उन्नति करने के प्रयोजन के लिए अथवा उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य ने भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में ली हों।

परन्तु यह और भी कि आसाम राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से वैसी मूल तथा आवर्तक राशियां दी जायेंगी—

(क) जो षष्ट अनुसूची की कंडिका २० से संलग्न सारिणी के भाग (क) में उल्लिखित आदिम जाति-क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले दो वर्ष में राजस्वों से औसतन अधिक व्यय के बराबर हों तथा

(ख) जो उक्त क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में ली गई योजनाओं के खर्चों के बराबर हों।

(२) जब तक खण्ड (१) के अधीन संसद् द्वारा उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक उस खण्ड के अधीन संसद् को प्रदत्त शक्तियां राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रयोक्तव्य

होंगी तथा इस खण्ड के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिया कोई आदेश संसद् द्वारा इस प्रकार निर्मित किसी उपबन्ध के अधीन रह कर ही प्रभावी होगा

परन्तु वित्त-आयोग गठित हो जाने के पश्चात् वित्त-आयोग की सिपारिशों पर विचार किये बिना इस खण्ड के अधीन कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा नहीं दिया जायेगा।

टीका—पारलियामेंट को अधिकार होगा कि यूनियन के फन्ड में से ऐसी रकमें जो कि वह किसी प्रान्त या रियासत की सहायता के लिए देना उचित समझे दें।

२७६—वृत्तियों, व्योपारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर

(१) अनुच्छेद २४६ में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के विधानमण्डल की ऐसे करों सम्बन्धी कोई विधि, जो उस राज्य या किसी नगर-पालिका जिला मण्डली, स्थानीय मण्डली अथवा उसमें अन्य स्थानीय प्राधिकारी के हित साधन के लिए वृत्तियों; व्यापारों, आजीविकाओं या नौकरियों के बारे में लागू होती है, इस आधार पर अमान्य न होगी कि वह आय पर कर है।

(२) राज्य को अथवा उस में की किसी एक नगर पालिका, जिला मण्डली स्थानीय मन्डली या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर करों द्वारा देय समस्त राशि दो सौ पचास रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न होगी।

परन्तु यदि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य में अथवा किसी ऐसी नगर-पालिका, मण्डली या प्राधिकारी में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं या नौकरियों पर ऐसा कर लागू था जिस की दर या जिसकी अधिकतम दर दो सौ पचास रुपये प्रतिवर्ष से अधिक थी तो ऐसा कर उस समय तक उद्गृहीत होता रहेगा जब तक कि संसद् विधि द्वारा इसके प्रतिकूल उपबन्ध न करे तथा संसद् द्वारा इस प्रकार बनाई हुई कोई विधि या तो सामान्यतया या किन्हीं उल्लिखित राज्यों, नगर पालिकाओं, मन्डलियों या प्राधिकारियों के सम्बन्ध में बनाई जा सकेगी।

(३) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर के विषय में उक्त प्रकार विधियां बनाने की राज्य के विधान मण्डल की शक्ति का यह अर्थ न किया जायेगा कि वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों से प्रोद्भूत या उत्पन्न आय पर करों के विषय में विधियाँ बनाने की संसद् की शक्ति किसी प्रकार सीमित की गई है।

टीका—कोई कानून जो कि प्रांतीय असेम्बली या कौंसिल में प्रान्त या म्यूनिसिपलबोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि के लिए इन्कमटैक्स सम्बन्धी बनाया जाय नाजायज न होगा।

२७७—व्यावृत्ति

जो कर, शुल्क, उपकर या फीस, इस संविधान से ठीक पहले किसी राज्य की सरकार द्वारा, अथवा किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा

उस राज्य, नगर, जिला अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिये विधिवत् उद्गृहीत किये जा रहे थे, वे कर, शुल्क, उपकर या फीस संघ-सूची में वर्णित होने पर भी उद्गृहीत किये जाते रहेंगे तथा उन्हीं प्रयोजनों के हेतु उपयोग में लाये जा सकेंगे जबतक कि संसद् विधि द्वारा इसके प्रतिकूल उपबन्ध न करे।

टीका—कोई टैक्स या ड्यूटी जो इस विधान के लागू होने से पहिले कोई प्रान्तीय सरकार या डिस्टिक्ट बोर्ड या म्यूनिसिपल बोर्ड लगाती रही है इस विधान के लागू होने के बाद भी लगाती रहेगी और उस काम में खर्च होती रहेगी जिसमें कि वे अब तक करती रही हैं जब तक कि पार्लियामेन्ट इसके सम्बन्ध में और कोई नियम न बनाये।

२७८. कतिपय वित्तीय विषयों के बारे में प्रथम अनुसूची के भाग (ख) के राज्यों से करार

(१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार, खंड (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखत राज्य की सरकार से—

(क) ऐसे राज्य में भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किये जाने वाले किसी कर या शुल्क के उद्गृहण और संग्रह करने तथा उसके आगम के, इस अध्याय के उपबन्धों से अन्यथा वितरण करने के,

(ख) भारत सरकार द्वारा इस संविधान के अधीन उद्गृहीत किये जाने वाले किसी कर या शुल्क से अथवा अन्य किन्हीं स्रोतो से जो राजस्व वह राज्य पाता था उसकी हानि के लिये ऐसे राज्य को भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता अनुदान करने के;

(ग) अनुच्छेद २९१ के खण्ड (१) के अधीन भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले किसी देय धन के विषय में ऐसे राज्य द्वारा अंशदान करने के, विषय में करार कर सकेगी, तथा जब ऐसा करार किया जाय तब इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे राज्य के सम्बन्ध में ऐसे करार के निबन्धनों के अधीन रहकर ही प्रभावी होंगे।

(२) खंड (१) के अधीन किया गया कोई करार इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष से अनधिक काल के लिए प्रवृत्त रहेगा :

परन्तु राष्ट्रपति ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी समय भी, यदि वह वित्त-आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा करना आवश्यक समझे तो, ऐसे किसी करार की समाप्ति या रूपभेद कर सकेगा।

टीका—यूनियन सरकार ऐसी रियासतों की सरकार से जो कि इस विधान की सूची नं० १ (ख) में दी गई हैं ऐसे टैक्स के संबन्ध में भी कि 'उपरोक्त रियासत की सरकार में लगाया जाये वसूल करने के लिए मुआयदा कर सकती है।

२७९—शुद्ध आगम की गणना

(१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में "शुद्ध आगम" से किसी कर या शुल्क के सम्बन्ध में उस आगम से अभिप्राय है जो उसके संग्रह के खर्चों को घटाने के पश्चात् बचे, तथा उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए किसी क्षेत्र के भीतर, अथवा उससे मिले हुए माने जाने वाले किसी कर या शुल्क का अथवा किसी कर या शुल्क के किसी भाग का शुद्ध आगम भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अभिनिश्चत तथा प्रमाणित किया जायेगा, जिसका प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा।

(२) किसी अवस्था में जहां इस भाग के अधीन किसी शुल्क या कर का आगम किसी राज्य को विनियोजित किया जाता है या किया जाये वहां उपरोक्त उपबन्ध के तथा इस अध्याय के किसी अन्य स्पष्ट उपबन्ध के अधीन रहते हुए संसद्-निर्मित कोई विधि अथवा राष्ट्रपति का कोई आदेश, उस रीति का जिस से कि आगम की गणना की जानी है, उस समय का जिस से या जिस में तथा उस रीति का जिस से कोई शोधन किये जाने हैं, एक वित्तीय वर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष में समायोजन करने का तथा अन्य किसी प्रासंगिक और सहायक बातों का उपबन्ध कर सकेगा।

टीका—खालिस आमदनी से अभिप्राय ऐसी आमदनी से हैं जोकि वसूलयाबी काखर्चा काटने के बाद बाकी बचे।

२८०—वित्त-आयोग

(१) इस संविधान के प्रारम्भ से दो वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर; अथवा उस से पहिले ऐसे समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक वित्त-आयोग गठित करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सभापति और चार अन्य सदस्यों से मिलकर बने गा।

(२) संसद् विधि द्वारा उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिये अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिस के अनुसार उन का संवरण किया जायेगा, निर्धारण कर सकेगी।

(३) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) संघ तथा राज्यों के वीच में करों के शुद्ध आगम का, जो इस अध्याय के अधीनत उन में विभाजित होता है या होवे, वितरण के वारे में, तथा राज्यों के बीच ऐसे आगम के तत्सम्बन्धी अंशों के वंटवारे के वारे में;

(ख) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान देने में पालनीय सिद्धान्तों के वारे में;

(ग) अनुच्छेद २७८ के खंड (१) के अधीन या अनुच्छेद ३०६ के अधीन भारत सरकार और प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के बीच किये गये किसी करार के उपबन्धों के चालू रखने अथवा रूपभेद करने के बारे में; तथा

(घ) सुस्थित वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे हुए किसी अन्य विषय के बारे में,

राष्ट्रपति को सिपारिश करे।

(४) आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा तथा अपने कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद् विधि द्वारा उसे प्रदान करे।

टीका—राष्ट्रपति इस विधान के लागू होने के २ वर्ष पश्चात और इसके पश्चात हर ५ साल बाद एक आर्थिक कमीशन नियुक्त करेगा जो कि राष्ट्रपति को यह शिफारिश करेगा कि किसी टैक्स की आमदनी में से कितना भाग यूनियन सरकार रखे और कितना भाग प्रान्त की सरकार को दिया जाये।

२८१—वित्त-आयोग की सिपारिशें

राष्ट्रपति इस संविधान के उपबन्धों के अधीन वित्त-आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिपारिश को, उस पर को गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन के सहित, संसद् के प्रत्येक सदन् के समक्ष रखवायेगा।

टीका--राष्ट्रपति आर्थिक कमीशन की सिफारिशों को राज परिषद व लोक सभा दोनों सदनों में पेश करेगा।

प्रकीर्ण वित्तीय उपबन्ध

२८२—संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किये जाने वाले व्यय

संघ या राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई अनुदान दे सकेगा, चाहे फिर वह प्रयोजन ऐसा न हो कि जिसके विषय में यथास्थिति संसद् या उस राज्य का विधान मंडल, विधि बना सकता है।

टीका--भारत संघ और प्रान्तीय सरकार को अधिकार है कि सरकारी फण्ड में से सार्वजनिक कामों के लिये रुपया दे चाहे उसके सम्बन्ध में पारलियामेंट या प्रान्तीय एसेम्बली व काउन्सिल को उसकी बाबत कानून बनाने का अधिकार हो।

२८३—संचित निधियों की, आकस्मिकता निधियों की तथा लोक-लेखों में जमा धनों की अभिरक्षा इत्यादि

(१) भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता-निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धन का डालना उनसे धन का निकालना, ऐसी निधियों में जमा किये जाने वाले धन से अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक-धन की अभिरक्षा, उन का भारत के लोक-लेखों में दिया जाना तथा ऐसे लेखे से धन का निकालना तथा उपर्युक्त विषयों से संसक्त या सहायक अन्य सब विषयों का विनियमन संसद् द्वारा निर्मित विधि से होगा तथा जब तक उस लिये उपबन्ध इस प्रकार न किया जाय तब तक राष्ट्रपति द्वारा निर्मित नियमों से होगा।

(२) राज्य की संचित निधि और राज्य की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धन का डालना, उन से धन का निकालना, ऐसी निधियों में जमा किये धन से अतिरिक्त राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक-धन की अभिरक्षा, उनका राज्य के लोक लेखे में दिया जाना तथा ऐसे लेखे से धन का निकालना तथा उपर्युक्त विषयों से संसक्त या सहायक अन्य सब विषयों का विनियमन राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि से होगा तथा जब तक उस लिये उपबन्ध उस प्रकार नहीं किया जाये तब तक राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा निर्मित नियमों से होगा।

टीका—भारत संघ के फण्ड के सम्बन्ध में पारलियामेंट को और प्रान्तीय सरकार के फण्ड के सम्बन्ध में प्रान्तीय एसैम्बली व काउन्सिल को कानून बनाने का अधिकार होगा।

२८४—लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादियों के निक्षेप और अन्य धन की अभिरक्षा

यथास्थिति भारत के लोक-लेखे में या राज्य के लोक-लेखे में—

(क) यथास्थिति भारत सरकार या राज्य की सरकार द्वारा वसूल किये गये या प्राप्त राजस्व या लोक-धन को छोड़ कर, संघ या राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में नौकरी में लगे हुए किसी पदाधिकारी को उसकी उस हैसियत में; अथवा

(ख किसी वाद, विषय, लेखे या व्यक्तियों के नाम में जमा किये गये भारत के राज्य क्षेत्र के अन्दर किसी न्यायालय को

प्राप्त या निक्षिप्त सब धन डाले जायेंगे।

टीका—कोई रुपया जो कि कोई सरकारी पदाधिकारी या अदालत वसूल करे या उसके हिसाब में जमा किया जाये भारत संघ के नाम में जमा किया जायेगा।

२८५—संघ की सम्पत्ति की राज्य करों से विमुक्ति

(१) जहां तक कि संसद् विधि द्वार अन्यथा उपबन्ध न करे वहां तक किसी राज्य

द्वारा, अथवा राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा आरोपित सब करों से संघ की सम्पत्ति विमुक्त होगी।

(२) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक खंड (१) की कोई बात किसी किसी राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी को संघ की किसी सम्पत्ति पर कोई ऐसा कर उद्गृहीत करने में बाधा नहीं डालेगी जिसका दायित्व, इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले, ऐसे सम्पत्ति पर था या समझा जाता था जब तक कि वह कर उस राज्य में लगा रहे।

टीका—भारत संघ की सम्पत्ति हर प्रकार के टैक्स से मुक्त होगी।

२८६—वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर करारोपण के बारे में निर्बन्धन.

(१) राज्य की कोई विधि, वस्तुओंके क्रय और विक्रय, पर जहां ऐसा क्रय या विक्रय—

(क) राज्य के बाहर, अथवा

(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में वस्तुओं के आयात अथवा उस के बाहर निर्यात के दौरान में,

होता है वहां कोई करारोपण, न करेगी और न करना प्राधिकृत करेगी।

व्याख्या—उपखंड (१) के प्रयोजनों के लिये कोइ क्रय या विक्रय उस राज्य में हुआ समझा जायेगा जिस में ऐसे क्रय या विक्रय के परिणाम स्वरूप उसी राज्य में उपभोग के लिये वस्तुओं का भुगतान उस राज्य में किया गया है चाहे फिर वस्तु-विक्रय सम्बन्धी साधारण विधि के अधीन उन वस्तुओं का स्वत्व हस्तान्तरण ऐसे क्रय या विक्रय के कारण किसी दूसरे राज्य में क्यों न हो चुका हो।

(२) जहां तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित करे उस के अतिरिक्त राज्य की कोई विधि किन्हीं वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर वहाँ कोई करारोपण न करेगी और न करना प्राधिकृत करेगी जहां ऐसा क्रय-विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान में होता है :

परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कोई कर, जो किसी राज्य की सरकार द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले विधि-वत् उद्गृहित किया जा रहा था, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे कर का आरोपण इस खंड के उपबन्धों के प्रतिकूल है, १९५१ के मार्च के ३१ वें दिन तक उद्गृहीत किया जाता रहेगा।

(३) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित कोई विधि, ऐसी वस्तुओं के जो, संसद् द्वारा समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक घोषित की गई हैं, क्रय या विक्रय पर करारोपण करती या करना प्राधिकृत करती हैं, तब तक प्रभावी न होगी जब तक कि

राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने पर उसे उसकी अनुमति प्राप्त न हो गई हो।

टीका—यदि कोई माल राज्य की हद से बाहर खरीदा व बेचा जाये तो उक्त सरकार खरीद व फरोख्त के सम्बन्ध में टैक्स लगाने के लिए कानून नहीं बना सकती है।

२८७—विद्युत पर करों से विमुक्ति.

जहां तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध करे उस को छोड़ कर (सरकार द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित) विद्युत के उपभोग या क्रय पर, जो—

(क) भारत सरकार द्वारा उपभुक्त है अथवा भारत सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिये उस सरकार को बेची गई है; अथवा

(ख) किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में भारत सरकार या रेलवे समवाय द्वारा जो उस रेलवे को चलाती है उपभुक्त है, अथवा किसी रेल के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिये उस सरकार अथवा किसी ऐसे रेलवे समवाय को बेची गई है;

राज्य की कोई विधि कर नहीं आरोपित करेगी और न कर आरोपित करना प्राधिकृत करेगी; तथा विद्युत के क्रय पर कर-आरोपण करने, या कर आरोपित करना प्राधिकृत करने वाली कोई ऐसी विधि यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार को उस सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिये, अथवा किसी ऐसे रेलवे समवाय को, जैसा कि उपयुक्त है, किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिये, बेची गई विद्युत का मूल्य उस मूल्य से, जो कि विद्युत की प्रचुर-मात्रा के अन्य उपभोक्ताओं से लिया जाता है, इतना कम होगा, जितनी कि कर की राशि है।

टीका—भारत संघ ऐसी बिजली पर कोई टैक्स नहीं देगा जो कि वह स्वयम् उपभोग में लाती हो या उपयोग में लाने के लिये उसको बेची जाती हो।

२८८—पानी या विद्युत के विषय में राज्य द्वारा लिये जाने वाले करों से कुछ अवस्थाओं में विमुक्ति

(१) जहां तक कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्ध करे, उस को छोड़ कर इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी राज्य में की कोई प्रवृत्त विधि, किसी पानी या विद्युत के बारे में जो अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के विनियमन या विकास के लिये किसी वर्तमान विधि से, अथवा संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि से, स्थापित किसी प्राधिकारी द्वारा जमा की गई, पैदा की गई, उपभुक्त, वितरित या बेची गई है. कोई कर नहीं आरोपित करेगी और न कर आरोपित करना प्राधिकृत करेगी

व्याख्या—इस अनुच्छेद में "राज्य में की कोई प्रवृत्त विधि" के अन्तर्गत राज्य की ऐसी विधि भी होगी, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व पारित या निर्मित हो तथा पहिले

ही निरसित न कर दी गई हो चाहे फिर वह या उस के कोई भाग तक पूर्णतः, अथवा किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में, प्रवर्तन में न हों।

(२) राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा खंड(१) में वर्णित कोई कर आरोपित, या आरोपित करना प्राधिकृत,कर सकेगा, किन्तु ऐसी किसी विधि का तब तक कोई प्रभाव न होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित रखे जाने के पश्चात् उसकी अनुमति न मिल गई हो,तथा यदि ऐसी कोई विधि ऐसे करों की दरों और अन्य प्रासंगिक बातों को किसी प्राधिकारी द्वारा, उस विधि के अधीन बनाये जाने वाले नियमों या आदेशों के द्वारा, नियत करने का उपबन्ध करती है, तो विधि ऐसे किसी नियम या आदेश के बनाने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति लिये जाने का उपबन्ध करेगी।

२८९—सँघ के कराधान से राज्यों की सम्पत्ति और आय की विमुक्ति

(१) राज्य की सम्पत्ति और आय संघ के कराधान से विमुक्त होंगी।

(२) खंड (१) की किसी बात से संघ को राज्य की सरकार द्वारा, या की ओर से, किये जाने वाले किसी प्रकार के व्यापार या कारबार के बारे में, अथवा उन से सम्बन्धित किन्हीं क्रियाओं के बारे में, अथवा उन के प्रयोजनों के लिये उपयोग में आने वाली या आधिपत्य में की गई, किसी सम्पत्ति के बारे में, अथवा उन से प्रोद्भूत या उत्पन्न किसी आय के बारे में, किसी कर को ऐसे विस्तार तक, यदि कोई हो, जिसे कि संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, आरोपित करने या आरोपित करना प्राधिकृत करने में रुकावट नहीं होगी।

(३) खंड (२) की कोई बात किसी ऐसे व्यापार या कारबार अथवा व्यापार या कारबार के किसी ऐसे कार को लागू न होगी जिसे कि संसद् विधि द्वारा घोषित करे कि वह सरकार के मामूली कृत्यों से प्रासंगिक है।

टीका—भारत संघ सरकारी सम्पत्ति व आय पर कोई टैक्स नहीं लगायेगा

२९०—कतिपय व्ययों तथा वेतनों के विषय में समायोजन

जहां इस संविधान के उपबन्धों के अधीन किसी न्यायालय या आयोग के व्यय, अथवा जिस व्यक्ति ने इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व भारत में सम्राट् के अधीन, अथवा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् संघ के या किसी राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में, सेवा की है उस को या उस के बारे में देय निवृत्ति-वेतन भारत की संचित निधि अथवा राज्यों की संचित निधि पर भारित हैं वहां यदि—

(क) भारत की संचित निधि पर भारित होने की अवस्था में वह न्यायालय या आयोग किसी राज्य की किन्हीं पृथक अवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता हो अथवा उस व्यक्ति ने राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः या अंशतः सेवा की हो; अथवा

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित होने की अवस्था में न्यायालय या आयोग संघ की या अन्य राज्य की पृथक् आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता हो अथवा उस व्यक्ति ने संघ या अन्य राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः या अंशतः सेवा की हो,

तो उस राज्य की संचित निधि पर अथवा यथास्थिति भारत की संचित निधि या अन्य राज्य की संचित निधि पर, व्यय विषयक या निवृत्ति-वेतन विषयक उतना अंशदान भारित होगा और उस निधि से दिया जायेगा जितना कि करार हो, अथवा करार के अभाव में उतना अंशदान जितना कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे।

टीका—किसी न्यायालय या कमीशन का खर्चा या किसी व्यक्ति की पेन्शन जो इस विधान के लागू होने से पहले भारतीय संघ या प्रान्तीय सरकार के सम्बन्ध में कार्य कर चुका है भारतीय संघ के फण्ड या प्रान्तीय सरकार के फण्ड से दिया जायेगा।

२९१—शासकों को निजी थैली की राशि.

(१) इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले जहां किसी देशी राज्य के शासक द्वारा की गई किसी प्रसंविदा या करार के अधीन ऐसे राज्य के शासक को निजी थैली के रूप में किन्हीं राशियों की कर मुक्त देनगी भारत डोमोनियन की सरकार द्वारा प्रत्याभूत या आश्वासित की गई है वहां—

(क) वैसी राशियां भारत की संचित निधि पर भारित होंगी तथा उस में से दी जायेंगी; तथा

(ख) किसी शासक को दी गई वैसी राशियां, सभी आय पर करों से विमुक्त होंगी।

(२) उपयुक्त जैसे किसी देशी राज्य के राज्य-क्षेत्र जहां प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में सामाविष्ट है वहां खंड (१) के अधीन भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली देनगियों के विषय में ऐसा अंशदान, यदि कोई हो, उस राज्य की संचित निधि पर भारित होगा और उस से दिया जायेगा और ऐसी कालवधि के लिये जैसी कि अनुच्छेद २७८ के खंड (१) के अधीन उस बारे में किये गये किसी करार के अधीन रह कर राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे।

टीका—यदि इस विधान में लागू होने के लिये भारत सरकार ने किसी रियासत के राजा से यह महायदा किया है कि सरकार से जो निजी खर्चा राजा को दिया जायेगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगा तो उक्त खर्चा भारत संघ के फंड से दिया जायेगा।

अध्याय २—उधार लेना

२९२—भारत सरकार द्वारा उधार लेना.

भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें संसद् समय २ पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक तथा ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाये, प्रत्याभूति देने तक, संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है।

टीका—भारत संघ उन नियमों के अधीन जो कि पार्लियामेंट बनाये कर्जा ले सकेगी और जामिन हो सकेगी।

२९३—राज्यों द्वारा उधार लेना.

(१) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे राज्य का विधान-मंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक तथा ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाये, प्रत्याभूति देने तक विस्तृत है।

(२) भारत सरकार ऐसी शर्तों के साथ, जैसी कि संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन रखी जायें, किसी राज्य को उधार दे सकेगी, अथवा जहां तक इस संविधान के अनुच्छेद २९२ के अनुसार नियत किन्हीं सीमाओं का उल्लंघन न होता हो वहां तक ऐसे किसी राज्य के द्वारा लिये गये उधारों के बारे में प्रत्याभूति दे सकेगी तथा, जो राशियां ऐसे उधार देने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों, वे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी।

(३) यदि किसी ऐसे उधार का, जिसे भारत सरकार ने या उसकी पूर्वाधिकारी सरकार ने उस राज्य को दिया था अथवा जिसके विषय में भारत सरकार ने अथवा उस की पूर्वाधिकारी सरकार ने प्रत्याभूति दी थी, कोई भाग देना शेष है तो वह राज्य भारत सरकार की सम्मति के बिना कोई उधार न ले सकेगा।

(४) खंड (३) के अनुसार सम्मति उन शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, दी जा सकेगी जिन्हें भारत सरकार आरोपित करना उचित समझे।

अध्याय ३—सम्पत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व आभार और व्यवहार-वाद

२९४—कतिपय अवस्थाओं में सम्पत्ति आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का उत्तराधिकार.

इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर—

(क) जो सम्पत्ति और आस्तियां भारत डोमीनियन की सरकार के प्रयोजनों के

लिये सम्राट् में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले निहित थीं तथा जो सम्पत्ति और आस्तियां प्रत्येक राज्यपालप्रान्त की सरकार के प्रयोजनों के लिये सम्राट् में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले निहित थीं वे सब इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले पाकिस्तान की डोमीनियन के अथवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, और पूर्वी पंजाब के प्रान्तो के सृजन के कारण किये गये या किये जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रह कर क्रमश: संघ और तत्स्थानी राज्य में निहित होंगी; तथा

(ख) जो अधिकार, दायित्व और आभार भारत डोमिनियन की सरकार के तथा प्रत्येक राज्यपालप्रान्त की सरकार के थे; चाहे फिर वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे सब इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले पाकिस्तान की डोमीनियन के अथवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के प्रांतों के सृजन के कारण किये गये या किये जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रह कर क्रमश: भारत सरकार तथा प्रत्येक तत्स्थानी राज्य की सरकार के अधिकार, दायित्व और आभार होंगे।

टीका—ऐसी कुल सम्पत्ति जो इस विधान के लागू होने के पहिले सम्राट् के नाम में भारत सरकार या किसी प्रान्तीय सरकार के लिये थी तो इस विधान के लागू होने के पश्चात् उपरोक्त सम्पत्ति भारत संघ या प्रान्तीय सरकार की, जैसी कि दशा हो, होगी।

२९५—अन्य अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का उत्तराधिकार

(१) इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर—

(क) जो सम्पत्तियां और आस्तियां प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले निहित थीं वे सब, ऐसे करार के अधीन रह कर जैसा कि उस बारे में भारत सरकार उस राज्य की सरकार से करें संघ में निहित होंगी यदि जिन प्रयोजनों के लिये ऐसी सम्पत्तियां और आस्तियां ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले संधृत थीं, वे तत्पश्चात् संघ-सूची में प्रगणित विषयों में से किसी से सम्बद्ध संघ के प्रयोजन हों, तथा

(ख) जो अधिकार, दायित्व और आभार प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य की सरकार के थे चाहे फिर वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे सब ऐसे करार के अधीन रह कर जैसा कि उस बारे में भारत सरकार उस राज्य की सरकार से करे, भारत सरकार के अधिकार, दायित्व और आभार होंगे यदि जिन प्रयोजिनों के लिये ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे अधिकार अर्जित किये

गये थे अथवा दायित्व या आभार लिये गये थे, वे संघ-सूची में प्रगणित विषयों में से किसी से सम्बद्ध भारत सरकार के प्रयोजन हों।

(२) उपरोक्त के अधीन रह कर, प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य की सरकार, उन सब सम्पत्ति और अस्तियों तथा संविदा से या अन्यथा उद्भूत सब अधिकारों, दायित्वों और आभारों के बारे में, जो खंड (१) में निर्दिष्ट से भिन्न है, तत्स्थानी देशी राज्य की इस संविधान के प्रारम्भ से लेकर उत्तराधिकारिणी होगी।

टीका—ऐसी सम्पत्ति जो इस विधान के लागू होने से पहले किसी ऐसी रियासत की थी जो उन राज्यों में सम्मिलित है जो कि इस विधान की सूची १ (ख) में दी गई है और जो इस कार्य के अभिप्राय के लिये थे जो कार्य अब भारत संघ के अधिकार में आगये हैं भारत संघ की मिलकियत होगी।

२६६—राजगामी व्यपगत या स्वामिहीनत्व होने से प्रोद्भूत सम्पत्ति

एतत्पश्चात् उपवन्धित के अधीन रह कर यदि यह संविधान प्रवर्तन में न आया होता तो जो कोई सम्पत्ति भारत राज्य क्षेत्र में राजगामी या व्यपगत होने से, या अधिकारयुक्त स्वामी के अभाव में स्वामिहीनत्व-रिक्त के रूप में यथास्थिति सम्राट् को अथवा देशी राज्य के शासक को प्रोद्भूत हुई होती, वह सम्पत्ति यदि राज्य में स्थित हो तो ऐसे राज्य में और किसी अन्य अवस्था में संघ में निहित होगी।

परन्तु कोई सम्पत्ति, जो उस तारीख को, जब कि वह इस प्रकार सम्राट को अथवा देशी राज्य के शासक को प्रोद्भूत् हुई होती भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के कब्जे या नियंत्रण में थी, तब यदि उस का जिन प्रयोजनों के लिये उस समय उपयोग या धारण था, वे प्रयोजन संघ के थे तो वह संघ में और यदि वे प्रयोजन किसी राज्य के थे तो वह उस राज्य में निहित होगी।

व्याख्या—इस अनुच्छेद में "शासक" और "देशी राज्य" पदों का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद ३६३ में है।

टीका—यदि इस विधान के लागू होने से पहिले किसी व्यक्ति के बिना वारिस छोड़े मर जाने से या मर जाने पर सम्राट् को पहुँचती थी तो वह सम्पत्ति अब भारत संघ को पहुँचेगी और यदि वह किसी राजा को पहुंचती थी तो अब वह उस राज्य को पहुँचेगी जिसका कि वह राजा था।

२६७—जल प्रांगण में स्थित मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी

भारत के जल प्रांगण में समुद्र, के नीचे की सब भूमियां, खनिज तथा अन्य मूल्यवान चीजे संघ में निहित होंगी तथा संघ के प्रयोजनों के लिये धारणकी जायेंगी।

टीका—भूमि खनिज पदार्थ व अन्य बहुमूल्य वस्तुयें जो ऐसे समुद्रों की तलहटी में है जो भारत राज्य की सीमा में है भारत संघ की होगी।

२६८—सम्पत्ति के अर्जन की शक्ति

(१) संघ की और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति, समुचित विधान-मंडल

की किसी विधि के अधीन रहते हुए, यथास्थिति संघ के अथवा ऐसे राज्य के प्रयोजनों के लिये धारण की हुई किसी सम्पत्ति के अनुदान, विक्रय, व्ययन या बंधक तक विस्तृत होगी, तथा क्रमशः उन प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति के क्रय या अर्जन तक, तथा संविदा-करण तक विस्तृत होगी।

(२) संघ के, अथवा राज्य के प्रयोजनों के लिये अर्जित सब सम्पत्ति, यथास्थिति, संघ में या ऐसे किसी राज्य में निहित होगी।

टीका—ऐसे कानून के आधीन जो कि बनाये जायें भारत सरकार की भारत संघ की सम्पति को और किसी राज्य की सरकार को राज्य की सम्पत्ति को अनुदान करने (ग्रांट) बेचने रहन करने या अन्य प्रकार मुन्तकिल करने का अधिकार होगा इसी प्रकार संघ को भारत के लिये व किसी राज्य की सरकार को राज्य के लिये किसी सम्पत्ति को खरीदने व उसको प्राप्त करने का व कोई महायदा करने का भी अधिकार होंगा।

२९९—संविदाएं

(१) संघ की, अथवा राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में की गई सब संविदाएं, यथास्थिति, राष्ट्रपति द्वारा अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा की गई कही जायेंगी तथा वे सब सँविदाएं और संपत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण-पत्र, जो उस शक्ति के पालन में किये जायें राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख की ओर से उसके द्वारा निदेशित या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा और रीति के अनुसार लिखे जायेंगे।

(२) न तो राष्ट्रपति और न किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख इस संविधान के प्रयोजनों के हेतु, अथवा भारत सरकार विषयक इस से पूर्व प्रवर्तित किसी अधिनियमित के प्रयोजनों के हेतु, की गई अथवा लिखी गई किसी संविदा या हस्तान्तरण-पत्र के बारे में वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा, और न वैसा कोई व्यक्ति ही इस के बारे में वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा जिसने उन में से किसी की ओर से ऐसी संविदा या हस्तान्तरण-पत्र किया या लिखा हो।

टीका—भारत संघ के महायदे राष्ट्रपति की तरफ से और राज्य के महायदे राज्य के गवर्नर जैसी भी दशा हो की तरफ से किये जायेंगे।

३००—व्यवहार-वाद और कार्यवाहियां

(१) भारत संघ के नाम से, भारत सरकार व्यवहार वाद ला सकेगी अथवा उस के विरुद्ध व्यवहार वाद लाया जा सकेगा तथा किसी राज्य के नाम से, उस राज्य की सरकार व्यवहार-वाद ला सकेगी अथवा उसके विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया जा सकेगा तथा इस संविधान से दी हुई शक्तियों के आधार पर, संसद् द्वारा अथवा ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा, जो अधिनियम बनाया जाये, उस के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे अपने-अपने कार्यों के बारे में उसी प्रकार व्यवहार वाद ला सकेंगे, अथवा उनके विरुद्ध उसी प्रकार व्यवहार-वाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार भारत डोमीनियन और तत्स्थानी प्रांत अथवा तत्स्थानी देशी राज्य-व्यवहार-वाद ला सकते अथवा उनके विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया जा सकता, यदि इस विधान को अधिनियम का रूप न दिया गया होता।

(२) यदि इस संविधान के प्रारम्भ पर—

(क) कोई ऐसी विधि-कार्यवाहियां लम्बित हैं जिस में भारत डोमीनियन एक पक्ष है, तो उन कार्यवाहियों में उक्त डोमीनियन के स्थान में भारत संघ समझा जायेगा, तथा

(ख) कोई ऐसी विधि-कार्यवाहियां लम्बित हैं जिन में कोई प्रान्त या कोई देशी राज्य एक पक्ष है, तो उन कार्यवाहियों में उस प्रान्त या देशी राज्य के स्थान में तत्स्थानी राज्य समझा जायेगा ।

टीका—भारत सरकार की तरफ से या उसके विरुद्ध नालिश भारत संघ के नाम से व किसी राज्य की सरकार की तरफ से या उसके विरुद्ध नालिश राज्य के नाम से की जायेगी।

भाग १३

भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

३०१—व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा।

टीका—यह आर्टिकिल बहुत आवश्यक है इसमें यह दिया गया है कि ऐसे अन्य नियमों का पालन करते हुये जो कि इस भाग में दिये गये हैं भारत राज्य में व्यापार व तिजारत करने व आने जाने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी।

३०२—व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन लगाने की संसद् की शक्ति

संसद् विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतन्त्रता पर ऐसे निर्बन्धन आरोपित कर सकेगी जैसे कि लोक-हित में अपेक्षित हों।

टीका—पारलियामेंट को अधिकार होगा कि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिये या भारत के किसी भाग के लिये तिजारत व्यापार और आने जाने पर ऐसी पाबन्दियां लगादे जो सार्वजनिक हित के लिये आवश्यक हो।

३०३—व्यापार और वाणिज्य के विषय में संघ और राज्यों की विधायिनी शक्तियों पर निर्वन्धन

(१) अनुच्छेद ३०२ में किसी बात के होते हुए भी सप्तम अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य सम्बन्धी किसी प्रविष्टि के आधार पर न तो संसद् को, और न राज्य के विधान-मंडल को, कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई विभेद करती या किया जाना प्राधिकृत करती है।

(२) खंड (१) में की कोई बात संसद् को ऐसी कोई विधि बनाने से न रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद करती या किया जाना प्राधिकृत करती है, यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया गया हो कि भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में वस्तुओं की दुर्लभता से उत्पन्न किसी स्थिति से निवटने के प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक है।

टीका—पारलियामेंट या राज्य की सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकेगी जो कि एक राज्य को दूसरे राज्य पर विशेष सुविधा देती हैं।

३०४—राज्यों के पारस्परिक व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्वन्धन

अनुच्छेद ३०१ या अनुच्छेद ३०३ में किसी बात के होते हुये भी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा—

(क) अन्य राज्यों से आयात की गई वस्तुओं पर कोई ऐसा कर आरोपित कर सकेगा जो कि उस राज्य में निर्मित या उत्पादित वैसी ही वस्तुओं पर लगता हो किन्तु इस प्रकार कि उससे इस तरह आयात की गई वस्तुओं तथा ऐसी निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न हो; तथा

(ख) उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम कि स्वतन्त्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्वन्धन आरोपित कर सकेगा जैसे कि लोक-हित में अपेक्षित हों:

परन्तु खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के विना राज्य के विधान-मंडल में पुरः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जायगा :

टीका—राज्य की असेम्बली व काउन्सिल दूसरे राज्य से आने वाली चीजों पर ऐसा टेक्स लगा सकेगी जो कि वह उसी प्रकार की अपने राज्य में पैदा की जाने वाली चीजों पर लगाती हो और कोई राज्य दूसरे राज्य से ऐसी चीजों के आने पर ऐसी पाबन्दियां लगा सकती है जो उस राज्य की जनता के हित के लिये आवश्यक हों।

३०५—वर्तमान विधियों पर अनुच्छेद ३०१ और ३०३ का प्रभाव

अनुच्छेद ३०१ और ३०३ की कोई बात किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों पर,

जिस मात्रा तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्धित करे, उसके अतिरिक्त, कोई प्रभाव न डालेगी।

टीका—आर्टिकल ३०१ व ३०३ का कोई प्रभाव किसी वर्तमान कानून पर नहीं पड़ेगा जब तक कि राष्ट्रपति ने इसके सम्बन्ध में कोई और व्यवस्था न की हो।

३०६—प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कतिपय राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बन्धनों के आरोपण की शक्ति

इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में अथवा इस संविधान के अन्य उपबन्धों में, किसी बात के होते हुये भी प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कोई राज्य जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले दूसरे राज्यों से उस राज्य में वस्तुओं के आयात पर अथवा उस राज्य से दूसरे राज्यों को वस्तुओं के निर्यात पर कोई कर या शुल्क उद्-गृहीत करता था, ऐसे कर या शुल्क को, यदि भारत सरकार और उस राज्य की सरकार में उस लिये करार हो जाये तो, ऐसे करार के निबन्धनों के अधीन रहते हुए तथा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये, जैसी कि करार में उल्लिखित हो उद्गृहीत और संगृहीत करता रहेगा :

परन्तु ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी समय भी यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद २८० के अधीन गठित वित्त-आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे किसी करार का अन्त या रूद्भेद करना आवश्यक समझे तो वह ऐसा कर सकेगा।

टीका—यदि इस विधान के लागू होने से पहिले भारत सरकार की किसी रियासत का भारत सरकार से यह महायदा था कि वह अपनी रियासत के बाहर जाने वाली व अन्दर आने वाली चीज़ों पर टैक्स लगा सकेगी तो उपरोक्त रियासत उस टैक्स को उस विधान के लागू होने से अधिक से अधिक १० वर्ष तक लगा सकेगी।

३०७—अनुच्छेद ३०१ से ३०४ तक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति

संसद् विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जैसा कि वह अनुच्छेद ३०१, ३०२, ३०३, ३०४ के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये समुचित समझे तथा इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां और ऐसे कर्तव्य सौंप सकेगी जैसे कि वह आवश्यक समझे।

भाग १४

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

अध्याय १—सेवाएं

३०८—निर्वचन

इस भाग में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" पद से प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य अभिप्रेत है।

टीका—इस भाग के अभिप्राय के लिये राज्यों के लिये राज्यों के अभिप्राय ऐसे राज्यों से हैं जो कि इस विधान की सूची नं० १ (क) व (ख) में दिये गये हैं।

३०९—संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें

इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समुचित विधान-मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यों से सम्बद्ध लोक-सेवाओं और पदों के लिये भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेंगे :

परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान-मंडल के अधिनियम के द्वारा या अधीन उस लिये उपबन्ध नहीं बनाये जाते तब तक यथास्थिति संघ के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राष्ट्रपति को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निदेशित करे, तथा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निदेशित करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियमों के बनाने की क्षमता होगी तथा किसी ऐसे अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभावी होंगे।

३१०—संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि

(१) इस संविधान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति, जो संघ की प्रतिरक्षा सेवा या असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के अधीन प्रतिरक्षा से सम्बन्धित किसी पद को अथवा किसी असैनिक पद को धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है अथवा राज्य के अधीन किसी असैनिक पद को धारण करता है, यथास्थिति राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है।

(२) इस बात के होते हुए भी कि संघ या राज्य के अधीन असैनिक पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल या राज्यप्रमुख के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है कोई संविदा, जिस के अधीन कोई व्यक्ति, जो प्रतिरक्षा-सेवा या अखिल भारतीय सेवा अथवा संघ या राज्य की असैनिक

सेवा का सदस्य नहीं है, ऐसे किसी पद को धारण करने के लिये इस संविधान के आधीन नियुक्त होता है, यह उपबन्ध कर सकेगी कि यदि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख विशेष आर्हताओं वाले किसी व्यक्ति की सेवा को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक समझता है तो, यदि करार की हुई कालावधि की समाप्ति से पहिले उस पद का अन्त कर दिया जाता है अथवा उसके द्वारा किये गये किसी अवचार से असम्बद्ध कारणों के लिये उस से पद रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है तो, उसे प्रतिकर दिया जायेगा।

टीका—सिवाय उस दशा के जो कि इस विधान में की गई है प्रत्येक व्यक्ति जो कि संघ की प्रतिरक्षा सेवा (डिफेन्स सरविस) या असैनिक सेवा (सिविल सरविस) का सदस्य है राष्ट्रपति की इच्छा तक और जो राज्य के डिफेन्स सरविस व सिविल सरविस का सदस्य है गवर्नर या राज्य प्रमुख की इच्छा तक काम करेगा।

३११—संघ या राज्य के आधीन असैनिक हैसियत से नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों की पदच्युति, पद से हटाया जाना या पंक्तिच्युत किया जाना

(१) जो व्यक्ति संघ की असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के या राज्य के अधीन असैनिक पद को धारण करता है, वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद से हटाया नहीं जायेगा।

(२) उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत नहीं किया जायेगा, अथवा पद से नहीं हटाने जायेगा, अथवा पंक्तिच्युत नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके बारे में प्रस्थापित की जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ कारण दिखाने का युक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो:

परन्तु यह खंड वहां लागू न होगा—

(क) जहां कोई व्यक्ति ऐसे आचार के आधार पर पदच्युत किया गया या हटाया गया या पंक्तिच्युत किया गया है जिस के लिये दंड-दोषारोप पर वह सिद्ध-दोष हुआ है;

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायगा, यह युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है कि उस व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर दिया जाये: अथवा

(ग) जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं है कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाये।

(३) यदि कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या खंड (२) के आधीन किसी व्यक्ति को

कारण दिखाने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य है या नहीं तो ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति पदच्युत करने या पद से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने की शक्ति वाले प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

टीका—भारत संघ या राज्य के किसी अफसर को उस अफसर से जिसने कि उनको नियत किया था कम दरजे का अफसर बरखास्त नहीं कर सकेगा और किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाने या उसका दरजा कम करने से पहिले उसको सुने जाने का अवसर दिया जावगा।

३१२—अखिल भारतीय सेवाएँ.

(१) भाग ११ में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य-परिषद् ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित कर दिया है कि राष्ट्र-हित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो संसद् विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिये सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिये उपबन्ध कर सकेगी तथा इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के लिये भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेगी।

(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत प्रशासन सेवा और भारत आरक्षी सेवा नाम से ज्ञात सेवाएँ इस अनुच्छेद के आधीन संसद् द्वारा सृजित सेवाएँ समझी जायेंगी।

३१३—अन्तर्वर्ती उपबंध

जब तक इस संविधान के आधीन इस लिये अन्य उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले सब प्रवृत्त विधियां, जो किसी ऐसी लोक-सेवा या किसी ऐसे पद को, जो इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ या राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बने रहते हैं, लागू हों, वहां तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जहां तक कि वे इस संविधान के उपबन्धों से संगत हों।

३१४—कतिपय सेवाओं के वर्तमान पदाधिकारियों के सँरक्षण के लिये उपबन्ध.

इस संविधान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति को, जो सेक्रेटरी आफ स्टेट या सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा भारत में सम्राट् की किसी असैनिक सेवा में नियुक्त होने के पश्चात् इस संविधान के प्रारम्भ पर और पश्चात् भारत की या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवा में बना रहता है, भारत सरकार या राज्य की सरकार से, जिस की सेवा वह समय समय पर करता रहता है, पारिश्रमिक, छुट्टी और निवृत्तिवेतन के बारे में उन्हीं सेवा-शर्तों का, तथा अनुशासनीय विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों का अथवा उनके तुल्य ऐसे अधिकारों का, जैसे कि परिवर्तित परिस्थितियों में सम्भव हों, हक्क होगा जिनका कि उस व्यक्ति को ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले हक्क था।

३१५—संघ और राज्यों के लिये लोकसेवा-आयोग

(१) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संग के लिये एक लोकसेवा-आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक लोकसेवा-आयोग होगा।

(२) दो या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के लिये एक ही लोकसेवा-आयोग होगा तथा, य द उस उद्देश्य का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक के विधान-मंडल के सदन द्वारा अथवा जहां दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो, संसद् उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति केलिये विधि द्वारा संयुक्त लोकसेवा-आयोग (जो इस अध्याय में "संयुक्त आयोग" के नाम से निर्दिष्ट हैं) की नियुक्ति का उपबन्ध कर सकेगी।

(३) उपरोक्त विधि में ऐसे प्रासंगिक तथा आनुषंगिक उपबन्ध भी अन्तर्विष्ट हो सकेंगे जैसे कि उस विधि के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिये आवश्यक या वांछनीय हों।

(४) यदि किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख, संघ के लोकसेवा-आयाग से ऐसा करने की प्रार्थना करे तो, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, वह उस राज्य की सब या किन्हीं आवश्यकताओं को पूर्ति के लिये कार्य करना स्वीकार कर सकेगा।

(५) यदि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, तो इस संविधान में संघ के लोक-सेवा-आयोग अथवा किसी राज्य के लोकसेवा-आयोग के निर्देशों को ऐसे आयोग के प्रति निर्देश समझा जायगा जो प्रश्नास्पद किसी विशेष विषय के बारे में यथास्थिति संघ की अथवा राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो।

टीका—भारत संघ और भारत के प्रत्येक प्रांत के लिये अलग अलग एक लोकसेवा आयोग (पब्लिक सरविस कमीशन) नियुक्त किया जायगा। परन्तु कई प्रांतों के लिये मिलकर भी एक लोकसेवा आयोग नियुक्त हो सकेगा।

३१६—सदस्यों की नियुक्ति, तथा पदावधि

(१) लोकसेवा-आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा तथा, यदि वह राज्य-आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा की जायगी :

परन्तु प्रत्येक लोकसेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी-अपनी नियुक्तियों की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं, तथा उक्त दस वर्ष की कालावधि की संगणना में ऐसी कालावधि भी सम्मिलित होगी, जिसमें इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी व्यक्ति ने भारत के सम्राट् के अधीन या देशी राज्य के अधीन पद धारण किया है।

(२) लोकसेवा-आयोग का सदस्य, अपने पद-ग्रहण की तारीख से छः वर्ष की अवधि तक, अथवा यदि वह संघ-आयोग है तो, पैंसठ वर्ष की आयु को प्राप्त होने तक, तथा यदि वह राज्य-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, साठ वर्ष की आयु को प्राप्त होने तक, जो भी इन में से पहिले हो, अपना पद धारण करेगा :

परन्तु—

(क) लोकसेवा-आयोग का कोई सदस्य, यदि वह संघआयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति को, तथा, यदि वह राज्य-आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को, सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद को त्याग सकेगा;

(ख) लोकसेवा-आयोग का कोई सदस्य अपने पद से अनुच्छेद ३१७ के खंड (१) या खंड (३) में उपबन्धित रीति से हटाया जा सकेगा।

(३) कोई व्यक्ति, जो लोकसेवा-आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिये अपात्र होगा।

टीका—भारत संघ के पब्लिक कमीशन को राष्ट्पति और प्रांत के पब्लिक कमीशन को प्रांत का गवर्नर या राजप्रमुख (जैसी कि दशा हो) नियुक्त करेगा। पब्लिक सरविस कमीशन के सदस्य के पद की अवधि छः वर्ष होगी और संघ के पब्लिक सरविस कमीशन का सदस्य ६५ वर्ष की आयु तक और प्रांत के पब्लिक सरविस कमीशन का सदस्य ६० वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेगा।

३१७.—लोकसेवा-आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलम्बित किया जाना

(१) खंड (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोकसेवा-आयोग का सभापति या अन्य कोई सदस्य अपने पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर दिये गए उस आदेश पर ही हटाया जायगा, जो कि उच्चतमन्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा पृच्छा किये जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद १४५ के अधीन उस लिये विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर, उस न्यायालय द्वारा किये गए इस प्रतिवेदन के पश्चात, कि यथास्थिति सभापति या ऐसे किसी सदस्य को, ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाये, दिया गया है।

(२) आयोग के सभापति या अन्य किसी सदस्य को, जिस के सम्बन्ध में खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालय से पृच्छा की गई है, राष्ट्रपति, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है, तथा राज्यपाल या राजप्रमुख, यदि वह राज्य-आयोग है, उसको पद से तब तक के लिये निलम्बित कर सकेगा जब तक कि ऐसी पृच्छा की गई बात पर उच्चतमन्यायालय के प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति अपना आदेश न दे।

(३) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी यदि यथास्थिति लोकसेवा-आयोग का सभापति या कोई दूसरा सदस्य—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाता है; अथवा

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों से बाहर कोई वैतनिक नौकरी करता है; अथवा

(ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिकदौर्बल्य के कारण अपने पद पर रहे आने के लिये अयोग्य है;

तो सभापति या ऐसे अन्य सदस्य को राष्ट्रपति आदेश द्वारा अपने पद से हटा सकेगा।

(४) यदि लोकसेवा-आयोग का सभापति या अन्य कोई सदस्य भारत सरकार के या राज्य की सरकार के द्वारा, या ओर से, की गई किसी संविदा या करार में निगमित समवाय के सदस्य के नाते तथा उसके अन्य सदस्यों के साथ साथ के सिवाय, किसी प्रकार से भी संपृक्त या हित-सम्बद्ध है या हो जाता है अथवा किसी प्रकार से उसके लाभ में अथवा तदुत्पन्न किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है, तो वह खंड (१) के प्रयोजनों के लिये कदाचार का अपराधी समझा जायगा।

टीका—इस आर्टीकिल में पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य या चेयरमैन को हटाने के नियम दिये गये हैं।

३१८.—आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारी-वृन्द की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति

संघ-आयोग या संयुक्त आयोग के बारे में राष्ट्रपति तथा राज्य-आयोग के बारे में उस राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख विनियमों द्वारा—

(क) आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उन की सेवाओं की शर्तों का निर्धारण कर सकेगा ; तथा

(ख) आयोग के कर्मचारी-वृन्द के सदस्यों की संख्या के तथा उन की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकेगा :

परन्तु लोकसेवा-आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उस की नियुक्ति के पश्चात् उस को अलाभकारी परिवर्तन न किया जायेगा।

टीका—संघ के कमीशन के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति और राज्य के कमीशन के सदस्यों की संख्या गवर्नर या राजप्रमुख नियत करेगा।

३१९.—आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पदों के धारण के सम्बन्ध में प्रतिषेध.

पद पर न रहने पर—

(क) संघ-लोकसेवा-आयोग का सभापति भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नौकरी के लिये अपात्र होगा ;

(ख) राज्य के लोकसेवा-आयोग का सभापति संघ-लोक-सेवा-आयोग के सभापति या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य के लोक-सेवा-आयोग के सभापति के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा :

(ग) संघ-लोकसेवा-आयोग के सभापति से अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य संघ-लोकसेवा-आयोग के सभापति के रूप में अथवा राज्य-लोकसेवा-आयोग के सभापति के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा;

(घ) किसी राज्य के लोकसेवा-आयोग के सभापति से अतिरिक्त अन्य कोई

सदस्य संघ-लोकसेवा-आयोग के सभापति या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी, या किसी अन्य, राज्य-लोकसेवा-आयोग के सभापति के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार के या किसी राज्य को सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा।

टीका—पब्लिक सरविस कमीशन का चेयरमैन अपने पद से हटने के बाद कोई और सरकारी नौकरी नहीं कर सकेगा।

३२०—लोकसेवा-आयोगों के कृत्य

(१) संघ तथा राज्य के लोकसेवा-आयोग का कर्तव्य होगा कि क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिये परीक्षाओं का संचालन करे।

(२) यदि संघ-लोकसेवा-आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने की प्रार्थना करें तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कि ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिये, जिनके लिये विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, मिली जुली भर्ती की योजनाओं के बनाने तथा प्रवर्तन में लाने के लिये उन राज्यों की सहायता करें।

(३) यथास्थित संघ-लोकसेवा-आयोग या राज्य-लोक सेवा-आयोग से—

(क) असैनिक सेवाओं में और असैनिक पदों के लिये भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त विषयों पर;

(ख) असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के, तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और बदली करने के, तथा अभ्यर्थियों की ऐसी नियुक्ति पदोन्नति अथवा बदली की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर;

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार अथवा किसी राज्यकी की सरकार की असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले अनुशासन-विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएं सम्बद्ध हैं उनके सहित समस्त ऐसे अनुशासन विषयों पर;

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा कृत, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत सम्राट् के अधीन या देशी राज्य की सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है या कर चुका है, अथवा वैसे व्यक्ति के सम्बन्ध में कृत, जो कोई दावा है कि अपने कर्तव्य पालन में किये गये, या कर्तुमभिप्रेत, कार्य्यों के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध चलाई गई किन्हीं विधि-कार्यवाहियों में जो खर्चा उसे अपनी प्रतिरक्षा में करना पड़ा है यह यथास्थिति भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से दिया जाना चाहिये, उस दावे पर;

(ङ) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या सम्राट् के अधीन अथवा किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में निवृत्ति-वेतन दिये जाने के लिये

किसी दावे पर तथा ऐसी दी जाने वाली राशि क्या हो, इस प्रश्न पर, परामर्श किया जावेगा, तथा इस प्रकार उन से पृच्छा किये हुए किसी विषय पर तथा किसी अन्य विषय पर, जिस पर यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा उस राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख, उन से पृच्छा करे, परामर्श देने का लोकसेवा-आयोग का कर्तव्य होगा:

परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में तथा संघकार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख, उन विषयों का उल्लेख करने वाले विनियम बना सकेगा, जिन में साधारणतया अथवा किसी विशेष वर्ग के मामले में, अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में लोकसेवा-आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक न होगा।

(४) खंड (३) की किसी बात से यह अपेक्षा न होगी कि लोक सेवा-आयोग से उस रीति के बारे में परामर्श किया जाये जिस से कि अनुच्छेद १६ के खंड (४) में निर्दिष्ट कोई उपबन्ध बनाया जाना है अथवा जिस रीति से कि अनुच्छेद ३३५ के उपबन्धों को प्रभाव दिया जाना है।

(५) खंड (३) के परन्तु के अधीन राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा बनाये गये सब विनियम उनके बनाये जाने के पश्चात्, यथासम्भव शीघ्र यथास्थिति संसद् के प्रत्येक सदन, अथवा राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष चौदह दिन से अन्यून समय के लिये रखे जायेंगे, तथा निरसन या संशोधन द्वारा किये गये ऐसे रूपभेदों के अधीन होंगे जैसे कि संसद् के दोनों सदन अथवा उस राज्य के विधान-मंडल का सदन या दोनों सदन उस सत्र में करें जिस में कि वे इस प्रकार रखे गये हों।

टीका—पब्लिक सरविस कमीशन सरकारी नौकरियों के सिलेक्शन में मदद का काम करेगा।

३२१—लोकसेवा-आयोगों के कृत्यों के विस्तार की शक्ति

यथास्थिति संसद् द्वारा निर्मित अथवा राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित कोई अधिनियम संघ-लोकसेवा-आयोग या राज्य-लोकसेवा-आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के बारे में, तथा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा विधि द्वारा गठित अन्य निगम-निकाय अथवा किसी सार्वजनिक संस्था की सेवाओं के बारे में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिये उपबन्ध कर सकेगा।

३२२—लोकसेवा-आयोगों के व्यय

संघ के, या राज्य के, लोकसेवा-आयोग के व्यय, जिन के अन्तर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारी वृन्द को, या के विषय में, दिये जाने वाले कोई वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन भी हैं यथास्थिति भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।

टीका—पब्लिक सरविस कमीशन का खर्च और तनख्वाहें आदि भारत के कर से दिया जाना आवश्यक होगा।

३२३—लोकसेवा-आयोगों के प्रतिवेदन.

(१) संघ- आयोग का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे, तथा ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया, ऐसी अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

(२) राज्यआयोगका कर्तव्य होगा कि राज्य के राज्य पाल या राजप्रमुख को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कर्तव्य होगा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिन की आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल या राज्यप्रमुख को उस राज्य के सम्बन्ध में आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा-इन में से प्रत्येक अवस्था में ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसी अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगा।

टीका—भारत संघ का पब्लिक सरविस कमीशन अपने कार्य की एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेगा और इसी प्रकार प्रान्त का सर्विस कमीशन एक रिपोर्ट गवर्नर या राज्य प्रमुख को भेजेगा।

भाग १५

निर्वाचन

३२४—निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होंगे

(१) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिये निर्वाचन के लिये नामावलि तैयार कराने का तथा उन समस्त निर्वाचनों के संचालन का तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण जिसके अन्तर्गत संसद् के तथा राज्यों के विधान मण्डलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त सन्देहों और विवादों के निर्णय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी है, एक आयोग में निहित होगा (जो इस संविधान में "निर्वाचन आयोग" के नाम से निर्दिष्ट है)

(२) निर्वाचन-आयोग मुख्य निर्वाचन- आयुक्त तथा, यदि कोई हों तो, अन्य उतने निर्वाचन-आयुक्तों से, जितने कि राष्ट्रपति समय-समय- पर नियत करे, मिलकर बनेगा

३२३—लोकसेवा-आयोगों के प्रतिवेदन.

(१) संघ- आयोग का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे, तथा ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया, ऐसी अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

(२) राज्यआयोगका कर्तव्य होगा कि राज्य के राज्य पाल या राजप्रमुख को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कर्तव्य होगा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिन की आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल या राज्यप्रमुख को उस राज्य के सम्बंन्ध में आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा-इन में से प्रत्येक अवस्था में ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसी अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगा।

टीका—भारत संघ का पब्लिक सरविस कमीशन अपने कार्य की एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेगा और इसी प्रकार प्रान्त का सर्विस कमीशन एक रिपोर्ट गवर्नर या राज्य प्रमुख को भेजेगा।

भाग १५

निर्वाचन

३२४—निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होंगे

(१) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिये निर्वाचन के लिये नामावलि तैयार कराने का तथा उन समस्त निर्वाचनों के संचालन का तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण जिसके अन्तर्गत संसद् के तथा राज्यों के विधान मण्डलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त सन्देहों और विवादों के निर्णय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी है, एक आयोग में निहित होगा (जो इस संविधान में "निर्वाचन आयोग" के नाम से निर्दिष्ट है)

(२) निर्वाचन-आयोग मुख्य निर्वाचन- आयुक्त तथा, यदि कोई हों तो, अन्य उतने निर्वाचन-आयुक्तों से, जितने कि राष्ट्रपति समय-समय- पर नियत करे, मिलकर बनेगा

टीका—प्रत्येक क्षेत्र के लिये राय देने वालों की एक सूची बनाई जायगी और कोई व्यक्ति केवल धर्मवंश, जाति, लिंग, (स्त्री या पुरुष) के आधार पर वोटरों की सूची में दर्ज किये जाने से वंचित नहींकिया जायगा।

३२६—लोक-सभा और राज्यों की विधान-सभाओं के लिये निर्वाचन का वयस्क-मताधिकार के आधार पर होना.

लोक-सभा तथा प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिये निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो ऐसी तारीख पर, जैसी कि समुचित विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या आधीन इसलिये नियत की गई हो, इक्कीस वर्ष की अवस्था से कम नहीं है, तथा इस संविधान अथवा समुचित विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अनिवास, चितविकृति, अपराध अथवा भ्रष्ट या अवैध आचार के आधार पर अनर्ह नहीं कर दिया गया है, ऐसे किसी निर्वाचन में मत दाता के रूप में पंजीबद्ध होने का हक्कदार होगा।

टीका—लोकसभा और प्रान्त की असैम्बली के लिये ऐसा व्यक्ति वोटर हो सकेगा जिसकी आयु २१ वर्ष हो चुकी हो और जो निवास न रखने पागल होने या अपराध करने या कानून के विरुद्ध कार्य करने के कारण वोट देने के अयोग्य न हो गया हो।

३२७—विधान-मंडलों के लिये निर्वाचनों के विषय में उपबन्ध बनाने की संसद् की शक्ति

इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद्, समय समय पर, विधि द्वारा संसद् के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचनों से सम्बद्ध या संसक्त सब विषयों के सम्बन्ध में जिनके अन्तर्गत निर्वाचक-नामावलियों का तैयार कराना तथा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन कराने के लिये अन्य सब आवश्यक विषय भी हैं, उपबन्ध कर सकेगी।

टीका—पारलियामेंट समय समय पर पारलियामेंट के दोनों सदनों के लिये नियम बना सकेगी।

३२८—किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे विधान-मंडल के लिये निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध बनाने की शक्ति

इस संविधान के उपबन्धों के आधीन रहते हुए तथा जहां तक संसद् इसलिये उपबन्ध नहीं बनाती वहां तक, किसी राज्य का विधान मंडल, समय समय पर, विधि द्वारा, उस राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचनों से सम्बद्ध या संसक्त सब विषयों के सम्बन्ध में, जिन के अन्तर्गत निर्वाचक-नामावलियों का तैयार कराना तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन कराने के लिये अन्य सब आवश्यक विषय भी हैं, उपबन्ध कर सकेगा।

टीका—प्रान्त की सरकार प्रान्त की असैम्बली आदि के लिये ऐसे नियम बना सकेगी जो कि इस सम्बन्ध में पारलियामेंट ने न बनाये हों।

३२९—निर्वाचन विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) अनुच्छेद ३२७ या अनुच्छेद ३२८ के अधीन निर्मित या निर्मातुमभिप्रेत किसी विधि की, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के बांटने से सम्बद्ध है, मान्यता पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायगी :

(ख) संसद् के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के किसी निर्वाचन पर ऐसी निर्वाचन-याचिका के बिना कोई आपत्ति न की जायगी जो ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी रीति से उपस्थित की गई है जो समुचित विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या आधीन उपबन्धित है :

टीका—ऐसे नियमों के सम्बन्ध में जो कि आर्टिकिल ३२७ और ३२८ के अधीन बनाये जायें अदालत में कोई कार्रवाई न हो सकेगी ।

भाग १६

कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध

३३०----अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये लोक-सभा में स्थानों का रक्षण ।

(१) लोक-सभा में—

(क) अनुसूचित जातियों के लिये,

(ख) आसाम के आदिमजाति-क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिमजातियों को छोड़कर आदिम जातियों के लिये,

(ग) आसाम के स्वायत्तशासी जिलों में की अनुसूचित आदिमजातियों के लिये स्थान रक्षित रहेंगे ।

(२) खंड (१) के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये किसी राज्य में रक्षित रखे गये स्थानों की संख्या का अनुपात लोक-सभा में उस राज्य को बांट में दिये गये स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथा-स्थिति उस राज्य में की अनुसूचित जातियों की, अथवा उस राज्य में की या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित आदिमजातियों की, जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है ।

टीका— लोकसभा में हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों के लिये जगह उनकी संख्या के हिसाब से सुरक्षित रक्खी जायेंगी ।

३३१—लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद ८१ में किसी बात के होते भी यदि राष्ट्रपति की राय हो कि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक-सभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा।

टीका—राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि यदि उसकी राय में लोकसभा में एंगलो इंडियन की उचित नुमायन्दगी नहीं हैं तो वह अधिक से अधिक दो एंग्लोइंडियन को लोक सभा का सदस्य नामजद कर सकता है।

३३२----राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये स्थानों का रक्षण।

(१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य-की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिये तथा आसाम के आदिमजाति-क्षेत्रों में की अनुचित आदिमजातियों को छोड़ कर अन्य आदिमजातियों के लिये स्थान रक्षित रहेंगे।

(२) आसाम राज्य की विधान-सभा में स्वायत्तशासी जिलों के लिये भी स्थान रक्षित रहेंगे।

(३) खंड (१) के अधीन किसी राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस सभा में के स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में कि अनुसूचित जातियों की, अथवा उस राज्य में की या उस राज्य के भाग में कि अनुसूचित आदिमजातियों की, जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।

(४) आसाम राज्य की विधान-सभा में किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये रक्षित स्थानों की संख्या का उस सभा में स्थानों की समस्त संख्या से अनुपात उस अनुपात से कम न होगा जोकि उस जिले की जनसंख्या का उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।

(५) शिलौंग के कटक और नगर-क्षेत्र से मिलकर बने हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ कर आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये रक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों में उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट न होगा।

(६) कोई व्यक्ति, जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले में की अनुसूचित आदिमजाति का सस्दय नहीं है, उस राज्य की विधान-सभा के लिये शिलौंग के कटक और नगर-क्षेत्र से मिल कर बने हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ कर उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र न होगा।

टीका—प्रत्येक प्रान्त (सिवाय आसाम) की असम्बली के लिये हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों के लिये उनकी संख्या के हिसाब से जगहें सुरक्षित रक्खी जायेंगी

३३३.—राज्यों की विधान-सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व.

अनुच्छेद १७० में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख की राय हो कि उस राज्य की विधान-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और पर्याप्त नहीं है तो उस विधान-सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य वह उचित समझे नाम-निर्देशित कर सकेगा।

टीका—यदि प्रान्त के गवर्नर या राजप्रमुख की राय में प्रान्त की असम्बली में एंग्लोइण्डियन की नुमायन्दगी काफी नहीं है तो वह इतने एंग्लोइण्डियन नामजद कर सकता है जितने कि वह उचित समझे।

३३४—स्थानों का रक्षण और विशेप प्रतिनिधित्व संविधान के प्रारम्भ से दस वर्प के पश्चात न रहेगा

इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी—

(क) लोक-सभा में और राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये स्थानों के रक्षण सम्बन्धी; तथा

(ख) लोक-सभा में और राज्यों की विधान-सभाओं में नाम-निर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी,

इस संविधान के उपबन्ध. इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्प की कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी न रहेंगे

परन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोक-सभा के या राज्य की विधान-सभा के किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव न होगा जब तक कि यथास्थिति उस समय विद्यमान लोक-सभा या विधान-सभा का विघटन न हो जाये।

टीका—लोक सभा और प्रान्तों की असैम्बलियों में हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों के लिये इस विधान के लागू होने के १० वर्ष पश्चात् जगहें सुरक्षित नहीं रक्खी जायेंगी।

३३५.—सेवाओं और पदों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के दावे.

संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायगा।

टीका—भारत संघ और प्रान्तों की नौकरियों के लिए हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों का ध्यान रक्खा जायगा।

३३६—कतिपय सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिये विशेप उपबन्ध.

(१) इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम दो वर्षों में संघ की रेल,

वहि:शुल्क, डाक तथा तार सम्बन्धी सेवाओं के पदों के लिये आंग्ल-भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्तियां १५ अगस्त १६४७ ई० के तुरन्त पूव वाले आधार पर की जायेंगी।

प्रत्येक अनुवर्ती दो वर्षों की कालावधि में उक्त समुदाय के जनों के लिये, उक्त सेवाओं में, रक्षित पदों की संख्या निकट पूर्ववर्ती दो वर्षों की कालावधि में इस प्रकार रक्षित संख्या से यथासम्भव दस प्रतिशत कम होगी :

परन्तु इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में ऐसे सब रक्षणों का अन्त हो जायेगा।

(२) यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय के जन अन्य समुदायों के जनों की तुलना में कुशलता के कारण नियुक्ति के लिये अर्ह पाये जायें तो खंड (१) के अधीन उस समुदाय के लिये रक्षित पदों से अन्य, अथवा उन से अधिक, पदों पर आंग्लभारतीय समुदाय के जनों की नियुक्ति में उस खंड की किसी बात से रुकावट न होगी।

टीका—इस विधान के लागू होने से दो वर्ष तक रेलवे डाकखाना चुँगी और तार की अगस्त नौकरियों में एंग्लोइण्डियन उसी संख्या के हिसाब से नौकर रक्खे जायेंगे जिस हिसाब से वह १५ अगस्त सन् १६४७ से पहले रक्खे जाते थे।

३३७.—आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षण-अनुदान के लिये विशेष उपवन्ध.

इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् पहिले तीन वित्तीय वर्षों में आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई अनुदान रहे हों तो वही अनुदान संघ तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य द्वारा दिये जायेंगे जो ३१ मार्च १६४८ ई० को अन्त होने वाले वित्तीय वर्ष में दिये गये थे।

प्रत्येक अनुवर्ती तीन वर्ष की कालावधि में, अनुदान निकट पूर्ववर्ती तीन वर्ष की कालावधि की अपेक्षा, दस प्रतिशत कम किये जा सकेंगे :

परन्तु इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में, ऐसे अनुदान, जिस मात्रातक वे आंग्ल- भारतीय समुदाय के लिये विशेष रियायत हैं, उस मात्रा तक अन्त हो जायेंगे :

परन्तु यह और भी कि इस अनुच्छेद के अनुसार किसी शिक्षासंस्था को अनुदान पाने का तब तक हक्क न होगा जब तक कि उस के वार्षिक प्रवेशों में कम से कम चालीस प्रतिशत प्रवेश आंग्ल-भारतीय समुदाय से भिन्न दूसरे समुदायों के जनों के लिये प्राप्य न किये गये हों।

टीका—इस विधान के लागू होने के बाद तीन वर्ष तक एंग्लोइण्डियन की शिक्षा के लिये सरकार से उतना ही रुपया दिया जायगा जितना कि ३१ मार्च सन् १६४८ के समाप्त होने वाले साल में दिया गया था।

३३८—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम-जातियों इत्यादि के लिये विशेष पदाधिकारी,

(१) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा

(२) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये इस संविधान के आधीन उपबन्धित परित्राणों से सम्बद्ध सब विषयों का अनुसंधान करना तथा उन परित्राणों पर कार्य होने के सम्बध में ऐसी अंतराविधियों में, जैसी कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा तथा राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

(३) इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के प्रति निर्देश के अंतर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश जिन को कि राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद ३४० के खंड (१) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करे तथा आंग्लभारतीय समाज के प्रति निर्देश भी हैं।

टीका—हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये राष्ट्रपति एक विशेष अफसर नियत करेगा।

३३९—अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के कल्याणार्थ संघ का नियन्त्रण.

(१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) और भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा राष्ट्रपति किसी समय कर सकेगा तथा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा।

आयोग की रचना, शक्तियों और प्रक्रिया की परिभाषा आदेश में की जा सकेगी तथा उस में वे प्रासङ्गिक और सहायक उपबन्ध भी हो सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझे।

(२) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ऐसे किसी राज्य को उस प्रकार के निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिये निदेश में परमावश्यक बताई हुई योजनाओं के बनाने और कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखते हों।

३४०— पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं के अनुसंधान के लिये आयोग की नियुक्ति.

(१) भारतराज्य-क्षेत्र में सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं के तथा जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अनुसन्धान के लिये तथा संघ या किसी राज्य द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने और उन की दशा को सुधारने के लिये करने योग्य उपायों के बारे में, तथा उस प्रयोजन के लिये संघ या किसी राज्य

द्वारा जो अनुदान दिये जाने चाहियें तथा जिन शर्तों के आधीन वे अनुदान दिये जाने चाहियें उनके बारे में, सिपारिश करने के लिये राष्ट्रपति, आदेश द्वारा ऐसे व्यक्तियों को मिला कर, जैसे वह उचित समझे, आयोग बना सकेगा तथा आयोग नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया भी परिभाषित होगी।

(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को सौंपे हुए विषयों का अनुसन्धान करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें पाये गये तथ्यों का समावेश होगा तथा जिस में ऐसी सिपारिशें की जायेंगी जिन्हें आयोग उचित समझे।

(३) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिये गये प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि, उस पर की गई कार्यवाही के संक्षिप्त ज्ञापन सहित, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

टीका—राष्ट्रपति एक ऐसा कमीशन नियुक्त करेगा जो यह देखेगा कि ऐसी जातियों की दशा कैसे सुधारी जा सकती है जिनकी सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी दशा अच्छी नहीं है।

३४१—अनुसूचित जातियां

(१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राज्य प्रमुख से परामर्श करने के पश्चात् लोक-अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों अथवा जातियों, मूल, वंशों या आदिमजातियों के भागों या उन में के यूथों का उल्लेख कर सकेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां समझी जायेंगी।

(२) संसद् विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति को अथवा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति के भाग या उस में के यूथ को खंड (१) के आधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित जातियों की सूची के अन्तर्गत या से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

टीका—राष्ट्रपति प्रान्तों के गवर्नरों और राज प्रमुखों की सलाह लेकर यह निश्चय करेगा कि कौन-कौनसी जातियां हरिजन मानी जायें।

३४२—अनुसूचित आदिम-जातियां.

(१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात् लोक-अधिसूचना द्वारा उन आदिमजातियों या आदिमजाती-समुदायों अथवा आदिम-जातियों या आदिमजाति-समुदायों के भागों या उन में के यूथों का उल्लेख कर सकेगा जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित आदिम-जातियां समझी जायेंगी।

(२) संसद् विधि द्वारा किसी आदिमजाति या आदिमजाती-समुदाय को, अथवा आदिमजाति या आदिमजाति-समुदाय के भाग या उस में के यूथ को खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित आदिमजातियों की सूची के अन्तर्गत, या से अपवर्जित, कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा युक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

टीका—राष्ट्रपति प्रान्तों के गवर्नरों और राजप्रमुखों की राय लेकर यह निश्चित करेगा कि कौन-कौन सी जातियां पिछड़ी हुई जातियां मानी जायं

भाग १७

राज-भाषा

अध्याय १.--संघ की भाषा

३४३--संघ की राजभाषा

(१) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपी देवनागरी होगी।

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(२) खंड (१) से किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के लिये ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी :

परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद् उक्त पन्द्रद साल की कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा—

(क) अंग्रेजी भाषा का, अथवा

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनोंके लिये प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हों।

टीका—भारत संघ की राज्य भाषा हिन्दी होगी जोकि नागरी लिपि में लिखी जायेगी परन्तु अंक अंगरेजी में हो लिखे जायेंगे और भारत संघ के उन सरकारी कामों के लिए जिनमें अंगरेजी प्रयोग में आती रही है १५ वर्ष तक अंगरेजी प्रयोग में आती रहेगी।

३४४—राजभाषा के लिए संसद् का आयोग और समिति

(१) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक सभापति और अष्टम अनुसूचीमें उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी आदेश परिभाषित करेगा।

(२) राष्ट्रपति को—

(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के;

(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धनों के;

(ग) अनुच्छेद ३४८ में वर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के;

(घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने वाले अंकों के रूप के;

(ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किये हुए किसी अन्य विषय के,

बारे में सिपारिश करने का आयोग का कर्तव्य होगा।

(३) खंड (२) के अधीन अपनी सिपारिशें करने में आयोग भारत की औद्यौगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक-सेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

(४) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी जिनमें से बीस लोक-सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य-परिषद् के सदस्य होंगे जो कि क्रमशः लोक-सभा के सदस्यां तथा राज्य-परिषद् के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(५) खंड (१) के अधीन गठित आयोग की सिपारिशों की परीक्षा करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को करना समिति का कर्तव्य होगा।

(६) अनुच्छेद ३४३ में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड (५) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस सारे प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा।

टीका—राष्ट्रपति इस विधान के लागू होने से पांच साल बाद और इसके फिर पांच साल बाद एक कमीशन नियत करेगा जो कि यह रिपोर्ट करेगा कि सरकारी कामों में हिन्दी कहां तक प्रयोग में लाई जा सकती है।

अध्याय २—प्रादेशिक भाषाएं

३४५—राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं

अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा;

परन्तु जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा इस से अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिये अंगरेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के लिये इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी।

टीका—प्रान्तीय सरकार अपने प्रान्त में प्रचलित किसी भाषा या हिन्दी को प्रान्त के लिए सरकारी भाषा नियत कर सकती है।

३४६----एक राज्य और दूसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राजभाषा.

संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने के लिये तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राजभाषा होगी:

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिये राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिये वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी।

टीका—भारत सरकार और किसी प्रान्तीय सरकार के बीच पत्र व्यौहार के लिये अभी अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जायेगी परन्तु दो प्रान्तीय सरकार आपस में यह समझौता कर सकती हैं कि उनके बीच हिन्दी में कार्यवाही की जायगी।

३४७—किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबंध

तद्विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाये तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उस के किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिज्ञा दी जाये।

टीका—यदि किसी प्रांत के अधिकतर रहने वाले यह चाहें कि वह भाषा भी जो वह प्रयोग में लाते हैं सरकार कामों में प्रयोग में लाई जाये तो वह राष्ट्रपति से इसके सम्बंध में अनुरोध कर सकते हैं।

अध्याय ३—उच्चमन्यायालय, उच्चन्यायालयों आदि की भाषा

३४८—उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा

(१) इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक—

(क) उच्चतमन्यायालय में तथा प्रत्येक उच्चन्यायालय में सब कार्यवाहियां

(ख) जो—

(१) विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो संशोधन, संसद् के प्रत्येक सदन में
पुरःस्थापित किये जायें उन सब के प्राधिकृत पाठ,

(२) अधिनियम संसद् द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित किये जायें, तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित किये जायें उन सब के प्राधिकृत पाठ, तथा

(३) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि इस संविधान के अधीन, अथवा संसद् या राज्यों के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन निकाले जायें उन सब के प्राधिकृत पाठ,

अंग्रेज़ी भाषा में होंगे।

(२) खंड (१) के उपखंड (क) में से किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिये प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्चन्यायालय में की कार्यवाहियों के लिये प्राधिकृत कर सकेगा:

परन्तु इस खंड की कोई बात वैसे उच्चन्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, अज्ञाप्ति आदेश को लागू न होगी।

(३) खंड (१) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखण्ड की कंडिका (३) में निर्दिष्ट किसी आदेश, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिये अंग्रेज़ी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है वहां उस राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेज़ी भाषा में उसका अनुवाद उस खंड के अभिप्रायों के लिये उसका अंग्रेज़ भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

टीका—जब तक कि पारलियामेंट आदेश न दे सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट में और कानून बनाने आदि में अंगरेजी ही प्रयोग में लाई जायेगी।

३४९---भाषा सम्बंधी कुछ विधियों के अधिनियमित करने लिये विशेष प्रक्रिया

इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्षों की कालावधि तक अनुच्छेद ३४८ के खंड (१) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिये उपबन्ध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद् के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के विना न तो पुरःस्थापित और न प्रस्तावित किया जायेगा तथा ऐसी किसी विधेयक के पुरःस्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित किये जाने की मंजूरी अनुच्छेद ३४४ के खंड (१) के अधीन गठित आयोग की सिपारिशें पर, तथा उस अनुच्छेद के खंड (४) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही राष्ट्रपति देगा।

टीका—१५ वर्ष के बाद पारलियामेंट में कोई भी बिल राष्ट्रपति की बिला आज्ञा अंग्रेज़ी में प्रस्तुत नहीं किया जायगा।

अध्याय ४—विशेष निदेश

३५०—व्यथा के निवारण के लिये अभिवेदन में प्रयोक्तव्य भाषा

किसी व्यथा के निवारण के लिये संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का, प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा।

टीका—कोई व्यक्ति यूनियन या प्रान्त के कर्मचारी के पास अपनी तकलीफ दूर करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र उस भाषा में भेज सकेगा जो कि यूनियन या प्रान्त में प्रयोग में लाई जाती हो।

३५१—हिंदी भाषा के विकास के लिये निदेश

हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भण्डार के लिये मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

टीका—भारत सरकार का कर्तव्य हो कि हिन्दी भाषा की उन्नति करे।

भाग १८

आपात-उपबन्ध

३५२—आपात की घोषणा

(१) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिस से कि युद्ध या वाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशान्ति से भारत या उसके राज्य-क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा सङ्कट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकेगा।

(२) खंड के (१) अधीन की गई उद्घोषणा—

(क) उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रति संहृत की जा सकेगी;

(ख) संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायगी,

(ग) दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक कि संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा वह उस कालावधि की समाप्ति से पहिले अनुमोदित न करदी जावे :

परन्तु यदि ऐसो कोई उद्घोषणा उस समय निकाली गई है जब कि लोक-सभा का विघटन हो चुका है अथवा लोक-सभा का विघटन इस खंड के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट दो मास की कालावधि के भीतर हो जाता है, तथा यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य-परिषद् द्वारा पारित हो चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणा के विषय में लोक-सभा द्वारा उस कालावधि की समाप्ति से पहिले कोई सङ्कल्प पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस तारीख से, जिसमें कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक कि उक्त तीस दिन की कालावधि की समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदन करने वाला सङ्कल्प लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता।

(३) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाने कि युद्ध या वाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशान्ति का सङ्कट सन्निकट है तो चाहे वास्तव में युद्ध अथवा ऐसा कोई आक्रमण या अशान्ति नहीं हुई हो तो भी भारत की अथवा भारत के राज्य-क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा इस प्रकार से सङ्कट में है ऐसा घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा की जा सकेगी।

टीका—आर्टिकल ३५२ से ३५६ में यह में यह दिया गया है किसी विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर कि 'युद्ध' बाहरी आक्रमण या भीतरी गड़बड़ के कारण भारत की रक्षा संकट में पड़ जाये तो राष्ट्रपति उपरोक्त स्थिति की घोषणा करेगा और ऐसे कार्य करेगा जो कि उक्त स्थिति में उसको करने आवश्यक हों वह ऐसे समय किसी के विचार प्रगट करने पर पाबन्दी भी लगा सकेगा।

३५३—आपात की उद्घोषणा का प्रभाव

जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब—

(क) इस संविधान में किसी बात के होते हुये भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस विषय में निदेश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किसी रीति से प्रयोग करे;

(ख) किसी विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति के अन्तर्गत ऐसी विधियां बनाने की शक्ति भी होगी जो उस विषय के बारे में संघ अथवा संघ के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां देती तथा कर्तव्य सौंपती हो अथवा शक्तियों का दिया जाना और कर्तव्यों का सौंपा जाना प्राधिकृत करती हो चाहे फिर वह विषय ऐसा हो जो संघ-सूची में प्रगणित नहीं है

३५४—आपात की उद्घोषणा जब प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण सम्बन्धी उपबन्धों की प्रयुक्ति

(१) जब कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस संविधान के अनुच्छेद २६८ से २७९ तक के सब या कोई उपबन्ध ऐसी किसी कालावधि में, जैसी कि उस आदेश में उल्लिखित की जाये औरजो किसी अवस्था में

भी उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे विस्तृत न होगी, जिस में कि उद्घोषण प्रवर्तन में नहीं रहती ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन प्रभावी होंगे जैसे कि वह उचित समझे।

(२) खंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उसके दिये जाने के पश्चात् यथा-संभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

३५५-बाह्य आक्रमण और आभ्यन्तरिक अशान्ति से राज्य का संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य.

बाह्य आक्रमण और आभ्यन्तरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य का संरक्षण करना तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाये, यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

३५६—राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की अवस्था में उपबन्ध.

(१) यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस में कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषण द्वारा—

(क) उस राज्यकी सरकारके सब या कोई कृत्य, तथा यथास्थिति राज्यपाल या राज-प्रमुख में, अथवा राज्य के विधान-मंडल को छोड़कर राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में, निहित या तत्तद्द्वारा प्रयोक्तव्य सब या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा।

(ख) घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद् के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी;

(ग) राज्य में किसी निकाय या प्राधिकारी से सम्बद्ध इस संविधान के किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः निलम्बित करने के लिये उपबन्ध सहित ऐसे प्रासंगिक और आनुसंगिक उपबन्ध बना सकेगा जैसे कि राष्ट्रपति को उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिये आवश्यक या वांछनीय दिखाई दें:

परन्तु इस खंड की किसी बात से राष्ट्रपति को यह प्राधिकार न होगा कि वह उच्चन्यायालय में निहित या तद्द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों में से किसी को अपने हाथ में ले अथवा इस संविधान के उच्च न्यायालयों से सम्बद्ध किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः निलम्बित कर दे।

(२) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंहृत या परिवर्तित की जा सकेगी।

(३) इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायगी, तथा जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को प्रतिसंहृत करने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां वह दो महीने की समाप्ति पर, यदि उस कालावधि की समाप्ति

से पूर्व संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा वह अनुमोदित नहीं हो जाती तो; प्रवतन में नहीं रहेगी :

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पहिले की उद्घोषणा को प्रतिसंहृत करने वाली नहीं है) उस समय निकाली गई है जबकि लोक सभा का विघटन हो चुका है अथवा लोक-सभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट दो मास की कालावधि के भीतर हो जाता है तथा उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य परिषद् द्वारा पारित हो चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणाके विषयमें लोक-सभा द्वारा उस कालावधि की समाप्ति से पहिले कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस तारीख से, जिसमें कि लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तनमें न रहेगी जब तककि उक्त तीस दिन की कालावधिकी समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता।

(४) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि प्रतिसंहृत नहीं हो गई हो, तो इस अनुच्छेद के खंड (३) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरेके पारित हो जानेकी तारीखसे छः महीनेकी कालावधिकी समाप्ति पर वह प्रवर्तन में नहीं रहेगी :

परन्तु ऐसी उद्घोषणा के प्रवृत्ति रखने के लिये अनुमोदन करने वाला संकल्प यदि और जितनी बार, संसद्के दोनों सदनों द्वारा पारितहो जाता है, तो और उतनी बार वह उद्घोषणा, जब तक कि प्रतिसंहृत न हो जाये, उस तारीख से जिससे कि वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती. छः महीने की और कालावधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी, किन्तु कोई ऐसी उद्घोषणा किसी अवस्था में भी तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्ति नहीं रहेगी :

परन्तु यह और भी कि यदि लोक-सभा का विघटन छः मास की किसी ऐसी कालावधि के भीतर हो जाता है तथा ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्ति बनाये रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य-परिषद् द्वारा पारित हो चुका है किंतु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत बनाये रखने के बारे कोई संकल्प लोक-सभा द्वारा उक्त कालावधि में पारित नहीं हुआ है तो उद्घोषणा उस तारीख से जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिनकी समाप्ति पर प्रवर्तनमें न रहेगा जब तक कि उक्त तीस दिन की कालावधि की समाप्तिसे पूर्व उद्घोषणा को प्रवर्तन में बनाये रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प द्वारा भी पारित नहीं हो जाता ।

३५७—अनुच्छेद ३५६ के अधीन निकाली गई उद्घोषणा के अधीन विधायिनी शक्तियों का प्रयोग

(१) जहां अनुच्छेद ३५६ के खंड (१) के अधीन निकाली गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया गया है कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद् के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी वहां—

(क) राज्य के विधान मंडल की विधि बनाने की राष्ट्रपति को देने के लिये तथा ऐसी दी हुई शक्ति को किसी अन्य प्राधिकारी को जिसे राष्ट्रपति उस लिये उल्लिखित करें, ऐसी शर्तो के अधीन जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे, प्रत्यायोजन करने के लिये राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद् की;

(ख) संघ अथवा उस के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति देने या कर्तव्य आरोपित करने के लिये, अथवा शक्तियों का दिया जाना या कर्तव्यों का आरोपित किया जाना प्राधिकृत करने के लिये विधि बनाने की संसद् की अथवा राष्ट्रपति की या ऐसी विधि बनाने की शक्ति जिस अन्य प्राधिकारी में उपखंड (क) के अधीन निहित है उसकी;

(ग) जब लोक-सभा सत्र में न हो तब व्यय के लिये संसद् की मंजूरी लम्बित रहने तक राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की क्षमता होगी।

(२) राज्य के विधान-मंडल की शक्ति के प्रयोग में संसद्द्वारा अथवा राष्ट्रपति अथवा खंड (१) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे अनुच्छेद ३५६ के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव में संसद् या राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी बनाने के लिये सक्षम न होता, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात् एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक सिवाय उन बातों के प्रभाव में न रहेगी जो उक्त कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ दी गई थीं जब तक कि वे उपबन्ध, जो इस प्रकार प्रभावी न रहेंगे, समुचित विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा उससे पहले ही या तो निरसित और या रूपभेदों के सहित या बिना पुनः अधिनियमित न कर दिये गये हों।

३५८—आपातों में अनुच्छेद १९ के उपबन्धों का निलम्बन.

जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब अनुच्छेद १९ की किसी बात से राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की अथवा कोई ऐसी कार्यपालिका कार्यवाही करने की भाग ३ में परिभाषित शक्ति, जिसे वह राज्य उस भाग में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अभाव में बनाने अथवा करने के लिये सक्षम होता, निर्बन्धित नहीं होगी, किन्तु इस प्रकार निर्मित कोई विधि उद्घोषणा के प्रर्वन में न रहने पर अक्षमता की मात्रा तक तुरन्त प्रभावशून्य हो जायगी सिवाय उन बातों के जो विधि के इस प्रकार प्रभावशून्य होने से पहले की गई या की जाने से छोड़दी गई थीं।

३५९—आपात में भाग ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलम्बन.

(१) जहां कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तनमें है वहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि भाग ३ द्वारा दिये गये अधिकारों में से ऐसों को प्रवर्तित कराने के लिये, जैसे कि इस आदेश में वर्णित हों, किसी न्यायालय के प्रचालन का अधिकार तथा इस प्रकार वर्णित अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में लम्बित

सब कार्यवाहियां उसकालावधि के लिये जिसमें कि उद्घोषणा लागू रहती है अथवा उससे छोटी ऐसी कालावधि के लिये, जैसी कि आदेश में उल्लिखित की जाये निलम्बित रहेंगी।

(२) उपरोक्त प्रकार दिया हुआ आदेश भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में अथवा उस के किसी भाग पर विस्तृत हो सकेगा।

(३) खंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उस के दिये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायगा।

३६०—वित्तीय आपात के बारे में उपबन्ध.

(१) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस से भारत अथवा उसके राज्य-क्षेत्र के किसी भागका वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा उस बात की घोषणा कर सकेगा।

(२) अनुच्छेद ३५२ के खंड (२) के उपबन्ध इस अनुच्छेद के अधीन निकाली गई उद्घोषणा के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे अनुच्छेद ३५२ के अधीन निकाली गई आपात की उद्घोषणा के लिये लागू होते हैं।

(३) उस कालावधि में जिस में कि खंड (१) में वर्णित कोई उद्घोषणा प्रवर्तन में रहती है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी राज्य को वित्तीय औचित्य सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तों का पालन करने के लिये निदेश देने तक, जैसे कि निदेशों में उल्लिखित हों तथा ऐसे अन्य निदेश देने तक, जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये देना आवश्यक और समुचित समझे, विस्तृत होगी।

(४) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) ऐसे किसी निदेश के अन्तर्गत—

(१) राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या किन्हीं वर्गों के वेतनों और भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाले उपबन्ध,

(२) धन-विधेयकों अथवा अन्य विधेयकों को, जिन को अनुच्छेद २०७ के उपबन्ध लागू हैं, राज्य के विधान-मंडल के द्वारा उन के पारित किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित करने के लिये उपबन्ध, भी हो सकेंगे;

(ख) उस कालावधि में, जिस में कि इस अनुच्छेद के अधीन निकाली गई उद्घोषणा प्रवर्तन में है, उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालों के न्यायाधीशों के सहित, संघ के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तयों के सब या किसी वर्ग के वेतनों और भत्तों में कमी के लिये निदेश निकालने के लिये राष्ट्रपति सक्षम होगा।

टीका—यदि राष्ट्र पति की यह सन्तुष्टी हो जाय कि भारत की आर्थिक दशा संकट में है तो राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि ऐसी आज्ञायें जारी करे कि जिससे उपरुक्त दशा सुधरजाये और वह इसके लिये सरकारी अफसरों व कर्मचारियों का वेतन व भत्ते भी कम कर सकता है।

भाग १६

प्रकीर्ण

३६१----राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण.

(१) राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिये अथवा उन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में अपने द्वारा किये गये अथवा कतुमभिप्रेत किसी कार्य के लिये किसी न्यायालय को उत्तरदायी न होगा :

परन्तु अनुच्छेद ६१ के अधीन दोषारोप के अनुसंधान के लिये संसद् के किसी सदन द्वारा नियुक्त या नामोद्दिष्ट किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा मानो कि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के खिलाफ समुचित कार्य-वाहियों के चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्बन्धित करती है ।

(२) राष्ट्रपति के अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के खिलाफ उसकी पदावधि में किसी भी प्रकार की दंड कार्यवाही किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जायेगी और न चालू रखी जायगी ।

(३) राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख की पदावधि में उसे बन्दी या कारावासी करने के लिये किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकलेगी।

(४) राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात्, अपने वैयक्तिक रूप में किये गये अथवा कतुमभिप्रेत किसी कार्य के बारे में राष्ट्रपति अथवा ऐसे राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के खिलाफ अनुतोष की मांग करने वाली कोई व्यवहार-कार्यवाहियां उसकी पदावधि में किसी न्यायालय में तब तक संस्थित न की जायेंगी, जब तक कि कार्यवाहियों के स्वरूप, उनके लिये वाद का कारण ऐसी कार्यवाहियों को संस्थित करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, निवासस्थान तथा उस से मांग किये जाने वाले अनुतोष का वर्णन करने वाली लिखित सूचना को यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख को दिये जाने अथवा उस के कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात् दो मास का समय व्यतीत न हो गया हो ।

टीका राष्ट्रपति गवर्नर (राजपाल) और राज्यप्रमुख अपने कृत्यों के पालन करने में किसी अदालत के उत्तरदायी न होंगे। परन्तु उनके विरुद्ध दोष की जांच करने के लिये पारलियामेंएट कोई अदालत, ट्रिब्यूनल, आदि नियुक्त कर सकती है राष्ट्रपति गवर्नर या राज्य प्रमुख के विरुद्ध जब तक वह अपने पद पर है कोई फौजदारी मुकदमे की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी और उसके पद की अवधि में राष्ट्रपति गवर्नर या राज्य-प्रमुख को गिरफ्तार करने या उसको कारावास में रखने के लिये कोई सम्मन या वारंट जारी नहीं किया जायगा ।

३६२----देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार

संसद् की या किसी राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की शक्ति के प्रयोग में, अथवा संघ या किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में, देशी राज्य के शासक के वैयक्तिक अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमा के विषय में ऐसी प्रसंविदा या करार के अधीन, जैसा कि अनुच्छेद २९१ के खंड (१) में निर्दिष्ट है. दी गई प्रत्याभूति या आश्वासन का सम्यक् ध्यान रखा जायेगा।

टीका--पार्लियामेंट या प्रान्त की असम्बली व काउंसिल, ऐसे कानून नहीं बनायेगी और न ऐसी आज्ञायें जारी करेगी जिससे किसी रियासत के राजा को वह रकम मिलने में बाधा पड़ती है जो वह इस विधान के आरटिकल २९१ के अधीन पाने का हकदार हो।

३६३----कतिपय सन्धियों करारों इत्यादि से उद्भूत विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन

(१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद १४३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न तो उच्चतमन्यायालय और किसी अन्य न्यायालय को किसी सन्धि, करार, प्रसंविदा वचन-बन्ध सनद अथवा ऐसी ही किसी अन्य लिखत से, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी देशी राज्यके शासक द्वारा की गई या निष्पादित की गई थी तथा जिस में भारत डोमीनियन की सरकार या इस की पूर्वाधिकारी कोई भी सरकार एक पक्ष थी तथा जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रवर्तन में है या बनी रही है, उद्भूत किसी विवाद में अथवा ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचन-बन्ध, सनद अथवा ऐसी ही किसी अन्य लिखत से सम्बद्ध इस संविधान के उपबन्धों में से किसी से प्रोद्भूत किसी अधिकार, या उद्भूत किसी दायित्व या आभार, के विषय में किसी विवाद में क्षेत्राधिकार होगा।

(२) इस अनुच्छेद में—

(क) "देशी राज्य" से अभिप्रेत है कोई राज्य-क्षेत्र-जो सम्राट या भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले, ऐसा राज्य अभिज्ञात था; तथा

(ख) "शासक" के अन्तर्गत है, राजा, प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जो सम्राट् या भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा ऐसे प्रारम्भ से पहिले किसी देशी राज्य का शासक अभिज्ञात था।

टीका—यदि किसी देसी राजा और भारत सरकार के बीच किसी सन्धी इकरार आदि के सम्बन्ध में जो कि इस विधान से पहले की गई हो कोई झगड़ा उत्पन्न हो तो ऐसे झगड़े के लिये अदालत में दावा नहीं किया जा सकेगा।

३६४---महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के लिये विशेष उपबन्ध

(१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसी तारीख से ले कर जैसी कि अधिसूचना में उल्लिखित हो—

(क) संसद् या राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित कोई विधि किसी महापत्तन

या विमान-क्षेत्र को लागु न होगी अथवा ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन रह कर, जैसे कि लोक-अधिसूचना में उल्लिखित हों, लागु होगी; अथवा

(ख) कोई वर्तमान विधि किसी महापत्तन या विमानक्षेत्र में उक्त तारीख से पहिले की हुई या किये जाने से छोड़ दी गई बातों के सम्बन्ध से अतिरिक्त अन्य बातों के लिये प्रभावी न होगी, अथवा ऐसे पत्तन या विमान-क्षेत्र में ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन रह कर, जैसे कि लोक-अधिसूचना में उल्लिखित हों, प्रभावी होगी ।

(२) इस अनुच्छेद में—

(क) "महापत्तन" से अभिप्रेत है कोई पत्तन जो संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि या किसी वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महापत्तन घोषित किया गया है तथा उस के अन्तर्गत वे सब क्षेत्र हैं जो तत्समय ऐसे पत्तन की सीमाओं के अन्तर्गत हैं ;

(ख) "विमान-क्षेत्र" से अभिप्रेत है वायु-पथों, विमानों और विमान-परिवहन से सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित विमान-क्षेत्र ।

टीका—राष्ट्रपति यह आज्ञा जारी कर सकता है कि कोई कानून जो कि पारलियामेंट या किसी प्रान्तीय असम्बली ने बनाया हो किसी बड़े बन्दरगाह या हवाई अड्डे से लागू न होगा ।

३६५—संघ द्वारा दिये गये निदेशों का अनुवर्तन करने या उन को प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव

जहां इस संविधान के उपबन्धों में से किसी के अधीन सङ्घ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में दिये गये किन्हीं निदेशों का अनुवर्तन करने में या उन को प्रभावी करने में कोई राज्य असफल हुआ है वहां राष्ट्रपति के लिये यह मानना विधि संगत होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई है जिस में राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता ।

टीका—जब कि किसी प्रान्त की सरकार ने इस विधान के अधीन आज्ञाओं का पालन न किया हो तो राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह उपरुक्त प्रान्त की सरकार का प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले ।

३६६—परिभाषाएं

जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस संविधान में निम्नलिखित पदों के वे अर्थ हैं जो क्रमशः उन को यहां दिये गये हैं; अर्थात्—

(१) "कृषि-आय" से अभिप्रेत है भारतीय आय-कर से सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित कृषि-आय;

(२) "आंग्ल-भारतीय" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिन का पिता अथवा पितृ-परम्परा में कोई अन्य पुरुष-जनक योरोपीय उद्भव का है या था, किन्तु जो भारत राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत अधिवासी है और जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में

ऐसे जनकों से जन्मा है जो वहां साधारणतया निवास करते रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिये नहीं ठहरे हैं;

(३) "अनुच्छेद" से अभिप्रेत है इस संविधान का अनुच्छेद;

(४) "उधार लेना" में अन्तर्गत है वार्षिकियों के अनुदान द्वारा धन लेना तथा "उधार" का तदनुसार अर्थ किया जायेगा ;

(५) "खंड" से अभिप्रेत है उस अनुच्छेद का खण्ड जिस में कि वह पद आता है ;

(६) "निगम-कर" से अभिप्रेत है कोई आय पर कर, जहां तक कि वह कर समवायों द्वारा देय है, तथा ऐसा कर है जिस के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं—

(क) कि वह कृषि-आय के विषय में आदेय नहीं है ;

(ख) कि उस कर पर लागू होने वाली किन्हीं अधिनियमितियों से समवायों द्वारा दिये जाने वाले कर के बारे में कोई कटौती उन लाभांशों में से जो समवायों द्वारा व्यक्तियों को देय हैं प्राधिकृत नहीं है ।

(ग) कि भारतीय आय-कर के प्रयोजनों के लिये ऐसे लाभांश पाने वाले व्यक्तियों को पूर्ण आय की गणना में, अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय अथवा उनको लौटाये जाने वाली भारतीय आयकर की गणना में, इस प्रकार दिये गये कर को सम्मिलित करने का कोई उपबन्ध विद्यमान नहीं है ;

(७) "तत्स्थानी प्रान्त", "तत्स्थानी देशी राज्य" अथवा "तत्स्थानी राज्य" से संशयात्मक दशाओं में अभिप्रेत है ऐसा प्रांत देशी, राज्य, या राज्य जिसे प्रश्नास्पद विशिष्ट प्रयोजन के लिये राष्ट्रपति यथास्थिति तत्स्थानी प्रान्त, तत्स्थानी देशी राज्य अथवा तत्स्थानी राज्य निर्धारित करे ;

(८) "ऋण" के अन्तर्गत है वार्षिकियों के रूप में मूलधन राशियों के लौटाने के किसी आभार के विषय में कोई दायित्व, तथा किसी प्रत्याभूति के अधीन कोई दायित्व तथा "ऋण भारों" का तदनुसार अर्थ किया जायेगा ;

(९) "सम्पत्ति-शुल्क" से अभिप्रेत है कोई शुल्क जो मृत्यु पर रिक्त हुई, अथवा संसद् या राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस शुल्क के सम्बन्ध में निर्मित विधियों के उपबन्धों के आधीन वैसी रिक्त हुई समझी जाने वाली, सारी सम्पत्ति के उक्त विधियों के द्वारा या अधीन विहित नियमों के अनुसार अभिनिश्चित, मूल मूल्य पर या के निर्देश से परिगणित की जानी हो ;

(१०) "वर्तमान विधि" से अभिप्रेत है कोई विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ऐसी विधि, अध्यादेश आदेश, उपविधि, नियम या विनियम को बनाने की शक्ति

रखने वाले किसी विधान-मंडल, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित या निर्मित है ;

(११) "फेडरल न्यायालय" से अभिप्रेत है भारत शासन अधिनियम १६३५ के अधीन गठित फेडरल न्यायालय ;

(१२) "वस्तुओं" के अन्तर्गत है सब सामग्री पण्य और पदार्थ ;

(१३) "प्रत्याभूति" के अन्तर्गत है कोई ऐसा आभार जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी उपक्रम के लाभों के किसी उल्लिखित राशी से कम होने की अवस्था में देने के लिये उठाया गया हो ;

(१४) 'उच्चन्यायालय' से अभिप्रेत है कोई न्यायालय जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये किसी राज्य के लिये उच्चन्यायालय समझा जाता है, तथा इस के अन्तर्गत है—

(क) इस संविधान के अधीन उच्चन्यायालय रूप में गठित या पुनर्गठित भारत राज्य-क्षेत्र में का कोई न्यायालय ; तथा

(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में का कोई अन्य न्यायालय जो इस संविधान के सब या किन्हीं प्रयोजनों के लिये संसद् से विधि द्वारा उच्च न्यायालय घोषित किया जाये ;

(१५) "देशी राज्य" से अभिप्रेत है कोई ऐसा राज्य-क्षेत्र जिसे भारत डोमीनियन की सरकार ऐसा राज्य अभिज्ञात करती थी।

(१६) "भाग" से अभिप्रेत है इस संविधान का भाग ;

(१७) "निवृत्ति-वेतन" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति को, या के बारे में, देय किसी प्रकार का निवृत्ति-वेतन चाहे फिर वह अंशदायी हो या न हो तथा इस के अन्तर्गत है उस प्रकार देय सेवा-निवृत्ति-वेतन, उस प्रकार देय, उपदान तथा किसी भविष्य निधि के चन्दों को व्याज सहित या रहित तथा उन के अन्य जोड़ सहित या रहित लौटाने के लिये देय कोई राशि या राशियां ;

(१८) "आपात की उद्घोषणा" से अभिप्रेत है वह उद्घोषणा जो कि अनुच्छेद ३५२ के खंड (१) के अधीन निकाली गई हो ;

(१६) "लोक-अधिसूचना" से अभिप्रेत है भारत के सूचना-पत्र में अथवा जैसी कि स्थिति हो, राज्य के राजकीय सूचना पत्र में अधिसूचना ;

(२०) "रेल" के अन्तर्गत नहीं है—

(क) किसी नगर-क्षेत्र में ही पूर्णतया स्थित ट्रामवे, अथवा

(ख) संचार की कोई अन्य लीक जो किसी एक राज्य में पूर्णतया स्थित हो और जिसे संसद् ने विधि द्वारा रेल न होना घोषित किया हो;

(२१) "राज प्रमुख" से अभिप्रेत है।

(क) हैदराबाद राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा हैदराबाद के निजाम के रूप में तत्समय अभिज्ञात है ;

(ख) जम्मू और काश्मीर राज्य या मैसूर राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के महाराजा के रूप में तत्समय अभिज्ञात है; तथा

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी अन्य राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के राजप्रमुख के रूप में तत्समय अभिज्ञात है,

तथा उस उक्त में राज्यों में से किसी के सम्बन्ध में; वह कोई व्यक्ति भी अन्तर्गत है जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के सम्बन्ध में राजप्रमुख की शक्तियां प्रयोग करने के लिए सक्षम तत्समय अभिज्ञात है;

(२२) "शासक" से किसी देशी राज्य के सम्बन्ध में अभिप्रेत है कोई राजा, प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जिसने ऐसी कोई प्रसंविदा या करार, जैसा कि अनुच्छेद २९१ के खंड (१) में निर्दिष्ट है, किया था तथा जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का शासक तत्समय अभिज्ञात है तथा उसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो राष्ट्रपति द्वारा ऐसे शासक का उत्तराधिकारी तत्समय अभिज्ञात है;

(२३) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस संविधान की अनुसूची;

(२४) "अनुसूचित जातियां" से अभिप्रेत है ऐसी जातियां, मूलवंश या आदिम-जातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के भाग या उनमें के यूथ जो कि अनुच्छेद ३४१ के अधीन इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जातियां समझी जाती हैं;

(२५) "अनुसूचित आदिमजातियां" से अभिप्रेत है ऐसी आदिमजातियां या आदिमजाति-समुदाय अथवा ऐसी आदिम-जातियां या आदिमजाति समुदायों के भाग या उन में के यूथ जो कि अनुच्छेद ३४२ के आधीन इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित आदिमजातियां समझी जाती हैं;

(२६) "प्रतिभूतियों" के अन्तर्गत निधि पत्र भी है ;

(२७) "उपखंड" से अभिप्रेत है उस खंड का उपखण्ड जिस में कि यह पद आता है;

(२८) "कराधान" के अन्तर्गत है किसी कर या लाभ कर का लगाना चाहे फिर वह साधारण या स्थानीय या विशेष हो और 'कर' का तदनुसार अर्थ किया जायगा;

(२९) "आय पर कर" के अन्तर्गत है अतिरिक्त लाभ कर के प्रकार का कर।

(३०) "उपराजप्रमुख से प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति अभिप्रेत जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य को उपराजप्रमुख के रूप में तत्समय अभिज्ञात है।

टीका—इस आर्टिकिल में उन मुख्य-मुख्य शब्दों की जो इस विधान में प्रयोग में लाये

गये हैं परिभाषायें दी हैं प्राय: परिभाषायें प्रत्येक विधान के आरम्भ में दी जाती हैं परन्तु किसी कारण से इस विधान में परिभाषा अन्त में दी हैं इन परिभाषाओं में मुख्य-मुख्य निम्न-लिखित हैं :

(१) कृषि आय (खेती की आमदनी) से अभिप्राय ऐसी आमदनी से है जो कि कानून इन्कम-टैक्स एक्ट संख्या ११ सन् १९२२ के अधीन खेती की आमदनी मानी जाती है।

(२) एंग्लो इण्डियन से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसका बाप दादा पड़दादा आदि योरोपियन है या था लेकिन जो भारत में बस गया है और वह ऐसे मां बाप से पैदा हुआ है जो कि भारत में मुस्तिकिल तौर से बस गये हैं।

(३) रेलवे में ऐसी ट्राम्बे सम्मिलित नहीं है जो किसी म्यूनिसिपल क्षेत्र में चलती हो और न ऐसी कोई अन्य आने जाने की विधि सम्मिलित है जो कि किसी प्रान्त के अन्दर ही अन्दर स्थित हो और जिसके सम्बन्ध में पारलियामेंट ने यह घोषणा कर दी है कि वह रेलवे नहीं है।

(४) देशी रियासत के राजा से अभिप्राय ऐसे राजा से है जिससे इस विधान के लागू होने से पहले कोई भारत सरकार की संधि या इकरार हो चुकी हो।

(५) हरिजन से अभिप्राय ऐसी जातियों से है जो कि इस विधान के आर्टिकिल ३४१ के अधीन हरिजन घोषित किये जायें।

३६७—निर्वचन

(१) जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस संविधान के निर्वचन के हेतु साधारण परिभाषा-अधिनियम १८९७ कन्हीं ऐसे अनुकूलनों और रूपभेदों के साथ जैसी कि अनुच्छेद ३७२ के अधीन उसमें किये जायें वैसे ही लागू होगा जैसे कि वह भारत डोमिनियन के विधान-मंडल के अधिनियम के निर्वचन के लिये लागू है।

(२) इस संविधान में संसद् के या द्वारा निर्मित अधिनियमों या विधियों के किसी निर्देश में अथवा प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के या द्वारा निर्मित अधिनियमों या विधियों के किसी निर्देश के अन्तर्गत यथास्थित राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा अध्यादेश का निदेश भी समझा जायगा।

(३) इस संविधान के प्रयोजनों के लिये "विदेशी राज्य" से अभिप्रेत है भारत से भिन्न कोई राज्य:

परन्तु संसद्-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी राज्य का विदेशी राज्य न होना ऐसे प्रयोजनों के लिये, जैसे कि आदेश में उल्लिखित किये जायें, घोषित कर सकेगा।

भाग २०

संविधान का संशोधन

३६८—संविधान के संशोधन के लिये प्रक्रिया

इस संविधान के संशोधन का सूत्रपात उस प्रयोजन के लिये विधेयक को संसद् के किसी सदन में पुरःस्थापित कर के ही किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से वह विधेयक पारित हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिये रखा जायेगा तथा विधेयक को ऐसी अनुमति दी जाने के पश्चात् विधेयक के निबन्धनों के अनुसार संविधान संशोधित हो जायेगा:

परन्तु यदि ऐसा कोई संशोधन—

(क) अनुच्छेद ५४, अनुच्छेद ५५, अनुच्छेद ७३, अनुच्छेद १६२, या अनुच्छेद २४१ में; अथवा

(ख) भाग ५ के अध्याय ४, भाग ६ के अध्याय ५ या भाग ११ के अध्याय १ में; अथवा

(ग) सातवीं अनुसूची की सूचियोंमें से किसी में; अथवा

(घ) संसद् में राज्यों के प्रतिनिधित्व में; अथवा

(ङ) इस अनुच्छेद के उपबन्धों में,

कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये जाने के पहिले उस संशोधन के लिये प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित राज्यों में से कम से कम आधों के विधान-मंडलों का उस प्रयोजन के लिये उन विधान-मण्डलों से पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।

टीका—यह आर्टिकिल बहुत आवश्यक है और इसमें यह दिया गया है कि इस विधान में किस प्रकार संशोधन किये जायेंगे और इसके लिये यह दिया गया है कि यदि इस विधान में कोई संशोधन करनी चाही जाये तो इसके सम्बन्ध में एक बिल पारलियामेंट में प्रस्तुत किया जायेगा और जब यह संशोधन पारलियामेंट के दोनों सदनों से पास हो जाये तो यह संशोधन राष्ट्पति के पास प्रस्तुत किया जायेगा और उसके स्वीकृत कर लेने पर यह माना जायगा कि वह संशोधन इस विधान में हो गया है पारलियामेंट के किसी सदन में संशोधन पास होने के लिये यह आवश्यक होगा कि उस सदन के कुल सदस्यों के आधे से ज्यादा उसको पास करें और सदन के उस बैठक जिसमें वह संशोधन प्रस्तुत किया जाय उपस्थित सदस्यों में से दो तिहाई उस संशोधन को स्वीकार करें।

भाग २१

अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबंध

३६६—राज्य-सूची में के कुछ विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो कि वे विषय समवर्ती सूची के हैं

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की कालावधि में निम्नलिखित विषयों कि बारे में विधि बनाने की संसद् को इस प्रकार शक्ति होगी मानो कि ये समवर्ती सूची में प्रगणित हैं; अर्थात्—

(क) सूती और ऊनी वस्त्रों, कच्ची रुई (जिस के अन्तर्गत धुनी हुई रुई और बिना धुनी रुई या कपास है), बिनौले, कागज (जिस के अन्तर्गत समाचार-पत्र का कागज है),खाद्य पदार्थ (जिस के अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं), ढोरों के चारे (जिसके अन्तर्गत खली और पथर अन्य सारकृत चारे हैं) कोयले (जिस के अन्तर्गत कोक और पथर-कोयला-जन्य पदार्थ हैं), लोहे, इस्पात और अभ्रक का किसी राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, सम्भरण और वितरण;

(ख) खंड (क) में वर्णित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध, उच्चतम-न्यायालय से भिन्न सब न्यायालयों का उन विषयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और शक्तियां, तथा उन विषयों से किसी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसों से अन्य फीसें

किन्तु संसद् द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अभाव में बनाने के लिये संसद् सक्षम न होती, उक्त कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उस की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ी गई बातों से अन्य बातों के सम्बन्ध में प्रभावहीन हो जायेगी।

टीका—इस विधान में किसी बात के होते हुये भी पारलियामेंट को इस विधान के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष तक ऐसी बातों के लिये कानून बनाने का अधिकार होगा जो इस कानून में दी गई हैं।

३७०—जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

(१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अनुच्छेद २३८ के उपबन्ध जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में लागू न होंगे;

(ख) उक्त राज्य के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति—

(१) संघ-सूची और समवर्ती सूची में के जिन विषयों को राज्य की सरकार से परामर्श कर के राष्ट्रपति उन विषयों का तत्स्थानी विषय घोषित कर दे जो भारत डोमीनियन में उस राज्य के प्रवेश को शासित करने वाली प्रवेश-लिखत में उल्लिखित ऐसे विषय हैं जिनके बारे में डोमीनियन विधान-मंडल विधि बना सकता है उन विषयों तक; तथा

(२) उक्त सूचियों में के जिन अन्य विषयों को उस राज्य की सरकार की सहमति से राष्ट्रपति आदेश द्वारा उल्लिखित करे उन विषयों तक सीमित होगी।

व्याख्या—इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये राज्य की सरकार से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति १६४८ की मार्च के पांचवें दिन निकाली गई महाराजा की उद्घोषणा के अधीन तत्समय पदस्थमंत्री-परिषद् की मंत्रणा के अनुसार कार्य करने वाला जम्मू और काश्मीर का महाराजा तत्समय अभिज्ञात करता है;

(ग) अनुच्छेद १ के और इस अनुच्छेद के उपबन्ध उस राज्य के सम्बन्ध में लागू होंगे;

(घ) इस संविधान के उपबन्धों में से अन्य उपबन्ध ऐसे अपवादों और रूपभेदों के साथ उस राज्य के बारे में लागू होंगे जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा उल्लिखित करे;

परन्तु ऐसा कोई आदेश जो उपखंड (ख) की कंडिका (१) में निर्दिष्ट राज्य के प्रवेश-लिखत में उल्लिखित विषयों से सम्बद्ध हो राज्य की सरकार से परामर्श किये बिना न निकाला जायगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई आदेश, जो अन्तिम पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न विषयों से सम्बद्ध हो, उस सरकार की सहमति के बिना न निकाला जायगा।

(२) यदि उस राज्य की सरकार द्वारा खंड (१) के उपखंड (ख) की कंडिका (२) में अथवा उस खंड के उपखंड (घ) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट सहमति, उस राज्य के लिये संविधान बनाने के प्रयोजन वाली संविधान सभा के बुलाये जाने से पहले, दी जाये तो उसे ऐसी सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चय के लिये रखा जायगा जैसा कि वह उस पर ले।

(३) इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति

लोक-अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगा कि यह अनुच्छेद ऐसी तारीख से प्रवर्तनहीन अथवा ऐसे अपवादों और रूपभेदों के सहित ही प्रवर्तन में, होगा जैसा कि वह उल्लखित करे :

परन्तु ऐसी अधिसूचना को राष्ट्रपति द्वारा निकाले जाने से पहिले खंड (२) में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिपारिश आवश्यक होगी।

टीका—चूंकि अभी जम्बू और काश्मीर रियासत का मामला पूरे तौर से तय नहीं हुआ है इसलिये इस आर्टिकिल में यह दिया गया है कि इस विधान का भाग ६ जो कि प्रान्तों से लागु होगा जम्बू व कश्मीर की रियासत से लागु न होगा।

३७१—प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों के विषय में अस्थाई उपबन्ध

इस संविधान में किसी बात के होते हुए हुए भी इसके प्रारम्भ से दस वर्ष की कलावधि के भीतर अथवा किसी ऐसी दीर्घतर या अल्पतर कालावधि के भीतर, जिसे किसी राज्य के बारे में संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य की सरकार राष्ट्रपति के साधारण नियंत्रण के अधीन होगी तथा ऐसी विशिष्ट निदेशों का, यदि कोई हों, अनुवर्तन करेगी जैसे कि राष्ट्रपति समय समय पर दे :

परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अनुच्छेद के उपबन्ध उस आदेश में उल्लिखित किसी राज्य को लागू न होंगे।

टीका—ऐसी देशी रियासतों की सरकार जो कि इस विधान की सूची १ भाग ब में दी हुई हैं दस वर्ष तक या ऐसे कमती या बढ़ती समय जो कि पारलियामेंट नियत करे पारलियामेंट के कन्ट्रोल के अधीन रहेगी।

३७२—वर्तमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना तथा उनका अनुकूलन.

(१) अनुच्छेद ३६५ में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का निरसन होने पर भी किन्तु इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत राज्य-क्षेत्र में सब प्रवृत्ति विधि उसमें तबतक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदली, या निरसित या संशोधित न की जाये।

(२) भारत राज्य-क्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि के उपबन्धों को इस संविधान के उपबन्धों से संगत करने के प्रयोजन से राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी विधि के ऐसे अनुकूलन और रूपभेद चाहे निरसन या चाहे संशोधन द्वारा, कर सकेगा जैसे कि आवश्यक

या इष्ट कर हों तथा उपबन्ध कर सकेगा कि वह विधि ऐसी तारीख से लेकर जैसी कि आदेश में उल्लिखित हों, ऐसे किये गये अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर ही प्रभावी होगी तथा ऐसे किसी अनुकूलन या रूपभेद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी।

(३) खंड (२) की कोई बात—

(क) राष्ट्रपति को इस संविधान के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी विधि का कोई अनुकूलन या रूपभेद करने की शक्ति देने वाली; अथवा

(ख) किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलन या रूपभेद की गई किसी विधि को निरसित या संशोधित करने से रोकने वाली, न समझी जायेगी।

व्याख्या १.—इस अनुच्छेद में "प्रवृत्त विधि" पदावलि के अन्तर्गत है कोई विधि जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व भारत राज्य-क्षेत्र में किसी विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित हुई हो तथा पहिले ही निरसित न करदी गई हो चाहे फिर वह या उसके कोई भाग तब पूर्णतः अथवा किन्हीं विशिष्ट-क्षेत्रों में प्रवर्तन में न हो।

व्याख्या २:—भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित किसी ऐसी विधि का, जिसका इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले राज्य-क्षेत्रातीत प्रभाव तथा भारत राज्य-क्षेत्र में भी प्रभाव था, उपरोक्त किन्हीं अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर राज्य-क्षेत्रातीत प्रभाव बना रहेगा।

व्याख्या ३:—इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ न किया जायगा कि वह किसी अस्थायी प्रवृत्त विधि को उसकी समाप्ति के लिये नियत तारीख से, अथवा उस तारीख से, जिसको कि यदि यह संविधान प्रवृत्त न हुआ होता, तो वह समाप्त हो जाती, आगे प्रवृत्त बनाये रखती है।

व्याख्या ४:—किसी प्रांत के राज्यपाल द्वारा भारत-शासन-अधिनियम १९३५ की धारा ८८ के अधीन प्रख्यापित तथा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रवृत्त अध्यादेश, यदि तत्स्थानी राज्य के राज्यपाल द्वारा पहिले ही वापिस न ले लिया गया हो तो, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् अनुच्छेद ३८२ के खण्ड (१) के अधीन कृत्यकारिणी उस राज्य की विधान सभा के प्रथम अधिवेशन से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तनहीन होगा, तथा इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह ऐसे किसी अध्यादेश को उक्त कालावधि से आगे प्रवृत्त बनाये रखती है।

टीका—सिवाय उन कानूनों के कि जो इस विधान के आर्टिकिल ३९५ के अधीन रद्द कर दिये गये हैं ऐसे अन्य कानून जो इस विधान के लागू होने से पहले भारत में लागू थे आगे भी माने जायेंगे जब तक कि वह कानून बनाने वाली संस्था द्वारा रद्द या संशोधित न कर दिये जायें।

३७३—निवारक निरोध में रखे गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ अवस्थाओं में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति

जब तक अनुच्छेद २२ के खण्ड ७ के अधीन संसद् उपबन्ध न करे; अथवा जब तक इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् एक वर्ष समाप्त न हो, जो भी इन में से पहिले हो तब तक उक्त अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि उसके खंड (४) और (७) में संसद् के प्रति किसी निर्देश के स्थान में राष्ट्रपति के प्रति निर्देश, तथा उन उपखण्डों में संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि के प्रति निर्देश के स्थान में राष्ट्रपति द्वारा निकाले गये आदेश का निर्देश, रख दिया गया हो।

३७४—फेडरलन्यायालय के न्यायाधीशों के तथा फेडरलन्यायालय में अथवा सपरिषद् सम्राट के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के, बारे में उपबन्ध

(१) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले फेडरलन्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे तथा तत्पश्चात् ऐसे वेतनों और भत्तों तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हक रखेंगे जैसे कि उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में अनुच्छेद १२५ के अधीन उपबन्धित हैं।

(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर फेडरलन्यायालय में लम्बित सभी व्यवहार-वाद अपीलें और कार्यवाहियां, चाहे व्यवहार सम्बन्धी चाहे दाण्डिक, उच्चतमन्यायालय को चली गई रहेंगी, तथा उच्चतमन्यायालय को उनके सुनने तथा निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार होगा तथा फेडरलन्यायालय के, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले सुनाये या दिये गये निर्णयों और आदेशों का, ऐसा बल और प्रभाव होगा मानो कि वे उच्चतमन्यायालय द्वारा सुनाये या दिये गये हों।

(३) इस संविधान की कोई बात भारत राज्यक्षेत्र में के किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश की, या के विषय में, अपीलों या याचिकाओं को निपटाने के लिये सपरिषद् सम्राट के क्षेत्राधिकार के प्रयोग को वहां तक अमान्य न करेगी जहां तक कि ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग विधि द्वारा प्राधिकृत है तथा ऐसी किसी अपील या याचिका पर इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् दिया गया सपरिषद् सम्राट का कोई आदेश सब प्रयोजनों के लिये ऐसे प्रभावी होगा मानो कि वह उच्चतमन्यायालय द्वारा

उस क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, जो ऐसे न्यायालय को इस संविधान द्वारा दिया गया है, दिया गया कोई आदेश या आज्ञाप्ति हो।

(४) इस संविधान के प्रारम्भ पर, और से, प्रथम अनुसूची क भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में अन्तःपरिषद् के रूप में कृत्यकारी प्राधिकारी का उस राज्य में के किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश की अपील या याचिका को ग्रहण या निबटाने का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जायेगा तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारम्भ पर लम्बित सब अपीलें और अन्य कार्यवाहियां उच्चतमन्यायालय को भेज दी जायेंगी और उस के द्वारा निबटाई जायेंगी।

(५) इस अनुच्छेद के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये संसद् विधि द्वारा और उपबन्ध बना सकेगी।

टीका—आर्टिकल ३७४ से ३८६ में यह दिया गया है कि इस विधान के लागु होने से पहले फैडरल कोर्ट के जो जज थे वह सुप्रीम कोर्ट के जज हो जायेंगे और भारत का आडिटरजनरल और पब्लिक सरविस कमीशन इस विधान के अधीन कौण्ट्रोलर ओडिटर जनरल व कमीशनर (जैसी कि सूरत हो) हों जायेंगे और विधानसभा के स्पीकर व डिप्टी स्पीकर पार्लियामेंट के स्पीकर व डिप्टी स्पीकर हो जायेंगे और कौंसिल के प्रेजीडेण्ट व वाईस प्रेजीडेण्ट राज्य परिषद के सभापति व उपसभापति हो जायेंगे और प्रांतों के गवर्नर व मंत्रीमण्डल इस विधान के अधीन गवर्नर व मंत्रीमडल माने जायेगे।

३७५—संविधान के उपबन्धों के अधीन रह कर न्यायालयों, प्राधिकारियों और पदाधिकारियों का कृत्य करते रहना

भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यवहार, दंड और राजस्व क्षेत्राधिकार वाले सब न्यायालय तथा न्यायिक, कार्यपालक और अनुसचिवीय प्राधिकारी और पदाधिकारी इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने अपने कृत्यों को करते रहेंगे।

३७६—उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबन्ध

(१) अनुच्छेद २१७ के खंड (२) में किसी बात के होते हुए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर तत्स्थानी राज्य के उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे तथा तत्पश्चात् ऐसे वेतनों और भत्तों तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हक्क रखेंगे जैसे कि उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में अनुच्छेद २२१ के अधीन उपबन्धित हैं।

(२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य में के उच्चन्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर वैसे उल्लिखित राज्य में के उच्चन्यायालय के न्यायधीश हो जायेंगे तथा अनुच्छेद २१७ के खंड (१) और (२) में किसी बात के होते हुए भी किन्तु उस अनुच्छेद के खंड (१) के परन्तुक के अधीन रहते हुए ऐसी कालावधि तक पदस्थ बने रहेंगे जैसी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे ।

(३) इस अनुच्छेद में "न्यायाधीश" पद के अन्तर्गत कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश नहीं है ।

३७७—भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के बारे में उपबंध.

इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले पदस्थ भारत का महालेखा-परीक्षक, यदि वह अन्यथा पसन्द न कर चुका हो, ऐसे प्रारम्भ पर भारत का नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक हो जायेगा तथा तत्पश्चात् ऐसे वेतनों तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्तिवेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हक्क रखेगा जैसे भारत के नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक के बारे में अनुच्छेद १४८ के खंड (३) के अधीन उपबन्धित हैं, तथा अपनी उस पदावधि की, जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे लागू होने वाले उपबन्धों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक, पदस्थ बने रहने का हक्क रखेगा ।

३७८—लोक सेवा-आयोग के बारे में उपबन्ध.

(१) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन के लोकसेवा-आयोग के पदस्थ सदस्य, जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर संघ-लोकसेवा-आयोग के सदस्य हो जायेंगे तथा अनुच्छेद ३१६ के खंड (१) और (२) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उस अनुच्छेद के खंड (२) के परन्तुक के अधीन रहते हुए अपनी उस पदावधि को, जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू होने वाले नयमों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे ।

(२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रांत के लोकसेवा आयोग के अथवा प्रांतोंके समूहकी आवश्यकता के लिये सेवा करने वाले किसी लोकसेवा-आयोग के पदस्थ सदस्य, जबतक कि वे अन्यथा पसंद न कर चुके हों, यथास्थिति तत्स्थानी राज्यके लोकसेवा सदस्य आयोग्य के सदस्य अथवा तत्स्थानी राज्यों की आवश्यकताओं के लिये सेवा करनेवाले संयुक्त राज्य-लोकसेवा-आयोग के सदस्य हो जायेंगे तथा अनुच्छेद ३१६के खंड(१)और(२) में किसी बात के होते हुए भी किंतु उस अनुच्छेद के खंड (२) के परंतुक के अधीन रहते हुए अपनी उस पदावधि की जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे ।

३७६—अन्तर्कालीन संसद तथा उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबन्ध

(१) जब तक कि इस संविधान के उपबन्धों के आधीन संसद् के दोनों सदन सम्यक् रूप से गठित न हो जायें तथा प्रथम सत्र में अधिवेशत होने के लिये आहूत न हो जायें तब तक वह निकाय, जो भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के रूप में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले कृत्यकारी था अन्तर्कालीन संसद् होगा तथा इस संविधान के उपबन्धों द्वारा संसद् को दी गई सब शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

व्याख्या इस खंड के प्रयोजनों के लिये भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के अन्तर्गत—

(१) किसी राज्य या अन्य राज्य-क्षेत्र का, जिन के प्रतिनिधित्व के लिये खंड (२) के अधीन उपबन्ध है प्रतिनिधित्व करने के लिये चुने गये सदस्य, तथा

(२) उक्त सभा में आकस्मिक रिक्तता की पूर्ति के लिये चुने गये सदस्य, भी होंगे।

(२) राष्ट्रपति नियमों द्वारा

(क) खण्ड (१) के अधीन कृत्यकारिणी अन्तर्कालीन संसद् में किसी ऐसे राज्य या अन्य राज्य-क्षेत्र के, जिस का प्रतिनिधित्व इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन की संविधानसभा में न था, प्रतिनिधित्व के लिये,

(ख) अन्तर्कालीन संसद् में ऐसे राज्यों या अन्य राज्य-क्षेत्रों के प्रतिनिधि जिस रीति से चुने जायेंगे उस के लिये, तथा

(ग) ऐसे प्रतिनिधियों की जो अर्हताएं चाहियें उन के लिये,उपबन्ध कर सकेगा।

(३) यदि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा का कोई सदस्य १६४६ के अक्टूबर के छठे दिन अथवा तत्पश्चात् इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी समय किसी राज्यपाल-प्रांत अथवा प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य था अथवा किसी ऐसे राज्य का मंत्री था तो इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर संविधान-सभा में ऐसे सदस्य का स्थान, यदि उसका उस सभा का सदस्य होना इस से पहिले ही समाप्त न हो गया हो, रिक्त हो जायगा तथा प्रत्येक ऐसी रिक्तता आकस्मिक रिक्तता समझी जायगी।

(४) इस बात के होते हुए भी कि भारत डोमोनियन की संविधान-सभा में ऐसी कोई रिक्तता, जैसी कि खण्ड (३) में वर्णित है, उस खण्ड के अधीन नहीं हुई है, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले ऐसी रिक्तता की पूर्ति के लिये पग उठाया जा सकेगा किन्तु ऐसे प्रारम्भ से पहले उस रिक्तता की पूर्ति के लिये चुने हुए किसी व्यक्ति को उक्त सभा में अपना स्थान ग्रहण करने का हक्क तब तक न होगा जब तक कि रिक्तता इस प्रकार न हो जाये ।

(५) कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत शासन-अधिनियम १९३५ के अधीन डामिनियन विधान-मंडल के रूप में कृत्यकारिणी संविधान सभा के अध्यक्ष या उपध्यक्ष के रूप में पदस्थ था, वह ऐसे प्रारम्भ पर खंड (१) के अधीन कृत्यकारिणो अन्तर्कालीन संसद् का यथस्थिति अध्यक्ष या या उपाध्यक्ष होगा ।

३८०—राष्ट्रपति के बारे में उपबन्ध

(१) ऐसा व्यक्ति, जिसे उस बारे में भारत डोमिनियन की संविधान-सभा ने निर्वाचित कर लिया हो, भारत का तब तक राष्ट्रपति होगा जब तक कि भाग ५ अध्याय १ में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाये तथा अपने पद को ग्रहण न कर ले ।

(२) भारत डोमिनियन की संविधान-सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति के पद में, उसकी मृत्यु पदत्याग या हटाये जाने के कारण या अन्यथा, कोई रिक्तता होने पर उस की पूर्ति अनुच्छेद ३७६ के अधीन क्रित्यकारिणो अन्तर्कालीन संसद् द्वारा उस लिये निर्वाचित व्यक्ति से की जायेगी तथा जब तक ऐसा व्यक्ति निर्वाचित न हो तब तक भारत का मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा ।

३८१—राष्ट्रपति की मंत्री-परिषद्

ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राष्ट्रपति उस लिये नियुक्त करे, इस संविधान के अधीन राष्ट्रपति की मंत्री-परिषद् के सदस्य होंगे, तथा जब तक नियुक्तियां इस प्रकार न की जायें, तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमिनियन के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ पर इस संविधान के अधीन राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद् के सदस्थ हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे ।

३८२—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों के बारे में उपबंध

(१) जब तक प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल का सदन या के सदन इस संविधान के उपबन्धों के अधीन सम्यक् रूप से

गठित न हो जायें तथा प्रथम सत्र में अधिवेशित होने के लिये आहूत न हो जायें तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त के कृत्यकारी विधान-मंडल का सदन, या के सदन, इस संविधान के उपबंधों द्वारा ऐसे राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को दी गई सब शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा या करेंगे।

(२) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी जहां कि इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी प्रान्त की विधान-सभा के पुनर्गठन के लिये साधारण निर्वाचन का आदेश दे दिया गया है वहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् निर्वाचन इस प्रकार पूरा किया जा सकेगा मानों कि यह संविधान प्रवर्तन में नहीं आया है तथा ऐसी पुनर्गठित सभा उस खंड के प्रयोजनों के लिये उस प्रांत की विधान-सभा समझी जायेगी।

(३) कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रांत की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अथवा विधान-परिषद् के सभापति या उप-सभापति के रूप में पदस्थ था, ऐसे प्रारम्भ पर प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित तत्स्थानी राज्य की विधान-सभा का यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा विधान-परिषद् का यथास्थिति सभापति या उपसभापति होगा, जब तक कि वह सभा या परिषद् खंड (१) के अधीन कृत्य करती है :

परन्तु जहां कि इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी प्रान्त की विधान-सभा के पुनर्गठन के लिये साधारण निर्वाचन का आदेश दे दिया गया है तथा ऐसी पुनर्गठित सभा का प्रथम अधिवेशन ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् होता है वहां इस खंड के उपबन्ध लागू न होंगे तथा ऐसी पुनर्गठित सभा अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने के लिये निर्वाचित करेगी।

३८३—प्रान्तों के राज्यपालों के बारे में उपबंध

इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले जो व्यक्ति किसी प्रान्त में राज्यपाल के रूप में पदस्थ है वह ऐसे प्रारम्भ पर प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित तत्स्थानी राज्य का राज्यपाल तब तक होगा जब तक कि भाग ६ के अध्याय २ के उपबंधों के अनुसार नया राज्य पाल नियुक्त न हो गया हो और उस ने अपना पद ग्रहण न कर लिया हो।

३८४—राज्यपालों की मंत्रि-परिषद् .

ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राज्य का राज्यपाल उस लिये नियुक्त करे, इस संविधान के अधीन राज्यपाल की मंत्री-परिषद् के सदस्य होंगे तथा जब तक नियुक्तियां इस प्रकार न की जायें तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रांत के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ पर इस संविधान के अधीन उस राज्य के राज्यपाल की मंत्रि-परिषद् के सदस्य हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे।

३८५—प्रथम अनूसूची के भाग (ख) में के राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों के बारे में उपबन्ध

जब तक प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के विधान-मंडल का सदन या के सदन इस संविधान के उपबन्धों के आधीन सम्यक् रूप से गठित न हो जायें तथा प्रथम सत्त् में अधिवेशित होने के लिये आहूत न हो जायें तब तक वह निकाय या प्राधिकारी, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी राज्य के विधान-मंडल के रूप में कृत्यकारीं था, उस प्रकार उल्लिखित राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को इस संविधान के उपबन्धों द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा।

३८६ प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों की मंत्रि-परिषद्

ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य का राज-प्रमुख उस लिये नियुक्त करे, इस संविधान के अधीन ऐसे राजप्रमुख की मंत्री-परिषद् के सदस्य होंगे, तथा जब तक नियुक्तियां इस प्रकार न की जायें तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी राज्य के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ पर इस संविधान के अधीन ऐसे राजप्रमुख की मंत्रि-परिषद के सदस्य हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे।

३८७—कुछ निर्वाचनों के प्रयोजनो के लिये जनसंख्या के निर्धारण के बारे में विशेष उपबन्ध

इस संविधान के प्रारम्भ से तीन वर्ष की कालावधि में इस संविधान के उपबन्धों में से किसी के अधीन किये गये निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये भारत या उस के किसी भाग की जनसंख्या का निर्धारण, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी रीति से किया जा सकेगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेशित करे तथा ऐसे आदेश द्वारा विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिये विभिन्न उपबन्ध बनाये जा सकेंगे।

टीका—इस विधान के अधीन तीन वर्ष के भीतर चुनाव के लिये जन संख्या उस ढंग से मालूम की जायगी जो राष्ट्रपति नियत करे।

३८८—अन्तर्कालीन संसद् तथा राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडल में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के बारे में उपबन्ध

(१) अनुच्छेद ३७९ के खन्ड (१) के आधीन कृत्यकारिणी अन्तर्कालीन संसद् के

सदस्यों के स्थानों में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति, जिस के अन्तर्गत उस अनुच्छेद के खंड (३) और (४) में निर्दिष्ट रिक्ततायें भी हैं तथा ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति से सम्बद्ध सब विषयों का (जिन के अन्तर्गत ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त शंकाओं और विवादों का विनिश्चय करना भी है) विनियमन—

(क) राष्ट्रपति उस बारे में जो नियम बनायें उन के अनुसार, तथा

(ख) जब तक इस प्रकार नियम न बनें तब तक यथास्थिति भारत डोमीनियन की संविधान-सभा में की आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के समय, अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले वैसी रिक्तताओं की पूर्ति से तथा तत्संसक्त विषयों से सम्बद्ध प्रवृत्त नियमों में, वैसे प्रारम्भ से पहिले उस सभा का सभापति तथा तत्पश्चात् भारत का राष्ट्रपति जो अपवाद और रूपभेद करे उन के अधीन रह कर उन नियमों के अनुसार,

होगा:

परन्तु जहां ऐसा कोई स्थान, जैसा कि इस खंड में वर्णित है रिक्त होने से ठीक पहिले ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित था जो अनुसूचित जातियों का अथवा मुस्लिम या सिक्ख समुदाय का है तथा यथास्थिति किसी प्रांत का अथवा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करता रहा है वहां जब तक यथास्थिति संविधान-सभा का सभापति अथवा भारत का राष्ट्रपति अन्यथा उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय न समझे तब तक ऐसे स्थान की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उसी समुदाय का होगा।

परन्तु यह और भी कि किसी प्रांत या प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के स्थानमें ऐसी किसीरिक्तताकी पूर्ती करने के लिये निर्वाचन में यथास्थिति उस प्रांत की या तत्स्थानी राज्य की या उस राज्य की विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को भाग लेने और मत देने का हक्क होगा।

व्याख्या—इस खंड के प्रयोजनों के लिये—

(क) जो सब जातियों, मूलवंश या आदिमजातियों अथवा जातियों मूलवंशों या आदिमजातियों के जो भाग या में के जो यूथ भारत-शासन (अनुसूचित-जाति) आदेश १९३६ में किसी प्रांत के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के नाम से उल्लिखित है वे तब तक उस प्रांत अथवा तत्स्थानी राज्य के

सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां समझी जायेंगी जब तक कि उस तत्स्थानी राज्य के सम्बन्ध में अनुच्छेद ३४१ के खंड (१) के अधीन अनुसूचित जातियों को उल्लिखित करने वाली अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा न निकाल दी गई हो;

(ख) किसी प्रांत या राज्य में की सब अनुसूचित जातियां एक ही समुदाय समझी जायेंगी।

(२) अनुच्छेद ३८२ या अनुच्छेद ३८५ के अधीन कृत्यकारी राज्य के विधान-मंडल के सदन में के सदस्यों के स्थानों में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति तथा ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति से संसक्त सब विषयों का (जिन के अन्तर्गत ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त शंकाओं और विवादों का विनिश्चय भी है) विनियमन ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति को शासित तथा ऐसे विषयों का विनियमन करने वाले ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले प्रवृत थे, ऐसे अपवादों और रूपभेदों के अधीन रह कर जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेशित करे होगा।

टीका—इस आर्टिकल में यह दिया गया है कि जब तक इस विधान के अधीन भारत की पारलियामेंट अर्थात् राज्यपरिषद और लोक सभायें स्थापित न की जायें विधान सभा ही पारलिकामेंट का काम करती रहेगी और यदि इस विधान सभा में किसी सदस्य की जगह खाली हो जाये उन नियमों के अनुसार भरी जायेंगी जो कि राष्ट्रपति इस सम्बन्ध में बनाये और जबतक उपरोक्त नियम बनाये जायें तो वह उन्हीं नियमों के अनुसार भरी जायेगी जो कि इस विधान के लागू होने से पहले विधान सभा के सदस्यों की खाली जगहें भरने के लिये थे। यदि उपरोक्त खाली जगह किसी शैड्यूल जाति, मुसलिम जाति या सिख जाति की थी तो जब तक कि राष्ट्रपति इसके सम्बन्ध में और कोई आज्ञा देनी आवश्यक न समझे वह उसी जाति सदस्य से भरी जायगी जिससे कि वह जगह पहले भरी हुई थी। परन्तु उपरोक्त जगह को भरने के लिए चुनाव संयुक्त रीति से किया जायगा। इस विधान से पहले की बनी हुई अर्थात् वर्तमान असम्बली व कौंसिल के सदस्यों की कोई जगह खाली हो जाय तो वह जगह उन्हीं नियमों के अनुसार भरी जायेगी जो इस विधान के लागू होने से पहले उपरोक्त खाली जगहों को भरने के लिये थे।

३८६—डोमीनियन विधान-मंडल तथा प्रांतों और देशी राज्यों के विधान-मंडलों में लम्बित विधेयकों के बारे में उपबन्ध

कोई विधेयक, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन के विधान-मंडल में अथवा किसी प्रान्त या देशी राज्य के विधान-मंडल में लम्बित था, किसी ऐसे प्रतिकूल उपबन्ध के अधीन रह कर जो यथास्थित संसद् अथवा तत्स्थानी राज्य के संविधान-मंडल द्वारा इस संविधान के अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत किया जाये, यथास्थित संसद् में अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान-मंडल में इस प्रकार चालू रखा

जासकेगा, मानो कि भारत डोमीनियन के विधान-मंडल में अथवा उस प्रान्त या देशी राज्य के विधान मण्डल में उस विधेयक के बारे में की गई कार्यवाहियों संसद् में अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान-मंडल में की गई थीं।

टीका—इस विधान के लागू होने के समय कोई बिल जो कि भारत की पारलियामेंट या किसी प्रान्त या रियासत की असम्बली या कौंसिल में प्रस्तुत था ऐसे नियमों की पाबन्दी के साथ जो कि पारलियामेंट बनाये जारी रहेगा।

३६०—इस संविधान के प्रारम्भ और १९५० की ३१ मार्च के बीच प्राप्त या उत्थापित या व्यय किया हुआ धन

भारत की संचित निधि से, अथवा किसी राज्य की संचित निधि से, तथा इन निधियों में से किसी से धनों के विनियोग से, सम्बद्ध इन संविधान के उपबन्ध उन धनों के सम्बन्ध में लागू न होंगे जो धन कि इस संविधान के प्रारम्भ के दिन तथा १९५० की मार्च के ३१ वें दिन के बीच इन दोनों दिनों को सम्मिलत करके, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त या उत्थापित या व्यय किये गये हों तथा यदि उस कालावधि में किया गया कोई व्यय, प्राधिकृत व्यय की किसी ऐसी अनुसूची में उल्लिखित है जो भारत डोमीनियम के गवर्नर जनरल या तत्स्थानी प्रान्त के राज्यपाल द्वारा भारत-शासन-अधिनियम १९३५ के उपबन्धों के अनुसार, प्रमाणीकृत है अथवा राज्य के राजप्रमुख द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार, जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी देशी राज्य के राजस्वों में से व्यय को प्राधिकृत करने के लिये लागू थे, प्राधिकृत कर दिया गया है तो वह व्यय सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया समझा जायेगा।

टीका—भारत संघ और किसी राज्य के फंड के जमा करने खर्च करने आदि के सम्बन्ध में जो नियम इस विधान में दिये हैं वे उन रकूमात के जमा करने व खर्च करने आदि से लागू न होंगे जो इस विधान के लागू होने की तारीख से ३१ मार्च सन १९५० तक किये जायें और कोई खर्चा जो कि उपरोक्त समय के भीतर किया जायें गवर्नमेंट आफ इण्डिया सन् १९३५ के अधीन नियमानुसार किया हुआ खर्चा समझा जायेगा।

३६१—कुछ आकस्मिकताओं में प्रथम और चतुर्थ अनुसूची के संशाधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति

(१) यदि इस संविधान के पारित होंने तथा इस के प्रारम्भ के बीच में किसी भारत-शासन-अधिनियम १९३५ के उपबन्धों के अधीन कोई क्रिया की जाती है जिस के लिये राष्ट्रपति की राय में प्रथम अनुसूचो और चतुर्थ अनुसूची में कोई संशोधन अपेक्षित है तो राष्ट्रपति, इस संविधान में किसीवात के होते हुए भी आदेश द्वारा उक्त अनुसूचियों में ऐसे संशोधन कर सकेगा जैसे कि इस प्रकार की गई क्रिया को प्रभावी वनाने के लिये

आवश्यक हों तथा ऐसे किसो आदेश में ऐसे अनुपूरक, प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध भी अन्तर्विष्ट हो सकेंगे जैसे कि राष्ट्रपति आवश्यक समझे।

(२) जब प्रथम अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची इस प्रकार संशोधित की जाये तब इस संविधान में उस अनुसूचो के प्रति निदेश का अर्थ ऐसा किया जायेगा कि मानो वह इस प्रकार संशोधित वैसी अनुसूचो के प्रति निदेश है।

टीका—यदि इस कानून के पास किये जाने की तारिख (२६ नवम्बर सन् १९४९) और इस विधान के लागू होने की तारीख (२६ जनवरी सन् १९५०) के बीच कोई नया प्रान्त बनाया जाये जिनके कारण इस विधान की सूची १ व ४ में संशोधन करना आवश्यक हो तो राष्ट्रपति उपरोक्त सूचीयों में संशोधन कर सकता है। यह आर्टिकिल विशेष कर इस लिये बनाया गया है कि भारत सरकार मद्रास प्रान्त में से एक नया प्रान्त अर्थात् आन्ध्र बनाना चाहती थी।

३९२—कठिनाइयां दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति

(१) राष्ट्रपति किन्हीं कठिनाइयों को विशेषतः भारतशासन-अधिनियम १९३५ के उपबन्धों से इस संविधान के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि यह संविधान उस आदेश में उल्लिखित कालावधि में, ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे रूपभेद या जोड़ या लोप के रूप में हों, रह कर जैसे कि वह आवश्यक या इष्टकर समझे प्रभावी होगा :

परन्तु भाग ५ के अध्याय २ के अधीन सम्यक् रूप से गठित संसद् के प्रथम अधिवेशन के पश्चात् ऐसा कोई आदेश न निकाला जायेगा।

(२) खंड (१) के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश संसद् के समक्ष रखा जायेगा।

(३) इस अनुच्छेद, अनुच्छेद ३२४, अनुच्छेद ३६७ के खंड (३) और अनुच्छेद ३९१ द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्तियां इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले भारत डोमीनियन के गवर्नर जनरल द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी।

टीका—राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि किसी कठिनाई को दूर करने के लिये जो विशेष कर इसलिये उतपन्न हो कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट सन् १९३५ की जगह नया विधान बनाया गया है यह आज्ञा दे कि यह विधान ऐसे संशोधन के साथ माना जाये जो कि वह उचित और आवश्यक समझे परन्तु इस विधान के भाग ५ अध्याय २ के अधीन पारलियामेंट बुलाने और उसकी पहली बैटक होने के पश्चात् राष्ट्रपति इस आर्टिकल के अधीन कोई आज्ञा नहीं दे सकेगा और प्रत्येक आज्ञा जोकि राष्ट्रपति खंड १ के अधीन दे चुका हो पार्लियामेंट के समक्ष रक्खी जायेगी। इस आर्टिकिल व आर्टिकिल ३२४, ३४७ ३९१ के अधीन जो अधिकार राष्ट्रपति को दिये गये हैं उनको इस विधान के लागू होने से पहले, गवर्नर जनरल उपयोग में ला सकता था।

भाग २२

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और निरसन

३९३—संक्षिप्त नाम.

यह संविधान भारत का संविधान के नाम से ज्ञात हो सकेगा।

टीका—इस विधान में यह दिया गया है कि इस विधान का नाम भारत का संविधान होगा। प्रायः किसी कानून का नाम उसके आरम्भ में दिया जाता है परन्तु किसी कारण से इस विधान का नाम अन्त में दिया गया है।

३९४—प्रारम्भ.

यह अनुच्छेद और अनुच्छेद ५, ६, ७, ८, ९, ६०, ३२४, ३६६, ३६७, ३७९, ३८० ३८८, ३९१, ३९२ और ३९३ तुरन्त प्रवृत्त होंगे, तथा इस संविधान के अवशिष्ट उपबन्ध १९५० की २६ जनवरी के दिन प्रवृत्त होंगे जो दिन कि इस संविधान में इस संविधान के प्रारम्भ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

टीका—इस विधान के आर्टिकिल ५, ६, ७, ८, ९, ६०, ३२४, ३६६, ३६७, ३७९, ३८०, ३८८, ३९१, ३९२, ३९३, २६ नवम्बर सन् १९४९ ई० से लागू हो गये हैं और बाकी आर्टिकिल २६ जनवरी १९५० से लागू हो गये हैं।

३९५—निरसन

भारत स्वाधीनता-अधिनियम १९४७ और भारतशासन-अधिनियम १९३५ पश्चादुक्त अधिनियम के प्रिवी कौंसिल क्षेत्रधिकार अधिनियम १९४९ को छोड़ कर संशोधन या अनुपूरण करने वाली सब अधिनियमितियों के साथ एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

टीका—इस विधान से गवर्नमेंट आफ इण्डया एक्ट सन् १९३५ जो इस विधान के बनने से पहले भारत में लागू था और इण्डियन इनडिपेन्डेन्स एक्ट सन् १९४७ जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था रद्द कर दिये गये हैं।

प्रथम अनुसूची

(अनुच्छेद १, ४ और ३९१)

भारत के राज्य और राज्य क्षेत्र

भाग (क)

राज्यों के नाम	तत्स्थानी प्रान्तों के नाम
१—आसाम	आसाम
२—उड़ीसा	उड़ीसा
३—पंजाब	पूर्वी पंजाब
४—पश्चिमी बङ्गाल	पश्चिमी बङ्गाल
५—बिहार	बिहार
६—मद्रास	मद्रास
७—मध्यप्रदेश	मध्य प्रान्त और बरार
८—मुम्बई	बम्बई
९—युक्त प्रदेश	युक्त प्रान्त

राज्यों के राज्य क्षेत्र

आसाम राज्य के राज्य-क्षेत्र में वे राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले आसाम प्रान्त, खासी राज्य और आसाम आदिमजाति-क्षेत्र के राज्य-क्षेत्रों में समाविष्ट थे।

पश्चिमी बंगाल राज्य के राज्य-क्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले पश्चिमी बंगाल प्रान्त के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट था।

इस भाग में के अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वे राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त के राज्य-क्षेत्र में तथा ऐसे राज्य-क्षेत्रों में समाविष्ट थे जो कि भारत-शासन-अधिनियम १९३५ की धारा २९० (क) के अधीन निकाले गये आदेश के आधार पर ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रान्त के भाग रहे हों।

भाग (ख)

राज्यों के नाम

१—जम्मू और काश्मीर
२—तिरुवांकुर-कोचीन
३—पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य-संघ
४—मध्य भारत
५—मैसूर
६—राजस्थान

७ – विन्ध्य प्रदेश
८—सौराष्ट्र
९—हैदराबाद

राज्यों के राज्य-क्षेत्र

इस भाग में के राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी राज्य में समाविष्ट था तथा—

(क) राजस्थान और सौराष्ट्र के प्रत्येक राज्य के विषय में वे राज्य-क्षेत्र भी समाविष्ट होंगे जो तत्स्थानी देशी राज्य की सरकार द्वारा प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम १९४७ के उपबन्धों के अधीन या अन्यथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रशासित थे; तथा

(ख) मध्य भारत के राज्य के विषय में वह राज्य-क्षेत्र भी समाविष्ट होगा जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले पन्थ पिपलोदा के मुख्य आयुक्त प्रान्त में समाविष्ट था।

भाग (ग)

राज्यों के नाम

१—अजमेर
२—कच्छ
३—कोच बिहार
४—कोड़गु
५—त्रिपुरा
६—दिल्ली
७—विलासपुर
८—भोपाल
९—मनीपुर
१०—हिमाचल प्रदेश

राज्यों के राज्य-क्षेत्र

अजमेर, कोड़गु और दिल्ली राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वह राज्य क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले क्रमशः अजमेर-मेरवाड़ा, कोड़गु और दिल्ली के मुख्य आयुक्तों के प्रान्त में समविष्ट था।

इस भाग में के अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वे राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होंगे, जो भारत-शासन-अधिनियम १९३५ की धारा २९० (क) के अधीन निकाले गये आदेश के आधार पर इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उसी नाम के मुख्य आयुक्त प्रान्त रहे हों।

भाग (घ)

अन्दमान और निकोबर-द्वीप।

द्वितीय अनुसूची

[अनुच्छेद ५९ (३), ६५ (३), ७५ (६), ९७, १२५, १४८ (३), १५८ (३), १६४ (५), १८६ और २२१]

भाग (क)

राष्ट्रपति तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के राज्य पालों के लिये उपबन्ध

१ - राष्ट्रपति तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के राज्यपालों को निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्रतिमास दी जायगी अर्थात्—

राष्ट्रपति को .... १०,००० रुपया

राज्य के राज्यपाल को .... ५,५०० रुपया

२—राष्ट्रपति तथा इस प्रकार उल्लिखित राज्यों के राज्यपालों को ऐसे भत्ते भी दिये जायेंगे जैसे कि क्रमशः भारत डोमीनियन के गवर्नर जनरल को तथा तत्स्थानी प्रान्तों के गवर्नरों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले देय थे।

३—राष्ट्रपति तथा ऐसे राज्यों के राज्यपालों को अपनी अपनी सम्पूर्ण पदावधि में ऐसे विशेषाधिकारों का हक्क होगा जैसे कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले क्रमशः गवर्नर जनरल तथा तत्स्थानी प्रान्तों के गवर्नरों को था।

४—जब कि उपराष्ट्रपति अथवा कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अथवा उस के रूप में कार्य कर रहा है अथवा कोई व्यक्ति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तब उसको वैसी ही उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हक्क होगा जैसा कि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल को है जिस के कृत्यों का वह निर्वहन करता है अथवा यथास्थिति जिसके रूप में वह कार्य करता है।

भाग (ख)

संघ के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में के राज्यों के मंत्रियों के सम्बन्ध में उपबन्ध,

५—संघ के प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों में से प्रत्येक को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि क्रमशः भारत डोमीनियन के प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों में से प्रत्येक को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले देय थे।

६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य के मंत्रियों को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि यथास्थिति तत्स्थानी प्रान्त या तत्स्थानी देशी राज्य के ऐसे मंत्रियों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले देय थे।

भाग (ग)

लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य-परिषद् के सभापति और उपसभापति के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा ऐसे किसी राज्य की विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति के सम्बन्ध में उपबन्ध,

७—लोक-सभा के अध्यक्ष तथा राज्य-परिषद् के सभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि भारत डोमीनियन की संविधान सभा के अध्यक्ष को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे तथा लोक सभा के उपाध्यक्ष को और राज्य-परिषद् के उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के उपाध्यक्ष को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे।

८—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा ऐसे राज्य की विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि क्रमशः तत्स्थानी प्रान्त की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे, तथा जहां तत्स्थानी प्रान्त की ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले कोई विधान-परिषद् न थी वहां उस राज्य की विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि उस राज्य का राज्यपाल निर्धारित करे।

भाग (घ)

उच्चतमन्यायालय तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य के उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में उपबन्ध,

९—(१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में विताये समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायगा अर्थात्—

मुख्य न्यायाधिपति .... ५,००० रुपया

कोई अन्य न्यायाधीश .... ४,००० रुपया

परन्तु यदि उच्चतमन्यालय के न्यायाधीश को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्यकी सरकार की अथवा उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पहिले की गई सेवा के बारे में (नियोग्यता या क्षत-पेन्शन से अतिरिक्त) कोई निवृत्ति-वेतन मिलता हो तो उच्चतम न्यायालय में सेवा के बारे में उसके वेतन में से निवृत्ति-वेतन की राशि घटा दी जायेगी।

[२]—उच्चतमन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को, विना किराया दिये, पदावास के उपयोग का हक्क होगा।

(३) इस कंडिका की उपकंडिका (२) में की कोई बात उस न्यायाधीश को, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले—

(क) फेडरलन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में पद धारण किये था, तथा जो ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद ३७४ के खंड (१ के अधीन उच्चतमन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति वन गया है; अथवा

(ख) फेडरलन्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूपमें पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर उक्त खंड के अधीन उच्चतमन्यायालय का [मुख्य न्यायाधिपति से अन्य] कोई न्यायाधीश वन गया है,

उस कालावधि में, जिसमें कि वह ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण करता है, लागू न होगी, तथा प्रत्येक न्यायाधीश को, जो इस प्रकार उच्चतमन्यायालय का मुख्य न्याधिपति या अन्य न्यायाधीश हो जाता है, यथास्थिति ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में वास्तविक सेवा में बिताये समय के बारे में इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लखित वेतन से अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है।

(४) उच्चतमन्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अपने कर्त्तव्य पालन में की गई यात्रा में किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए ऐसे युक्तियुक्त भत्ते पायेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुविधायें दी जायेंगी जैसी कि राष्ट्रपति समय समय पर विहित करे।

(५) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति छुट्टी (जिस के अन्तर्गत छुट्टी सम्बन्धी भत्ते भी हैं) तथा निवृत्ति-वेतन के बारे में अधिकार उन उपबन्धों से शासित होंगे जो इस सविधानके प्रारम्भ से ठीक पहले फेडरलन्यायालय के न्यायाधीशों को लागू थे।

१०—(१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य में के उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताये समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जावेगा, अर्थात्

मुख्य न्यायाधिपति	४,००० रुपये
कोई अन्य न्यायाधीश	३,५०० रुपये

(२) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले—

(क) किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में पद धारण किए था तथा ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद ३७६ के खण्ड (१) के अधीन तत्स्थानी राज्य के उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति बन गया है, अथवा

(ख) किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण किए था तथा ऐसे प्रारम्भ पर उक्त खण्ड के अधीन तत्स्थानी राज्य में के उच्चन्यायालय का (मुख्य न्यायाधिपति से अन्य) कोई न्यायाधीश बन गया है,

उसको यदि वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित दर से अधिक वेतन पाता था तो, यथास्थिति ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में, वास्तविक सेवा में बिताए समय के बारे में उक्त उपकण्डिका में उल्लिखित वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक्क होगा। जोकि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है।

(३) उच्चन्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अपने कर्त्तव्य पालन में की गई यात्रा में किए गए व्ययों की पूर्ति के लिये ऐसे युक्तियुक्त भत्ते पायेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुविधायें दी जायेंगी जैसा कि राष्ट्रपति समय समय पर विहित करे।

(४) किसी राज्य के उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति छुट्टी (जिस के अन्तर्गत छुट्टी,भत्ते भी हैं) और निवृत्ति-वेतन के बारे में अधिकार उन उपबन्धों से शासित होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी प्रान्त के उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों को लागू थे।

११—इस भाग में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "मुख्य न्यायाधिपति" पदावलि के अन्तर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति है तथा "न्यायाधीश" पद के अन्तर्गत तदर्थ न्यायाधीश है।

(ख) "वास्तविक सेवा" के अन्तर्गत है :—

(१) न्यायाधीश के रूप में कर्त्तव्य करते हुए अथवा ऐसे अन्य कृत्यों के पालन में, जिनका कि राष्ट्रपति की अकांक्षा पर उसने निर्वहन करने का भार लिया हो, न्यायाधीश द्वारा व्यतीत समय;

(२) उस समय को न गिन कर जिसमें कि वह न्यायाधीश छुट्टी लेकर अनुपस्थित है, विश्रामावकाश; तथा

(३) उच्चन्यायालय से उच्चतमन्यायालय की अथवा एक उच्च-न्यायालय से दूसरे को बदले जाने पर योगकाल।

भाग (ङ)

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के सम्बन्ध में उपबन्ध;

१२—(१) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को चार सहस्र रुपये प्रति-मास की दर से वेतन दिया जायेगा।

(२) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के महालेखा परीक्षक के रूप में पदधारण किए था तथा ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद ३७७ के अधीन भारत का नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक बन गया है उसको इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है।

(३) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों के बारे में अधिकार उन उपबन्धों से यथास्थिति शासित होंगे या शासित होते रहेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के महालेखापरीक्षक को लागू थे तथा उन उपबंधों में गवर्नर जनरल के प्रति सब निर्देशों का ऐसा अर्थ किया जायेगा मानो कि वे राष्ट्रपति के प्रति निर्देश हैं।

तृतीय अनुसूची

[अनुच्छेद ७५ (४), ९९, १२४ (६), १४८ (२), १६४ (३), १८८ और २१९]

शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र

१

सघ के मन्त्री के लिए पथ-शपथ का प्रपत्र :—

"मैं,......अमुक...... ईश्वर की शपथ लेता हूं / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, सङ्घ के मन्त्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।"

२

सङ्घ के मन्त्री के लिए गोपनीयता-शपथ का प्रपत्र:—

"मैं,...... अमुक...... ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय सङ्घ मन्त्री के रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड़कर जब कि ऐसे मन्त्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।"

३

संसद् के सदस्य द्वारा की जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र:—

'मैं,......अमुक......जो राज्य-परिषद् (अथवा लोक-सभा) का सदस्य निर्वाचित (या नाम-निर्देशित) हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करताहूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा।"

४

उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र :—

"मैं......अमुक......जो भारत के उच्चतमन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति (या न्यायाधीश) (या भारत का नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक) नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के विना पालन करूंगा, तथा मैं संविधान और विधियोंकी मर्यादा बनाये रखूंगा।

५

राज्य के मन्त्री के लिए पद-शपथ का प्रपत्र :—

"मैं, ...अमुक...... ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं ...... राज्य के मन्त्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगो के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।"

६

राज्य के मन्त्री के लिये गोपनीयता-शपथ का प्रपत्र :—

"मैं, ...अमुक...... ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय ...... राज्य के मन्त्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड़कर जब कि ऐसे मन्त्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।"

७

राज्य के विधान-मण्डल के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र :—

"मैं, ...अमुक...... जो विधान-सभा (या विधान परिषद्) के लिए सदस्य निर्वाचित (या नाम निर्देशित) हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।

८

उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र :—

"मैं, ...अमुक... जो उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति (या न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा, तथा मैं संविधान और विधियों को मर्यादा बनाये रखूंगा।"

चतुर्थ अनुसूचि

[अनुच्छेद ४ (१), ८० (२) और ३९१]

राज्य-परिषद् में के स्थानों का बंटवारा

इस अनुसूची से संलग्न स्थान-सारिणी के प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित प्रत्येक राज्य या राज्य-समूह को यथास्थिति उतने स्थान बांट में दिये जायेंगे जितने कि उक्त सारिणी के दूसरे स्तम्भ में उस राज्य या राज्य-समूह के सामने उल्लिखित हैं।

स्थान-सारिणी

राज्य-परिषद्

प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि

१	२
राज्य	कुल स्थान
१—आसाम	६
२—उड़ीसा	९
३—पंजाब	८
४—पश्चिमी बंगाल	१४
५—बिहार	२१
६—मद्रास	२७
७—मध्य प्रदेश	१२
८—मुम्बई	१७
९—युक्त प्रदेश	३१
	कुल १४५

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि

१	२
राज्य	कुल स्थान
१—जम्मू और काश्मीर	४
२—तिरुवांकुर-कोचीन	६
३—पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य	३
४—मध्य भारत	६
५—मैसूर	६
६—राजस्थान	६
७—विन्ध्य प्रदेश	४
८—सौराष्ट्र	४
९—हैदराबाद	११
	कुल ... ५३

प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि

१	२
राज्य और राज्यसमूह	कुल स्थान
१—अजमेर २—कोड़गु	१
३—कच्छ	१
४—कोच-बिहार	१
५—दिल्ली	१
६—बिलासपुर ७—हिमाचल प्रदेश	१
८—भोपाल	१
९—मनीपुर १०—त्रिपुरा	१
	कुल ... ७

कुल स्थानों का जोड़ २०५

पञ्चम अनुसूची

यह सूची शैडूल्ड क्षेत्रों और शैडूल्ड आदिम जातियों के प्रशासन और नियन्त्रण के लिये बनाई गयी जिससे सर्व साधारण का काम नहीं पड़ेगा।

षष्ठ अनुसूची

यह सूचि आसाम में के आदिम जाति-क्षेत्रों के प्रशासन के लिये बनाई गई है इससे भी सर्व साधारण का काम नहीं पड़ेगा।

सप्तम अनुसूची

(अनुच्छेद २४६)

सूची १—संघ-सूची

१—भारत की तथा उस के प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा जिसके अन्तर्गत प्रतिरक्षा के लिये तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य भी हैं, जो युद्ध-काल में युद्ध को चलाने और उसकी समाप्ति के पश्चात् सफलता पूर्वक सैन्य-वियोजन में सहायक हों।

२—नौ, स्थल और विमान बल, संघ के कोई अन्य सशस्त्र बल।

३—कटक क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्तशासन, ऐसे क्षेत्रों के अन्दर कटक-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां, तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह वासन का विनियमन (जिस के अन्तर्गत किराये का नियन्त्रण भी है)।

४ - नौ, स्थल और विमान-बल की कर्मशालायें।

५—शस्त्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, युद्धोपकरण और विस्फोटक।

६—अणुशक्ति तथा उस के उत्पादन के लिये आवश्यक खनिज सम्पत।

७ - संसद्-निर्मित विधि द्वारा प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिये अथवा युद्ध चलाने के लिये आवश्यक घोषित किए गए उद्योग।

८—केन्द्रीय गुप्तवार्ता और अनुसंधान विभाग।

९—भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से निवारक निरोध; इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति।

१०—विदेशीय कार्य, सब विषय जिन के द्वारा संघ का किसी विदेश से सम्बन्ध होता है।

११—राजनयिक, वाणिज्य-दूतिक और व्यापारिक प्रतिनिधित्व।

१२—संयुक्त राष्ट्र-संघटन।

१३—अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों, संस्थाओं और अन्य निकायों में भाग लेना तथा उनमें किये गए विनिश्चयों की अभिपूर्ति।

१४—विदेशों से संधि और करार करना तथा विदेशों से की गई सन्धियों, करारों और अभिसमयों की अभिपूर्ति।

१५—युद्ध और शान्ति।

१६—विदेशीय क्षेत्राधिकार।

१७—नागरिकता, देशीयकरण तथा अन्यदेशीय।

१८—प्रत्यर्पण।

१९—भारत में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवासन और निर्वासन; पार-पत्र और दृष्टांक।

२०—भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएँ।

२१—महा-समुद्र या वायु में की गई जलदस्युता और अपराध; स्थल या महासमुद्र या वायु में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराध।

२२—रेल

२३ राज-पथ जिन्हें संसद्-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय राज्य-पथ घोषित किया गया है।

२४—यन्त्र-चालित जलयानों के विषय में ऐसे अन्तर्देशीय जल पथों में नौ वहन और नौ-परिवहन जो संसद्-निर्मित विधि द्वारा राष्ट्रीय जल-पथ घोषित किए गए हैं, तथा ऐसे जल-पथों के पथ नियम।

२५—समुद्र-नौवहन और नौ-परिवहन जिसके अन्तर्गत ज्वार-जल नौवहन और नौ-परिवहन भी है; वणिक-पोतीय शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन।

२६—प्रकाशस्तम्भ, जिनके अन्तर्गत प्रकाशपोत, आकाशदीप तथा नौवहन और विमानों की सुरक्षितता के लिए अन्य उपबन्ध भी हैं।

२७—वे पत्तन जिनको संसद्-निमित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महा-पत्तन घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत उनका परिसीमन तथा उन में पत्तन-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियाँ भी हैं।

२८—पत्तन-निरोधा, जिस के अन्तर्गत उससे सम्बद्ध चिकित्सालय भी हैं; नाविक और समुद्रीय चिकित्सालय।

२९—वायु-पथ; विमान और और विमान-परिवहन, विमान-क्षेत्र के उपबन्ध, विमान-यातायात और विमान-क्षेत्रों का विनियमन और संगटन; वैमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन।

३०—रेल-पथ,समुद्र या वायु से अथवा यंत्रचालित यानों में राष्ट्रीय जल-पथों से यात्रियों और वस्तुओं का वहन।

३१—डाक और तार; दूरभाष, वेतार, प्रसारण और अन्य समरूप संचार।

३२—संघ की सम्पत्ति और उस से उत्थित राजस्व किन्तु प्रथम अनुसूचि के भाग (क) या (ख) में उल्लेखित किस राज्य में अवस्थित सम्पत्ति के विषय में, जहां

तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे वहां तक, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए।

३३—संघ के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति का अर्जन या अधिग्रहण।

३४—देशी राज्यों के शासकों की सम्पत्ति के लिये प्रतिपालक-अधिकरण।

३५—संघ का लोक-ऋण।

३६—चलार्थ, टंकण और विधिमान्य; विदेशीय विनिमय।

३७—विदेशीय ऋण।

३८—भारत का रक्षित बैंक।

३९—डाकघर बचत बैंक।

४०—भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संघटित लाटरी।

४१—विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; शुल्क-सीमान्तों को पार करने वाले आयात और निर्यात; शुल्क सीमान्तों की परिभाषा।

४२—अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य।

४३—व्यापारिक निगमों का, जिन के अन्तर्गत महाजनी, बीमाई और वित्तीय निगम भी हैं किन्तु सहकारी संस्थाएँ नहीं हैं, निगमन, विनियमन और समापन।

४४—विश्वविद्यालयों को छोड़ कर ऐसे निगमों का, चाहे वे व्यापारिक हों या नहीं जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और समापन।

४५—महाजनी।

४६—विनिमय-पत्र, चैक, वचन-पत्र तथा ऐसी अन्य लिखतें।

४७—बीमा।

४८—श्रेष्ठि-चत्वर और वादा बाजार।

४९—एकस्व, आविष्कार और रूपांकन; प्रतिलिप्यधिकार; व्यापार-चिह्न और पण्य चिह्न।

५०—बाटों और मापों का मान स्थापन।

५१—भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजी जाने वाली वस्तुओं के गुणों का मान-स्थापन।

५२—वे उद्योग जिन के लिये संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि लोकहित के लिये उन पर संघ का नियन्त्रण इष्टकर है।

५३—तैल-क्षेत्रों और खनिज तैल सम्पत् का विनियमन और विकास; पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पाद; संसद से विधि द्वारा भयानक रूप से ज्वालामही घोषित अन्य तरल और द्रव्य।

५४—उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक संघ के नियन्त्रण में वैसे विनियमन और विकास को संसद् विधि द्वारा लोक-हित के लिये इष्टकर घोषित करे।

५५—श्रम का विनियमन तथा खानों और तैल-क्षेत्रों में सुरक्षितता।

५६—उस सीमा तक अन्तर्राज्यिक नदियों और नदी-दूनों का विनियमन और विकास जिस तक संघ के नियन्त्रण में वैसे विनियमन और विकास को संसद् विधि द्वारा लोक-हित के लिये इष्टकर घोषित करे।

५७—जलप्रांगण से परे मछली पकड़ना और मीन क्षेत्र।

५८—संघ-अभिकरणों द्वारा लवण का निर्माण, सम्भरण और वितरण; अन्य अभिकरणों द्वारा लवण के निर्माण, सम्भरण और वितरण का विनियमन और नियन्त्रण।

५९—अफीम की खेती, निर्माण तथा निर्यात के लिये विक्रय।

६०—प्रदर्शन के लिये चल-चित्रों की मन्जूरी।

६१—संघ के नौकरों से संपृक्त औद्योगिक विवाद।

६२—इस संविधान के प्रारम्भ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, साम्राज्यिक युद्ध-संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक, भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएँ तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त-पोषित तथा संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित ऐसी कोई अन्य तद्रूप संस्था।

६३—इस संविधान के प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय और दिल्ली विश्व विद्यालयों नामों से ज्ञात संस्थाएं तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था।

६४—भारत सरकार से पूर्णतः या अंशतः वित्त-पोषित तथा संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित वैज्ञानिक या शिल्पिक शिक्षा-संस्थाएँ।

६५—संघ-अभिकरण और संस्थाएँ जो—

(क) वृत्तिक, व्यावसायिक या शिल्पि-प्रशिक्षण; जिन के अन्तर्गत आरक्षी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी है, के लिये हैं; अथवा

(ख) विशेष अध्ययनों या गवेषणा की उन्नति के लिये हैं; अथवा

(ग) अपराध के अनुसन्धान या पता चलाने में वैज्ञानिक या शिल्पिक सहायता के लिये है।

६६—उच्चतर शिक्षा या गवेषणा की संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और शिल्पिक-संस्थाओं में एक सूत्रता लाना और मानों का निर्धारण।

६७—संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख तथा परातत्त्वीय स्थान और अवशेष।

६८—भारतीय भूपरिमाप, भूतत्वीय, वानस्पतिक, नरतत्वीय, प्राणकीय परिमाप; अन्तरिक्ष-शास्त्रीय संस्थाएं।

६९—जनगणना।

७०—संघ-लोकसेवाएँ, अखिल भारतीय सेवाएँ, संघ-लोकसेवा-आयोग।

७१—संघ-निवृत्ति-वेतन, अर्थात् भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि में से दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन।

७२—संसद और राज्यों के विधान-मण्डलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन; निर्वाचन आयोग।

७३—संसद् के सदस्यों, राज-परिसद् के सभापति और उपसभापति तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।

७४—संसद् के प्रत्येक सदन की, तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां; संसद् को समितियों अथवा संसद् द्वारा नियुक्त आयोगों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों की उपस्थित वाध्य करना।

७५—राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार तथा अनुपस्थिति-छुट्टी के बारे में अधिकार; सङ्घ के मन्त्रियों के वेतन और भत्ते; नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिती-छुट्टी के बारे में अधिकार तथा अन्य सेवा-शर्तें।

७६—संघ के और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

७७—उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियां (जिसके अन्तर्गत उस न्यायालय का अवमान भी है) तथा उसमें ली जाने वाली फीसें उच्चतम न्यायालयों के सामने विधि-व्यवसाय करने का हक़ रखने वाले व्यक्ति।

७८ - उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और भृत्यों के बारे के उपबन्धों को छोड़ कर उच्चन्यायालयों का गठन और सङ्गठन; उच्चन्यायालयों के सामने विधि-व्यवसाय करने का हक्क रखने वाले व्यक्ति।

७९—किसी राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का उस राज्य से वाहर किसी क्षेत्र में विस्तार तथा ऐसे किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का ऐसे किसी क्षेत्र से अपवर्जन।

८०—किसी राज्य के आरक्षी वल के सदस्यों की शक्तियां और क्षेत्राधिकार का उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र का विस्तार, किन्तु इस प्रकार नहीं कि एक राज्य की आरक्षी, उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र में विना उस राज्य की सरकार की सम्मति के जिसमें कि ऐसा क्षेत्र स्थिति है, शक्तियां और क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके; किसी राज्य की आरक्षी वल के सदस्यों की शक्तियां और क्षेत्राधिकार का उस राज्य से वाहर रेल क्षेत्रों पर विस्तार।

८१—अन्तर्राज्यीय प्रव्रजन; अन्तर्राज्यीय निरोधा।

८२—कृषि आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर।

८३—सीमा-शुल्क जिसके अन्तर्गत निर्यात-शुल्क भी है।

८४—भारत में निमित या उत्पादित तम्बाकू तथा—

(क) मानव उपभोग के मध्य सारिक पानों,

(ख) अफीम, भङ्ग और अन्य पिनक लाने वाली औषधियों तथा स्वापकों, को छोड़ कर, किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री को अन्तर्गत करके कि

जिन में मद्यसागर अथवा उक्त प्रविष्ट की उपकण्डिका (ख) में की कोई पदार्थ अन्तरविष्ट हो, अन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क।

८५—निगम-कर।

८६—व्यक्तियों या समवायों की अस्ति में से कृषि-भूमि को छोड़ कर उसके मूलधन-मूल्य पर कर; समवायों को मूल-धन पर कर।

८७—कृषि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्पत्ति-शुल्क।

८८—कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में शुल्क।

८९—रेल या समुद्र या वायु से ले जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर, रेल के जन-भाड़े और वस्तु भाड़े पर कर।

९०—मुद्रांक-शुल्क को छोड़ कर श्रेष्ठिचत्वर और वादा बाजार के सौदों पर कर।

९१—विनमय-पत्रों, चैकों, वचन-पत्रों, वहन-पत्रों, प्रत्यय-पत्रों, बीमा-पत्रों, अंशों के हस्तान्तरण, ऋण-पत्रों, प्रतिपत्रियों और प्राप्तियों के सम्बन्ध में लगने वाले मुद्रांक-शुल्क की दर।

९२—समाचार-पत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर।

९३—इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध।

९४—इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिए जांच परिमाप और संख्याकी।

९५—उच्चतम न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों के इस सूची में के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार और शक्तियां; नवाधिकरण-क्षेत्राधिकार।

९६—किसी न्यायालय में लिए जाने वाली फीसों को छोड़कर इस सूची में के विषयों से किसी के बारे में फीस।

९७—सूची (२) या (३) में से किसी में अवर्णित किसी कर के सहित उन सूचियों में अप्रगणित कोई अन्य विषय।

सूची २—राज्यसूची

१—सार्वजनिक व्यवस्था किन्तु असैनिक शक्ति की सहायता के लिए संघ के नौ; स्थल या विमान बलों या किन्हीं अन्य बलों के प्रयोग को अन्तर्गत न करते हुए।

२—आरक्षी, जिसके अन्तरगत रेल और ग्राम आरक्षी भी हैं।

३—न्याय-प्रशासन; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालयों का गठन और सङ्गठन; उच्चन्यायालय के पदाधिकारी और सेवक; भाटक

और राजस्वन्यायालयों की प्रक्रिया; उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालय। में ली जाने वाली फीसें।

४—कारागार, सुधारालय, बोरस्टल संस्थाओं और तद्रूप अन्य संस्थाएं और उन में निरुद्ध व्यक्ति, कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से प्रबन्ध।

५—स्थानीय शासन अर्थात् नगर-निगम, सुधार-प्रन्यास, जिला-मण्डलों, खनिज-वसिति प्राधिकारियों तथा स्थानीय स्वशासन या ग्राम्य प्रशासन के प्रयोजन के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियाँ।

६—सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; चिकित्सालय और औषधालय।

७—भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं को छोड़ कर अन्य तीर्थ यात्राएं।

८—मादक पानों अर्थात् मादक पानों का उत्पादन, निर्माण, कब्जा परिवहन, क्रय और विक्रय।

९—अङ्गहीनों और नौकरी के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता।

१०—शव गाड़ना और कबरिस्थान, शव दाह और श्मशान।

११—सूची १ की प्रविष्टियों ६३, ६४, ६५ और ६६ तथा सूची ३ की प्रविष्टि २५ के उपबन्धों के आधीन रहते हुए शिक्षा, जिस के अन्तर्गत विश्वविद्यालय भी हैं।

१२—राज्य से नियन्त्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या अन्य समतुल्य संस्थायें; संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख।

१३—संचार अर्थात् सड़कें, पुल, नौका घाट तथा सूची १ में अनुल्लिखित संचार के अन्य साधन; ट्राम-पथ; रज्जुपथ; अन्तर्देशीय जल-पथ और उन पर यातायात, वैसे जल-पथो के विषय में सुची १ और ३ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुए; यंत्र-चालित यानों छोड़ कर अन्य यान।

१४—कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि-शिक्षा और गवेषणा, मरकों से रक्षा तथा उद्भिद रोगों का निवारण भी है।

१५—पशु के नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के रोगों का निवारण: शालिहोत्रि प्रशिक्षण और व्यवसाय।

१६—पशुवरोध और पशुओं के अनिचार का निवारण।

१७—सूची १ की प्रविष्टि ५६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जल, अथात् जल-सम्भरण, सिंचाई और नहरें, जल: निस्सारण और बन्ध, जल-संग्रह और जल-शक्ति।

१८—भूमि, अर्थात् भूमि में या पर अधिकार, भूधृति जिस के अन्तर्गत भूस्वामी और किसानों का सम्बन्ध भी है, तथा भाटक का संग्रहण, कृषि-भूमि का हस्तान्तरण और अन्य संक्रामण; भूमि-सुधार और कृषि सम्बन्धी उधार उपनिवेषण।

१६—वन।

२०—वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा।

२१—मीन-क्षेत्र।

२२—सूची १ की प्रविष्टि ३४ के उपबन्धों के आधीन रहते हुए प्रतिपालक अधीकरण, भारग्रस्त और कुर्क सम्पदायें।

२३—संघ के नियन्त्रणाधीन विनियमन और विकास के सम्बन्ध में सूची १ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खानों का विनियमन और खनिजों का विकास।

२४—सूची १ की प्रविष्टि ६४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उद्योग।

२५—गैस, गैस-कर्मशालाएं।

२६—सूची ३ की प्रविष्टि ३३ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य।

२७—सूची ३ की प्रविष्टि ३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वस्तुओं का उत्पादन, सम्भरण और वितरण।

२८—बाजार और मेले।

२६—मान स्थापन को छोड़ कर बाट और माप।

३०—साहूकारी और साहूकार, कृषिऋणता का उद्धार।

३१—पान्थशाला और पान्थशालापाल।

३२—सूची १ में उल्लिखित निगमों से भिन्न निगमों का और विश्वविद्यालयों का निगम, विनियमन और समापन, व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य अनिगमित समाजें और सन्थायें, सहकारी समाजें।

३३—नाट्यशाला, नाटक अभिनय, प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि ६० के उपबन्धों के अधीन रहते हुए चल-चित्र, क्रीड़ा, प्रमोद और विनोद।

३४—पण लगाना और जूआ।

३५—राज्य में निहित या उस के स्ववश में की कर्मशालायें, भूमि और भवन।

३६—सूची ३ की प्रविष्टि ४२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस के प्रयोजनो के अतिरिक्त सम्पत्ति का अर्जन या अधिग्रहण।

३७—संसद-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के आधीन रहते हुए राज्य के विधान-मण्डल के लिए निर्वाचन।

३८—राज्य के विधान-मण्डल के सदस्यों के, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा, यदि विधान-परिषद है तो, उसके सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते।

३९—विधान सभा और उसके सदस्यों और समितियों की तथा, यदि विधान परिषद हो तो, उस परिषद और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ. राज्य के विधान-मण्डल की समितियों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य करना।

४०—राज्य के मन्त्रियों के वेतन और भत्ते।

४१—राज्य लोक-सेवायें, राज्य लोकसेवा-आयोग।

४२—राज्य,निवृत्ति-वेतन अर्थात् राज्य द्वारा अथवा राज्य की संचित निधि में से देय निवृत्ति-वेतन।

४३—राज्य का लोक-ऋण।

४४—निखात निधि।

४५—भूराजस्व जिसके अन्तर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेखों का बनाए रखना, राजस्व प्रयोजनों के लिए और स्वत्व-अभिलेखों के लिये परिमाप और राजस्व का अन्य-सक्रामण भी है।

४६—कृषि-आय पर कर।

४७—कृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क।

४८—कृषि-भूमि के विषय में सम्पत्ति शुल्क।

४९—भूमि और भवनों पर कर।

५०—संसद से, विधि द्वारा खनिज-विकास के सम्बन्ध में लगाई गई परिसीमाओं के अधीन रहते हुये खनिज-अधिकार पर कर।

५१—राज्य में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क तथा भारत में अन्यत्र निर्मित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर उसी या कम दर से अतिशुल्क—

(क) मानव उभपोग के लिये मद्यसारिक पान।

(ख) अफीम, भांग, और अन्य पिनक लाने वाली औषधियां और स्वापक किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय सामग्रियों को छोड़ कर जिनमें मद्यसार अथवा इस प्रविष्ट की उपकण्डिका (ख) में का कोई पदार्थ अन्तविष्ट हो।

५२—किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर।

५३—विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर।

५४—समाचार-पत्रों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर।

५५—समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़ कर अन्य विज्ञापनों पर कर।

५६—सड़कों या अन्तर्देशीय जल-पथों पर ले जाये जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर कर।

५७—सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर, चाहे वे यन्त्रचालित हों या न हों तथा जिनमें सूची ३ की प्रविष्टि ३५ के उपबन्धों के अधीन ट्रामगाड़ियां भी अन्तर्गत हैं, कर।

५८—पशुओं और नौकाओं पर कर।

५९—पथ-कर।

६०—वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर।

६१—प्रतिव्यक्ति-कर।

६२—विलास वस्तुओं पर कर, जिनके अन्तर्गत आमोद, विनोद, पण लगाने और जुआ खेलने पर भी कर हैं।

६३—मुद्रांक-शुल्क की दरों के सम्बन्ध में सूची (१) के उपबन्धों में उल्लिखित दस्तावेजों को छोड़ कर अन्य दस्तावेजों के बारे में मुद्रांक-शुल्क की दर।

६४—इस सूची में के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध।

६५—इस सूची के विषयों में में किसी के बारे में उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ।

६६—किसी न्यायालय में लिये जाने वाले शुल्कों को छोड़ कर इस सूचि में के विषयोमें से किसी के बारे में शुल्क।

सूची ३—समवर्ती सूची

१—दण्ड-विधि जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत दण्ड-संहिता के अन्तर्गत हैं किन्तु सूची १ या सूची २ में उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विषयों के विरुद्ध अपराधों को छोड़ कर तथा असैनिक शक्ति की सहायतार्थ नौ, स्थल और विमान बलों के प्रयोग को छोड़ कर।

२—दण्ड-प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर दण्ड-प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैं।

३—राज्य की सुरक्षासे, सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने से अथवा समुदाय के लिये अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनाये रखने से संसक्त कारणों के लिये निवारक निरोध; ऐसे निरुद्ध व्यक्ति।

४—कैदियों, अभियुक्त व्यक्तियों तथा इस सूची की प्रविष्टि ३ में उल्लिखित कारणों से निवारक-निरोध में किये गये व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना।

५—विवाह और विवाह-विच्छेद शिशु और अवयस्क, दत्तक-ग्रहण, इच्छापत्र इच्छापत्रहीनत्व और उत्तराधिकार, अभिभक्त कुटुम्ब और विभाजन, वे सब विषय जिनके सम्बन्ध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्ष इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले अपनी स्वीय विधि के अधीन थे।

६—कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्तियों का हस्तान्तरण, विलेखों और दस्तावेजों का पंजीयन।

७—संविदा जिनके अन्तर्गत भागिता, अभिकरण, परिवहन-संविदा और अन्य विशेष प्रकार की संविदाएँ भी हैं किन्तु कृषि-भूमि सम्बन्धी संविदायें नहीं हैं।

८—अभियोज्य दोष।

९—दिवाला और शोधाक्षमता।

१०—न्यास और न्यासी।

११—महाप्रशासक और राजन्यासी।

१२—साक्ष्य और शपथें, विधि, सार्वजनिक कार्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों का अभिज्ञान।

१३—व्यवहार-प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैं, परिसीमायें और मध्यस्थ-निर्णय।

१४—न्यायालय-अवमान, किन्तु जिसके अन्तर्गत उच्चतमन्यायालय का अवमान नहीं है।

१५—आहिण्डन, अस्थिरवासी और प्रव्राजी आदिमजातियां

१६—उन्माद और मनोवैकल्य जिसके अन्तर्गत उन्मत्तों और मनोविकलों के रखने या उपचार के स्थान भी हैं।

१७—पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण।

१८—खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में अपमिश्रण।

१९—अफीम विषयक सूचि १ की प्रविष्टि ५९ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुए औषधि और विष।

२०—आर्थिक और सामाजिक योजना।

२१—वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्य, गुट्ट और न्यास।

२२—व्यापार-संघ, औद्योगिक और श्रमिक विवाद।

२३—सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नौकरी और बेकारी।

२४—श्रमिकों का कल्याण जिसके अन्तर्गत कार्य की शर्तें, भविष्य-निधि नियोजक-उत्तरवादिता, कर्मकार-प्रतिकार, असमर्थता और वार्धक्य-निवृत्ति वेतन और प्रसूति सुविधायें भी हैं।

२५—श्रमिकों का व्यवसायिक और शिल्पी-प्रशिक्षण।

२६—विधि-वृत्तियां, वैद्यक वृत्तियां और अन्य वृत्तियाँ।

२७—भारत और पाकिस्तान की डोमीनियनों के स्थापित होने के कारण अपने मूल निवास-स्थान से स्थान्तरित हुए व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास।

२८—पूर्त और पूर्त-संस्थाएं, पूर्त और धार्मिक धर्मस्व और धार्मिक संस्थाएं।

२९—मानवों पशुओं और उद्भिदों पर प्रभाव डालने वाले सांक्रामिक और सांसर्गिक रोगों और मारकों के एक राज्य से दूसरे में फैलने का निवारण।

३०—जीवन सम्बन्धी सांख्य की, जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीयन भी हैं।

३१—संसद-निर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महा-पत्तन घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन।

३२—राष्ट्रीय जल-पथों के विषय में सूची १ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तर्देशीय जल-पथों पर यन्त्र-चालित यानों विषयक नौ-वहन और नौ-परिवहन तथा ऐसे जल-पथों पर पथ-नियम, तथा अन्तर्देशीय जल-पथों पर यात्रियों और वस्तुओं का परिवहन।

३३—जहाँ संसद से विधि द्वारा किन्हीं उद्योगों का संघ द्वारा नियन्त्रण लोक-हित में इष्टकर घोषित किया गया है उन उद्योगों में व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, सम्भरण और वितरण।

३४—मूल्य-नियन्त्रण।

३५—यंत्र-चालित यान जिनके अन्तर्गत वे सिद्धान्त भी हैं जिनके अनुसार ऐसे यानों पर कर लगाया जाना है।

३६—कारखाने।

३७—वाष्पयंत्र।

३८—विद्युत।

३९—समाचार-पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय।

४०—संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित से भिन्न पुरातत्व सम्बन्धी स्थान और अवशेष।

४१—विधि द्वारा निष्क्राम्य घोषित सम्पत्ति की कृषि भूमि सहित अभिरक्षा प्रबन्ध और व्ययन।

४२—सङ्घ के या राज्य के या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित या अधिगृहित सम्पत्ति के लिए प्रतिकर निर्धारण करने के सिद्धान्त तथा वैसे प्रतिकर के दिये जाने का रूप और रीति।

४३—किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों तथा अन्य सार्वजनिक अभियाचनाओं की, जिसके अन्तर्गत भूराजस्व बकाया और इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है, वसूली।

४४— न्यायिक मुद्रांकों द्वारा संगृहित शुल्कों या फीसों को छोड़कर अन्य मुद्रांक-शुल्क, किन्तु इस के अन्तर्गत मुद्रांक-शुल्क की दरें नही हैं।

४५—सूची २ या ३ में उल्लिखत विषयों मैं से किसी के प्रयोजनों के लिये जांच और सांख्य की।

४६—उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और शक्तियां।

४७—इस सूची में के विषयों में से किसी के बारे में फीसें किन्तु इनके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें नहीं हैं।

अष्टम अनुसूची

[अनुच्छेद ३४४ (१) और ३५१]

भाषायें

१—असमियाँ
२—उड़िया
३—उर्दू
४—कन्नड
५—कश्मीरी
६—गुजराती
७—तामिल
८—तेलुगु
९—पंजाबी
१०—बङ्गला
११—मराठी
१२—मलयालम
१३—संस्कृत
१४—हिन्दी

पंचायत सम्बन्धी पुस्तकें

कानून पंचायत एक्ट नं० २६ सन् ४७

इस पुस्तक में कानून पंचायत टीका सहित सरल भाषा में दिया है और जनता को हमारी यह किताब बहुत पसन्द आई है मूल्य १)

कानून पंचायत सम्बन्धी नियम

यह नियम मार्च सन् १६४६ में सरकार द्वारा पास हुए हैं इन नियम की संख्या २४६ है हमने इन नियमों को टीका सहित सरल भाषा में छापा है इस किताब में हमने नियमों की सूची और हिन्दी के कठिन शब्दों के अर्थ भी दिये हैं ताकि पढ़ने वाले इन नियमों को भली प्रकार समझ सकें। मूल्य बिना जिल्द २) जिल्द सहित २॥)

कानून पंचायत की बड़ी पुस्तक

इस किताब में हमने उपरोक्त दोनों किताबें यानी कानून पंचायत एक्ट नं०२६ सन् ४७ और कानून पञ्चायत सम्बन्धी पूरे और सरकार से मार्च सन् ४६ में पास हुए२४६नियम टीका सहित सरल भाषा में दिये हैं और कानून पञ्चायत में आये हुए अन्य कानूनों की पूरी धाराओं का परिचय दिया है और दाखिल खारिज तसीह जमाबन्दी के मुकदमों का निर्णय करने के लिए हिन्दू धर्मशास्त्र मुसलिम कानून विरासत और क़ानून कब्जा आराजी एक्ट १७ सन् ३६ के आधीन उत्तराधिकारियों के ना. भी दिये हैं और कानून पंचायत व नियमों के अधीन नालिशें व प्रार्थना पत्रों के मसौदे भी दिये हैं और किताब के शुरू में कानून पञ्चायत की धाराओं व नियमों की पूरी सूची भी है जिससे पढ़ने वालों को शीघ्रता से यह मालूम हो सके कि कौन बाते इस किताब के किस पृष्ठ पर दी है अर्थात् इस किताब के पढ़ने से पञ्चायत सम्बन्धी पूरी जानकारी प्राप्त हो जायेगी और किसी अन्य किताब के पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी हमारी यह किताब जिलों की पञ्चायत अफसरों इन्सपेक्टरों सरपञ्चों सेक्रेटरियों को बहुत ही पसन्द आई है। कपड़े की सुन्दर जिल्द सहित मूल्य ५) रुपया।

हमारे यहां की अन्य पुस्तकें

खातमा ज० व का० को विशेषाधिकार प्राप्त करने का एक्ट सं०१० सन् ४६

हमने इस किताब में खातमा जमींदारी कानून का मसौदा जो जौलाई सन्१६४६ में प्रान्त की धारा-सभा (असेम्बली) में प्रस्तुत किया गया था बहुत ही सरल भाषा में छापा है और इस पुस्तक में काश्तकारों को विशेषाधिकार प्राप्त करने का एक्ट नं०१० सन् १६४६ भी दिया है। प्रत्येक जमीदार व काश्तकार को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए जिससे उनको अपने अधिकार व कर्त्तव्यों का पूरा ज्ञान हो जाये। मू० १) रु०

कृषि आयकर

इस पुस्तक में खेती सम्बन्धी आमदनी पर इन्कमटैक्स का कानून व उसके सम्बन्धी नियम टीका सहित सरल भाषा में दिये हैं और इसमें कठिन शब्दों के अर्थ और पूरी सूची भी है जमीदार व काश्तकार को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। मूल्य बिना जिल्द १) जिल्द सहित १।)।

नोट—हमारी पुस्तकें गांव-सभाओं के पुस्तकालयों आदि में अवश्य रखनी चाहिये।

मिलने का पता—**कानूनी पुस्तकालय,** गाजियाबाद।